वर्ष : 33, अंक : 130, जुलाई–सितंबर, 2010

राजभाषा भारती

जन जन की भाषा है हिंदी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन, दीप प्रज्ज्वलित करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी जी । साथ में हैं–माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री एम. रामचंद्रन जी तथा राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. एस. परशीरा जी ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में उद्बोधन देते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी जी ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 33

अंक : 130

जुलाई—सितंबर, 2010

❑ संपादक
रमेशबाबू अणियेरी
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24643622

❑ सहायक संपादक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल—ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.gov.in.

विषय-सूची

		पृष्ठ
❑ **संपादकीय**		(iii)
❑ **चिंतन**		
1. राजभाषा हिंदी—अनुवाद एवं तकनीकी समावेश की सार्थकता	—दिलीप कुमार पाण्डेय	1
2. कामकाजी हिंदी की सरलता व हिंदी शब्दावली	—डॉ. एम. एल. गुप्ता	3
3. अनुवाद की समस्याएं : हिंदी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में	—प्रो. सुमंगला मुम्मिगट्टी	8
4. राजभाषा और उसका स्वरूप	—डॉ. (कु.) संतोष अग्रवाल	13
5. प्रयोजनमूलक हिंदी की उपादेयता	—डॉ. एस. डी. तिवारी	16
6. हिंदी की महिमा	— एम. अनंत पद्मनाथ भट्ट	20
7. देश प्रेम, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी	— डॉ. जहां आरा ज़ैदी	22
❑ **साहित्यिकी**		
8. हिंदी साहित्य में नारी का परिवर्तित रूप	—डॉ. रजनी रौथाण	26
9. मलयालम के राम काव्य	—डॉ. के. वनजा	29
❑ **पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में**		
10. वैदिक ग्रंथ—आधार ग्रंथ	—मनोहर धरपले	33
❑ **स्वास्थ्य**		
11. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और परंपरागत चिकित्सा ज्ञान	—संजय चौधरी एवं — डॉ. नित्यानंद चौधरी	36
❑ **पर्यावरण**		
12. जल प्रदूषण का कारण, निवारण व विवरण	—सुधाकर किशन राव गायकवाड़	39
❑ **विज्ञान**		
13. कैसे हुई धरती पर जीवों की उत्पत्ति	—डॉ. विजय कुमार उपाध्याय	41
❑ **संस्कृति**		
14. गढ़वाली धार्मिक गाथाओं एवं चैती गाथाओं का तुलनात्मक अध्ययन	—डॉ. वीरेन्द्र सिंह बर्त्वाल	44

विषय-सूची	पृष्ठ

राजभाषा संबंधी गतिविधियां :

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 48

पूर्व रेलवे; आकाशवाणी - विशाखापट्टणम; आकाशवाणी- कड़पा; आकाशवाणी-कोलकाता; पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. जम्मू; केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क नाशिक; आयकर आयुक्त पटियाला; आयकर आयुक्त (केंद्रीय) लुधियाना; आयकर आयुक्त-1 लुधियाना; मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर; मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अहमदाबाद; आकाशवाणी - कटक; पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर; क्षेत्रीय रेंज हाजीपुर; मुख्य आयकर आयुक्त शिमला; महालेखाकार ग्वालियर; केंद्रीय उत्पाद एंव सीमा-शुल्क भोपाल; दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली;

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 57

तृश्शूर; कोलकाता (बैंक); हैदराबाद (उपक्रम); बोगाइगांव रिफाइनरी; चेन्नई; भंडारा; भिलाई-दुर्ग; मण्डी

(ग) कार्यशाला 62

दूरदर्शन केंद्र-हैदराबाद; भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन; नराकास (बैंक) कोच्चि; आकाशवाणी-जालंधर; आकाशवाणी-पणजी; आकाशवाणी-नागपुर; केंद्रीय रेशम बोर्ड भंडारा; राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान; मोहाली; बोकारो स्टील सिटी; भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. नई दिल्ली; इलाहाबाद बैंक; रांची;

(घ) हिंदी दिवस 67

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, शिलांग; भारी पानी संयंत्र बडौदा; भारतीय खेल प्राधिकरण, पटियाला; पश्चिम रेलवे, परा; पश्चिम रेलवे, राजकोट, भारत संचार निगम लि. भोपाल; बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, भंडारा; भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लि., नई दिल्ली; राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान; दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं लि., नई दिल्ली; एन एच पी सी लि. चम्बा; कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चेन्नई; सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली; केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, भुवनेश्वर; भारत संचार निगम लि., मदुरै; राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौखम अरुणाचल प्रदेश; पूर्वी आधार कर्मशाला द्वारा 99 सेना डाकघर; आकाशवाणी-कटक; आकाशवाणी-गोवा; लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, नई दिल्ली; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भोपाल; एन.एच.पी.सी. लि., कोलकाता; केंद्रीय विद्यालय दिगारू (असम);

संगोष्ठी/सम्मेलन 81

पूर्वोत्तर हिंदी-अकादमी, शिलांग; नराकास (बैंक); भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून; आकाशवाणी-बीकानेर; केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, हुगली; नागरी लिपि परिषद, नई दिल्ली;

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं 84

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; नराकास, बोंगाइगांव; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, गोवा; गोवा शिपयार्ड लि., गोवा; नराकास भिलाई नगर;

प्रशिक्षण 86

आदेश-अनुदेश 97

पाठकों के पत्र 99

4012 HA/10—1B

संपादकीय

हम सभी को जीवन में कभी-कभी संकट का दौर आता है । संकट हमें पूर्ण रूप से नष्ट भी कर सकते हैं अथवा हमारे जीवन के सुगम यात्रा पथ को परिवर्तित कर सकते हैं । सामान्यतः इन संकटों का प्रभाव केवल एक व्यक्ति अथवा सीमित दायरे के अंतर्गत रहने वाले कुछ व्यक्तियों के जीवन पर ही सीमित रूप से पड़ता है । लेकिन एक भाषा पर आने वाले संकट का प्रभाव समूचे देश पर भी पड़ सकता है । अतः इसे रोकना और भाषा को नष्ट होने से बचाकर रखना हम सभी का कर्तव्य है । हमारे इस कर्तव्य निर्वहन की एक छोटी सी पहल के रूप में विगत 14 सितम्बर को हमने 'हिंदी दिवस' विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया । राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बनाए रखना 'हिंदी दिवस' समारोह के आयोजन का सर्वप्रथम लक्ष्य है । हमारे भूतकाल को आने वाले समय के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, यह प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष आने वाला सवाल है । हमने जिन सांस्कृतिक मूल्यों को वर्षों से संगृहीत करके रखा है, उन्हें आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जाना है । जीवन के हर क्षेत्र में इस समय आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है, बावजूद इसके कुछ चीजें शाश्वत महत्व रखती हैं । भाषा अथवा राजभाषा का विषय भी ऐसा ही है, अतः इस वर्ष भी 'हिंदी दिवस' समारोह, को केवल एक अनुष्ठान का निर्जीव रूप न देकर, उत्साह, उमंग एवं प्रत्याशा के साथ मनाया गया है । इसका सचित्र विवरण 'राजभाषा भारती' के इस अंक में दिया जा रहा है ।

इस अंक में "चिंतन" स्तंभ के अंतर्गत 'राजभाषा हिंदी-अनुवाद एवं तकनीकी समावेश की सार्थकता' शीर्षक लेख में श्री दिलीप कुमार पाण्डेय स्पष्ट कर रहे हैं कि कार्यालयी भाषा की दृष्टि से एक सफल अनुवादक वही है, जो अनूदित पाठ को सरल व स्पष्ट बनाए रखे । 'कामकाजी हिंदी की सरलता व हिंदी शब्दावली' नामक लेख में लेखक डा. एम. एल. गुप्ता इस तथ्य पर रोशनी डाल रहे हैं कि भाषा और उसकी शब्दावली प्रयोग से प्रचलन में आती है । प्रो. सुमंगला मुम्मिगट्टी 'अनुवाद की समस्याएं : हिंदी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में' लेख में स्पष्ट कर रही हैं कि विशेष भाषा प्रदेश के विशेष अनुभव, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान को समूचे विश्व का बनाने के लिए अनुवाद ही एकमात्र विकल्प है । डा. (कु.) संतोष अग्रवाल अपने लेख 'राजभाषा और उसका स्वरूप' में उल्लेख कर रही हैं कि भाषा और भाषा से

विकसित सभ्यता व संस्कृति का भी प्रसार हो । 'प्रयोजनमूलक हिंदी की उपादेयता' शीर्षक लेख में डा. एस. डी. तिवारी यह आशय पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि दैनिक कार्य संपादन में व्यवहार की भाषा के रूप में सभी को अपने कार्यालयीन एवं व्यावसायिक भाषा की आवश्यकता होती है । श्री एम. अनंतपद्मनाथ भट्ट अपने लेख 'हिंदी की महिमा' में कह रहे हैं कि भारतीय जीवन धारा का प्राण यहां की विविधता में निहित है । 'देश प्रेम, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी' शीर्षक लेख में डा. जहां आरा ज़ैदी ने महात्मा गांधी के देश प्रेम के साथ ही भावात्मक एकता, भ्रातृत्व भावना एवं मानवता के प्रचार-प्रसार के प्रयत्नों को रेखांकित किया है ।

'साहित्यिकी' स्तम्भ में 'हिंदी साहित्य में नारी का परिवर्तित स्वरूप' शीर्षक लेख में डा. रजनी रौथान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्षशील होने का संकल्प लेती हुई आत्मनिर्भरता की ओर सचेत होने वाली नारी की चर्चा की है । डा. के. वनजा अपने शोधपरक लेख 'मलयालम के रामकाव्य' में मलयालम के रामकथात्मक काव्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल रही हैं ।

'पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में' स्तम्भ के अंतर्गत प्रस्तुत लेख 'वैदिक ग्रन्थ-आधार ग्रन्थ' में श्री मनोहर धरफले सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में वैदिक ग्रन्थों के महत्व पर रोशनी डाल रहे हैं ।

'स्वास्थ्य', 'पर्यावरण', 'विज्ञान' एवं 'संस्कृति' स्तम्भों के अंतर्गत प्रकाशित क्रमशः 'स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और परम्परागत चिकित्सा ज्ञान' (श्री संजय चौधरी एवं डा. नित्यानंद चौधरी), 'जल प्रदूषण का कारण, निवारण व विवरण' (श्री सुधाकर किशनराव गायकवाड़), 'कैसी हुई धरती पर जीवों की उत्पत्ति' ? (डा. विजय कुमार उपाध्याय), 'गढ़वाली धार्मिक गाथाओं एवं चैती गाथाओं का तुलनात्मक अध्ययन' (डा. वीरेन्द्र सिंह बर्त्वाल) शीर्षक लेखों में लेखकों ने अपने विचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त, सदैव की भांति, राजभाषा संबंधी गतिविधियों तथा अन्य नियमित स्तम्भ भी इस अंक में दिए जा रहे हैं । आशा है 'राजभाषा भारती' के इस अंक को भी प्रबुद्ध पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे । आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

(रमेशबाबू अणियेरी)
–संपादक

राजभाषा हिंदी—अनुवाद एवं तकनीकी समावेश की सार्थकता

—दिलीप कुमार पाण्डेय*

स्वातंत्र्योत्तर भारत में स्वाधीनता और स्वावलम्बन के साथ-साथ स्वभाषा को भी आवश्यक माना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद गांधी जी ने खुले शब्दों में कहा कि 'प्रांतीय भाषा या भाषाओं के बदले में नहीं बल्कि उनके अलावा एक प्रांत से दूसरे प्रांत का संबंध जोड़ने के लिए एक सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता है। ऐसी भाषा तो एकमात्र हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती है।' राजभाषा के संबंध में संविधान सभा के सदस्यों ने काफी चिंतन-मनन किया। तदनुसार 14-09-1949 को देवनागरी में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति हमारी निष्ठा पर निर्भर करती है। हम सरकारी कार्यों से संबंधित लक्ष्यों को जिस तरह हासिल कर रहे हैं, उसी तरह हिंदी प्रयोग संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

राजभाषा स्वीकारने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता का काम जनता की भाषा में संपन्न हो। प्रशासन की भाषा एक अलग तरह की भाषा होती है जो सीधे-सीधे अपने विषय पर बात करती है। उसमें साहित्यिक या क्लिष्ट भाषा शैली के लिए कोई स्थान नहीं होता। अत: सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए हम राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। हिंदी ध्वनयात्मक भाषा है, जहाँ अंग्रेजी के उच्चारण के लिए भी शब्दकोश देखने की आवश्यकता पड़ती है वहीं हिंदी के लिए सिर्फ अर्थ देखने के लिए ही शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग रटनी पड़ती है, जबकि हिंदी के शब्दों की वर्णमाला-स्वर व व्यंजन तथा बारह खड़ी को रटने से हिंदी के किसी भी शब्द को पढ़ना-लिखना सहज हो जाता है। यही कारण है कि हिंदी में किसी भी भाषा को लिखना या उसका उच्चारण करना सरल होता है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 'माक्रोसॉफ्ट' के मालिक बिल गेट्स ने हिंदी भाषा और लिपि को विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक वैज्ञानिक माना है।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है, किंतु अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु अभी भी बहुत सा काम अंग्रेजी में में हो रहा है। राजभाषा विभाग का लक्ष्य है कि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिंदी का ही प्रयोग हो। यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप भी होगा। आज भी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का कार्य अनुवाद के सहारे चल रहा है। प्राय: अनुवाद भाषा को कठिन बनाता है। इसका कारण दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ की कमी या अनुवादक को हर विषय क्षेत्र की गहन जानकारी नहीं होना है। वैसे भी किसी को हर क्षेत्र की पूरी जानकारी होना भी संभव नहीं है।

चिकित्सा, अभियांत्रिकी, पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न विषयों में होने वाले विकास व अनुसंधान के फलस्वरूप रोज़ नई संकल्पनाएँ जन्म ले रही हैं, नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। चूँकि इन विषयों में रोज़ नए अनुसंधान विश्व के कोन-कोने में विभिन्न भाषाओं में हो रहे हैं अत: इनका साहित्य और उपलब्ध जानकारी मूल रूप से हिंदी में मौजूद नहीं है। इसके फलस्वरूप, बदलते वैश्विक परिदृश्य में अनुवादकों की भूमिका काफी बढ़ गई है। इन नए विषयों का अनुवाद करते समय अनुवादकों के लिए मात्र स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा पर ही पकड़ काफी नहीं है अपितु उनके लिए विषय का भी पूरा ज्ञान जरूरी है। परंतु, यह व्यावहारिक भी नहीं है कि अपेक्षा की जाए कि एक अनुवादक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों में पारंगत हो।

* संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

4012 HA/10—2A

निस्संदेह यह पूर्णतः अनुवादक की प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वह जिस भाषा से और जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है उन भाषाओं पर उसका कितना अधिकार है और इन भाषाओं की अनुभूतियों में वह कितनी तारतम्यता कायम रख सकता है । यहाँ यह जरूरी है कि विषय को समझने के लिए अनुवादक को उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ की सहायता ले लेनी चाहिए क्योंकि विषय ज्ञान के बिना अनुवाद में प्राण नहीं फूके जा सकते । आदर्श स्थिति तो यह होगी कि अनुवाद ऐसे विषय विशेषज्ञ से कराया जाए जिसे स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा का भी पूरा ज्ञान हो । ऐसे तकनीकी साहित्य का अनुवाद करने के लिए उन्हें अच्छा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । यदि ऐसा हो पाता है तो इससे विषय की मौलिकता बनी रहेगी ।

कार्यालयी भाषा की दृष्टि से एक सफल अनुवादक वही है जो अनुदित पाठ को सरल व स्पष्ट बनाए रखे । उसे किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त वाक्य जोड़ने से परहेज नहीं करना चाहिए । कभी-कभी अंग्रेजी के एक शब्द को स्पष्ट करने के लिए पूरा एक वाक्य भी देना पड़ सकता है । इसे भाषिक संप्रेक्षण क्षमता की कमी नहीं समझना चाहिए । दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा के पूरे वाक्य के लिए हिंदी भाषा का एक शब्द ही पर्याप्त हो । भाषा का स्वरूप निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि पत्र या प्रारूप किस व्यक्ति को संबोधित है । उस व्यक्ति की सामाजिक, पदीय स्थिति और हिंदी भाषिक योग्यता के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । छोटे-छोटे वाक्य लिखना सुविधजनक होता है और वैसे भी कई उप-वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करना हिंदी की प्रकृति नहीं है ।

सूचना प्रौद्योगिकी के बदलते परिवेश में हिंदी भाषा ने अपना स्थान धीरे-धीरे प्राप्त कर लिया है । अब हिंदी की उपादेयता पर कोई भी प्रश्न चिह्न लगा नहीं सकता । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हिंदी के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं । 'मंत्र-राजभाषा' एक मशीन साधित अनुवाद टूल है जो विशिष्ट विषय क्षेत्र के अंग्रेजी पाठ का हिंदी में अनुवाद करता है । 'मंत्र-राजभाषा' के संबंध में लोगों के मध्य यह भ्रांति है कि यह अनुवादकों का पूरक है परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि 'मंत्र-राजभाषा' सॉफ्टवेयर अनुवादकों की सहायता के लिए बना है । अनुवादक उसकी मदद से किए गए अनुवाद का पुनरीक्षण कर अपना कार्य आसानी से एवं शीघ्रता से कर सकता है । सी-डैक, पुणे के इंजीनियर राजभाषा विभाग के साथ मिलकर इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर एवं स्वीकार्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं । इन्टरनेट के क्षेत्र में हिंदी किसी भी मायने में अंग्रेजी से पीछे नहीं है । कंप्यूटर पर हिंदी में काम करते समय अक्सर लोगों को word, Excel, Power point आदि में तैयार किए गए दस्तावेजों में प्रयोग किए जाने वाले फोंट्स की इनकम्पैटीबिलिटी के कारण दस्तावेजों के स्थानांतरण/विनिमय की समस्या का सामना करना पड़ता है ।

यह समस्या मानक भाषा एनकोडिंग को प्रयोग न करने से पैदा होती है । यूनिकोड इनकोडिंग को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मानक के रूप में मान्यता दे दी गई है । जैसे किसी अंग्रेजी फोंट में कम्प्यूटर पर तैयार/उपलब्ध फाइल को दूसरे कम्प्यूटर पर अंग्रेजी फोंट में देखा जा सकता है उसी प्रकार अब यूनिकोड इनकोडिंग के जरिए विंडो-2000 एवं उसके बाद वाले विंडोज ओ. एस. में सहजता से हिंदी में कार्य कर सकते हैं । यूनिकोड समर्थित फोंट्स में बनी .doc, .xls, व .ppt फाइल किसी भी यूनिकोड समर्थित कम्प्यूटर पर देखी व संशोधित की जा सकती है । इस कम्पैटीबिलिटी के लिए आवश्यकता केवल यह है कि हम कोई भी वह फोंट प्रयोग करें जो यूनिकोड समर्थित हो और जो भी सॉफ्टवेयर प्रयोग करें व यूनिकोड को सपोर्ट करता हो । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व राजभाषा विभाग द्वारा कम्प्यूटर पर हिंदी प्रयोग को सरलता, कुशलता व प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त संसाधन व समाधान उपलब्ध कराए जा चुके हैं । ये साफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट (http://ildc.gov.in/hindi/hdownloadhindi.htm) व राजभाषा विभाग की वेबसाइट (www.rajbhasha.gov.in) से निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

निस्संदेह, हिंदी ही ऐसी भाषा है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है और हिंदी में काम करना राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है । स्वतंत्रता सेनानी व कवि राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी कलम को विराम देना चाहूँगा—

लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूँ हिंदी लिखूँ हिंदी
चलन हिंदी चलूँ, हिंदी पहरना, ओढना खाना ।

भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की
स्वदेशी ही रहे बाजा, बजाना, राग का गाना ।

4012 HA/10—2B

कामकाजी हिंदी की सरलता व हिंदी शब्दावली

—डॉ. एम. एल. गुप्ता*

जहाँ कहीं संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिंदी के प्रयोग और प्रसार की चर्चा होती है तो बात कामकाजी या कार्यालयीन हिंदी की जटिलता और दुरूह भाषा पर आकर अटक जाती है । राजभाषा सम्मेलन हों या नगर राजभाषा कार्यान्वन समितियों की बैठकें हों या हिंदी के प्रयोग-प्रसार की चर्चा का अन्य कोई मंच, ज्यादातर वरिष्ठ कार्यापालक इसी कठिनाई की चर्चा करते दिखाई देते हैं । ऐसे अनेक वरिष्ठ कार्यपालक हैं जो न केवल हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं बल्कि हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त होने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक भी हैं । वे भी अक्सर यह कहते दिखाई देते हैं कि जो हिंदी हमें, ठीक से समझ नहीं आती या अटपटी लगती है तो भला फिर उस हिंदी को दूसरा कौन समझ पाएगा । हिंदी भाषा की सरलता का यक्ष प्रश्न लगभग हर जगह हिंदी के प्रसार की राह में एक बाधा बनकर खड़ा दिखाई देता है, जिसमें एक प्रमुख समस्या है शब्दावली की । इसलिए यह आवश्यक है कि इस समस्या के सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक विचार किया जाए और इस समस्या के उपयुक्त उपाय खोजे जाएं ।

जहाँ कहीं कामकाजी हिंदी की जटिलता की बात आती है वहाँ सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली की बात होती है । भाषा विज्ञान के विभिन्न मतों और पारिभाषाओं की गहराइयों में न जाकर अगर सरल रूप में समझें तो कह सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान, व्यापार-व्यवसाय, कार्यालयों-कार्यकलापों आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त वे शब्द जो उस क्षेत्र में अपना विशिष्ट व सुनिश्चित अर्थ रखते हैं वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं । इन क्षेत्रों में प्रयुक्त वे पारिभाषिक शब्द जो सदियों से हमारे यहाँ चलते रहे हैं और आज भी प्रचलित हैं, वहाँ तो कोई कठिनाई नहीं है चूंकि उनकी पहले से अपनी एक पहचान है ।

समस्या उन विदेशी या यूं कहें आगत शब्दों के हिंदी पर्यायों के साथ है जो हमारे नहीं है जिन्हें प्रयासपूर्वक बनाया गया है । सर्वविदित है कि लम्बी पराधीनता और अंग्रेजी शासन के कारण हमारे देश में शासन, प्रशासन, विधि, न्याय, पुलिस, सेना आदि तमाम व्यवस्थाएँ आधुनिक काल में अंग्रेजों के द्वारा ही प्रारम्भ की गईं । इसीलिए यह शब्दावली उनके द्वारा, उनकी भाषा के साथ ही हमारे देश में आई । लम्बे समय तक इस शब्दावली का प्रयोग भी होता रहता । जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा और उसकी शब्दावली प्रयोग से प्रचलन में आती है और प्रयोग कम होने से प्रचलन से बाहर होने लगती है । इस कारण अंग्रेजी शासन के दौरान जहाँ एक और शासन-प्रशासन आदि में पूर्व प्रचलित अनेक भारतीय शब्द प्रचलन से बाहर हो गए, वहीं अंग्रेजी या अंग्रेजी के माध्यम से अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में आते गए ।

इसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व बन गया । ज्ञान-विज्ञान, व्यापार-व्यवसाय आदि अनेक क्षेत्रों में भी नए आवष्किार ई प्रौद्योगिकी, नए उपकरण और नई आवधारणाएँ, भले ही वे अंग्रेजों की अपनी न हों, अंग्रेजी के माध्यम से ही हमारे पास आने लगी । यही कारण था कि इन तमाम क्षेत्रों में लाखों ऐसे नए शब्दों का आगमन हुआ जो हिंदी या किसी भारतीय भाषा के बजाए अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषाओं के थे । आज भी ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में यही प्रक्रिया जारी है. भूमण्डलीकरण की अवधारणा के चलते और इंटरनेट के आ जाने से हमारे देश में इसे और अधिक गति मिली है ।

स्वतंत्रता पश्चात् केंद्र में और विभिन्न राज्यों में भाषा और शब्दावली के प्रश्न पर विचार हुआ । हिंदी को संघ की राजभाषा बनाए जाने के साथ-साथ जब राज्यों में राज्यों की भाषा या भाषाओं को राजभाषा बनाया गया तो प्रमुख प्रश्न यह था कि हमारे तंत्र में आ चुके शासन-प्रशासन या ज्ञान-विज्ञान के ऐसे लाखों आगत शब्दों के हिंदी या भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के पर्याय क्या हों ?

*** उप निदेशक (कार्यान्वयन) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यन्वयन कार्यालय (पश्चिम) केन्द्रीय सदन, 6वाँ माला, सी विंग, सेक्टर 10, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 ।**

इसके लिए पहले हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी के लिए और हिंदीतर भाषी राज्यों में उन राज्यों की भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सबके उपाय, उपकरण और प्रक्रिया लगभग समान थी, लेकिन कोई समन्वय-सामंजस्य न होने के कारण सबने अपनी-अपनी शब्दावली का निर्माण प्रारम्भ कर दिया। काफी बाद में संघ सरकार द्वारा इस दिशा में उन्हीं उपायों, उपकरणों व प्रक्रिया से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। नतीजतन एक ही अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी भाषी राज्यों में भी अलग-अलग शब्द चल पड़े। यदि प्रारम्भ में ही समन्वित प्रयास किए जाते तो हिंदी सहित देश की ज्यादातर पारिभाषिक शब्द समान हो सकते थे, जैसा कि बाद में हुआ भी लेकिन तब-तक काफी पानी बह चुका था।

पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए मुख्यत: निम्नलिखित मार्ग अपनाए गए। और (1) **पुनरुद्धारवादी** इस मार्ग के समर्थकों का यह मानना था कि प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की परम्परा में उपलब्ध संस्कृत शब्दों की स्वीकार्यता तथा संस्कृत की धातुओं उपसर्गों, प्रत्यय के माध्यम से वैज्ञानिक विधि से शब्दों का निर्माण करना उचित होगा। इस परम्परा के प्रबल समर्थक डॉ. रघुवीर थे जिन्होंने बड़ी कुशलता व वैज्ञानिक विधि से बड़ी संख्या में पारिभाषिक शब्द बनाए। इनमें से अनेक शब्द सरलतापूर्वक हिंदी भाषा का स्वाभाविक अंग बन गए।

जैसे

peri के लिए परि –peri meter परिमाप

Sub के लिए अनु –sub Genus अनुप्रजाति

Dupety के लिए उप –Deputy Director उप निदेशक

अभिग्रहणवादी–इस मार्ग के समर्थकों का यह मानना था कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान मुख्यत: पश्चिम की देन हैं और अधिकांश वैज्ञानिक व आधुनिक ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान उन शब्दों के पहले से परिचित हैं, इसलिए इनके लिए नए शब्दों को गढ़ने के बजाए उन्हीं शब्दों को ज्यों का त्यों ले लिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन में व कार्य करने में भी सुविधा होगी जैसे–प्लेटफार्म, बैंक, सॉफ्टवेयर, शेयर, बजट आदि। इस प्रकार के अनेक शब्द भी हिंदी में आत्मसात होकर हिंदी भाषा के शब्द बन गए। इसके साथ-साथ दोनों का मिश्रित रूप या अनुकूलन इस विधि में अंग्रेजी से आए शब्दों का भारतीयकरण करने की पद्धति अपनाई गई। इस विधि से भी अनेक शब्द बनाए गए जो सरलतापूर्वक हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए।

उदाहरण :–

एकेडेमी	–	अकादमी
सर्वे	–	सर्वेक्षण
रेल	–	रेलगाड़ी

प्रयोगवादी–इसके अतिरिक्त एक मार्ग था अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा तद्भव और देशज तत्वों से शब्दावली का निर्माण। इस सिद्धांत के पक्षघर प्रयोगवादी कहलाए। उनके द्वारा निर्मित शब्दावली कुछ इस प्रकार थी:–

उदाहरण :–

Boiling point	– उबला वनुकता
Electrification	– बिजलियाना
Localize	– स्थानियाना
Token	– टुटमी खंबा

इस विधि से बने ज्यादातर शब्द काफी कठिन अव्यावहारिक व अटपटे होने के कारण कभी स्वीकार नहीं हो सके।

उपर्युक्त विधियों से हिंदी के शब्द भंडार में शासन-प्रशासन व ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों की अभिवृद्धि हुई। इन विधियों से निर्मित, अभिगृहीत, अनुकूलित हजारों शब्द हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में इस प्रचार रच बस गए हैं और प्रचलित हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि इन्हें भी कृत्रिम ढंग से बनाया गया था। लेकिन कुछ शब्द आज भी प्रचलित नहीं हो सके हैं। ये शब्द सरकारी व्यवस्था के चलते जैसे-तैसे शब्द कोषों के सहारे अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस दिशा में पुनर्विचार करें और इनके स्थान पर सरल सहज शब्द उपलब्ध करवाएँ।

1. अस्वीकृत शब्दों के स्थान पर प्रचलित शब्दों की स्वीकार्यता :

जो निर्मित शब्द अभी तक भी हिंदी भाषा में अपना स्वाभाविक स्थान नहीं बना सके हैं ऐसे शब्दों के स्थान पर यथासंभव पहले से प्रचलित आगत विदेशी शब्दों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। यदि अन्य किसी भारतीय भाषा में

उसके लिए कोई सरल प्रचलित शब्द हो, और व्यावहारिक प्रतीत हो तो उसे भी स्वीकार किया जा सकता है। सामान्य व्यवहार की दृष्टि से यदि विचार करें तो ड्राइवर, कंडक्टर, इंजीनियर, नर्स, डॉक्टर जैसे शब्दों के हिंदी पर्याय :–चालक, संवाहक, अभियंता, परिचारिका, चिकित्सक आज भी बहुत स्वीकृति नहीं पा सके हैं। ऐसे शब्दों के स्थान पर पूर्व प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को लेना उचित प्रतीत होता है।

लेकिन यहाँ यह सावधानी भी बरतनी होगी कि कहीं ऐसा न हो कि इस बहाने अंग्रेजी परस्त वर्ग हिंदी के प्रचलित, चलते फिरते या स्वीकृत शब्दों को बाहर कर अंग्रेजी शब्दों की बाढ़ ला दें। इससे हिंदी की अपनी मौलिकता नष्ट हो जाएगी।

न्यायाधीश, अध्यापक/शिक्षक, डाकिया, अधिकारी, सचिव, निदेशक जैसे शब्द-सहज सरल एवं प्रचलित हैं इन्हें यथावत रखना उचित होगा। कहने का आशय है कि जहाँ अंग्रेजी में आए शब्दों के भारतीय पर्याय न हों या निर्मित शब्द न चल सकते हों, वहीं पर ऐसे परिवर्तन किए जाएं ताकि भाषा सरल व प्रवाहमय हो। इसी प्रकार कानूनी शब्दों में Law के लिए विधि के बजाए कानून, अधिवक्ता के बजाए वकील जैसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना अधिक संगत होता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की दृष्टि से स्कूल-कॉलेज जैसे शब्दों को भी स्वीकार किया जा सकता है।

2. विभिन्न भावों के लिए हिंदी में प्रचलित एक शब्द की स्वीकार्यता :

सर्वविदित है कि अनेक बार जहाँ किसी एक भाषा में कई भावों, निकट भावों, अर्थछायाओं के लिए एक शब्द होता है तो उनके लिए दूसरी भाषा या भाषाओं में अलग-अलग या अधिक शब्द हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद संदर्भ विशेष में प्रयोग से एक शब्द तमाम अर्थछायाओं को स्पष्ट करता है जैसे कि अंग्रेजी के Charge शब्द को ही लें। विभिन्न संदर्भों में इसके कई रूप प्रचलित हैं जैसे-लाठी चार्ज, बैंक में ड्राफ्ट बनवाने के चार्ज करना, बैटरी चार्ज करना, किसी पर चार्ज (आरोप) लगाना, चार्ज लेना (कार्यभार) आदि। जबकि हिंदी में इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी एक शब्द के बजाए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करना होगा। ठीक इसके विपरीत हिंदी में भी ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके लिए अंग्रेजी में कई शब्द हैं। ऐसे में स्वाभाविक तो यही है कि यथासंभव (जहाँ मामला अत्यधिक वैज्ञानिक या तकनीकी न हो) हिंदी के एक ही प्रचलित शब्द से काम चलाया जाए। लेकिन अंग्रेजी के प्रत्येक शब्द के लिए अनावश्यक रूप से हिंदी का प्रति शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति के चलते असहज शब्दों को चलाने का प्रयास किया गया, जो बहुत सफल नहीं हुआ।

प्रारम्भ में Scheme तथा Planning के लिए योजना व आयोजना शब्द बनाए गए थे जबकि हिंदी में आयोजना जैसा कोई शब्द था ही नहीं। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद दोनों के लिए योजना शब्द को स्वीकार कर लिया गया जो बखूबी चल रहा है। इसी प्रकार ऐसे अनेक शब्दों को सरल किया जा सकता है जैसे-

Revised के लिए परिशोधित की जगह संशोधित

Estimate के लिए प्राक्कलन की जगह आकलन

Asset के लिए परिसंपत्ति की जगह संपत्ति

Accurate के लिए परिशुद्ध की जगह शुद्ध बिल्कुल सही

इसी प्रकार के हजारों ऐसे शब्द हैं जिनमें इस तरह के सरलीकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

विनिर्देश	Specification
प्रमाद	Negligence
पुनर्विलोकन	Review
प्रत्यानयन	Restitution
प्रदाय	Supply
प्रविधि तंत्र	Tecnocracy
भूधृति	Tenure
मतार्थन	Canvassing
मताग्रही	Uncompromising
स्थानापन्न	Officiating
विनिर्दिष्ट	Specific
अर्हता	Qualification
प्रत्यवस्थान	Restitution
प्रत्याथित	Accrediated
प्रपत्र	Form
भूतलक्षी	Retrospective
मत्तता	Intoxication
प्रौद्योगिकी	Technology

इस प्रकार के सैंकड़ों/हजारों शब्द हैं वर्तमान परिस्थितियों में जिनके सरलीकरण या जिनके स्थान पर

4012 HA/10—3A

प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को स्वीकारने की आवश्यकता है । यहाँ कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि ये सभी शब्द ठीक नहीं बने या जटिल थे ।

ऐसे भी अनेक शब्द हैं जो अपने अंग्रेजी पर्यायों से सरल व सटीक भी हैं लेकिन ऐसे शब्द प्रचलन में न आ पाने के कारण भाषा की शक्ति बनने के बजाए भाषा पर भार बनकर उसके स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर रहे हैं । इसलिए ऐसे अप्रचलित शब्दों के सरलीकरण की प्रबल आवश्यकता है ।

3. जो बनाया नहीं उसका नाम क्यों बनाएं ? :

शब्दों के सरलीकरण की दिशा में एक और सिद्धांत को ध्यान में रखने की आवश्यकता है । जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज बनाता है, नया आविष्कार करता है या नई अवधारणा लाता है तो अंग्रेजी में कहता है "It is my baby" जाहिर है कि जो बनाता है वही नाम भी रखता है । इसलिए जो आविष्कार करेगा, कुछ बनाएगा तो नाम भी अपनी पंसद का और अपनी भाषा में ही रखेगा । इसलिए आयातित टैक्नोलॉजी, उपकरणों, अवधारणाओं का नाम उनकी भाषा में ही होगा । जब हमने उसे बनाया नहीं तो अपनी भाषा में उसका नाम क्यों बनाएँ । जब उपकरण या टेक्नोलॉजी को अपनाया है तो उसका नाम भी अपनाना चाहिए । इसलिए हमें टेलीफोन, मोबाइल फोन, लिफ्ट, माइक, एअरकंडीशनर, कम्प्यूटर, राडार, ऑप्टिकल, फाइलर, फाइल, पैन, टेलीविजन, रेल, सिग्नल, कार जैसे शब्दों के हिंदी या भारतीय प्रति शब्द गढ़ने के बजाए इन्हें अपना लेना चाहिए । ऐसा हमने काफी हद तक किया भी है इसलिए प्लेटफॉर्म, सिग्नल, बैंक, चैक, पासबुक, शेयर बाजार, टेलीफोन, कम्प्यूटर फाइल जैसे हजारों शब्दों को हमने हिंदी में लिया है लेकिन इस दिशा में अधिक उदार होने की आवश्यकता है ।

लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इतनी सतर्कता अवश्य बरतनी होगी कि जो शब्द या अवधारणाएँ पहले से हमारे यहाँ हैं या प्रचलित हैं उनके स्थान पर अनावश्यक रूप से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं । उदाहरणस्वरुप एयरकंडीशनर शब्द को तो स्वीकार किया जा सकता है चूंकि यह इसी शब्द के साथ हमारे देश में आया है पर पंखा शब्द पहले से ही उसके लिए फैन शब्द का प्रयोग उचित नहीं । इसी प्रकार कुर्सी-मेज के लिए चेयर-टेबल शब्द का प्रयोग उचित नहीं है । पहले से उपलब्ध व प्रचलित शब्दों को प्रचलन से बाहर करके उनके स्थान पर अंग्रेजी शब्दों को बैठाने के *हिमायती भी* कम नहीं हैं, यहां तक कि देश के कई समाचार पत्र व समाचार-चैनल अनेक जीते-जागते शब्दों जैसे टेबल, व्यापार, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री समाचार आदि के बजाए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं जो उचित प्रतीत नहीं होता ।

4. भवनों, कार्यालयों, स्टेशनों, स्थानों व वस्तुओं आदि के नाम सिर्फ हिंदी या भारतीय भाषाओं में रखे जाएं ।

हिंदी व भारतीय भाषाओं के शब्दों को चलाने में कार्यालयों, भवनों, स्थानों, स्टेशनों आदि के नामकरण पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । अंग्रेजी के प्रभाव, दबदबे और नामों आदि की संक्षिप्तीकरण की सुविधा के चलते जब हिंदी और अंग्रेजी में दो अलग-अलग नाम रखे जाते हैं तो हिंदी का नाम पिछड़ जाता है । उदाहरण के लिए हम "भारतीय जीवन बीमा निगम" की बात करें वहाँ एलआईसी शब्द संक्षिप्तीकरण होकर चल निकला और भारतीय जीवन बीमा निगम पिछड़ गया ।

यही भारतीय 'आद्योगिकि विकास बैंक' 'लघु उद्योग विकास बैंक' आदि अनेक संस्थानों के मामले में भी हुआ । जबकि इसके विपरीत जहाँ नाम सिर्फ हिंदी में रखे गए तो अंग्रेजी संक्षिप्तीकरण के बावजूद वे नाम प्रचलन में हैं जैसे 'भारत संचार निगम लिमिटेड,' 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड,' 'हिन्दुस्तान पेट्रोलियम,' 'मुंबई रेल विकास निगम' आदि । इसलिए उचित होगा कि नाम केवल हिंदी व भारतीय भाषाओं में ही रखे जाएं । नामों का अंग्रेजी अनुवाद साथ में देने का कोई औचित्य नहीं है ।

यहाँ उल्लेखनीय है कि मुंबई में, 'सचिवालय' शब्द पर्याप्त लोकप्रिय है चूंकि नाम केवल मराठी में (हिंदी में भी वही है) ही रखा गया जबकि दिल्ली में Secretariate शब्द ने उच्चारण में कठिन होने पर भी 'सचिवालय' को प्रचलन से लगभग हटा दिया । पर्यावरण भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, रेल भवन आदि शब्द खूब चल रहे हैं लेकिन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स का हिंदी पर्याय नदारद है ।

4012 HA/10—3B

5. नवनिर्मित शब्दों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता :

जब किसी देशीय या विदेशी नई अवधारणा या वस्तु आदि के लिए हिंदी व भारतीय भाषाओं में शब्द या नाम पर बनाए जाने की आवश्यकता है इसके पहले कि विदेशी आगत शब्द प्रचलन में आएँ या देश में ही उसके लिए अलग-अलग शब्द बना लिए जाएँ अविलम्ब समन्वय व सहयोग यथासंभव देश की सभी भाषाओं के लिए एक शब्द नए शब्दों को निर्मित व स्वीकार किए जाएं । इसके लिए राज्यों के संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ-साथ मीडिया के साथ सहयोग व समन्वय भी आवश्यक है । यदि ऐसा हो तो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रयुक्त शब्द सरलता से प्रचलित हो सकेगा ।

6. सरल व संक्षिप्त नाम रखे जाएँ :

यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हर व्यक्ति सरल व संक्षिप्त रूप का उचारण करना चाहाता है । इसलिए लम्बे नाम रखने पर नाम प्रचलन से बाहर हो जाते हैं और उनका संक्षिप्त रूप प्रभावी हो जाता है । उदाहरण के लिए मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल—सीएसटी, स्वामी विवेकानन्द मार्ग—एस. वी. माग—महात्मा गांधी मार्ग, एम. जी. रोड इसके विपरीत संक्षिप्त रूप में शिवाजी मार्ग, गोखले मार्ग, गांधीनगर आदि प्रचलन में हैं ।

इसलिए यह उचित है कार्यालयों, संस्थानों, भवनों आदि के नाम सिर्फ हिंदी में और संक्षिप्त रूप में रखे जाएं भले ही वे कार्यालय/संस्थान के पूरे कार्य या स्वरूप को परिभाषित न करते हों । जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सिर्फ 'विकास बैंक' कहा जाए इससे निश्चित ही हिंदी शब्दों के प्रयोग व प्रसार में वृद्धि होगी ।

7. प्रचलित शब्दों का प्रयोग : यहाँ हमें इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि शब्दों की सरलता या जटिलता का एक प्रमुख कारण है—उनका प्रयोग । बार-बार प्रयोग में आने से हमें ऐसे अनेक शब्द भी सरल लगने लगते हैं जो उच्चारण या अर्थ आदि की दृष्टि से जटिल या अस्पष्ट हों । इसके विपरीत प्रयोग में न होने पर सरल शब्द भी अटपटे व जटिल लगने लगते हैं । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिंदी भाषा की शब्दावली को प्रचलन में बनाए रखने के उपायों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए । उच्च शिक्षा और रोजगार में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ने के कारण शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है । ऐसे में यदि जनसंचार माध्यमों में हिंदी के शब्दों का भलीभांति प्रयोग नहीं होगा या शिक्षा के क्षेत्र में इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सरल-से-सरल शब्द भी प्रचलन से बाहर होकर कठिन होते जाएंगे इसलिए यह भी आवश्यक है कि राजभाषा विभाग के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि के साथ-साथ हिंदी पत्र-पत्रिकाओं, समाचार चैनलों के साथ मिलकर इस दिशा में समन्वित प्रयास किए जाएँ ।

राजभाषा का राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में विकास

यदि हिंदी को राजभाषा के रूप में सरकारी तंत्र तक सीमित रखा गया तो एक पहिए की गाड़ी पर सवार हिंदी शब्द ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएँगे । इसलिए यह आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेशों के अनुसार हिंदी भाषा की समृद्धि और उसके विकास के लिए हिंदी शब्दावली को पूरे भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र व जनसंचार माध्यमों में भी हिंदी के शब्दों को प्रचलन में बनाए रखने के उपाय खोजने होंगे ।

जहाँ एक बार हिंदी के शब्द सरल व सहज होकर अपनी रफ्तार पकड़ेंगे तो निश्चय ही न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत की राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार हो सकेगा । ■

हिंदी का प्रचार-प्रसार हमारी सबकी जिम्मेदारी है ।
—राजभाषा विभाग

अनुवाद की समस्याएं : हिंदी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में

—प्रो. सुमंगला मुम्मिगट्टी*

भाषा के माध्यम से मनुष्य का समूचा अनुभव विश्व का अपना अनुभव हो सकता है। विशेष भाषा प्रदेश के विशेष अनुभव, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान को समूचे विश्व का बनाने के लिए अनुवाद ही एकमेव विकल्प है । इसे भावात्मक एकता के संदर्भों से जोड़ने से आज के वैश्वीकरण का उद्देश्य और भी अर्थपूर्ण होगा। अनुवाद कार्य इस महायज्ञ में महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट भूमिका निभाता है। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं जितना दिखता है । प्रस्तुत आलेख में हिंदी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं (कन्नड, मलयालम, तमिल, तेलुगु) के संदर्भ में अनुवाद की समस्याओं का विश्लेषण किया गया है।

अनुवाद की समस्याओं में प्रमुख पहलू है : (1) भाषावैज्ञानिक समस्याएं और (2) संस्कृति विषयक समस्याएं। भाषावैज्ञानिक समस्याओं में विशेष रूप में लिंग तथा वचन संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है ।

भाषा वैज्ञानिक समस्याएं :

लिंग संबंधी :

कन्नड़, मलयालम, तमिल, कोडगु, तुलु में एक वचन में तीन लिंग हैं, बहुवचन में अलिंग बहुवचन तथा नपुंसक लिंग बहुवचन के रूप में दो ही लिंग होते हैं। तेलुगु में एक वचन में पुल्लिग और पुल्लिगेतर के रूप में दो लिंग हैं। बहुवचन में अलिंग बहुवचन तथा नपुंसक लिंग बहुवचन दो हैं। आधुनिक मलयालम में लिंग तत्व की अन्विति नहीं मानी जाती। हिंदी में दो ही लिंग हैं। इस विलक्षणता के कारण अनुवाद कार्य में कदम-कदम पर बाधा उत्पन्न होती है।

लिंग व्यवाकरण में अपनी सत्ता रखती है। इसलिए वह एक व्याकरणिक कोटि है । और इसे व्याकरणिक लिंग (Gender) माना जाता है। और एक लौकिक जगत में अपनी सत्ता रखनेवाला प्राकृतिक लिंग (Sex) है जो व्याकरणिक लिंग के अनुरूप भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। भाषाओं में प्राणिवाचक शब्द प्राकृतिक लौकिक जगत में पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। खासकर मानव समुदाय के संदर्भ में। और कभी-कभी मानवेतर प्राणिवाचक शब्द पुल्लिग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी होते हैं। तीसरी स्थिति है अचेतन शब्द की, जो अक्सर नपुंसक लिंग में होते हैं। लेकिन हिंदी के संदर्भ में अचेतन शब्द पुल्लिग या स्त्रीलिंग में वर्गीकृत हैं। तमिल, तेलुगु, तुलु, कोडगु, में एकवचन के रूप में दो ही लिंग होते हैं। तेलुगु, नायिकी आदि में एक वचन में पुल्लिग और पुल्लिगेतर के रूप में दो ही लिंग हैं। बहुवचन में अलिंग बहुवचन तथा नपुंसक लिंग बहुवचन दो हैं। गोडा, कोंड, कूयि और कूबि आदि में पुल्लिग और पुल्लिगेतर दो ही लिंग हैं। हिंदी में दो ही लिंग हैं, पुल्लिग और स्त्रीलिंग। कुछ भाषाओं में (जैसे हिंदी) मानवेतर प्राणिवाचक तथा अचेतन शब्दों को यादृच्छिक ढंग से पुल्लिग, स्त्रीलिंग में रखा गया है। हिंदी में मानवेतर प्राणिवाचक शब्दों का तथा अचेतन शब्दों का मानवीकरण किया जाता है।

हिंदी-कन्नड में लिंग व्यवस्था :

प्राणिवाचक, लौकिक तथा प्राकृतिक जगत के शब्द :

मानव जगत पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के शब्द :

हिंदी -	पिता, लड़का	छात्रा, दीदी
कन्नड -	तंदे, हुडुग	विद्यर्थिनी, अक्क

* विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड-3

मानवेतर जगत के शब्द :

हिंदी -	कुत्ता	कुतिया	
कन्नड -			नाई

अचेतन शब्द :

हिंदी -	दूध, पेड़, हाथ	मेज, नाक, दीवार	हालु, मर, कै
कन्नड -	-	-	मेजु, मूगु, गोडे

मलयालम में लिंग व्यवस्था :

मलयालम में संज्ञा शब्दों की लिंग व्यवस्था अर्थ पर आधारित है। लिंग तीन हैं–पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अतिरिक्त वचन आधारित सलिंग, अलिंग और पूजक के प्रकार भी मिलते हैं (इसका विवरण वचन संदर्भ में दिया गया है)। उदाहरण :

पुलिंग	**स्त्रीलिंग**	**नपुंसक लिंग**
अवन्	अवल	अतुँ (वह)
इवन्	इवल	इतुँ (यह)
एवन्	एवल	एतुँ (जो/कौन)

तमिल में लिंग व्यवस्था :

मलयालम की लिंग व्यवस्था का मूल ही तमिल है। तमिल में दो प्रकार हैं–

उयर्तिणै (उच्च वर्गीय शब्द)-	रानन्
	मनितन (आदमी)
	चंतिरन् (चंद्र)
	सीतै (सीता)
	पेण (स्त्री)
	अरशि (रानी)
अहिणै (निम्न वर्गीय शब्द)-	माटु (गाय
	मरम (पेड) आदि।

तेलुगु में लिंग व्यवस्था : दो ही लिंग हैं-सर्वनाम, संज्ञापदों के उदाहरण :

यह (He) -	वाडु, राम-रामुडु पुलिंग
वह (She) -	अदी/आमे, सीता-सीते नपुंसक लिंग
यह, वह (it) -	अदी/इदी, पेड़-कोडुकु नपुंसक लिंग

ऐसी स्थिति में अर्थ भिन्नता अनुवादक को कठिनाई में डालती है। चेतन का अचेतन में तथा अचेतन का चेतन में परिवर्तन शारदा मां का गला काटना जैसा है । इस विलक्षण स्थिति में अनुवाद कार्य में बाधाओं का होना सहज है।

वचन संबंधी :

सम्मानसूचक बहुवचन का प्रयोग यद्यपि संलिंग एक वचन के संदर्भ में हिंदी में भी होता है, फिर भी परस्पर अनुवाद के समय इनका ज्ञान कुशल अनुवादक के लिए आवश्यक है।

वचन लिंग की जैसी ही एक व्याकरणिक कोटि है। वचन व्यवस्था लौकिक जगत की संख्या पद्धति से अलग भी होती है। यह अनिवार्य नहीं कि बहुवचन के रूप का हमेशा एक से अधिक संख्या का बोध हो। कन्नड-हिंदी के कुछ बहुवचन सर्वनामों से दो या दो से अधिक कोटियों का बोध होता है। और पूजक/आदरार्थ/सम्मानसूचक और कुछ विशेष शब्दों के एकवचन का भी बहुवचन और उसकी अर्थव्यवस्था भिन्न होती है। हिंदी, कन्नड, मलयालम, तमिल में दो वचन हैं। लेकिन सम्मान सूचक बहुवचन का प्रयोग भी अलग-अलग प्रत्यय, शब्दांश जोड़कर किया जाता है। सलिंग बहुवचन, अलिंग बहुवचन और पूजक बहुवचन की प्रवृत्ति द्रविड़ भाषाओं में विशेष रूप में पायी जाती है । जब समान लिंग के बहुवचन का प्रयोग होता है तब शब्द के बहुवचन विधान होता है । और मिश्र लिंग के बहुवचन का प्रयोग होता है तो विधान अलग होता है।

हिंदी : दो वचन :	**एकवचन**	**बहुवचन**
	लड़का	लड़के (-ए)
	लड़की	लड़कियां (-इयां)
	माला	मालाएं (-एं)
	पत्ता	पते (-ए)
	पेड	पेड

विशिष्ट शब्दों के पूजक बहुवचन :

उदाहरण : आपके <u>दर्शन हो गये</u>।

गुरुजी आ <u>गये</u> ।

वे/<u>आप बडे हैं</u> ।

कन्नड : दो वचन

एकवचन	बहुवचन
हुडुग	हुडुगरु (-रु)
हुडुगि	हुडुगियरु (-यरु)
माले	मालेगलु (गलु)
मर	मरगलु (-गलु)

पूजक बहुवचन :

गुरुगलु बंदरु । (गलु, रु)

नीऊ दोड्डवरु। (अरु)

मलयालम - दो वचन :

एकवचन	बहुवचन
बालन् -	बालन्मार

अम्म् (मां) - अम्ममार्

ओरु रोट्टी (एक रोटी) - मुन्नु रोट्टी (तीन रोटियां)

ओरू पैसा (एक पैसा)-पतु पैसा (दस पैसे)

पूजक बहुवचन : सम्मान सूचक बहुवचन प्रत्यय शब्दांश लगाकर पूजक बहुवचन बनाया जाता है।

मारार्, चेट्टियार, गोपालन्, अवर्कलू।

तमिल : दो वचन :

तमिल में वचन से जुड़ी लिंग व्यवस्था है । विवेकयुक्त प्राणी को उयर्तिणै में विवेकरहित प्राणी को तथा अचेतन वस्तु को अरिरणै में रखा गया है। उयर्तिणै के संज्ञा शब्दों के दो भेद--स्त्रीलिंग, अलिंग।

उदाहरण : अस्वन (राजा)-अरचरकल् (राजा लोग)

कन्नि (कन्या)-कन्नियरकल् (कन्याएं)

अलिंग बहुवचन-

एकवचन	बहुवचन
चिरुवन (लड़का)	चिरुवर्कल्
चिरुमि (लड़की)	

पूजक बहुवचन

ताय् (मां) - तायार

पुलवन् (विद्वान)-पुलवर्

तेलगु : दो वचन :

एकचवन	बहुवचन
लड़का-अब्बाइ,	लड़के-अब्बाइलु,
हाथी-एनुग,	हाथी (ब. व)-एनुगलु

संज्ञा के वचन की कठिनाईयां भी देखते ही बनती हैं।

हिंदी - शारदा की आंखों में आंसू उमड आये।

मलयालम - शारदयुटे कण्णिल कण्णुनीर निरंञु।

कन्नड - शारदेय कण्णुगलल्लि कण्णीरु तुंबिबंदवु।

इस प्रकार वचन व्यवस्था की इस भिन्नता के कारण अनुवाद में अर्थांतर होने की संभावना रहती है। एकवचन का बहुवचन में और बहुवचन के एकवचन में परिवर्तित होने की संभावना होती है।

संस्कृति संबंधी समस्याएं :

संस्कृति अनुवाद कार्य में अहं भूमिका निभाती है। संस्कृति को संजोकर रखने का साधन भाषा है। अत: संस्कृति के अनुसार भाषा बनती है। भाषा संस्कृति का प्रतिबिंब होती है, इसलिए अनुवाद कार्य में संस्कृति महत्वपूर्ण अंश बनती है। दो संस्कृतियों के समानांश तथा भिन्नांशों के अनुसार अनुवाद कार्य सरल तथा कठिन बनता है। समानांश अधिक हों तो सरल और भिन्नांश अधिक हों तो कठिनाई।

यही संस्कृति भिन्नता की कठिनाई अनुवाद के अलग-अलग प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न हो जाती है। वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का अनुवाद हो तो संस्कृति की समस्या उतनी नहीं होती। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में विशेष रूप से ये समस्याएं आती हैं। क्योंकि सृजनात्मक साहित्य संस्कृति विशिष्ट का प्रतिबिंब होता है। एक संस्कृति में जो है और दूसरी संस्कृति में अगर वह नहीं है तो उस सांस्कृतिक अंश को उस भाषा में कैसे अनूदित करें?

अनुवादक को स्रोत भाषा की संस्कृति का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। सांस्कृतिक समस्याओं का विवरण देते हुए यूजिन नीडा ने सांस्कृतिक समस्याओं को पांच वर्गों में बांटा है–

4012 HA/10—4B

1. परिसर/पर्यावरण संस्कृति (Ecological Culture)

2. वस्तु संस्कृति (Material Culture)

3. समाजिक संस्कृति (Social Culture)

4. धार्मिक संस्कृति (Religious Culture)

5. भाषिक संस्कृति (Linguistic Culture)

इनमें से भाषिक संस्कृति संबंधी विचारों का आलेख में पहले ही विवरण दिया गया है । अभी शेष चार वर्गीय संस्कृति संबंधी समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा।

1. परिसर संस्कृति :

परिसर अथवा पर्यावरण संस्कृति पर विशेष प्रभाव डालता है । मरुभूमि में स्थित जलाशय को 'ओयासिस' कहते हैं, जिसे मैदानी प्रदेश के लोग नहीं जानते। उन्हें इसे समझाकर कल्पना लोक में निर्मित करना कठिन है। ऐसे ही पर्वत, नदी, सरोवर को जिन्होंने नहीं देखा उन्हें अनुवाद कर समझाना उतना ही कष्टदायक होता है। तमिल में 'कुलिर इदय स्वागतम्' है। कुलिर का अर्थ है शीतल। तमिल प्रदेश उष्ण प्रदेश होने के कारण शीतल स्वागत अर्थपूर्ण होता है। संस्कृति में भौगोलिक परिवेश का प्रमुख योगदान होता है । वही कन्नड में नहीं हो सकता-भव्य स्वागत, हार्दिक/हृदयपूर्वक स्वागत होता है।

2. वस्तु संस्कृति :

हरेक प्रदेश की जनजाति के द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली वस्तुएं उनकी आवश्यकता तथा परिवेश के अनुसार होती हैं। उनकी जीवन-रीति तथा जीवन-विधान के अनुसार वस्तु वैविध्य अनुवाद संदर्भ में सांस्कृतिक समस्या पैदा करता है। सागर किनारे बसने वाले लोग कई प्रकार की मछलियों और नावों का उपयोग करते हैं। इनके अलग-अलग नाम होते हैं। एक ही भाषा में भी ऐसे विविध शब्द हर कहीं प्रचलित नहीं होते। सागर तट से दूर भीतरी प्रदेश में रहने वाले इन्हें अलग-अलग और इनके अलग-अलग प्रकारों को पहचान नहीं पाते। ऐसे में उन्हीं संज्ञा पदों को रखकर उन्हें परिभाषित करना होगा। गांवों में दाल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 'कल्लमरिगे' के बारे में नगरवासी हम नहीं जानते। उसे 'पत्थर पात्र' (Stone vessel) कहकर समझाने के बजाए वैसे ही रखकर पाद टिप्पणी देना अनिवार्य है। क्योंकि स्टील, प्लास्टिक बर्तनों के आने से उनका परिचय रहना असंभव बात हैं पूरणपोली आदि इसी तरह के उदाहरण हैं।

3. सामाजिक संस्कृति :

व्यक्ति समाज का अंग है और वह उसी में वास करता है। सामाजिक बर्ताव ही संस्कृति है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भाषा का सांस्कृतिक पदकोश होता है। भाषा विज्ञानी भाषा की पद संपदा को दो वर्गों में बांटते हैं-

(i) Intimate Vocabulary—Intimate का अर्थ होता है घनिष्ठ, मित्रता, आत्मीय। अत: इससे जुड़े शब्द मानव संबंधों से जुडें हैं । इसका अनुवाद सरल हे क्योंकि जो शब्द है उसके लिए पर्याय शब्द रखने से काम बन जायेगा ।

(ii) Culture Vocabulary—सांस्कृतिक शब्द/पद कोश—इनका अनुवाद कठिन है । क्योंकि हर जनजाति में पद/शब्द कोश के सामान्य अंश अवसर नहीं मिलते । उदाहरण: बांधव्य सूचक शब्द/पद भाई के लिए बड़े-छोटे का भेद बताना होगा। लेकिन कन्नड में बड़े भाई के लिए 'अण्ण', छोटे भाई के लिए 'तम्म' और तेलुगु में क्रमश: तम्मुडु शब्द हैं। सहोदर जैसे शब्द कन्नड में नहीं जिसमें दोनों आ जाते हैं। और सहोदर-सह + उदर मिलकर बना संस्कृत पद है।

जाति व्यवस्था रहित समाज के संदर्भ में जैसे सामाजिक आचार विचारों के विषय को अनूदित करना बड़ा कठिन है । ऐसे में परिभाषा विधान अथवा पाद-टिप्पणी देना एक मात्र विकल्प है। कन्नड का एक उदाहरण : कन्नड़ के, 12वीं शती के क्रांतिकारी पुरुष बसवेश्वर की उक्ति 'कायकवे कैलास' को अनुवादकों ने 'कर्म ही कैलास' के रूप में किया है। लेकिन भक्ति भाव से काया, वाचा, मनसा किया जाने वाला कर्म ही 'कायक' है। अत: इसी शब्द का प्रयोग सार्थक होता हैं इसी तरह कन्नड़ शब्द हैं-सिडी खेलना, संस्कार (यू. आर. अनंतमूर्ति का उपन्यास), करट हिडी, मलयालम शब्द हैं-तरवाड, अप्लन; कोंकणी शब्द धांला आदि। तेलुगु में जीतगाडु, पालेगाडु जैसे शब्द हैं। बंधुआ मजदूर को जीतमाडु कहते हैं। और पालेमाडु शब्द का एक इतिहास है । अंग्रेजों के आने से पूर्व मन्नो नामक अधिकारी के आने के पहले किसान के नाम पर जमीन नहीं होती थी।

जमींदार की जमीन हुआ करती थी। जमींदारी पद्धति से पूर्व पालेगाडु पद्धति थी। इसमें एक आदमी स्वतंत्र शासक के रूप में कुछ गांवों को अपने कब्जे में लेकर शासन करता था। आम जनता उसके मातहत काम करती थी और शासक आदमी हर तरह से उनकी देखभाल करता था। इसे 'पालेगाडु' कहते हैं । ऐसे शब्दों का दूसरी भाषा में अनुवाद असंभव है।

इस प्रकार के शब्द तथा पदों की एक सूची ही दी जा सकती है :

कन्नड	तेलुगु
सिट्टु (गुस्सा)	आग्रटमु (बिनती)
शिक्षे (सजा)	शिक्षा (विद्या)
उपन्यास (भाषण)	उपन्यासमु (हिंदी में उपन्यास एक विधा है)
वगरू (फल में मीठापन-खट्टापन दोनों का होना)	वगरु (हिंदी में शब्द नहीं)
कसगाइ (फल बनने की स्थितिवाला कच्चा फल)	कुसुरगाय (हिंदी में शब्द नहीं) दोरवयसु (लडकी और युवती के बीच की अवस्था लेकिन युवती के समीप की अवस्था)

अनेकार्थी शब्द :

ताली	मंगलसूत्र (दूसरा अर्थ रुकिए के अर्थ में आता है और सहिष्णुता का भाव होता है। हिंदी में ऐसा शब्द नहीं।)
तिंडी (उपहार-खुरचन)	–

मुहावरे और कहावतें–

शब्दश: अनुवाद और समानार्थी अनुवाद मुहावरे और कहावतों के संदर्भ में कठिन होता है। उदाहरण :

हिंदी	–	जले पर नमक छिड़कना ।
कन्नड	–	गायद मेले बरे एलेदंते (घाव पर दागना)।
हिंदी	–	आंखें चार होना।
कन्नड़	–	चश्चा आना ।
हिंदी	–	चुल्लू भर पानी में डूब मरना (कन्नड में संभव नहीं)।

कन्नड के–

अवन मूगु मेलाइतु	–	(हिंदी में शब्दश: अर्थ उसकी नाक ऊपर हो गई) लेकिन वह आगे हो गया, विजयी हो गया के रूप में अर्थ लेना पड़ता है ।
कै केसरादरे बाइ मोसरु	–	(हाथ कीचड़ से सना होगा तो मुंह में दही होगा) इसका हिंदी में कठिन मेहनत से अच्छा फल मिलेगा अर्थ लेकर अनुवाद करना पड़ता है ।

हर प्रदेश के लोकगीत (कन्नड़ में गीगी पद, लावणी), लोक नृत्य गायन, नाटक (कन्नड़ के यक्षगान, सण्णाट, दोड्डाट), लोक नृत्य (कन्नड के वीरगासे कुणित आदि) का अनुवाद करते समय शब्दों को वैसे ही जोड़कर व्याख्या करनी पड़ती है।

5. धार्मिक संस्कृति :

हरेक जनजाति, समाज का अपना विशिष्ट धार्मिक विधान होता है। ये धार्मिक रीति-नीतियां बड़ी समस्याएं पैदा करती हैं। क्योंकि हरेक धार्मिक शब्द के लिए अपनी ही एक परंपरा होती है। यू. आर. अनंतमूर्ति जी का उपन्यास 'संस्कार' को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय शव संस्कार के अर्थ के साथ (उपन्यास में नारायाणप्प के शव संस्कार), सुधार (प्राणेशाचार्य के जीवन के संदर्भ में) तक व्यापक अर्थ देना कठिन होता है। अत: इसे यथावत रखकर विवरण देना अनिवार्य है।

इस प्रकार संस्कृति विषय, अनुवाद की कठिनाइयों को सहजता से दूर करने के लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान होना एक आवश्यक शर्त है।

(शेष पृष्ठ 15 पर)

राजभाषा और उसका स्वरूप

—डॉ. कु. संतोष अग्रवाल*

भाषा कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन में उठते भावों को प्रगट करने का एक ऐसा माध्यम है, जो युगों से चला आ रहा है और जिसके शब्द-विन्यास को समाज ने शताब्दियों से मान्यता दे रखी है। प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो पूरे विश्व की भाषा एक ही क्यों नहीं है क्योंकि मानव भी एक जैसा है और उसके मन में उठने वाली भाव-लहरी भी समान रूप से बह रही है। इस विभिन्नता के सबसे बड़े कारण हैं भौगोलिक परिस्थितियां तथा सांस्कृतिक चेतना। उदाहरण के लिए भारत सम-जलवायु का देश है जबकि यूरोप शीत जलवायु का। ऐसी दशा में ठंडे देशों में रहने के कारण वहां के प्राणी शब्दों का उच्चारण करते हुए पूरा मुंह नहीं खोल पाएंगे। इसी प्रकार अधिक गर्म देशों के रहने वाले लोग इतना अधिक मुंह खोलेंगे कि लगेगा वे शब्द नहीं निकाल रहे बल्कि एक प्रकार से चीख रहे हैं ।

भाषा की विभिन्नता का दूसरा कारण है जब मनुष्य ने बोलना सीखा तब उसके मुंह से कौन सा शब्द निकला और उसका विकास किस प्रकार हुआ जिसे हम सांस्कृतिक-चेतना का नाम देते हैं । इसी प्रकार लिपि की विभिन्नता है । इतिहास उठा कर देखें तो यह सत्य सामने आ जाएगा कि लिपि की विभिन्नता भी इसी प्रकार जन्मी । किसी ने दाएं से बाएं लिखना शुरू किया और किसी ने बाएं से दाएं । शब्दों का आकार भी मनुष्य के मस्तिष्क की देन है जो कालान्तर में भाषा का स्वरूप बनती गई।

क्योंकि मानव आगे बढ़ना चाहता है, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है अत: वह यह भी चाहेगा कि उसकी भाषा और भाषा से विकसित सभ्यता व संस्कृति का भी प्रसार हो । यही कारण है कि विगत में हमें ऐसे युद्धों का वर्णन पढ़ने को मिलता है जिनमें हार जीत के फैसले के बाद विजयी देश ने अपनी भाषा व संस्कृति विजित राष्ट्र पर लादी और ठीक यहीं से भाषा के अनेक रूप सामने आए। यही नहीं युद्ध के न होने पर भी समय के साथ-साथ बोलने के ढंग, शब्द प्रयोग करने के उचित मापदंड भी बदलते गए यद्यपि लिखने का ढ़ंग एक ही रहा । इस बदलाव से समस्या गंभीर नहीं बनती । समस्या गंभीर तब होती है जब लिपि अर्थात् लिखने के ढ़ंग में तथा विकसित होती हुई भाषा के रूप में परिवर्तन दिखता है और यहीं से एक भाषा के अनेक रूप बन जाते हैं। अपने ही देश में देखें पहले वैदिक संस्कृत थी फिर लौकिक संस्कृत आई। तत्पश्चात पाली, प्राचीन प्राकृत, मध्य प्राकृत एवं अन्त्य प्राकृत (या अपभ्रंश) भाषाएं निकलीं। किसी भाषा का साहित्य समृद्ध हो गया और किसी का उद्‌गम इतना भिन्न हो गया कि यह लगा ही नहीं कि संस्कृत उसकी भी जननी है। दक्षिण की भाषाएं इसी मन्तव्य से आंकी जाती रही हैं।

समय-समय पर हमारे देश में विदेशियों का आगमन होता रहा है। हुण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। हुण लौट गए किन्तु मुगल तथा अंग्रेज यहीं बस गए। अत: उनकी भाषा, सभ्यता व संस्कृति भी यहीं रच-बस गई। परिणाम स्वरूप देश में अब वैदिक संस्कृत लौकिक, संस्कृत, अपभंश से निकली हिंदी, यहां की प्रान्तीय भाषाएं, मुगलों-मुसलमानों की भाषा फारसी, अरबी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाएं प्रचलित होने लगीं । जब तक यहां मुगल तथा मुसलमानों का राज्य रहा तब तक अरबी, फारसी तथा उर्दू यहां पर प्रयोग में आने लगीं। इन भाषाओं का प्रचलन किसी एक स्थान पर नहीं था बल्कि देश के अनेक प्रान्तों में जहां मुस्लिम शासकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था वहीं पर इन भाषाओं का चलन भी बढ़ने लगा। कालान्तर में अंग्रेज आए। उन्होंने भी अपनी भाषा अंग्रेजी को यहां की भाषा बनाया। दूसरी ओर प्रान्तीय-भाषाएं भी विकसित हो रही थीं। क्योंकि देश के साहित्यकार तथा मनीषीगण इसी दिशा में प्रयास कर रहे थे

* बी-5/517, एकता विहार, 9, इन्द्रप्रस्थ एक्सटैंशन मार्ग, दिल्ली-110092 ।

4012 HA/10—5A

कि कहीं हमारी अपनी भाषाएं विदेशियों की भाषाओं के सन्मुख विकासोन्मुखी होने से न रह जाएं। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर भाषाओं के विकास और प्रयोग में विभिन्ता देखने को मिल रही थीं वहीं दूसरी ओर देश को विदेशी-सत्ता से मुक्ति दिलाने का तुमुलनाद भी सुनाई दे रहा था। यहीं से एक ऐसी भाषा का प्रस्फुटन होने लगा जिसे कैम्प की भाषा या 'खिचड़ी भाषा' कहा जाता था क्योंकि सब भाषा-भाषी इस स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक साथ भाग ले रहे थे, अत: आपस में बोल चाल के समय सभी भाषाओं के कुछ न कुछ शब्द समाहित होते थे। उनके रूप विकृत भी हो जाते थे कारण एक दूसरे की बोली समझने समझाने में प्राय: ऐसा हो जाया करता है। शीघ्र ही वह दिन भी आया जब देश स्वतन्त्र हुआ। हमारी सरकार बनी और हमारा अपना संविधान भी बना अब देश के नेताओं के सन्मुख एक समस्या आई और वह यह कि स्वतन्त्र राष्ट्र की राजभाषा का पद जो अभी तक अंग्रेजी को मिला हुआ था; देश की अनेक विकसित हुई भाषाओं में से किसे यह पद सौंपा जाए जिससे सरकारी काम-काज में रुकावट न पड़े। किस-किस भाषा को किस-किस आधार पर देश की भाषाएं स्वीकार करके उन्हें भारत के संविधान में स्थान दिया जाए तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं। यही क्यों शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया जाए?

हमारे संविधान में 15 भाषाओं को एक साथ रखा गया है जिनकी संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। इसका आधार अमुक भाषा की समृद्धि तथा विकसित रूप है। यहां तक कि संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी है को भी इन्हीं भाषाओं के साथ रखा गया है। ऐसी स्थिति में शिक्षा शास्त्रियों ने यही निर्णय लिया कि किसी न किसी नियम के अनुसार इन भाषाओं को स्कूल तथा कॉलिजों में पढ़ाना ही चाहिए तभी हम अपने देश की भाषायी-विरासत के साथ न्याय कर सकते हैं। इस समस्या का हल विद्वगणों ने भाषा का त्रिभाषा फॉर्मूला अपना कर निकाला जिसके अन्तर्गत मातृभाषा, अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा तथा किसी एक प्रान्तीय भाषा को रखा गया।

जहां तक सरकारी काम-काज की भाषा का प्रश्न था वहां मतभेद होने शुरू हुए। क्योंकि बरसों से अंग्रेजी भाषा ही केन्द्रीय स्तर पर प्रयोग की जाती थी, अत: अधिकतर लोगों का कहना था कि अंग्रेजी को ही सरकारी भाषा बने रहना चाहिए क्योंकि अभी तक किन्हीं कारणों की वजह से विकसित न होने के कारण किसी भी भारतीय भाषा में राजभाषा बनने की क्षमता नहीं है। दूसरे मत के वे लोग थे जो हिंदी को सरकारी/राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए कहते थे और तीसरे मत के वे लोग थे जो संस्कृत को इस पद पर सुशोभित करना चाहते थे। अपने तर्क की पुष्टि में इनका कहना था कि क्योंकि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, अत: राजभाषा बनने का गौरव इसे ही मिलना चाहिए। यही नहीं संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में मिलते हैं, अत: किसी भी प्रान्तीय भाषाभाषी को इससे विरोध नहीं होगा और किसी सीमा तक यह सच भी था। पर क्योंकि संस्कृत समय के साथ व्यावहारिक-भाषा नहीं रही थी, इसकी लिपि देवनागरी होने पर भी इसे संपर्क भाषा नहीं बनाया जा सकता था। और सरकारी या राजभाषा का पद उसे ही मिलना चाहिए जो जन-साधारण की भाषा हो क्योंकि केन्द्रीय आदेशों को यदि जनता न समझ पाए तो अराजकता के सिवाय देश में रहेगा क्या? चयन के इस मापदंड पर यदि कोई भाषा खरी उतरी तो वह हिंदी थी जो सभी व्यक्तियों के लिए समझनी भी सरल थी और बोल-चाल भी भाषा की थी, अत: हिंदी राजभाषा या सरकारी भाषा बना दी गई जिसका ज्ञान छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी अथवा कोई दूसरी भाषा जो भारतीय न हो को स्वीकार किया गया जिससे विश्व बन्धुत्व की भावना हृदय में पनपे फिर भी वरीयता अंग्रेजी को मिली। इसका मुख्य कारण था बरसों से न केवल भारत में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग। क्योंकि भारतीय भाषाएं अभी इतनी समृद्ध नहीं हुई थीं तथा वैज्ञानिक खोज या नवीनतम तकनीकी ज्ञान अंग्रेजी में उपलब्ध था, अत: यही निश्चय किया गया कि अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं किया जा सकता। यही सोच कर उसे सहभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

वास्तव में देखा जाए तो भाषाओं को लेकर वितंडावाद नहीं है बल्कि लिपि की विभिन्नता ही उसका मुख्य कारण हैं प्राचीनतम दो लिपियां हैं—ब्राह्मी तथा खरोष्टी। दोनों ही भारत में प्रयोग की जाती रही हैं। ब्राह्मी लिपि से अनेक

4012 HA/10—5B

लिपियों का विकास हुआ किन्तु खरोष्टी जिसके चिह्न भारत में मिलते हैं अभी तक पढ़ने में नहीं आ रही। क्योंकि अनेक लिपियां विकसित हुई अतः प्रश्न उठा कि इतनी लिपियां अलग-अलग भाषाओं की किस तरह विद्यार्थी सीख पाएंगे? शिक्षाशास्त्रियों ने निर्णय लिया कि मातृभाषा, एक विदेशी भाषा तथा किसी एक प्रान्तीय भाषा का ज्ञान छात्रों को दिया जाए अन्यथा वे भारत की साहित्यिक सम्पदा से अनजान ही नहीं रह जाएंगे बल्कि अन्य भाषा-भाषियों से आपसी मतभेद भी बढ़ेंगे। यही नहीं विदेशों में हो रही वैज्ञानिक प्रगति का ज्ञान भी उन्हें नहीं मिलेगा।

राजभाषा केन्द्र की भाषा के स्वरूप पर भी मतभेद सामने आए विशेष रूप से यह कि संपर्क भाषा के रूप में इसे मान्यता दी जाए अथवा ऐसी हिंदी के रूप में जिसमें शुद्ध हिंदी शब्द हों। स्वतन्त्रता प्राप्ती से पूर्व इस विषय पर विचार विनिमय होता रहा है। 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि हिंदुस्तानी (जिसे स्वतन्त्रता संग्राम के समय 'खिचड़ी भाषा' कहा गया था) को देवनागरी तथा फारसी लिपि में चयन के आधार पर सबको सिखाई जाए किन्तु जनवरी 1955 में ऑल इंडिया काउन्सिल जो माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित हुई थी उसमें केवल देवनागरी लिपि को ही स्वीकार किया गया। भारत के संविधान की धारा 343 के अनुसार संघ (भारत) की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।

आजकल राजभाषा हिंदी का प्रयोग सरल हो गया है इसीलिए वह अधिक विकासोन्मुखी हो गई है। उसका साहित्य भंडार भी धीरे-धीरे समृद्ध होता जा रहा है। अब कई अंग्रेजी शब्दों को विशेष रूप से तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली का अनुवाद न करके उसी रूप से ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिख कर भाषा-शास्त्रियों ने जहां एक ओर अपनी उदारता का परिचय दिया है वहां दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति भी बढ़ाई है। इससे एक और भी लाभ हुआ है और वह यह कि विभिन्न भाषा भाषियों के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग अब सरल ही नहीं हुआ बल्कि भाषा-सम्बन्धी वाद विवादों पर विराम चिन्ह भी लग गया है किन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे स्वीकार करके उन्हें सरलतम हिन्दी अनुवाद करते हुए अपने ज्ञान तथा गौरव को अक्षुण्ण बनाना होगा ।

संक्षेप में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि राजभाषा (हिंदी) के विकास के लिए भारत की सरकार ने अथक प्रयास किए हैं जिनसे लगता है कि राजभाषा हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है किन्तु इसके लिए भारतीय जन समुदाय को जागृत होना पड़ेगा। उन्हें अपने मन में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति आत्मगौरव को जगाना होगा। अपने देश एवं साहित्य, दर्शन के प्रति हीन भावना को त्यागना होगा तभी राजभाषा हिंदी सच्चे अर्थों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर सकेगी । ■

(पृष्ठ 12 का शेष)

मूल का अनुवाद लक्ष्य भाषा में समूचे रूप में संभव नहीं हो सकता। इसलिए अनुवादक को वंचक भी कहा गया है। कई बार अनुवाद करते समय अर्थ संकोच, अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष, अर्थ विस्तार, अर्थादेश और अर्थांतर होता है। उपर्युक्त संदर्भों में स्थानांतरण सिद्धांत और समांतर पुनः निर्माण का सिद्धांत, व्याख्यात्मक एवं वर्णनात्मक सिद्धांत को अपनाते हुए कथ्य और शिल्प के स्तर पर क्षति पहुंचाए बिना मूल सामग्री के संदेश व संवेदना के रूपांतर के साथ उसकी प्रेषणीयता की रक्षा करना अनिवार्य है।

निष्कर्षतः अनुवादक उस वीणा के समान है, जिसे समुश्रुति कर रखी गयी है । अनुवाद को मूल की मूल संवेदना से संवेदित होना अनिवार्य है । यह तभी संभव हो सकता है जब अनुवादक में प्रतिभा, विद्वता, विनय, व्युत्पत्ति, अभ्यास, सहनशीलता, परिश्रम करने की आदत, लोकानुभव, अन्य विविध शास्त्र-संस्कृतियों के ज्ञान का सम्यक समावेश रहता है। क्योंकि सफल अनुवाद ही अनुवादक की उच्चस्तरीयता की कसौटी है। अतः हिंदी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के साहित्य के परस्पर अनुवाद के संदर्भ में संदर्भानुसार निर्णय लेते हुए अनुवाद करना चाहिए । यही नहीं आज के वैश्वीकरण के संदर्भ में केवल दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में मात्र नहीं, विश्व की भाषाओं के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है अतः अनुवाद का योगदान निस्संदेह महत्वपूर्ण है । ■

प्रयोजनमूलक हिंदी की उपादेयता

—डॉ. एस. डी. तिवारी*

वर्तमान समय में, साहित्यिक हिंदी से इतर-प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्व बढ़ गया है। इसकी उपयोगिता, आज इसलिए भी बढ़ गयी है, क्योंकि अब, इसे जीविकोपार्जन के साधन या सेवा-माध्यम (सर्विस टूल) के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

शासकीय एवं कार्यालयीय कार्यों से लेकर व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक, निजी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों से लेकर जन-संचार-माध्यमों एवं मीडिया के बहुविध प्रयोगों तक, कम्प्यूटरिंग से लेकर दृश्य-श्रव्य के विविध क्षेत्रों तक प्रयोजनमूलक हिंदी के कार्य-क्षेत्र का विस्तार हुआ है। कारण स्पष्ट है—इन क्षेत्रों से जुड़े कार्यों से रोजगार एवं जीविका का सीधे-सीधे जुड़े होना।

सम्प्रति, कौन नहीं चाहता कि उसे रोजगार मिले, पर रोजगार का क्षेत्र क्या होगा, यह उसके लिए विचारणीय विषय होता है। परम्परागत शिक्षा की प्राप्ति के बाद, जीविकोपार्जन एवं रोजगार के लिये किसी क्षेत्र का, विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है। प्रयोजनमूलक हिंदी इस दिशा में 'सर्विस टूल' के रूप में कारगर सिद्‌ध हो रहा है।

प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है ? इसका व्यवहार एवं कार्य क्षेत्र क्या है—इनकी अभीष्ट जानकारी रोजगार पाने के लिए आवश्यक है।

ऐतिहासिक दृष्टि से, श्री मोटूरि सत्यनारायण का इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ''विभिन्न विषयों, व्यवसायों और काम-धन्धों के लिए सेवा-माध्यम (सर्विस टूल) के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री मोटूरि सत्यनारायण को जाता है, जिन्होंने 1975 के केन्द्रीय हिंदी-संस्थान के माध्यम से प्रयोजनमूलक हिंदी का बीजारोपण किया।''

उनकी दृष्टि में ''जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लायी जाने वाली हिंदी ही, प्रयोजनमूलक हिंदी है।'' दूसरे शब्दों में, इस रूप में भी कहा जा सकता है—''जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयोजन हेतु जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसे ही, हम 'प्रयोजनमूलक हिंदी' के नाम से जानते है।''

आज दिन-प्रतिदिन के कार्य-सम्पादन में व्यवहार की सशक्त भाषा के रूप में, शिक्षक, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, व्यवसायी, खिलाड़ी, लिपिक, अधिकारी—कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसे अपने कार्यालयीय एवं व्यावसायिक कार्य की पूर्ति के लिए प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त शब्दावली व सक्षम भाषा, सम्प्रेषण की दृष्टि से, इच्छित कार्य-पूर्ति के लिए परमावश्यक होती है।

मूलत: ''भाषा के दो पक्ष या कार्य होते हैं—एक का सम्बन्ध हमारी सौन्दर्यपरक आनन्द का आलम्बन होता है। यह आत्मकेन्द्रित और आत्मसुख का उपकरण होता है। दूसरे का सम्बन्ध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है, जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज-सापेक्ष होती है और जिसका सम्बन्ध मूलत: हमारी जीविका के साथ रहता है और उसके निमित जो सेवा-माध्यम (सर्विस टूल) के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा-व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक सन्दर्भ है। अत: प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है, जो सेवा-माध्यम के रूप में सामने आते हैं।'' दूसरे शब्दों में ''प्रयोजनमूलक हिंदी का लक्ष्य जीविकोपार्जन का साधन बनना है।''

प्रयोजनमूलक हिंदी को अंग्रेजी में 'फक्शनल हिंदी' के नाम से जाना जाता है। इसे 'कामकाजी हिंदी' 'हिंदी

*प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यलय परिसर पौढ़ी-गढ़वाल (उत्तराखंड)

कार्मिकी' 'व्यावहारिक हिंदी' 'व्यावसायिक हिंदी' आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। 'प्रयोजनमूलक हिंदी' इसका बहु प्रचलित नाम है।

वर्तमान समय में, प्रयोजनमूलक हिंदी 'जॉब ओरिएण्टेड' और 'बहु उपयोगी' भाषा है। परन्तु "अंग्रेजों के शासन-काल में भारतीय भाषाओं को प्रयोजनमूलक साधन या माध्यम के रूप में विकसित करने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। भाषा-शिक्षण का कार्य अधिकतर साहित्य-अभिमुखी ही रहा। परिणामस्वरूप हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएँ प्रयोजनमूलक शैली से वंचित रहीं। अंग्रेजी विभिन्न प्रयोजनमूलक कार्यों में प्रयुक्त होकर इस आवश्यकता को पूर्ण कर रही थी।

शैक्षिक दृष्टि से भी "हिंदी-साहित्य और भाषा का शिक्षण तो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होता रहा है, किन्तु भाषा के प्रयोजनपरक पहलू की शिक्षा की ओर किसी का ध्यान नहीं रहा। इसी कारण साहित्य-शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ती रही और हिंदी के प्रयोजनमूलक आयामों पर काम करने वालों की संख्या नगण्य रही, क्योंकि हमारे यहाँ प्रारम्भ से ही, अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा और वही भाषा साहित्यिक आयाम के साथ-साथ साहित्येतर आयाम के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होती रही। परन्तु, आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी-साहित्य के पारम्परिक अध्ययन की लोकप्रियता घटती जा रही है। उसके स्थान पर हिंदी के अभिनव व्यावहारिक रूप के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि हिंदी की उच्चतम उपाधि और वास्तविक योग्यता प्राप्त करने के बावजूद, कामकाज में और विशेष रूप से कार्यालयों एवं विभिन्न व्यवसायों में अलग से और नये सिरे से, पारम्परिक रूप से भिन्न अभिनव व्यावहारिक रूप का अध्ययन एक बड़ी विडम्बना है और हिंदी के विकास तथा प्रचार-प्रसार के समाने एक चुनौती है।"

फलतः "आज की ऐसी स्थिति में यह महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा के मूल ढाँचे में ही दोष है। शिक्षा को किताबों और सैद्धान्तिक मायाजाल से छुड़ाकर, उसे स्वावलम्बी, रोजगारपरक तथा सृजनात्मक बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा में कर्ममूलक नये आयामों की तलाश है। सामान्य लीक से हटकर, शिक्षा को वास्तविक पहलू से जोड़ना ही प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है। आज के ग्लोबल, उदारीकरण और प्रौद्योगिकी व्यवसाय के माध्यम के रूप में हिंदी को समर्पित करना है, उसकी अन्तर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करनी है, ताकि वह हमें केवल साहित्यिक आनन्द ही न दे, वरन् रोजी-रोटी का लोकप्रिय माध्यम भी बन सके।"

वर्तमान समय में "प्रयोजनमूलक हिंदी का उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, वह हिंदी के प्रयोजनमूलक क्षेत्र का विस्तार है।"

स्वयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने प्रयोजनमूलक हिंदी के व्यावसायिक, जीविकोपार्जन के साधन एवं रोजगारपरक सम्भावनाओं को देखते हुए विश्वविद्यालयों में प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रम को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारम्भ करने पर बल दिया है। आज अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (प्रोफेशनल कोर्सेज) के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी के 'जॉब ओरिएण्टेड' स्वरूप का दायरा बढ़ा है।

इसका स्पष्ट कारण यह है कि "प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयुक्ति-क्षेत्र तथा व्याप्ति, प्रशासन-परिचालन, प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों तक फैली हुई है। इस हिंदी की अपनी विशिष्ट प्रयोजनमूलक तकनीकी शब्दावली होती है जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, विज्ञान एवं तकनीकी, वाणिज्य, विधि, अनुवाद, पत्रकारिता, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिक क्षेत्र, दूर संचार तथा कम्प्यूटर आदि सभी विधाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अतः, कार्यालयों, जन संचार-माध्यमों, वाणिज्य तथा उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी का स्वरूप समझने के लिए छात्र को भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना आवश्यक है।"

एक प्रकार से देखा जाये, तो रोजगार पाने के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी 'प्रभावी भाषा-प्रबन्धन' (Management of Effective Language) का कार्य करती है, जिसके अन्तर्गत अपनी बात को कहने की एक शैलीगत व्यवस्था होती है।

4012 HA/10—6A

निश्चय ही, प्रयोजनमूलक हिंदी के अन्तर्गत शासन-प्रशासन के कार्यालयीय कार्यों के साथ ही, कामकाजी हिंदी, पत्रकारिता, विज्ञापन, पत्र-लेखन, कम्प्यूटरिंग भाषा, तकनीकी शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, मीडिया लेखन, अनुवाद आदि कार्यों का प्रयोगाधिक्य बढ़ा है। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को, प्रयोजनमूलक हिंदी के द्वारा रोजगार तलाशने में, अभूतपूर्व सफलता मिल रही है।

विस्तार रूप में, कार्यालयीय कार्यों के सुचारु-संपादन के लिए, लिपिक वर्ग के कर्मचारी को ही नहीं, अपितु अधिकारी वर्ग को भी, प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रक्रिया एवं गुणों से अवगत होना अपेक्षित है। कामकाजी हिंदी में पत्र-लेखन का विशिष्ट महत्व है। पत्र-लेखन कार्यालयी कार्यों का मेरुदण्ड होता है। पत्र का बाहर से आना और उस पर अधिकारी/कर्मचारी का उपयुक्त नोटिंग (टिप्पणी) ओर तदुपरान्त ड्राफ्टिंग (प्रारूपण) तैयार कर, पत्र प्रेषित करना, एक कला है। संक्षेपण एवं पल्लवन भी, पत्र-लेखन की ही प्रक्रिया है। रोजगार हेतु, साक्षात्कार के समय पूछे जाने पर इन गुणों का होना ज्ञान के लिए जरूरी तो है ही, अभीष्ट भावों के सम्यक् सम्प्रेषण के लिए भी परमावश्यक है।

रोजगार की सम्भावना-वृद्धि में सर्वाधिक योगदान कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटिंग भाषा का है। यह कम्प्यूटिंग भाषा, काम-काजी हिंदी के अन्तर्गत आती है। वर्तमान समय में, ज्ञान का कोई क्षेत्र-चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खेल हो, मनोरंजन हो, संचार हो, व्यवसाय हो, गणित-विज्ञान हो अथवा कोई विभाग या कोई सेवा हो—कम्प्यूटर के ज्ञान के बिना अधूरा है। इसकी कार्य-प्रणाली से अवगत व्यक्ति बड़ी दक्षता और शीघ्रता से कार्य-संपादन करता है। जन संचार एवं सूचना के क्षेत्र में इसकी महत्ता निर्विवाद है। इसकी सम्यक् जानकारी जिस व्यक्ति को जितनी अधिक होती है, उसे उतनी ही शीघ्रता से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी में प्राथमिकता एवं पदोन्नति प्राप्त होती है।

पत्राचार एवं कम्प्यूटर के प्रयोजनमूलक पहलू के साथ, रोजगार की सम्भावना-वृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवदान मीडिया-लेखन का है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न जन-संचार माध्यमों (प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों) की अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर, किसी विशिष्ट क्षेत्र को चुनकर, रोजगार की पंक्ति में खड़ा हो सकता है और अपना 'कैरियर' बना सकता है। रेडियो, टी.वी. फिल्म, डाक्यूमेंटरी आदि के क्षेत्र में कार्य-चयन कर सकता है। एंकरिंग, समाचार-लेखन, उद्घोषक, वाचन, संवाद-लेखन, स्क्रिप्ट लेखन, इण्टरनेट सामग्री सृजन (कंटेंट क्रीएशन) आदि के क्षेत्र में, कार्य-क्षेत्र का चयन कर, रोजगार पा सकता है।

पत्रकारिता का क्षेत्र भी जीविकोपार्जन के साधन (सर्विस टूल) तथा रोजगार के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भी प्रयोजनमूलक हिंदी का विशिष्ट क्षेत्र है। कोई भी व्यक्ति पत्रकार, संवाददाता, सम्पादक आदि बन कर किसी पत्र-पत्रिका से जुड़कर, ज्ञान-विज्ञान के सभी स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर संपादकीय, स्तम्भ लेखन, स्वतन्त्र लेखन (फ्री लांसर) और पूर्णकालिक सेवा का लाभ उठा सकता है। इसकी महत्ता निर्विवाद है। इसीलिए तो इसे, लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है।

प्रयोजनमूलक हिंदी का रोजगार की सम्भावना की दृष्टि से एक और महत्त्वपूर्ण योगदान है-अनुवाद का। कोई भी व्यक्ति अच्छी हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भारतीय या विदेशी भाषाओं की जानकारी रखकर अनुवाद का कार्य करके अच्छी जीविका का उपार्जन कर सकता है और यश का भागी भी बन सकता है। इसके लिए अनुवादक को विषय का सम्यक् ज्ञान और भाषा पर अधिकार होना अत्यन्त आवश्यक है। अनुवादक के लिए प्रत्येक क्षेत्र-विधि, बैंकिंग, न्यायिक, वाणिज्यिक आदि की शब्दावली व पदावली का बोध होना भी जरूरी है, ताकि वह उस क्षेत्र से जुड़े दस्तावेजों का समुचित अनुवाद कर सके। कारण है कि हर क्षेत्र की शब्दावली दूसरे क्षेत्र की पदावली से भिन्न होती है।

इस दृष्ट से, दुभाषिये के रूप में भी, रोजगार की असीम सम्भावनाएँ हैं। इसके लिए भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी तथा अन्य किसी विदेशी भाषा में, दक्ष होना जरूरी है।

प्रयोजनमूलक हिंदी का एक आकर्षक एवं व्यापक केंद्र बिंदु विज्ञापन का भी है। प्रतिस्पर्धा के युग में इसका

महत्व बढ़ सा गया है । 'उपभोक्ता-संस्कृति' के चलते अच्छे नारों-विज्ञापनों से जनता-जनार्दन को रिझाया जाता है और उसे अपनी सामग्री कय करने हेतु, अपनी ओर आकर्षित किया जाता है । क्रय-सामग्री से लेकर पठन-पाठन की चीजों, स्नान से जुड़े साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन, खाद्य सामग्री, पेय पदार्थों, मनोरंजन के साधनों, मोटर, कार, फ्रिज, टी.बी. स्कूटर, ज्ञान-विज्ञान की चीजों तथा सूचनात्मक साहित्य को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापित किया जाता है । विज्ञापन की शैली में विक्रय-शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है । यहाँ तक कि सोच में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है । ''विज्ञापनों के द्वारा लाखों-करोड़ों लोगों के विचारों, आदतों एवं दृष्टिकोणों में भारी परिवर्तन लाया जा सकता है और उनमें सद्भावनाओं का विकास किया जा सकता है। यह विज्ञापन का सामाजिक प्रयोजन है ।''

डॉ. सुधीश पचौरी का मानना है कि विज्ञापन की दुनिया ने 'सास-बहू' के रिश्ते को मधुर आयाम दिया है। साबुन, सर्फ, मशालें आदि ने दोनों के झगड़ते रिश्ते को अंत में जोड़ दिया है।

भूमण्डलीकरण के युग में तो प्रयोजनमूलक हिंदी की उपादेयता और अधिक बढ़ गई है। बस, इसकी अच्छी जानकारी जरूरी है, तभी इस क्षेत्र में बढ़ा जा सकता है और रोजगार को अर्जित किया जा सकता है। तमाम लोग इन क्षेत्रों से जुड़कर, रोजगार और अर्थ-समृद्धि से अपना और अपने परिवार का जीवन संवार रहे हैं। सोच-समझ कर, उपर्युक्त एवं सार्थक नारों का चुनाव करना, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रयोजनीयता है।

प्रयोजनमूलक हिंदी के चलते बाजारवाद बढ़ा है। ''आज हिंदी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में पहुंच गई है। यह बाजार की भाषा बन चुकी है। आज हिंदी के अखबार और चैनल अंग्रेजी के अखबार और चैनलों की तुलना में अधिक पैसे कमा रहे हैं। पहले हिंदी वाला ले-देकर मास्टर हुआ करता था, भूखों मरता था, लेकिन आज हिंदी वालों के लिए बहुतेरे अवसर खुल गए हैं। आज हिंदी आचार्यों की गिरफ्त से बाहर हो गई है और बाजार में अंग्रेजी की प्रतिस्पर्धा में खड़ी है । हिंदी का रोजगार के साथ जुड़ना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।''

''डॉ. शंकर 'क्षेम' ने 'कार्मिकी हिंदी' (प्रयोजनमूलक हिंदी को उन्होंने 'कार्मिकी हिंदी' नाम दिया है) को 'कैरियर' के साथ 'सीधा संवाद' माना है।'' उनकी मान्यता है कि रोजगार की सम्भावना और जीविकोपार्जन के साधन के रूप में प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से कोई भी दक्ष व्यक्ति अनुदेशक (टयूटर) नियुक्त हो सकता है। इसी प्रकार टंकण का कार्य कर सकता है। अनुवादक के रूप में स्वतंत्र आजीविका की ओर उन्मुख हो सकता है। विभिन्न विभागों में हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक/हिंदी अधिकारी/राजभाषा सहायक इत्यादि की सुविधापूर्वक नौकरी पा सकता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा द्विभाषियों की मांग बढ़ी है। द्विभाषी होने के गुण के कारण उन्हें किसी स्तरीय प्रतिष्ठानों में आगन्तुक (रिसेप्सनिस्ट) प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। व्यक्तिगत सचिव के रूप में उन्हें अपना कैरियर चुनने में सुविधा रहेगी, क्योंकि वे टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, अनुवाद फाइल तैयार करना, अभिलेखों के द्विभाषीकरण, प्रारूप-लेखन, प्रेस-विज्ञप्ति जारी करने आदि में एक साथ प्रशिक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य विविध क्षेत्रों में इनके समायोजन की सम्भावनाएं तलाश की जा सकती हैं ।

जन-सम्पर्क अधिकारी के रूप में भी रोजगार की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं । उच्चारण-शैली के बल पर किसी टी.वी., रेडियो या केबल नेटवर्क में उद्घोषक या संयोजक, आयोजक, निर्देशक के रूप में नौकरी की सम्भावना है। विज्ञापन-एजेन्सी खोलने पूर्णकालिक/अंशकालिक पत्रकार के रूप में भी योग्यता व क्षमतानुसार कार्य करके रोजगार से जुड़ा जा सकता है । इसके लिए अपेक्षित हिंदी ज्ञान के साथ-साथ अंग्रेजी ज्ञान और अन्य हिंदीतर भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो, तो नौकरी की सम्भावाएं और भी बढ़ जाती है ।

इस प्रकार निःसन्देह कहा जा सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी की उपयोगिता, रोजगार की सम्भावना-वृद्धि में अत्यन्त सहायक है। उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के साथ-ही-साथ, यह सुझाव भी अत्यन्त उपयोगी हो सकता है कि जिस प्रकार अन्य नौकरियों के लिए

(शेष पृष्ठ 21 पर)

हिंदी की महिमा

—एम. अनंतपद्मनाथ भट्ट*

ईसा पूर्व 221-210 के दौरान चीन के तत्कालीन सम्राट शाय ह्यूगांदी द्वारा निर्मित 2,400 कि. मी. दूरीवाला विश्व के अजबों में एक, अभियांत्रिकी का उत्कृष्ट उदाहरण चीन के दीवार की स्वागत शिला में लिखा है–"ओम नमो भगवते।" यह एक ऐतिहासिक सत्य है।

विदेश में निर्मित एक विश्व अजबे की स्वागत शिला में "ओम नमो भगवते" लिखना भारतीयों के लिए मात्र गर्व की बात मानना कम होगा। इस उक्ति में एक भारतीय भाषा का ताकत स्पष्ट परिलक्षित होता है. भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में–ओम नमो भगवते–ईश्वरीय स्तुति है। लेकिन विदेश में इस उक्ति के प्रयोग से मात्र भगवत् स्तुति ही नहीं बल्कि एक भारतीय भाषा द्वारा तत्कालीन विश्व सामाजिक परिदृश्य में स्थापित प्रभाव उभर कर सामने आता है। इस प्रकार हिंदी या उसकी जननी संस्कृत में चीन की संस्कृति को प्रभावित करने लायक विशेष क्षमता, विशेषता या कोई अन्य ताकत क्या है। यह सोचने का विषय है। मंदारिन भाषा के विकास में पाणिनी के संस्कृत व्याकरण का प्रभाव अत्यधिक है। इस प्रभाव के कारण चीन की संस्कृति में भारतीय भाषाओं का योगदान अतुल्य है।

एक ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र इस परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य इस लिए था कि ईसा पूर्व एक भारतीय भाषा द्वारा विदेशी राष्ट्र की संस्कृति को प्रभावित करने की शक्ति के बारे में अवगत कराना और हिंदी की महिमा का बखान करना। इस एक तथ्य से यह स्पष्टतः मालूम होता है कि सालों पहले ही भारतीय भाषाएं समृद्ध थीं और विश्व की अन्य भाषाओं के समान ये भाषाएं भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से सक्षम थीं। आज भी हमारी भाषा की ताकत को विदेशी राष्ट्रों द्वारा सम्मान के साथ देखा जाता है जब कि भारत राष्ट्र में हिंदी की इस क्षमता या ताकत को मानने में संकोच क्यों है।

भारतीय समाज में, भारतीय भाषा, इस मिट्टी की उपज, भारतीय अस्मिता का आधार, विश्व स्तर पर भारत की पहचान–हिंदी–के प्रति दोहरी नीति अपनाना किस उसूल के आधार पर है, यह समझ के परे है। भारतीय जनमानस में अंग्रेजी का आधिपत्य या अंग्रेजी के प्रति इतनी समर्पित भावना किस कारण से हुआ, यह चिंतनीय बिन्दु है। हमारी अपनी भाषा को स्वीकार किए बिना एक विदेशी भाषा को गले लगाना राष्ट्र का अपमान है और सनातन भारतीय गौरव को कम करके दिखाना है। भाषा कोई भी हो, उसका ज्ञान प्राप्त करना एक उत्कृष्ट गुणता है। नृवंशशास्त्रीय खोजों ने यह साबित भी किया है कि मानव एक से अधिक भाषाएं आसानी से सीख सकता है। इस दृष्टि से अंग्रेजी या दुनिया की अन्य भाषाएं सीखना ग़लत बात नहीं है। लेकिन अपनी खुद की भाषा को तिरस्कार कर दूसरी भाषा को अपनाना ठीक नहीं है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध हैं, उनकी जो भी विशेषताएं हैं, यह सब अपनी भाषा हिंदी में भी उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हिंदी की लिपि देवनागरी उत्कृष्ट मानी जाती है। अभिव्यक्ति क्षमता, शब्द संपदा, वाक्य विन्यास, व्याकरण इत्यादि की दृष्टि से हिंदी एक सुव्यवस्थित भाषा है।

हिंदी आदि काल से ही अपनी आन्तरिक ऊर्जा से अपनी सरलता, सहजता, बोधगम्यता और समन्वय की भावना से निरंतर आगे बढ़ती, प्रगति करती रही है। अनेक देशों के सैंकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है, शोध कार्य होते हैं तथा दर्जनों देश दूरदर्शन पर हिंदी में समाचार और कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। हिंदी की अपनी

*शोधरत छात्र, करपगम विश्व विद्यालय, कोयमबतूर.

विशेषता है कि वह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। बोलियों में प्रचलित बहुत से शब्द अब हिंदी भाषा के एक अंग बन गए हैं। इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील देशों में भी भाषा के महत्व को समझा गया है। आक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हिंदी के शब्द इस तरह लिए जा रहे हैं कि उनका प्रयोग अब धड़ल्ले से अंग्रेजी में हो रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में देखें तो हिंदी का विकास दुनियाभर में हुआ है। संसार के अनेक देशों में सैंकड़ों विदेशी हिंदी विद्वानों ने बहुमूल्य वैचारिक और सृजनात्मक साहित्य द्वारा हिंदी की श्री वृद्धि की है।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी हिंदी का महत्व है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत की आधार शिला है हिंदी । भारतीय भाषा वैविध्य के बीच सिर्फ एकता के सूत्र को सशक्त बनाने वाला घटक ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पहचान आज हिंदी से बन रहा है। भारतीय अध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन, उसमें चेतना का संप्रेषण हिंदी से संभव होता है। भारत का विकास अगर सच्चे अर्थ में प्रगतिपरक होता है तो वह हिंदी के कारण ही हो रहा है क्योंकि विकास का मतलब है कि सरकारी नीतियों का फल जनसाधारण तक प्राप्त हो। जिस देश की आबादी के 75 प्रतिशत हिंदी मातृभाषा वाले हैं वहां प्रगति हिंदी से नहीं हो सकता तो किस घटक द्वारा यह संभव होगा। जन साधारण तक विकास को पहुंचाने वाली भाषा के कारण हिंदी ने आज भारतीय विकास के मूल मंत्र के रूप में अपनी छवी बनाई है। इससे भारतीय अध्यात्मिक चेतना का मंत्र–''वसुधैव कुटुम्बकम्''– को भी हिंदी ने सार्थक बनाया और इस उक्ति का आज वह सशक्त संप्रेषण माध्यम है । इसलिए चीन की दीवार पर अंकित ''ओम नमो भगवते'' एक ईश्वरीय स्तुति के ऊपर भारतीय भाषा का दिगविजय है।

भारतीय जीवनधारा का प्राण यहां की विविधता में निहित है। सभी क्षेत्रों में यहां विविधता स्पष्ट झलकती है। विविधता में सबसे अहम एवं संवेदनशीलता भाषा के क्षेत्र में दिखाई देती है। लेकिन संवेदनशील होने के बावजूद भी यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है भाषा वैविध्य तो भारत की पहचान है। इस भाषा वैविध्य को जीवंत रखने में हिंदी का योगदान अमूल्य है। भारतीय नागरिक जो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर सफर करता है तो उसका संपर्क माध्यम तो हिंदी ही रहती है। भाषा वैविध्य की मौजूदगी में अन्य सभी भाषाओं को सम्मान देते हुए उन सबकी नेतृत्व की भूमिका हिंदी सालों में निभा रही है, तो उसका कारण मात्र संपर्क माध्यम है। भाषा प्रयोग का लक्ष्य ही आशयों का आदान-प्रदान है। इस दृष्टि से भाषा के संपर्क माध्यम स्वरूप का प्राधान्य सीमातीत होता है। इस प्रकार भारतीय जीवन मूल्य की चेतना का संवर्धन अगर कोई चाहता है तो वह हिंदी से ही संभव है । इस लिए ''ओम नमो भगवते'' श्रीमत् भागवत का महामंत्र हिंदी के विराट, वैश्विक स्वरूप की उद्घोषणा और सनातन प्राचीन भारतीय वैभव की संवाहिका का आधार है। इस आधार को जीवन का आधार बनाकर अमल में लाना प्रत्येक हिंदी प्रेमी का लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि भारतीय सनातन गौरव को सिर्फ शासकीय विकास कार्यक्रमों से नहीं प्राप्त किया जा सकता । उसमें ''ओम नमो भगवते'' की श्रृद्धा होनी चाहिए ताकि भाषा के रूप में हिंदी हमारे चिंतन को प्रभावित करें। चिंतन से हमारी भावना समृद्ध होगी। भावना से संस्कृति का सृतन और संवर्धन होता है और जैसी संस्कृति होगी वैसे समाज का निर्माण होगा। सही समाज से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है । यही हिंदी की महिमा है।

(पृष्ठ 19 का शेष)

सरकारी व निजी संस्थान/प्रतिष्ठान 'कैम्पस सेलेक्सन' के माध्यम से प्लेसमेंट करके 'सर्विस' के लिए 'प्रशिक्षण' हेतु भेजते हैं, उसी प्रकार सरकारी/गैर सरकारी संगठन/संस्थान 'प्रयोजनमूल्क हिंदी' के योग्य एवं चयनित अभ्यर्थियों को भी, संस्थानों, कार्यालयों में नौकरी के लिए 'कैम्पस सेलेक्शन कर उन्हें 'प्रशिक्षण' देकर अपने 'संस्थान' के अनुरूप 'उपयुक्त' बन सकते हैं । ऐसा करने से प्रयोजनमूलक हिंदी के बहुआयामी स्वरूप का विकास तो होगा ही, अन्य तरह की 'नौकरियों' की भांति 'जॉब ओरिएण्टेड' विषय के रूप में, इसकी महत्ता और उपादेयता और भी अधिक बढ़ेगी।

4012 HA/10—7a

देशप्रेम, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

–डॉ. जहां आरा ज़ैदी*

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (1869-1948) उच्चकोटि के विद्वान, महापुरुष, विचारक, लेखक, समाज सुधारक, राजनेता आदि रहे हैं । देश को स्वतंत्र कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे बहुत बड़े देशभक्त एवं मानवता के पुजारी थे। विभिन्न लेखों, व्याख्यानों, पत्र-पत्रिकाओं, ग्रंथों इत्यादि में उन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार एवं उन्नति के संबंध में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। देश प्रेम के संबंध में उनका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक एवं उदार रहा है । वे देश प्रेम को मानव प्रेम से जोड़कर देखते थे । उन्होंने कहा है–

मेरे लिए देशप्रेम और मानव प्रेम में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं। मैं देशप्रेमी हूं, क्योंकि में मानवप्रेमी हूं। (यंग इंडिया-16-3-21, मेरे सपनों का भारत, पृ. 14 से उद्धृत)

महात्मा गांधी भारत का उत्थान चाहते थे तथा उसके लिए वे अत्यन्त प्रयत्नशील रहे। वे भारत के साथ ही विश्व का भी उत्थान चाहते थे। उनके देश प्रेम में उदारता की भावना समाई हुई है। उनका कथन है–

मैं भारत का उत्थान इसलिए चाहता हूं कि सारी दुनिया उससे लाभ उठा सके। मैं यह नहीं चाहता कि भारत का उत्थान दूसरे देशों के नाश की नींव पर हो। (यंग इंडिया-12-3-25; मेरे सपनों का भारत, पृ. 14 से उद्धृत)

गांधी जी देश प्रेम को अतिशय व्यापक मानते थे। संकीर्णता के लिए उनके देश प्रेम में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा है–

मेरा देशप्रेम कोई बहिष्कारशील वस्तु नहीं बल्कि अतिशय व्यापक वस्तु है और मैं उस देशप्रेम को वर्ज्य मानता हूं जो दूसरे राष्ट्रों को तकलीफ देकर या उनका शोषण करके अपने देश को उठाना चाहता है। देशप्रेम की मेरी कल्पना यह है कि वह हमेशा, बिना किसी अपवाद के हर एक स्थिति में मानव जाति के विशालतम हित के साथ सुसंगत होना चाहिए । यदि ऐसा न हो तो देशप्रेम की कोई कीमत नहीं । (यंग इंडिया-4-4-29, मेरे सपनों का भारत, पृ. 15-16 से उद्धृत)

गांधी जी ने उस देशप्रेम एवं राष्ट्रवाद को अच्छा माना है जो किसी दूसरे देश के लिए संकट का कारण न बने। उन्होंने कहा है–

हमारा राष्ट्रवाद दूसरे देशों के लिए कभी संकट का कारण नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह हम किसी को अपना शोषण नहीं करने देंगे, उसी तरह हम भी किसी का शोषण नहीं करेंगे । स्वराज्य के द्वारा हम सारी मानव जाति की सेवा करेंगे। (यंग इंडिया-15-4-31; मेरे सपनों का भारत, पृ. 16 से उद्धृत)

महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के संबंध में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। वे जानते थे कि देश की उन्नति एवं भावात्मक एकता सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा कहलाती है जिसका प्रयोग पूरे देश अथवा राष्ट्र में किया जाता है । हिंदी, भारत की अति प्रचलित भाषा है। देश के सभी भागों में वह प्रयोग की जाती है । देश की अधिकांश जनता उसे जानती और समझती है ।

महात्मा गांधी जी के समय में भारत में अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित थी। उन्होंने हिंदी-हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने पर इसलिए बल दिया कि देश में हिंदी-हिंदुस्तानी भाषा के जानकारों की संख्या बहुत है । धनवान व्यक्ति उसे धन के बल पर पढ़ना-लिखना सीख

*सहायक निदेशक, राजभाषा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

4012 HA/10—7b

सकते हैं किन्तु देश की गरीब जनता के लिए अंग्रेजी सीखना कठिन होगा। उनका विचार है–

"लाखों लोगों को अंग्रेजी का अध्ययन कराना उन्हें गुलाम बनाना है। मैकाले ने भारत में जिस शिक्षा की नींव रखी उसने सबको गुलाम बना दिया है। अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय लोगों को उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निःसंदेह अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखों मरने वालों, निरक्षरों और दलितों व अंत्यजों का हो और इन सबके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है ।" (राजभाषा हिंदी, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1998, पृ. 29 से उद्धृत)

गांधी जी ने इंडियन ओपीनियन नामक पत्र में विचार व्यक्त किए हैं कि हिंदी भाषा को बहुत से व्यक्ति पढ़ते लिखते और समझते हैं तथा उसमें बहुत सी पुस्तकें हैं। उनका कथन उद्घृत है–

विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी बोलने वाले लोग काफी मिल जाते हैं, किन्तु उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है, और हमेशा थोड़ी ही रहेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि यह भाषा कठिन है और विदेशी है। साधारण मनुष्य इसे ग्रहण नहीं कर सकता । इसलिए यह सम्भव नहीं कि अंग्रेजी के जरिए भारत एक राष्ट्र बन जाए । अतः भारतीयों को भारत की ही कोई भाषा पसंद करनी पड़ेगी ।

गुजराती, बंगला, तमिल आदि बोलने वाले भारतीय हैं तो बहुत, फिर भी इनमें से किसी एक के सारे भारत में फैलने की बहुत कम सम्भावना है। बाकी बच गई हिंदी भाषा । यह भाषा उत्तर भारत में सब लोग बोलते हैं। इसकी माता संस्कृत और फारसी होने के कारण यह हिंदू और मुलसमानों दोनों को अनुकूल पड़ सकती है। इसके सिवा, चूंकि फकीर और सन्यासी यही भाषा बोलते हैं, इसलिए इसका प्रसार सब जगह होता है। अनेक अंग्रेज भी इसे सीखते हैं। इस भाषा का फैलाव बहुत है। यह भाषा अपने आप में बहुत मीठी, नम्र और ओजस्वी है। इसमें बहुत-सी पुस्तकें लिखी गई हैं, और अब भी लिखी जा रही हैं।

हर एक पाठशाला में स्वभाषा के अतिरिक्त इस भाषा (हिंदी) का शिक्षण दिया जाना चाहिए । माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों में बचपन से ही हिंदी भाषा बोलने की आदत डालें तभी भारत वास्तविक रूप में एक राष्ट्र बन सकेगा । [इंडियन ओपीनियन (दक्षिण अफ्रीका) : 18-8-1906, गांधी हिंदी दर्शन, संपादक गोपाल प्रसाद व्यास, पृ. 29 से उद्धृत]

गांधी जी का विचार है कि हिंदी और उर्दू अलग नहीं हैं। उनमें बहुत समानता है। उनका कथन है–

ऐसी दलील दी जाती है कि हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं हैं। यह दलील सही नहीं है। उत्तर भारत में मुसलमानों और हिंदू दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। भेद पढ़े-लिखे लोगों ने डाला है। इसका अर्थ यह है कि हिंदू शिक्षित वर्ग ने हिंदी को केवल संस्कृतमय बना दिया है इस कारण कितने ही मुसलमान उसे समझ नहीं सकते। लखनऊ के मुसलमान भाइयों ने उस उर्दू में फारसी भर दी है और उसे हिंदुओं के समझने के अयोग्य बना दिया है । ये दोनों केवल पण्डिताऊ भाषाएँ हैं और इनको जनसाधारण में कोई स्थान प्राप्त नहीं हैं । मैं उत्तर में रहा हूं हिंदू-मुलसमानों के साथ खूब मिला-जुला हूं और मेरा हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत कम होने पर भी मुझे उन लोगों के साथ व्यवहार रखने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई है। जिस भाषा को उत्तरी भारत में आम लोग बोलते हैं, उसे चाहे उर्दू कहें चाहे हिंदी, दोनों एक ही भाषा की सूचक हैं। यदि उसे फारसी लिपि में लिखिए तो वह उर्दू भाषा के नाम से पहचानी जाएगी, और नागरी लिपि में लिखें तो वह हिंदी कहलाएगी। (गांधी हिंदी दर्शन, पृ. 46 से उद्धृत)

गांधी जी ने आग्रह किया कि देश की भाषा द्वारा ही शिक्षा दी जाए। इसके अनेक लाभ हैं। महात्मा गांधी का विचार है–

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में दिमाग पर जो बोझ पड़ता है वह असह्य है। यह बोझ हमारे बच्चे उठा तो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है वे दूसरा बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाते। इससे हमारे स्नातक अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही रोगी और कोरे

नकलची बन जाते हैं। उनमें खोज करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, साहस, धीरज, वीरता, निर्भयता और अन्य गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। इससे हम नई योजनाएं नहीं बना सकते, और यदि बनाते हैं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते।

न्यायालय का कार्य हिंदी में किए जाने पर बल देते हुए गांधी जी ने कहा है–

इस सभा के जो अधिकारी वकील हैं उनसे मैं पूछता हूं: आप अदालत में अपना काम अंग्रेजी में चलाते हैं या हिंदी में? यदि अंग्रेजी में चलाते हैं, तो मैं कहूंगा कि हिंदी में चलाएं। जो युवक पढ़ते हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि वे इतनी प्रतिज्ञा करें कि हम आपस का पत्र-व्यवहार हिंदी में करेंगे।

जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो, वह अवश्य पवित्र है, उसके सामने कोई भाषा नहीं ठहर सकती। हमारा मुख्य काम हिंदी सीखना है, पर तो भी हम अन्य भाषाएं भी सीखेंगे। अगर हम तमिल सीख लेंगे, तो तमिल बोलने वालों को भी हिंदी सिखा सकेंगे। (काशी नागरी प्रचारिणी सभा में भाषण: 5-2-1916, गांधी हिंदी दर्शन, सम्पादक गोपाल प्रसाद व्यास,पृ 32 से उद्धृत)।

महात्मा गांधी ने हिंदी की उन्नति हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनमें से बहुत से विचार आज भी प्रासंगिक एवं उपयोगी प्रतीत होते हैं। उनका कथन है–

यदि आज हिंदी सिखाने वाले और काम करने वाले लोग होते, तो मद्रासी भी हिंदी जानते होते। हर काम में पैसा चाहिए। पर पैसे की कमी नहीं है। कमी है काम करने वालों की । यदि कार्यकर्ता हों तो गुजरात, मद्रास, दक्षिण-सब जगह लोग हिंदी सीख सकते हैं। हिंदी में नई-नई पुस्तकें बनें, अनुवाद हों, बाहर जाकर लोगों को पढ़ाया जाए, और जो लोग यहां आएं उन्हें पढ़ाया जाए । यदि दक्षिण या गुजरात आदि में हिंदी पढ़ाने और उसका प्रचार करने आदि के लिए आदमी भेजें, तो मुफ्त नहीं पर उचित रूप से निर्वाह करने के लिए उन्हें वेतन मिलेगा। पहले तो ऋषियों के समय में भारतवर्ष में बड़ा आत्मत्याग होता था, विद्या मुफ्त ही दी जाती थी। मैं हिंदी सीखना चाहता था, अहमदाबाद में हिंदी सिखाने वाला नहीं मिला। एक गुजराती सज्जन से, जो टूटी-फूटी हिंदी जानते थे और काशी में 15-20 वर्ष रहे थे, मैंने हिंदी सीखी। सम्मेलन आदि संस्थाएं कार्यकर्ता बाहर भेजें, तो बहुत से लोग हिंदी सीख जाएंगे। (गांधी हिंदी दर्शन, पृ. 43 से उद्धृत)

राष्ट्रीयभाषा (राष्ट्रभाषा) के लक्षण बताते हुए महात्मा गांधी ने दिनांक–20-10-1917 को कहा–

1. अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
2. उस भाषा द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
3. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

(गांधी जी–राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी, अनुवादक काशिनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, चौथा पुनर्मुद्रण 1992, पृ. 4 से उद्धृत)

महात्मा गांधी का कथन है–"हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है" । गांधी जी ने हिंदी को स्पष्ट करते हुए कहा है–"हिंदी भाषा मैं उसे कहता हूं, जिसे उत्तर में हिंदू और मुसलमान बोलते हैं, और जो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है ।"

गांधी जी ने अत्यन्त सबल शब्दों में हिंदी का समर्थन करते हुए कहा है–

"अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आज ही विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाली हमारे लड़के और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों के यह माध्यम बदलवा दूं या उन्हें बर्खास्त करा दूं। मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे-पीछे अपने आप चले आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है, जिसका तुरन्त इलाज होना चाहिए । (हिंदी नवजीवन 2-9-1921)

भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो। इस विषय पर गांधी जी ने हिंद स्वराज्य (1908) में अत्यंत बल दिया है। उन्होंने हिंदी के लिए आन्दोलन चलाया। उन्होंने भारत में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। राट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (मद्रास) की स्थापना उनके प्रयासों से हुई । हिंदी का स्वदेशीपन, हिंदी में रही संस्कृत की शब्दावली और हिंदी में प्रादेशिक शब्द हज़म करने की शक्ति–ये तीन गुण ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि हिंदी ही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा होनी चाहिए ।

महात्मा गांधी ने जनता की भाषा में बोलकर अपने विचार जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। वे गुजरात के थे । उनकी मातृभाषा गुजराती थी। उन्होंने हिंदी का उसके गुणों के आधार पर समर्थन किया। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की हिंदी के प्रति रुचि देखकर बहुत से व्यक्ति हिंदी की ओर आकर्षित हुए तथा उन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहयोग दिया। हिंदी भाषा का आज जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है उसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी जी द्वारा व्यक्त किए गए महत्वपूर्ण विचारों से देश की जनता, साहित्यकार, विद्वान इत्यादि अत्यंत प्रभावित हुए तथा हिंदी की उन्नति हेतु विभिन्न प्रकार से कार्य करने लगे।

अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया जा सकता है। गांधी जी ने भी इस विचार का समर्थन किया। विशेष रूप से आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति, विज्ञान एवं आधुनिक साहित्य के अध्ययन, सम्पूर्ण विश्व के परिचय, धन प्राप्ति, राज्याधिकारियों के साथ सम्पर्क रखने और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी ज्ञान की हमें आवश्यकता है । अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई है ।

राष्ट्रभाषा के रूप में गांधी जी ने हिंदी-हिंदुस्तानी का समर्थन किया। कोई वजह नहीं कि सब अंग्रेजी सीखें और अंग्रेजी जीविका का अचूक और निश्चित साधन हो। अंग्रेजी सीखना जितना कठिन है, हिंदी–हिंदुस्तानी सीखना उतना कठिन नहीं है। हिंदी-हिंदुस्तानी जानने वालों की संख्या अंग्रेजी जानने वालों से बहुत अधिक हैं भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत से समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर भारत की भाषाओं का व्याकरण भी एक सा है अन्तर्प्रान्तीय कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग न किया जाए। मातृभाषा की उन्नति में सहयोग दें। हिंदी सीखने वाले हरेक व्यक्ति को मातृभाषा के अलावा कोई एक प्रांतीय भाषा भी सीखनी चाहिए।

देश के अन्य भी अनेक विद्वानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने पर बल दिया है । कतिपय विद्वानों के विचार प्रस्तुत हैं –

हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है । –दयानन्द सरस्वती

हिंदी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। –नेता जी सुभाषा चन्द्र बोस

एक भाषा के बिना भारत की एकता नहीं हो सकती और वह भाषा हिंदी है। –आचार्य केशव चन्द्र सेन

उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जो देश के बड़े हिस्से में बोली जाती हो, अर्थात् हिंदी। –रवीन्द्र नाथ ठाकुर

राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी ।–जवाहर लाल नेहरू

हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है । –राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन

स्वतंत्र भारत में हिंदी भाषा को अत्यंत महत्व दिया गया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ।"

राजभाषा का तात्पर्य है राजकाज की भाषा, अर्थात् वह भाषा जिसमें राजकाज से संबंधित कार्य किए जाएं। भारत 1947 ई. में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद हिंदी की अत्यन्त उन्नति हुई है उसके और प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है हिंदी के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया ज़ाए । जीवन के विभिन्न क्षेत्रों यथा विधि, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने देश प्रेम के साथ ही भावात्मक एकता, भ्रातृत्व भावना एवं मानवता के प्रचार-प्रसार हेतु बहुत कार्य किया है। उन्होंने देश प्रेम की भावना से राष्ट्रभाषा हिंदी-हिंदुस्तानी की भी बहुत सेवा की है।

4012 HA/10—8a

साहित्यिकी

हिंदी साहित्य में नारी का परिवर्तित स्वरूप

–डॉ. रजनी रौथाण*

नारी आदिकाल से ही एक पहेली रही है, आदिकाल में भोग्या एवं दासी मात्र बनकर रह गई। मध्ययुग नारी-विरोध के विकृत स्वरों से झंकृत होता रहा। उसे माया रूप कहकर अपेक्षणीय माना जाने लगा और रीति युग में तो वह विलासिता की मूर्ति ही बन गई। छाया वादी युग में भी नारी के शारीरिक सौन्दर्य का बखान कर उसे उपभोग की वस्तु माना गया। प्रसाद जी ने उसे 'श्रद्धा' कहा पर वह अपवाद स्वरूप ही था। पन्त ने भी नारी की तुलना में प्रकृति को ही महत्व दिया–("बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन") पर अधिकांशत: नारी के अंग प्रत्यंग का वर्णन करने में उसका भोग्य रूप ही विशिष्ट रहा। फलत: सामाजिक जीवन में नारी का स्थान नगण्य सा होता गया। अशिक्षा, अन्ध विश्वास, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह एवं अनेक नैतिक बंधनों में बंधी नारी का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित रह गया था। ऐसे समय में गांधी जी का आह्वान नारी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। वह घर के बाहर निकलकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। तब नारी को अपनी शक्ति का आभास हुआ। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्षशील होने का संकल्प लेती हुई, आत्मनिर्भरता की ओर सचेत हुई यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् नारी ने जो देखा भोगा उससे स्वतंत्र भारत में अधिक बेहतर जीवन जीने का उसका स्वप्न बिखर गया क्योंकि देश के विभाजन की आंधी में नारी को जो झेलना पड़ा था उसने उसकी आंखें खोल दी थी। उसने अच्छी तरह देख लिया था कि व्यक्ति और समाज की विकृतियों का सबसे अधिक शिकार उसे ही बनना पड़ता है। यशपाल का "झूठा सच" उस युग की 'नारी' का वास्तविक चित्रण हैं नायिका तारा विषम परिस्थितियों से संघर्ष करती हुई नारी का प्रतिनिधित्व करती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक का समय नारी की स्थिति की दृष्टि से संक्रमण काल का नाजुक दौर कहा जा सकता है। नए नैतिक मूल्य बन नहीं पा रहे हैं, और पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं। ऐसे समय में कानून भी अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि युगों से चली आ रही नारी संबंधी मानसिकता नारी की प्रगति में बाधक थी, स्वयं नारी भी अपने परम्परागत संस्कारों के प्रति आग्रही रही है, जिसके स्वयं नारी भी अपने परम्परागत संस्कारों के प्रति आग्रही रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में असंतोष, निराशा एवं कुंठा भरती गई। शनै: शनै: उच्च शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से नैतिक मानदण्ड ढीले पड़ने लगे। संविधान में नारी की स्थिति सुधारने विषयक अनेक एक्ट पारित हुए। बाल विवाह के दुष्परिणामों को देखते हुए "शारदा एक्ट" (1929), जिसमें वर की आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष एवं वधु की 15 वर्ष थी। किन्तु इससे स्त्री शिक्षा प्रभावित होती थी। अत: सन् 1955 में बाल-विवाह निरोधक व्यवस्था में यह आयु बढ़ाकर क्रमश: 21 वर्ष तथा 18 वर्ष कर दी गई। अन्तर्जातीय विवाह अधिनियम 1955, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आदि ने नारी को पर्याप्त अधिकार दिए। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ गतिशील है। वह अपने को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सबल बनाती जा रही है। राजकीय विधानों में भी उसका पोषण हुआ है उसके विचार में आज भी क्रांति हो चुकी है। भारतीय समाज में स्त्री-पुरुषों के लिए

*नागराजा मंदिर मुहल्ला, श्री कोट गंगावली, श्रीनगर, गढ़वाल उत्तराखंड-246174

4012 HA/10—8B

जिस आचार संहिता का पालन किया जाना अनिवार्य समझा जाता था, उसे इन अधिनियमों ने प्रभावित किया। आज हम देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार केवल 'एक विवाह' तथा हिंदु अधिकार अधिनियम 1956 में सम्पति का अधिकार मिल जाने से नारी को कितनी अधिक सुरक्षा और राहत मिली है, साथ ही देश की आर्थिक नीति के औद्योगिकीकरण को भी गति मिली है, जिससे पुराने अर्थ, एवं नैतिक मूल्य टूटने लगे। पारंपरिक मान्यताएं बदलने लगी। इस सबसे परिवार, समाज में स्त्री की स्थिति में भी बुनियादी परिवर्तनों को राह मिली। प्रशिक्षण वैधानिक समानता और औद्योगिक विस्तार में रोजगार के नए अवसरों के साथ मध्यवर्गीय स्त्रियों का स्थान घर तक सीमित न रहा। भारतीय समाज में नारी का घर के बाहर जाकर काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था, किंतु नारी ने समय को पहचाना और वह आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हुई, जिससे उसमें स्वयं आत्मविश्वास का उदय हुआ। पाश्चात्य सभ्यता भी भारतीय संस्कृति पर प्रभावी रही है। गांधी जी की राजनीतिक धारणा, जो एक जीवन पद्धति थी। अस्वीकृत हो गई, और विदेशी भारत का चुनाव कर लिया गया। परिणाम स्वरूप औद्योगिक प्रगति से गरीब-अमीर के बीच की खाई ही नहीं बढ़ी बल्कि आम भारतीय और सांस्कृतिक खाई भी बढ़ती गई। पाश्चात्य संस्कृति के विभेद की सांस्कृतिक खाई भी बढ़ती गई। पाश्चात्य संस्कृति के व्यापक प्रभाव को धनाढ्य वर्ग की नारियों में देखा जा सकता है। नारी का स्वरूप आज कितना परिवर्तित हो चुका है, यह प्रसिद्ध समाजशास्त्री आशारानी बोहरा के कथन से स्पष्ट होता–''हमारे यहां अभी कुछ वर्ष पहले तक किसी लड़की के नाम विशुद्ध शरदचन्द्रीय साहित्य छाप रुमानी प्रेम पत्र आ जाने का अर्थ था, एक भूकम्प आ जाना, पर अब ''ब्वाय फ्रैण्ड्स'' की डेटिंग, नोकिंग, डांस पार्टी, डिस्कोथेट मीट, के बिना शहरी लड़कियां जैसे पिछड़ेपन में शुमार होने लगी हैं। स्लीव लैस, लोकट, बैकलैस, बिकनी आदि शब्द आधुनिक फैशन की पोशाकों में आम हो चले हैं'' यद्यपि इसका अर्थ यह नहीं कि पश्चिमीकरण की नकल में भारतीय नारी का स्वरूप खो चुका है, किंतु इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस प्रकार की सम्यता भारत में आयात हो चुकी है, परिवर्तित नैतिक मान्यताओं के फलस्वरूप विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था की धार्मिक मान्यता भी क्षीण हो चुकी है।

वस्तुत: परिवर्तित परिस्थितियों के साथ-साथ नारी का स्वरूप भी द्वैत रूप में उभरकर आया है, नारी मां, पत्नी, पुत्री, प्रेयसी होने के साथ-साथ कमाऊ सदस्य भी है। शिक्षा के प्रसार और पाश्चात्य समाज के सम्पर्क में उसे एक प्रगतिशील संघर्ष की भूमिका अदा करने के लिए बाध्य कर दिया है। आज वह न तो 'तुलसी' के शब्दों में मात्र ताड़ना की अधिकारिणी है और न 'कबीर' की 'माया' का रूप है, न प्रसाद तथा गुप्त जी वाली 'श्रद्धा' और 'अबला' है। आज वह जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष की भांति संघर्षरत है। आज कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ ही नारी अपने कर्तव्य के अतिरिक्त अपने अधिकारों के प्रति भी सजग है। पाश्चात्य सभ्यता, औद्योगिकरण, उंच्च शिक्षा एवं व्यवसाय के अवसर एवं आर्थिक आवश्यकता ने नारी के रूप को पूर्णत: प्रभावित किया है। आज नारी शिक्षा के सर्वोच्च क्षेत्र में अध्ययन कर रही है, वह विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है, सैन्य शिक्षा प्राप्त कर रही है। सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करके उसने दिखा दिया है कि प्राचीनकाल की भारतीय नारी में जो गुंण विद्यमान थे,नारी ने उन्हें अभी तक नहीं खोया है।

आज परिस्थितियां जीवन के परम्परागत मानदण्ड को अस्वीकृति दे चुकी है। तब प्रेम संबंधी मान्यताओं में बदलाव स्वाभाविक है। आज की परिस्थिति में शकुन्तला और दुष्यंत, देवदास और पारो, लछनासिंह और सूबेदारिनी, मधुलिका और राजकुमार आदि के प्रेम के आदर्श, त्याग, सतत् वेदना, समर्पण एवं प्लेटोनिक प्रेम के लिए अवकाश नहीं है।

समाज की यह परम्परागत मान्यता, कि पत्नी को अपने पति की प्रेमिका होना चाहिए, आज शिथिल हो गई है। काम या प्रेम हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अत: वह किसी भी समय, किसी पर भी आसक्त हो सकता है, विवाह के पूर्व भी और विवाह के पश्चात् भी। अस्तु प्रेम की सफलता के लिए विवाह आवश्यक नहीं है। गिरधर गोपाल के 'चांदनी के खण्डहर' की नायिका 'कंतो' ऐसी ही प्रेमिका है। ''तुम्हें प्यार करती थी, आखिरी दम तक करती रहूंगी। हमारी शादी न होने से इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, इस बीच अगर कोई दूसरी लड़की पसन्द आ जाए तो उसी से

विवाह कर लेना मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मेरी तरफ से तुम आजाद हो।'' इसी प्रकार 'अज्ञेय' के ''शेखर एक जीवनी'' की 'शशि', 'उसके हिस्से की धूप' की ''मनीषा'' और ''चित्तकोबरा'' की ''मनु'' (मृदुलागर्ग) में पत्नीत्व एवं प्रेमिका के पृथक-पृथक अस्तित्व को देखा जा सकता है। यही नहीं मृदुला गर्ग प्रेम को नारी जीवन का लक्ष्य स्वीकार नहीं करती वरन् उसकी दृष्टि में प्रेम जीवन का कर्म है, इसीलिए उनकी नायिकाएं अपने अस्तित्व को एक 'लेखक' के रूप में स्थापित कर लेती हैं ।

आधुनिक युग के आरंभ के साथ मध्यकाल और आदिकाल में वर्णित देवी और रति, सहचरी नारी के व्यक्तित्व, नागरिकता जैसे प्रश्न उठने लगे थे। नवजागरण में स्त्री शिक्षा, बाल-विवाह, सती प्रथा पर विचार करते समय मध्यकालीन चिन्तन का विरोध सहज रूप से स्त्री विमर्श का हिस्सा बना। नखशिख वर्णन, नायिका भेद के वातसायनी सूत्रों की भर्त्सना भारतेन्दु तथा द्विवेदी युग के रचनाकारों ने जम कर की । छायावादी कविता ने पहली बार स्त्री को देवी तथा नायिका के पद से नीचे उतरकर बेटी, पत्नी, प्रिया आदि रूपों में चित्रित किया है।

स्वाधीनता संघर्ष तथा उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में मीरा और महादेवी के अतिरिक्त महिला लेखिकाओं की लगभग दो पीढ़ियां आज सक्रिय हैं। साहित्य में चित्रित, बेजुबान नारी आज अपनी जुबान में अपनी दास्तां बयां कर रही है, उसकी अपनी भाषा है, अपने बिम्ब हैं अपने प्रश्न और अपने जवाब हैं। इतिहास के इस मुकाम पर स्त्री के दु:खों-सुखों की एक नई दुनिया हिंदी साहित्य में खुल गई है । इसके मूल्यांकन के मानदण्डों की नई कसौटी है ।

वैदिक काल में नारी धार्मिक जीवन में पति की सहयोगिनी होती थी। वात्सल्य, नैतिकता, मर्यादा की प्रतिमूर्ति के रूप में नारी को माना जाता था। समय और परिवेशगत परिस्थितयों के कारण नैतिकता और मर्यादा की परिभाषाओं में बदलाव आया। स्वतंत्रता प्राप्ति नारी जागरण एवं शिक्षा के प्रसार के स्वरूप में परिवर्तन आया। युगों से पुरुषों द्वारा शोषित नारी ने नवयुग को सांस्कृतिक चेतना में अपनी पहचान कर ली है शिक्षा और समानता के संघर्ष में वह परंपरागत समर्पित रूप को त्याग कर अपनी बौद्धिकता के साथ व्यक्ति स्तर पर जा रही है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार ने नारी को अधिक जागरूक बनाया है।

अस्सी-नब्बे के दशक में नारी चेतना के अघोषित आन्दोलन के संगठित विस्फोट का जो पुष्ट स्वरूप निखर कर पूरी गतिशीलता के साथ सामने आ रहा है उसका एक मात्र कारण स्त्री की 'स्त्रीत्व' से खुलकर मुलाकात है। शिक्षा और स्वलंबन ने नि:संदेह उसे निर्णायक भूमिका में ला खड़ा किया है। कानून के भेद-भावों की जानकारी से नहीं, मीडिया की भूमिका संदिग्ध है। स्त्रीतव' की परिभाषा वह स्त्री को पुरुष की अंकशासिनी बनाकर, परोस बेचकर कर रहा है, जो उसे उन्हीं रास्तों, गलियारों में ले जाने का षड्यंत्र है जहां से वह अपने को मुक्त करने के लिए संघर्षरत हैं ।

आधुनिक परिवेश में स्त्री ने जहां स्व-अस्तित्व को प्राप्त किया है। वहां उसके अस्तित्व की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं। इस प्रश्न चिन्ह का प्रत्युत्तर हमारी परिवेशगत विसंगतियां ही हैं । हम अपना बौद्धिक और आर्थिक विकास तो कर रहे हैं परंतु नैतिकता के मानदंडों को तिलांजलि भी दे रहे हैं।

हिंदी साहित्य में तो स्त्री के विविध रूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं किंतु महिला साहित्यकारों ने तो स्त्री को केंद्र में रखकर ही अपने लेखन की भावभूमि का निर्माण किया है महिला लेखिकाओं ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतरकर यथाथांकन किया है और स्त्री को एक आर्थिक स्वरूप प्रदान किया है। ■

हिंदी हमें अपनी धरती और संस्कृति से जोड़ती है ।

–राजभाषा विभाग

मलयालम के राम काव्य

–डॉ. के. वनजा*

समस्त भारतीयों को एक साथ पिरोने में समर्थ रचना है रामायण । जनता के बीच में प्रचलित राम संबंधी लोक कथाओं को संगृहीत करके वाल्मीकी ने सबसे पहले रामायण नामक एक सुन्दर कलामूल्य से युक्त उत्तम साहित्यिक रचना का सृजन किया । उस साहित्यिक रचना ने संपूर्ण भारतवासियों को एक महान संस्कृति प्रदान की, उसके चरित्र का निमार्ण किया, नवीन एवं उदात्त ढंग से चिंतन मनन करने को मजबूर किया, उसकी अंतरात्मा में उसने प्रवेश किया । इसकी वजह यह है कि उस रचना में मनुष्य के समस्त उदात्त, श्रेष्ठ, एवं सूक्ष्म गुणों का वर्णन किया गया था । इसलिए टागोर ने कहा कि रामायण में मनुष्य के चरित्र को चित्रित करने के बदले देवता के चरित्र का वर्णन किया गया तो वह कितना तुच्छ बनेगा । (प्राचीन साहित्य – टागोर)

रामायण से संबंधित अध्ययन से यह साबित हुआ कि रामायण भारत में ही नहीं वह विभिन्न रूपों में जावा, कंबोजा, तैलान्ड आदि देशों में भी प्रचलित था । दूसरे धर्मों के बीच में भी इसका प्रचार हुआ था । लेकिन भारत में विभिन्न प्रांतों में अपना-अपना रामायण लिखा गया और वह प्रत्येक प्रांत की कुटिया से लेकर महल तक की पूजा और श्रद्धा का ग्रंथ बन गया । तुंचत्त रामानुजन एषुत्तच्छन द्वारा रचित 'अध्यात्म रामायण' मलयालम का सर्वश्रेष्ठ रामायण है । इसके आध्यात्मिक अंश को छोड़ने पर यह मलयालम का आदि महान कलात्मक साहित्यिक रचना भी है । इसलिए केरल के संबंध में इस रचना का कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है ।

तुंचत्त एषुत्तच्छन के साथ उनके पूर्व एवं बाद में मलयालम में रामकथा पर जो काव्य, काव्यरूप एवं कलारूप हुए हैं इन पर प्रकाश डालना इस प्रपत्र का लक्ष्य है । मलयालम में एषुत्तच्छन के पूर्व मुख्यतः चार रामायण हुए । उनमें प्रथम है ईस्वी तेरहवीं शती में चीरामन द्वारा रचित रामचरितम । मलयालम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में परिणत होने के पूर्व इसकी रचना हुई । इसलिए इसमें तमिल भाषा से आए हुए पद ज्यादा हैं । रामकथा साधारण जनता के लिए लिखित काव्य है । उसके संबंध में खुद रचनाकार चीरामन ने यही कहा कि जो पाण्डित्यविहीन साधारण अशिक्षित लोग हैं उनके लिए लिखित है यह रचना । ऐसा कहा जाता है कि यह चीरामनकवि तिरुवितामकोड़ के शासक श्रीवीररामवर्मा है । इसकी शैली तमिल का पाट्टु है । यह गेय प्रधान है । इसके सृजन के लिए वाल्मीकी रामायण के साथ कभी-कभी कंबरामायण भी उपजीव्य बना है । इसका मुख्य प्रतिपाद्य युद्धकाण्ड है । केरल की जनता में अधिकांश लोग सैनिक समझकर और रचनाकार वीररसप्रिय होने के कारण कवि ने युद्धकांड को महत्व दिया होगा । तमिल भाषा शैली से अलग होकर रूप एवं भाव की दृष्टि से मलयालम में साधारण जनता के लिए लिखित सबसे प्रथम महत्वपूर्ण कृति है रामचरित । यह तमिल लोगों के कंबरामायण का जितना महत्व है वैसा ही महत्व मिलने के लक्ष्य में लिखित काव्य है । लेकिन बाद में भाषा में जो परिवर्तन आया वह इस कृति का स्थान कम होने की वजह बन गया ।

रामचरित में वीर, करुण, हास्य, भय, बीभत्स, रौद्र, भक्ति जैसे रसों का बेजोड प्रयोग है । मलयालम के इस आदिकाव्य की सबसे बड़ी सफलता भक्ति प्रधानता और संगीतात्मकता में है । बाद के रामायणों में कण्णश रामायण एवं एषुत्तच्छन का रामायण इस रचना के ऋणी हैं ।

कण्णश रामायण

कण्णश रामायण पाट्टु शैली में रचित मलयालम का पहला संपूर्ण रामकाव्य है । इसके रचयिता रामप्पणिक्कर हैं । इसका उपजीव्य वाल्मीकी रामायण है । इस कृति के आरंभ में कवि ने कहा कि यह कृति मूर्ख लोगों की जानकारी के लिए अज्ञ कवि द्वारा रचित है । इतने विनयान्वित होकर कवि ने वाल्मीकी रामायण की कथावस्तु को उसी भाव भंगिमा के साथ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है । इसे 'गाढ़ा किया गया' वाल्मीकी रामायण कहा जा सकता है । मूल कृति के 24000 श्लोकों को 3059 पाट्टु में कवि ने सीमित

*रीडर, हिन्दी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय, कोची -22

4012 HA/10—9a

कर दिया । उनका राम अवतारपुरुष से ज़्यादा पुरुषोत्तम है । रामकथा को सर्वप्रथम भक्ति के सुन्दर आवरण में सजाने का काम रामप्पणिक्कर ने किया । इस दृष्टि से वे तुलसी एवं एषुत्तच्छन के निकट हैं । रामप्पणिक्कर ने भक्ति के विशुद्ध भाव को काव्य में प्रवाहित करने एवं रामकथा को तद्वारा केरलीय मन के संशोधन के उपयुक्त बनाने का प्रेरणात्मक कार्य भी किया । इसका महत्व इसमें है कि यह परवर्ती समस्त रामकथाओं के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायक रहा । आज भी यह काव्य पारायणयोग्य है ।

रामकथप्पाट्टु

कण्णश रामायण के बाद ईस्वी चौदहवीं शताब्दीं में तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में कोवलम के समीपस्थ अय्यप्पिल्ली आशान द्वारा रचित है रामकथप्पाट्टु । वे मलयालम के होमर नाम से विख्यात थे । तिरुवनंतपुरम श्रीपद्मनाभ मंदिर में 'चन्द्रवलयमं' नामक वाद्योपकरण के साथ उत्सव के अवसरों पर इसका गायन होता था । यह काव्य भी वाल्मीकी रामायण पर केन्द्रित है । फिर भी अय्यप्पिल्ली आशान ने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन सर्वत्र किया है । यह कण्णश रामायण एवं एषुत्तच्छन के रामायण से आकार में बड़ा है । 279 भागों में 3163 पाट्टु इसमें हैं । इसमें रामकथा पूर्ण है तो भी आधा भाग से ज़्यादा युद्धकांड है । इसके पाट्टु द्रविड छंद में है । इसमें मलयालम, तमिल एवं संस्कृत की संकर भाषा का प्रयोग किया गया है ।

रामकथप्पाट्टु भी साधारण जनता के लिए लिखित है । लालित्य से पूर्ण एक ग्रामीणता इसमें विद्यमान है । साधारण जनता के होने के कारण मंदिरों के परिसरों में उत्सव वेलाओं में इसका उपयोग होता था । रामकथप्पाट्टु के समान संगीतात्मक इतिहास ग्रंथ भारत की अन्य भाषाओं में अप्राप्त है । कविता और गीतों के पूर्ण संयोग के कारण तमिल के चिलप्पतिकारम से इसकी तुलना की जा सकती है ।

रामायण चंपु

मलयालम के रामकथात्मक काव्यों में पुनम नंपूतिरी का 'रामायण चंपु' कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । गद्य-पद्य शैली में पाँच सर्गों में बीस भागों में है यह रामायण । प्रत्येक भाग एक संपूर्ण कृति समान है । बालकाण्ड में रावणोद्भव, रामावतार, ताटकावध, अहल्यामोक्ष, सीतास्वयंवर और परशुराम विजय, अयोध्याकाण्ड में विच्छिन्नभिषेक और खरवध, किष्किन्धा काण्ड में सुग्रीव सख्य, बालीवध, उद्यान प्रवेश और अंगुलीयांक, युद्ध काण्ड में लंकाप्रवेश, रावणवध, अग्निप्रवेश, अयोध्या प्रवेश, तथा राज्याभिषेक एवं उत्तराकाण्ड में सीतापरित्याग, अश्वमेध एवं स्वर्गारोहण है । यह रचना संस्कृत के अनेक चंपुओं पर आधारित है । यह चाक्यार कूत्तु एवं पाठकम के लिए योग्य है । इसका आरंभ रंग प्रयोग के लिए लायक है ।

अध्यात्मरामायणम् किलिप्पाट्टु

तुंचत्तु रामानुजन एषुत्तच्छन की रचना है अध्यात्मरामायणम् किलिप्पाट्टु । भारतीय भाषाओं में अध्यात्मरामायण का ख्याति प्राप्त एक अनुवाद या उस पर केंद्रित एक रचना केवल मलयालम में हुआ । ईस्वी चौदहवीं शताब्दी में संस्कृत में लिखित रचना है । अध्यात्मरामायण । यह भी कहा जाता है कि इसका मूल तेलुंगु में हुआ । विष्णुभक्ति प्रचार को लक्ष्य करके अध्यात्म- रामायण की रचना हुई । लेकिन एषुत्तच्छन का अध्यात्मरामायण राम को ईश्वर के अवतार रूप में चित्रित करने के लिए है । उन्होंने इसकी रचना के लिए किलिप्पाट्टु शैली को अपनाया । तोते के द्वारा कथा का गायन करने की पद्धति मलयालम में सबसे पहले एषुत्तच्छन ने की । यद्यपि यह रचना शिवपार्वती संवाद के रूप में है तो भी तोता पूरा काव्य गाता है । एषुत्तच्छन तोते से कहते हैं ''शारिकप्पैतले चारुशीले वरिकारोमले कथा शेषवुम चोल्क नी ।''

(अरे शारिके, तू आ जा और पूरी कथा गा जा)

एषुत्तच्छन का समय सोलहवीं शताब्दी है । उस समय केरल में छोटे-छोटे प्रांतों के राजाओं के बीच में कलह चल रहा था । एषुत्तच्छन के जमाने में पोर्चुगीस लोगों के द्वारा केरल में कई विनाश हुए । पर उनकी सहायता करने वाले केरल में भी थे । यहाँ के लोगों को धर्मपरिवर्तन के लिए मजबूर किया गया । साधारण लोग कई प्रकार से शोषित थे । विशेषकर शूद्र एवं स्त्रियाँ कई प्रकार के शोषण के शिकार बने हैं । जाति में एषुत्तच्छन अवर्ण थे ।

उन्होंने समाज के उच्च नीच भाव को देखा और भोगा । उन्होंने सीधे ब्राह्मणों की निन्दा या उपहास नहीं किया । उनके प्रति उन्होंने आदर प्रकट किया । लेकिन कई प्रकार से शोषित जनता की आत्मवेदना को शान्ति प्रदान करने के लिए उनकी भक्ति मंद हवा समान सहायक बन गयी ।

4012 HA/10—9B

अधिकार मोह से ग्रस्त विदेशियों और स्वदेशियों से जो कलहपूर्ण वातावरण यहाँ हुआ इससे जनता को बचाने और संपूर्ण केरलीयों को एकसूत्र में बाँधने के लिए उनके रामायण ने संजीवनी बूटी का काम किया । भक्ति के साथ आदर्श और कर्तव्य ज्ञान प्रदान करने की क्षमता रामायण को है । अध्यात्मरामायण के आरंभ में एषुत्तच्छन ने जाहिर किया कि उनकी कोशिश मोक्षप्राप्ति के लिए है । लेकिन एषुत्तच्छन ने भी रामकथा के माध्यम से समाज के परिष्कार के लिए प्रयत्न किया । जो भी हो व्यक्ति और समाज को धर्मपथ की ओर ले जाने का लक्ष्य एषुत्तच्छन के सामने था । उनकी रचना में जो धर्मसुक्तियाँ एवं महान पात्रों का वार्तालाप है वे इस लक्ष्य को और ठोस रूप प्रदान करते हैं ।

सोलहसवीं शताब्दी तक आते-आते वैष्णवभक्ति आन्दोलन उत्तर भारत और तमिलनाडु में मज़बूत हो गया था । एषुत्तच्छन घुमक्कड प्रकृति के थे, इसलिए तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के भाषा साहित्य एवं संस्कार से उन्हें परिचय हो गया । इन सबको आधार बनाकर उन्होंने यह रचना की । केरल के बहुमत के अशिक्षितों को अपनी ओर आकृष्ट करने और उनकी अन्तरात्मा में निहित भावों को जगाने तथा उन्हें श्रेष्ठ जीवन की ओर उठाने एवं जगाने में उनकी रचना सहायक बन गई ।

किलिप्पाट्टु आन्दोलन के छंद वैचित्र्य और लालित्य ने उसे जनप्रिय बना दिया । द्रविड छंदों में काकली, केका, द्रुतकाकलि, अन्ननडा, मणिकांची, कलकाँची का प्रयोग किया गया । कवि की अन्तरात्मा का प्रतीक है किली (तोता) । उसे जब कवि संबोधन करते हैं तब संपूर्ण केरलीयों की अन्तरात्मा उस किली के उड़ जाने की हवा में अनंदनृत्य करती है । भाव और कलापक्ष की दृष्टि से महान उनकी रचना मलयालम के भक्ति आन्दोलन को बढ़ावा देने में बहुत सहायक बन गयी । यह रामायण हिंदी में तुलसी रामायण एवं तमिल में कंबरामायण के समान पूजा एवं श्रद्धा का ग्रंथ है । केरलीय हिन्दू परिवारों में इसका गायन होता है । विशेषकर मलयालम महीना कर्किटकम को रामायण मास मानकर सभी घरों में इसका परायण करते हैं । इस प्रकार एषुत्तच्छन का अध्यात्मरामायण केरल के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक गीतविधियों में परिवर्तन लाने में बहुत समर्थ हुआ ।

एषुत्तच्छन के बाद के रामायण काव्य

एषुत्तच्छन के रामायण के बाद करीब एक शताब्दी के बाद किलिप्पाट्टु शैली में केरलवर्मा वलियकोई तंपुरान ने रामायण लिखा । इसे केरलवर्मा रामायण किलिप्पाट्टु कहते हैं । उनके द्वारा और एक रामायण भी लिखा गया, वह है पाताल रामायण । ये दोनों वाल्मीकी रामायण पर आधारित हैं । कोट्टारक्करा तंपुरान का 'रामनाट्टम' आट्टक्कथा के रूप में रचित है । तुल्लल काव्यधारा में कुंचन नंपियार ने छः प्रमुख रामकथाश्रित तुल्लल काव्य रचें । इनमें सबसे उल्लेखनीय सीतास्वयंवर है ।

आधुनिक युग में रामकाव्यों का रूप बदल गया । मलयालम रामकाव्य परंपरा में सर्वलक्षणों से युक्त महाकाव्य के रूप में अषकत्तु पद्मनाभ कुरुप्प कृत 'रामचन्द्र विलास' को माना जाता है । तुलसी रामायण से विकसित श्रीराम भक्ति इस रचना का आधार बन गई । आधुनिक युग में रामकाव्य पर केंद्रित कई खण्डकाव्य लिखे गए । उनमें सबसे उल्लेखनीय है कुमारनाशान की 'चिंताविष्टयाय सीता' । वाल्मीकी के आश्रम में बैठने वाली सीता का ऊद्गार है इस काव्य का विषय । यहाँ कवि, राम ने जो किया उसका समर्थन करने की कोशिश में है । सीता के साथ यदि राम गए तो आज महान राजा, त्यागी आदि जो संबोधन हम कर रहे हैं ये नहीं मिलेंगे । लेकिन यदि स्त्री सारा ऐश्वर्य छोड़कर पुरुष के साथ जाएगी तो उसे महान कार्य सब कहेंगे । क्यों यह फरक दिखाई देता है ? यहाँ राम अपनी चित्तवृत्ति को रोककर आजीवन विरह का दुःख झेलते हैं । इस राम का पूरा समर्थन कवि करते हैं तो सीता पर यह आरोप करते हैं कि वह चित्तवृत्ति के अधीन है । लेकिन यह विचारणीय है कि अपने जीवन के सर्व एश्वर्य को सिंहासन की पवित्रता के लिए छोड़ने वाली सीता ने कितना महान कार्य किया । यहाँ सीता बीसवीं संदी की नारी के समान थोड़ा प्रगतिशील दिखाई देती है । वल्लत्तोल की कोच्चुसीता में देवदासी वंश में उत्पन्न एक बालिका की कथा है । लेकिन वह सीता को अपना आदर्श मानती है । इसलिए सीता को आदर्श मानकर एक लंपट से बचने के लिए वह आत्महत्या करती है ।

उपर्युक्त रचनाओं के साथ आधुनिक युग में वयलार का 'मानिषादा', उण्णिकृष्णन नायर का 'लक्ष्मण विषाद', एन.वी.कृष्णवारियर का 'चिंताग्रस्त राम', डॉ.तोन्नक्कल

नारायण का 'रामविलाप', ओ.एन.वि. कुरुप्पु का 'सरयु नदी की ओर', यूसफली केच्चरी का 'रघवींय' आदि रामकथा पर आधारित रचनाएँ हैं ।

रामकथा पर आधारित विविध कलारूप

रामकथा पर केंद्रित जो प्राचीन कलायें रूपायित हुई वे आज भी मंदिरों में उत्सवों के अवसर पर प्रस्तुत की जाती हैं । इनमें एक है रामनाट्टम । श्रीरामकथा पर केंद्रित नृत्यरूप है रामनाट्टम । वह कथकली का आदि रूप ही है । इसके पुरोधा कोट्टारक्करा राजवंश का एक सदस्य था । इसका आरंभ 1653-1694 के बीच में था । श्रीराम कथा को आठ भागों में विभक्त कर आठ दिनों में यह खेला जाता है । आठ भाग पुत्रकामेष्ठी, सीतास्वयंवर, विच्छिन्नाभिषेक, खरवध, बालीवध, तोरणयुद्ध, सेतुबंधन और युद्ध हैं । इसका परिष्कृत रूप कोट्टयत्तु तंपुरान के द्वारा निर्मित हुआ । कथकली के प्रचार के साथ रामनाट्टम का महत्व कम हो गया । आजकल बालीवध एवं तोरणयुद्ध मात्र प्रचार में हैं ।

तुल्लन-कुंचन नंप्यार द्वारा प्रवर्तित तुल्लन में भी रामायण के कथाभाग स्वीकार किए गए हैं । जनसामान्य को रिझाना इसका लक्ष्य है । अपनी कमजोरियों को न जानकर अपने को प्रबल, समर्थ एवं सर्वज्ञ समझकर गर्विष्ठ होने वाले लोगों का पतन और परिहास है तुल्लन में ।

पाठकम् - मंदिरों में उत्सवों के अवसर पर वहाँ एकत्रित साहित्यकार एवं कलाप्रेमी ब्राह्मण आदि सहृदयों के निर्दोष आनंद के लिए पाठकम् कहने का कार्य आज कार्य भी प्रचलित है । चरित्ररूपायन के लिए बहुत उचित है पाठकम् । चाक्यारों के कथाकथन का अनुकरण कर नंप्यार तथा अन्य मंदिरों से जुटे लोगों ने जब कथाकथन आरंभ किया तब पाठकम् का जन्म हुआ । पाठकमकारों का उनका अपना वेष होता है । इसके लिए भी रामायण कथा का इस्तेमाल किया जाता है ।

कूत्तु एवं कूटियाट्टम

मंदिरों के कूत्तबंलों में जिस नाटक का अभिनय होता है उसे कूत्तु कहा जाता है । कूत्तु दो प्रकार के होते हैं - चाक्यार कूत्तु और तोलप्पावक्कूत्तु । चाक्यार कूत्तु संस्कृत नाटकों का अभिनय है तो तोलप्पावक्कूत्तु तमिल नाटकों का अभिनय है । तोलप्पावक्कूत्तु में कंबरामायण के गीतों को छायानाटक रूपों में निर्मित किया जाता है । इसके लिए बारह हज़ार गीतों के कंबरामायण से एक हजार दो सौ गीत लेकर नाटक के लिए योग्य बनाकर रखा गया है । श्रीराम अवतार से राज्यभिषेक तक की कथा है इसका विषय । कठपुत्तलियों के पीछे रखे गए दीपों की मदद से यह दिखाया जाता है ।

चाक्यार कूत्तु में नाट्काभिनय एवं कथा कथन दो भेद हैं । उनमें नाटकाभिनय को पुराने समय से लेकर कूत्तु कहा जाता है । एक से अधिक लोग मिलकर अभिनय करते हैं तो उसे कूटियाट्टम कहा जाता है । चाक्यार लोगों के अभिनय को सामान्यत: कूटियाट्टम कहते हैं । कूटियाट्टम, रामनाट्टम, और कथकली में वेष, मुद्रा आदि में कई सामानताएँ हैं ।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह विदित होता है कि रामकथा काव्य में ही नहीं बल्कि कलारूपों में भी इस्तेमाल किया जाता है । सभी रामकथाएँ समाज के निम्न वर्ग या साधारण जनता के लिए लिखित हैं । चिरंतन मूल्यों से पूर्ण आदर्श महाकथापात्र, जीवन की समग्रता से युक्त प्रतिपाद्य विषय, श्रेष्ठ सांस्कृतिक वातावरण, महान आदर्शों एवं महान कथापात्रों का परस्पर संघर्ष आदि का सौन्दर्य इतिहास में मात्र प्राप्त है । जिस उद्देश्य से इतिहासों का प्रणयन किया गया वह जब तक मनुष्य रहेगा तब तक बना रहेगा । उसके विभिन्न प्रयोगों से उसका महत्व बढ़ता जाता है, घटता नहीं । प्राचीनता उन्हें नवीनता एवं महत्व देती रहती है ।

हिंदी राष्ट्रीय एकता एवं आत्मीयता की भाषा है ।
—राजभाषा विभाग

पुरानी यादें - नए परिप्रेक्ष्य में

वैदिक ग्रंथ - आधार ग्रंथ

–मनोहर धरफले*

भारत में सत्ता सम्हालते ही अंग्रेजों ने भारतीयों पर अंग्रेजी थोपना शुरू कर दिया था। वह भी बड़ी चालाकी से। सभी प्रकार की शिक्षा अंग्रेजी पुस्तकों के माध्यम से और अंग्रेजी भाषा में देना शुरू कर दिया। देशी भाषाएँ भी अंग्रेजी माध्यम से सीखी जा सके, ऐसी व्यवस्थाएँ कर दी। बड़े और नामी स्कूलों को प्रचार का माध्यम बनाया। संस्कृत विषय के पठन-पाठन पर बन्दिश लगा दी गई। अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी में ही लिखें, अंग्रेजी ही बोलें, अंग्रेजी में सोचें, सभी मनोव्यापार अंग्रेजी में ही होते रहें, ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण कर दी। इस भाषा विषयक गुलामी से यदि कोई सिर उठाकर बात करता तो कई प्रकार से हतोत्साहित कर दिया जाने लगा। उसके सम्मुख बाधाएँ खड़ी कर दी जाती थी।

प्रारम्भ में तो वे मीठे बोल बोलकर अंग्रेजी भाषा की बढ़ाई करते हुए और अपने ज्ञान की डींग हाँकते हुए हमें लुभाते रहे, फिर धीरे-धीरे अपनी पकड़ गहरी करते रहे। जो भी कार्य वे करते उसका हम पर अहसान जताना कभी नहीं भूलते थे। परिणामत: हम भारतीयों में से जिन्हें अंग्रेजी भा गई वे हमारे मुख्तियार बन गए और अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों की हमारे सामने प्रशंसा करते हुए उनकी चापलूसी करने लगे। वे बखान करते समय विद्यादान की बात अवश्य करते, मानों अंग्रेज भारत नहीं आते तो यहां विद्या का प्रसार ही नहीं हो पाता। जिसका खाना उसका बजाना, यही बात वे जानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के केंद्रों को वे आसानी से भुला देते। उसी का परिणाम है कि आज हम सब भारतीयों के सिर पर चढ़ कर बोल रही है अंग्रेजी। हमारी गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आज अंग्रेजी बनी हुई है। हिंदुओं की ताकत उनके धर्म में है, यह बात अंग्रेज पहले की जान गए थे। इसलिए खालिस अंग्रेजी विद्या का शस्त्र उन्होंने अपनाया। धर्म परिवर्तन के लिए उसका उपयोग उन्होंने किया। अंग्रेजी पढ़ेगा उसे हर क्षेत्र में सुविधाएं मिलती रहेंगी ऐसा वातावरण उन्होंने बनाया। लेकिन हमारे वे विद्वान जो अंग्रेजी को सब कुछ मानने लगे थे वे यह नहीं समझ सके यह धीमी गति से असर करने वाला जहर है जो हम पी रहे हैं। अंग्रेजी पढ़कर ही हम बुद्धिमान बन सकते हैं, ऐसा वे मानने लगे। अंग्रेजों के भारत में आने के पहले से ही भारत विद्या का गढ़ रहा है, यह बात वे भूल गए। अंग्रेजी जानने वाला ही पढ़ा-लिखा माना जाने लगा। इन्हीं चुनिंदा लोगों के वंशज आज भी काले अंग्रेज बन कर अंग्रेजी का गुणगान कर रहे हैं। रामायण काल में पुष्पक विमान का अविष्कार हो चुका था। समुंद्र पर सेतु बांधने वाले यंत्री थे। अग्निबाण, पुर्जन्यबाण जैसी मिसाइलें बन चुकी थीं। बड़े-बड़े महल और अट्टालिकाएं बनाने का काम होता था। यह सब क्या विज्ञान विद्या के प्रसार बिना संभव था? "धर्म की बात जाने दीजिए जी, उससे कुछ बिगड़ता नहीं" यह इन अंग्रेजी टट्टुओं का मानना है। यह सब परिणाम अंग्रेजी की पढ़ाई का ही है। आज स्थिति यह बनी है कि भारत के किसी भी प्रांत का पढ़ा-लिखा व्यक्ति न तो अपनी मातृभाषा ठीक से और शुद्ध रूप से बोल पाता है, न लिख पाता है और न ही समझ पाता है। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किए बिना उसका काम ही नहीं चलता। "मैं अच्छी वस्तु का प्रयोग करता हूं" इस वाक्य को बोलेगा मैं अच्छी चीज का "यूज" करता हूं। "मुझे तुम्हारी बहुत याद आई" इस वाक्य को बोलेगा मैंने तुम्हें बहुत "मिस" किया। स्कूल की पाठयपुस्तकों के अलावा क्या कुछ पढ़ रहे हो ? किसी माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थी को पूछिए। हेम्लेट पढ़ रहा हूं। हैरी पोटर पढ़ रहा हूं या ऐसी ही किसी अंग्रेजी पुस्तक का नाम कह देगा। कोई नहीं कहेगा कालीदास पढ़ रहा हूं, रामायण, महाभारत, भगवत्गीता या कि गोदान पढ़ रहा हूं। ईसाई मन, ईसाई आंखें, ईसाई सोच

*संपदा, 173, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.) - 452018

4012 HA/10—10A

होने का ही ये परिणाम है । दस वर्ष पहले कोई वेलेंटाईन डे नहीं मनाता था । ना कि फ्रेंड्स डे, मदर डे या फादर डे । क्योंकि माता-पिता सदैव ही वंदनीय है उनका एक दिन क्यों मनाया जाए । मित्र वही जो दुःख में साथी, उसका दिन कैसा? फ्रैंड्स डे मनाना ही है तो कृष्ण सुदामा मिलन समारोह मनाइए । लेकिन जो अच्छा है वह सब ईसाईयों का, अंग्रेजी का ही है, जो निकृष्ट है वह भारतीय है, ऐसी घिनौनी धारणा बन चुकी है । यह सब ईसाई मिशनरियों की देन है ।

हमारे ही ग्रंथों को खंगाल कर, उनका अध्ययन कर भूगोल, खगोल, भूगर्भ, विज्ञान, अन्तरिक्ष, गणित, भाषा, धर्म, जीव आत्मा, परमात्मा को समझने का प्रयास किया गया और अपनी नई शैली में हमारी ही बात हमारे सामने रखी गई । भारतीयों की इसी अज्ञानता का लाभ ईसाई मिशनरियां उठा रही हैं । धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने पर आदिवासियों को चर्च में जाने की, प्रेयर करने की कोई बंदिश नहीं डाली जाती । वे अपने रीति-रिवाजों को मानने के लिए रहन-सहन अपनी पद्धति से रखने के लिए स्वतंत्र हैं । लेकिन कागजों में, रेकार्ड पर तो वे ईसाई की कहलाएंगे । जनसंख्या का आकलन तो कागजी प्रमाणों पर ही होता है । बस उनका काम बन गया । लेकिन अध्ययन के बाद इस बात के प्रमाण अवश्य मिल जाएंगे कि बायबल जो कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, उसमें की गई दस आज्ञाएं जिन्हें टेन कमांडमेंट्स के नाम से जाना जाता है हमारे वैदिक ग्रंथों की नकल है ।

एक्सोडस (Exodus) प्रकरण के बीसवें अध्याय में ये दस आज्ञाएं दी गई हैं । इस अध्याय के बारह से सतरहवें वाक्यों को देखें । बारहवां वाक्य है "Honour Thy Father And Thy Mother" अपने माता-पिता का सम्मान करो । तैतीरिय उपनिषद में शिक्षाध्याय में जो वचन है "मातृदेवो भव, पितृदेवो भव" इन वचनों का शब्दशः अनुवाद है यह बारहवां वाक्य । उसी प्रकार से तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह और सत्रह क्रमांक पर जो वाक्य हैं व" पातंजल योग सूत्र में स्थित साधनपाद के तीसवें सूत्र का रूपांतरण है । वह सूत्र हैं :—

"अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः"।

योग के आठ अंग है : (1) यम (2) नियम (3) आसन (4) प्राणायाम (5) प्रत्याहार (6) धारणा (7) ध्यान और (8) समाधि ।

इन आठ अंगों में पहला अंग यम है । ये यम पांच हैं:—

(1) अहिंसा—यानि मन, वाणी व शरीर इन तीनों से से कभी भी किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाएं ।

(2) सत्य—याने दूसरों के भले के लिए सच बोलें ।

(3) अस्तेय—बलात्कार से (बल पूर्वक) या एकांत में देखकर भी दूसरे के धन या संपत्ति पर अधिकार न करें या उसे छीने नहीं अर्थात् दूसरे के धन को हथियाने का प्रयास कदापि न करें ।

(4) ब्रह्मचर्य—अर्थात् उपस्थ इंन्द्रिय का संयमन करें । वह सिद्ध न होने पावे इसलिए स्त्री की ओर देखना, उससे भाषण करना, उसे स्पर्श करना, उसकी आवाज सुनना, उसका ध्यान करना आदि व्यवहार न करें ।

ये ब्रह्मचर्य योग के अंग हैं । इन ब्रह्मचर्य योग के अंगों का सदा रक्षण करें—ऐसा दक्ष संहिता में कहा गया है ।

रंगनाथी योगासिष्ठ में संमति श्लोक दिया गया है जो इस प्रकार है:

दर्शनं स्पर्शनं केलिः कीर्तनं गुहा भाषणम् संकल्पोऽऽ ध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेवंच । एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदंतिमनीषिणः। विपरीत ब्रह्मचर्य मेत देवाष्टलक्षणम् ।। 1 ।।

(5) अपरिग्रह—याने शरीर की रक्षा के लिए जितने साधन अनिवार्य हैं उतने ही स्वीकार करना । उनसे अधिक साधनों को त्याग देना ।

ये पांच यम, योग के प्रतिबंधकों का अर्थात् हिंसा, असत्य, स्तेय, स्त्रीसंग, परिग्रह इनका नाश करते हैं इसलिए वे योग के अंग हैं । यम, ये योग के आठ अंग हैं उसमें से यह पहला अंग हुआ । अब दूसरा अंग याने नियम, नियम भी पांच हैं ।

" शौचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमः।"

4012 HA/10—10B

(1) शौच—याने शुचित्व । मृत्तिका (मिटटी) जल आदि से किया गया और गौमूत्र, यवपिष्ट आदि पवित्र आहारों से किया गया वह बाह्य शौच होता है । मैत्रादि (मित्रता) भावना से मन में द्वेष, जलन का त्याग करना उसे अंत: शौच कहा जाता है ।

(2) संतोष—किसी को भी पीड़ा न देते हुए प्राप्त किया गया अन्न वह भी उतना ही जितने से प्राण की रक्षा हो जाए । ऐसा और इतना ही अन्न स्वीकार करना और संतुष्ट होना ।

(3) तप: याने शीत—उष्ण आदि द्वंद को सहन करना और कृच्छ चांद्रायण आदि करना (उपासना —प्रार्थना आदि) ।

(4) स्वाध्याय अर्थात् प्रणव (ॐ) आदि का जप करना ।

(5) ईश्वर प्राणिधान—अर्थात् ज्ञान से या अज्ञान से जो मैं शुभ या अशुभ कर्म करता हूं वह सब तुझे (ईश्वर को) अर्पित किया है । तेरी प्रेरणा पाकर ही मैं सब कर्म करता हूं । शरीर से, मन से अथवा वाणी से जो क्रिया मैं नित्य करता हूं वह जन्मजन्मांतर में भी केशव जो परमात्मा है उसकी आराधना के संदर्भ में ही हो, यह सोचना ।

इस प्रकार अपने सभी पूण्य कर्म को ईश्वर को ही अर्पण करना । इस प्रकार योग के पहले पांच अंग याने यम और दूसरे पांच अंग याने नियम इन्हीं को दृष्टिगत रख कर बायबल में दस आज्ञाएं (Ten Commandments) निश्चित की गई है ।

Exodus (एक्सोडस) के बीसवें अध्याय को देखें ।

(अ) तेरहवां वाक्य है—Thou Shalt not kill तुम हिंसा मत करो । पांच यमों में पहला यम अहिंसा है । उसका यह रूपांतरण है ।

(ब) चौदहवां वाक्य—Thou Shalt not commit adultery तुम व्यभिचार मत करो । पांच यमों में चौथा यम "बह्मचर्य" उसका यह रूपांतरण है ।

(स) पंद्रहवां वाक्य—Thou Shalt not steal तुम चोरी मत करो । यमों में तीसरा यम "अस्तेय" उसका यह रूपांतरण है ।

(द) सोलहवां वाक्य -Thou Shalt not bear false witness against thy neighbour झूठी गवाही मत दो । पांच यमों में दूसरा यम "सत्य" इसका यह रूपांतरण है ।

(ई) सत्रहवां वाक्य—Thou shalt not covet they neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, not his man servant, not his maid servant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbours पड़ोसी की या दूसरे की किसी भी वस्तु की (मकान, पत्नी, नौकर, बैल, गधा या अन्य कोई वस्तु जो दूसरे की है) अभिलाषा मत करो, न उन्हें हथियाने का या प्राप्त करने का प्रयास करो । पांचवा यम अपरिग्रह उसका यह रूपांतरण है । इशावास्योपनिषद में लिखा है "मां गृध: कस्यास्विद्धनम अर्थात् दूसरे के धन की लालसा या आकांक्षा मत करो । उसका यह अनुवाद है ।

ये तेरह से सतरह तक के पांच वाक्य याने पातंजल योगसूत्र के पांच यम हैं । Command याने संबंध (सम्यक बंधन) Abandon याने अबंधन ।

अत: स्पष्ट है कि बायबल में जो दस आज्ञाएं हैं वे अष्टांग योग के पहले दो अंग हैं । यम और नियम यह कहने पर संपूर्ण अष्टांग योग का अभ्यास किया जा सके इसलिए इन दस आज्ञाओं का उल्लेख किया गया है ।

इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध अध्याय उन्नीस में (1) अहिंसा (2) सत्य (3) अस्तेय (4) विषय-वासनाओं पर अनासक्ति (5) लज्जा (6) संचय न करना (7) धर्म पर विश्वास रखना (8) ब्रह्मचर्य (9) मौन (10) स्थिरता (11) क्षमा (12) अभय—ये बारह नियम बताए गए हैं । इस प्रकार वैदिक ग्रंथों की विविध आचरण संविधाओं का आधार लेकर की बायबल में (Ten Commandments) दस आज्ञाएं तैयार की गई हैं । यह सिद्ध हो जाता है । क्योंकि ऊपर वर्णित सभी ग्रंथ बायबल के पूर्व लिखे गए हैं । इस प्रकार हमारी बात हम ही को समझाने के प्रयास अंग्रेजी भाषा के प्रचार के माध्यम से किए जा रहे हैं । ■

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और परंपरागत चिकित्सा ज्ञान

–संजय चौधरी एवं डॉ. नित्यानन्द चौधरी*

प्रकृति ने मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए बनाया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सबके लिए "जीवेत शब्द शतम्" की कामना की गई है अर्थात् सौ वर्षों तक सुखपूर्वक जीने का आशीर्वाद मांगा गया है। लेकिन आधुनिक जीवन में भौतिक सुविधाओं के बढ़ते हुए उपयोग और मनुष्य की विकृत जीवन-शैली ने मिल-जुलकर कुछ ऐसा ताना-बाना रच दिया है कि मानव के सामने उपस्थित सभी समस्याओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ सर्वप्रमुख हो गई हैं। बढ़ता प्रदूषण, श्रमरहित जीवनचर्या, बढ़ता तनाव, फास्ट फूड का बढ़ता चलन, व्यायाम न करना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने मानव के जीवन में बीमारियों की घुसपैठ को आसान बना दिया है। चिंताजनक बात तो यह है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह आने वाली ये बीमारियाँ वर्तमान परिस्थितियों में अपने आकार-प्रकार में निरंतर बढ़ोतरी कर रही हैं।

आधुनिक मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि उसका ज्ञान जितना उन्नत होता जा रहा है, उतनी ही अधिक बीमारियाँ उसे चारों ओर से आकर घेर रही हैं और उसके सामने नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। एड्स जैसी महाव्याधि के बाद अब बर्ड-फ्लू के मानवीय स्ट्रेन के विकसित होने का समाचार स्वास्थ्य-विशेषज्ञों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। कुछ पुरानी बीमारियों की बात करें तो पोलियो उन्मूलन के लिए आज अनेक देशों में जोर-शोर से अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन विचलित करने वाली बात यह है कि पोलियो-मुक्त घोषित किए जा चुके कई देशों में अब फिर से पोलियो वायरस के पुन: सक्रिय होने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताए बढ़ गई हैं। सन 2005—2007 के बीच ऐसे सत्रह देशों में पोलियो वायरस ने 357 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरे विश्व में उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं हृदयरोग के रोगियों की संख्या में खतरनाक ढंग से वृद्धि हो रही है अर्थात् स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनुष्य के लिए चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं।

बीमारियों का निदान और परंपरागत चिकित्सा ज्ञान

मानव समाज में कई प्रकार की नई असाध्य बीमारियों की उत्पत्ति नित्य नई समस्याओं को जन्म दे रही हैं। लेकिन यह एक विडंबना ही है कि जीवन-विज्ञान एवं स्वास्थ्य का जो समृद्ध ज्ञान हमें विरासत में मिला है, उसकी कीमत हम अब तक नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पश्चिम का अंधानुकरण ही अधिक हुआ है और परंपरागत चिकित्सा ज्ञान को उसका उचित स्थान नहीं मिल पाया है। मानव स्वास्थ्य से संबंधित इस परंपरागत ज्ञान का जन-जन के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि हमारा परंपरागत ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, बल्कि जीवित सांस्कृतिक धरोहर है। यह हजारों पीढ़ियों के अनुभवों का निचोड़ है, उनके प्रायोगिक प्रयासों का परिणाम है तथा हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप स्वास्थ्य-वर्धन का सर्मोत्तम उपाय है।

हमारे देश में विज्ञान का अर्थ प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों से आयातित ज्ञान से लिया जाता है। यही कारण है कि हर नई बीमारी के इलाज के लिए हम एकमात्र पश्चिमी ज्ञान को ही प्रामाणिक मान बैठते है। प्राचीन ग्रंथों में अनेक औषधीय वनस्पतियों का वर्णन मिलता है लेकिन रोग-निवारण के लिए इनमें से अधिकांश की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता के संबंध में हम आज भी दुविधाओं के घेरे में हैं। इसी प्रकार यह भी एक सच्चांई है कि देश में सैकड़ों ऐसी वनस्पतियां हैं जिनका उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता। औषधि के रूप में इनका प्रयोग करने वाला अशिक्षित जन-समुदाय भले की इन सब वनस्पतियों के नाम न जानता हो, लेकिन इनमें विद्यमान चिकित्सकीय गुणों का ज्ञान रखता है। उनके द्वारा ऐसी कई जड़ी-बूटियों का प्रयोग रोग-निवारण एवं स्वास्थ्य-वर्धन की दृष्टि से हजारों सालों से किया जा रहा है।

* जे एंड के-16 बी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली - 110095

भारतीय परंपरागत ज्ञान व्यक्ति को आध्यात्मिक धरातल पर ले जाकर जीवन के प्रति समन्वयवादी और प्राकृतिक नियमों के अनुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में उसकी सहायता करता है। यही कारण है कि आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं एंव अत्यंत उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं से परिपूर्ण पश्चिमी समाज में भी योग, अध्यात्म और आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग यह समझने लगे हैं कि बड़े अस्पताल, मंहगी दवाइयाँ और भारी-भरकम उपचारी यंत्रों को उत्तम स्वास्थ्य की गारंटी नहीं माना जा सकता। मात्र इनकी बदौलत लोगों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जीवन के प्रति स्वस्थ-सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास जरूरी है। निस्संदेह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में चिकित्सा से संबंधित हमारा परंपरागत ज्ञान अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है।

कई पश्चिमी देशों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के एक विकल्प के रूप में परंपरागत चिकित्सा पद्धति का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्य एवं आरोग्य से संबंधित हमारा परंपरागत ज्ञान रोगों की अपेक्षा संपूर्ण स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानता है जबकि पश्चिमी देशों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। पश्चिम में प्रचलित चिकित्सा पद्धति रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण को समझने की बजाय रोग को किसी भी तरह नियंत्रित करना महत्वपूर्ण मानती है। यही कारण है कि पश्चिमी चिकित्सा में रोगों को अस्थायी रूप से दबा दिया जाता है जिसका हमारे शरीर पर अकसर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं पर, चिकित्सा से संबंधित हमारा परंपरागत ज्ञान रोगों को महत्वपूर्ण मानने की अपेक्षा व्यक्ति के निरोग रहने एवं उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने पर अधिक बल देता है।

परंपरागत चिकित्सा ज्ञान की पुनःस्थापना

हमारे देश में चिकित्सा से संबंधित परंपरागत ज्ञान के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता समय-समय पर अनेक बार महसूस की गई। लेकिन छिट-पुट प्रयासों की बात यदि छोड़ दें तो इस ज्ञान को जन-जन के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हालाँकि स्वास्थ्य से संबंधित स्वदेशी ज्ञान-तंत्र तथा विशेष रूप से परंपरागत औषध ज्ञान का व्यापक उपयोग करने की बात **पंडित जवाहरलाल नेहरू** के मस्तिष्क में काफी पहले आ गई थी। 2 नवंबर, 1955 को जामनगर, गुजरात स्थित " सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडीजीनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन" का दौरा करते समय उन्होंने कहा था, *"इस संस्थान में अच्छा काम हो रहा है। विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, बार-बार प्रयास किए जाते हैं और उभरने वाली गलतियों को सुधारा जाता है। हर प्रकार की औषधि को वैज्ञानिक तरीकों से जाँचा जाना चाहिए। किसी के बारे में भी पहले से मान्यता नहीं बनानी चाहिए, चाहे वह नई पद्धति पर आधारित हो या पुरानी पद्धति पर।"*

लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी शासन-काल में परंपरागत चिकित्सा ज्ञान का महत्व कम हो गया। जैसाकि माना जाता है अपने मूल से कट जाने पर पेड़ का विकास रुक जाता है, ठीक इसी प्रकार भारतीय चिकित्सा से संबंधित ज्ञान के विकास व विस्तार को भी मूल से ही क्षतिग्रस्त करने की अनेक कोशिशें की गईं ताकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की कीमत पर अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति फल-फूल सके। यहाँ तक की पारंपरिक भारतीय ज्ञान कुछ गिने-चुने वैद्यों एवं आचार्यों की जमा-पूँजी बन कर रह गया जबकि विदेशी सरकार की ओर से पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को लगाकर प्रोत्साहन मिलता रहा। आजादी के बाद भारत सरकार ने परंपरागत चिकित्सा ज्ञान के महत्व को पहचान कर भारतीय उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए। पहली बार सन् 1964 में चिकित्सा अधिनियम, 1940 में संशोधन करके इसमें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित किया गया।

सरकारी प्रोत्साहन के क्रम में ही कुछ राज्य सरकारों ने वैद्यक पद्धति एवं देशी औषधालयों के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए राज्य स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने के ठोस उपाय किए। इसके पश्चात् मार्च, 1995 में स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग की स्थापना की गई ताकि भारतीय उपचार की पद्धतियों एवं परंपरागत चिकित्सा ज्ञान के लाभ को आम जनता को सुलभ कराया जा सके। इसके अंतर्गत 'आयुष' के नाम से अभिहित विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं विधियों-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध तथा होमियोपैथी पद्धतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गईं एवं इनका कार्यान्वयन किया गया। भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय चिकित्सा से संबंधित परंपरागत ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए भरसक प्रयास कर रहा है।

परंपरागत चिकित्सा ज्ञान का उपयोग

पश्चिमी देशों में उपचार की नई पद्धतियों के प्रति बढ़ती रुचि के कारण विश्व के अनेक भागों में आज भारतीय योग, साधना और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश में भी इसकी शुरूआत हो चुकी है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने योग को स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के

4012 HA/10—11A

रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। यह पहला अवसर है जब हमारे देश में आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने योग की महत्ता को स्वीकार किया है तथा कुछ रोगों के निदान के लिए इसे आवश्यक माना है। आशा की जा रही है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में परंपरागत चिकित्सा ज्ञान के सार्थक उपयोग की दिशा में यह एक नए अध्याय का आरंभ करेगा।

हमारे देश की कई नई-पुरानी कंपनियों ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश में चिकित्सा की देशी परंपराएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती रही हैं। आवश्यकता के अनुसार घेरलू स्तर पर तैयार की जाने वाली ये दवाएं समाज के सभी वर्गों में प्रचलित भी रही हैं। इन्हें दादी माँ के नुसखे, घरेलू इलाज, देसी उपचार आदि के नाम से जाना जाता है। कुछ मामलों में इलाज के लिए झाड़-फूँक, टोने-टोटके जैसे कर्मकांडों का उपयोग भी किया जाता है। हालाँकि कई मामलों में रोगों को दूर करने में इने कर्मकांडों को सफल भी पाया गया है, लेकिन इनकी प्रभावोत्पादकता के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

चिकित्सा से संबंधित परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा देकर तथा उपचार के लिए घरेलू पद्धतियों का प्रयोग करके कई संगठन भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ब्रह्मकुमारी अकादमी द्वारा संचालित और डॉ. प्रताप मिट्ठा की अध्यक्षता में कार्यरत ग्लोबल अस्पताल में विभिन्न रोगों के उपचार में भारतीय चिकित्सा पद्धति के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ कार्यरत डाक्टरों ने कई वर्षों के परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला है कि योग और ध्यान काफी हद तक पीड़ा को कम कर देते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए राजयोग ध्यान की उपयोगिता भी डाक्टरों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। इसी प्रकार, रोगों के निदान की दृष्टि से अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित स्वास्थ्यवर्द्धक उपायों के ऊपर भी अनुसंधान किए जा रहे हैं।

जड़ी-बूटियों के उपयोग से बीमारियों को दूर करने के लिए प्राचीन काल में भी निरंतर प्रयोग किए जाते थे। इनमें विद्यमान औषधीय गुण अत्यंत कारगर होते हैं अर्थात् इनमें मारक गुण कम और शोधक गुण अधिक होते हैं। यही कारण है कि चिकित्सा की आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथी, तिब्बती एवं एलोपैथी पद्धतियों में विभिन्न जड़ी-बूटियों का आज बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि जड़ी-बूटियों के बारे में प्रचलित मिथ्या धारणाओं को दूर किया जाए। आम मान्यता के विरुद्ध कई जड़ी-बूटियों हमारे आस-पास के परिवेश में आसानी से उपलब्ध होती हैं। इनके उपयोग से बिना किसी विशेष खर्च एवं कष्ट के सहज की कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमुख कारण है कि यह लोगों के जीवन-पद्धति के सबसे अनुकूल है। इसके अंतर्गत प्रयोग में आने वाली अधिकांश औषधियों एवं पथ्य के शास्त्र-सम्मत होने तथा इनके आसानी से हर स्थान पर उपलब्ध होने के कारण यह पद्धति लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रही। विभिन्न जड़ी-बूटियों के आसानी से उपलब्ध होने के कारण औषधि के रूप में सबसे अधिक इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इनमें से कई जड़ी-बूटियों में विद्यमान चिकित्सकीय गुण भी अद्वितीय माने जाते हैं। लेकिन ऐसी कई जड़ी-बूटियों के प्रयोग के बारे में हम आज भी अनजान हैं। इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है ताकि अनजान जड़ी-बूटियों के औषधीय गुणों को उजागर किया जा सके।

बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना जरूरी होता है। नई-नई बामारियों के कारण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जितनी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा परंपरागत चिकित्सा ज्ञान का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के उपयोग को बढ़ावा देकर तथा दवाइयां बनाने के लिए जड़ी-बूटियों के औषधीय गुणों का समुचित प्रयोग करके चिकित्सा को आम आदमी की पहुँच में लाया जा सकता है। सामान्य बीमारियों को दूर करने के साथ-साथ इस ज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार चिकित्सा से संबंधित परंपरागत ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालने के साथ-साथ देश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में भी सहायक भूमिका निभा सकेंगे।

उपसंहार

हमारे देश में चिकित्सा से संबंधित स्वदेशी ज्ञान का उपयोग करने तथा चिकित्सा पद्धति में इसे व्यापक रूप से सम्मिलित करने की तात्कालिक आवश्यकता है क्योंकि महाशक्ति बनने के लिए आवश्यक है कि देश के हर नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। निरंतर बढ़ती जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि परंपरागत चिकित्सा ज्ञान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करके ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना संभव हो सकेगा। ■

4012 HA/10—11B

जल प्रदूषण का कारण, निवारण व विवरण

—सुधाकर किशन राव गायकवाड़*

जिसे हम विराट विश्व कहते हैं, उसमें धरती का हिस्सा तो बहुत छोटा है। कुल एक चौथाई हिस्सा, शेष तीन चौथाई भाग में तो जल ही जल है। जल का यह भाग अपने भीतर एक समांतर सृष्टि को समाए हुए है। छः अरब यानी छः सौ करोड़ लोगों की भारी भीड़ आज धरती पर भार बन गई है, पर इस जल की सहनशक्ति को तो देखें, जो अपने भीतर अरबों जीव जंतुओं को जीवन देने के उपरांत भी धरती के करोड़ों पशु पक्षियों और इंसानों के जीवन की भी रक्षा करता है।

दुनिया भर में जितना पानी है, उसका 97 प्रतिशत तो महासागरों में समाया हुआ है। भीषण खारापन लिए हुए पानी का 77 प्रतिशत भाग पर्वतीय हिमखंडों और ग्लेशियरों में जमा है। इस सबके बाद पृथ्वी पर जितना शुद्ध पानी है, उसका सिर्फ एक तिहाई हिस्सा नदियों या झीलों में उपलब्ध है। इसे गणितीय ढंग से देखें तो पता चलेगा कि यदि कुल उपलब्ध पानी को 100 रूपये के बराबर मान लिया जाए, तो नदियों और झीलों का पानी कुल 4 पैसे के बराबर होगा। इतना सा पानी ही तो हमारे भाग्य में है, फिर भी हम चेतते नहीं हैं। सच पूछो तो अल्प मात्रा में उपलब्ध इस पानी का, हमें सही तरीके से इस्तेमाल करने का सलीका तो नहीं है और लगे हुए हैं उसे दूषित करने में। ऐसे में गुजारा कैसे होगा, यही देखने की बात है।

प्रदूषण के कारक—गांव हो या शहर, परिवार यदि सजग न हो तो पानी के स्रोतों में मल मूत्र, कागज, पोलिथिन, सड़े गले पौधे और कूड़े कचरे के ढेर जमा होते जाएंगे। ये सब मिलकर आक्सीजन की मात्रा को घटाते रहेंगे। ऐसी में पानी की चमक उसका जायका और उसका रंग सब बदल जाएगा। घर के पौधे या खेतों में डी.डी. टी. या अन्य रासायनिक तत्वों का छिड़काव भी घातक है। वर्षा के दिनों में मिट्टी पर से बहता हुआ पानी उसे भी बहा ले जाता है और तब तालाबों या कुएं प्रदूषित हुए बिना नहीं रहते। कीटनाशकों का छिड़काव भी इस श्रेणी में आता है। प्रदूषण के इस दायित्व से हम विमुख नहीं हो सकते। कौन करता है यह सब? नालियों का जमाव घरों के बाहर फैलता हुआ कीचड़, बदबू फैलाती हुई गलियां और उनमें बच्चे द्वारा मल त्याग, जगह-जगह पशुओं का गोबर और पेशाब सीवेज की कमी के कारण फैलता हुआ प्रदूषण? क्या यह हमारी लापरवाही की जीती जागती दास्तान नहीं है ?

पानी की निर्मलता से खिलवाड़ करने से या उसकी शुद्धता नष्ट करने वाले घटक है—प्राकृतिक भी और घरेलू भी, औद्योगिक भी और व्यावसायिक भी, व्यक्तिगत भी और सार्वजनिक भी। कुदरती कारकों में तो सूखे आदि की स्थितियां आती हैं, जब पानी स्तर काफी नीचे चला जाता है और उसमें मिट्टी के लवण का मिश्रण हो जाता है। उधर वर्षा के दिनों में बहता हुआ पानी गाद को मिलाता हुआ चलता है, प्रदूषित तो फिर उसे होना ही है। पीने योग्य पानी का प्रदूषण मानव जाति के लिए सबसे बड़ी विभिषिका है। विभिषिक ही नहीं, सच पूछो तो यह खतरे की घंटी है।

शुरुआत की एक दो बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि वायोमंडल में घुले हुए अनेक पदार्थ जैसे धूल है या कोयले के कण आदि इसमें मिल जाते हैं और वह दूषित हो जाता है। दो एक बरसात के बाद धुला-धुला वातावरण शुद्ध पानी की अगवानी करता है। अपनी कोमलता और शुद्धता के कारण यह सर्वश्रेष्ठ बना रहता है। बरसात का पानी भूमि के कई परतों में से रिसता-रिसता जब काफी नीचे तक पहुंच जाए तो वह अपने आप शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में वह छानत रहता है। यही कारण है कि गहरे कुओं का पानी काफी स्वच्छ,

* वरिष्ठ दूरभाष पर्यवेक्षक, बी.एस.एन.एल. कार्यालय गुलबर्गा (कर्नाटक)

स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट माना जाता है । उथले कुओं की गहराई कम होने से प्राकृतिक छनाई भी कम-कम ही होती है । अत: गहरे कुओं के पानी की तुलना में यह पानी थोड़ा कठोर होता है, लेकिन इसकी स्वच्छता और चमक बराबर बनी रहती है । ट्यूबवेल का जल भी स्वच्छ और पीने योग्य होता है । जमीन में गहराई तक बोरिंग करके लोहे कि नलियों को भूमि की परते पार करते हुए काफी नीचे तक ले जाने से स्वच्छ जल उपलब्ध हो जाता है, फिर इस साफ पानी को पंपों द्वारा ऊपर खिंच लिया जाता है । नदियों में तेज प्रवाह होने से पानी रूकता नहीं, लगातार बहता रहता है और निरंतर बहाव इसे अपने आप स्वच्छ बनाए रखता है । इन नदियों में जब तक मानव जनित गंदगी का मिश्रण नहीं होता है, तब तक इनकी स्वच्छता बराबर बनी रहती है । रेत की परतें भी जल को छान छानकर स्वच्छ रखती है । सच पूछो तो हमने नदियों को अपने लिए महान कचरा दान बना रखा है—सब को हर प्रकार की छूट है, गंदगी और मलमूत्र को बहाते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, रासायनिक कचरा डालना या अन्य कारखानों से निकले हुए निकृष्ट पदार्थों को बहने देना । इस पर भी कोई कसर रह जाए तो अधजले शवों, हड्डियों, भस्मों, आदि को उनमें डाल देना । कुल मिलाकर ऐसा महसूस होता है कि नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए और इंसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ।

ग्रामीण परिवार प्राय: तालाबों के पानी को पीने या उपयोग में लाने के लिए विवश हुए हैं । खुले तालाब चारों ओर से आने वाली गंदगी को आत्मसात करते रहते हैं । कई तालाबों में तो पशुओं को भी तैरने या मल - मूत्र विसर्जित करने की पूरी छूट रहती है । घरों की नालियों का विकास भी तालाब की ओर होने से गंदगी का जमाव निरंतर चलता रहता है । इस पानी में प्रवाह होता ही नहीं, अत: स्वयं अपनी शुद्धि करने में यह वैसे ही असमर्थ रहता है । ऐसे में परिवारों का दायित्व बहुमुखी हो जाता है । तालाब के पानी को गंदा करने वाले कारकों को क्या वह हटा नहीं सकते? मसलन नालियों का प्रवाह मार्ग तालाब की ओर न रखा जाए, ऊंची मेंढे बनाकर गंदगी को रोका जाए, जल कुंभी से मुक्त करके तालाब की निर्मलता की रक्षा की जाए तथा तालाब को नर-नारियों का स्नान गृह या धुनाई घाट नहीं बनाया जाए । ये सब बातें हमारे वश की हैं ।

दुनिया के लगभग डेढ़ अरब परिवारों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आती है कि पीने के लिए जो भी जल उपलब्ध है, उसकी पवित्रता की रक्षा की जाए । सागर मंथन से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि जल के भीतर अमृत और विष दोनों हैं । पवित्र जल यदि अमृत है तो प्रदूषित जल विष के समान है । अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस अमृत का स्तवन करते हैं या विष का । समझदार प्रदूषित जल को भी उपचारित करके अमृत के समान बना सकते हैं, नासमझों की नासमझी के बारे में क्या कहा जाए ? इस नासमझी के कारण शीतल और शुद्ध जल भी बदबूदार, सडांध युक्त और प्रदूषित बन सकता है । यह एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी अनदेखी करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा, संसार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि जल को प्रदूषित रहित कैसे रखा जाए ?

बात घूम फिरकर परिवारों के दायित्व पर आ जाती है । परिवारों के एक साथ तीन काम करने होते हैं - स्वच्छ पानी को प्राप्त करने के उपाय करना, अस्वच्छ पानी को साफ करना तथा पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकना । वर्षा के जल का भंडारण अगर सही तरीके से किया जाए तो, वह शुद्ध बना रहता है । कुंडी या कुंडजल संग्रह से पहले उनकी सफाई की गई हो, नालियों में से आने वाली गंदगी को हटा दिया गया हो तथा प्रारंभ की एक दो बरसात को छोड़कर जल का भंडारण किया गया हो, तो प्रदूषण का प्रश्न की खड़ा नहीं होता । प्राकृतिक स्रोत्रों या झरनों का पानी प्राय: शुद्ध होता है, पर इसे भी बाहरी दूषित पदार्थों की मिलावट से बचाया जाना जरूरी है । कुओं से जल प्राप्त करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें बाहरी पदार्थ, कूड़ा करकट, घास फूस, पेड़ों की पत्तियां, पक्षियों की बीटे या किसी प्रकार की अन्य गंदगी प्रवेश नहीं करने पाए । सही सार संभाल हो तो जल शुद्ध और पीने योग्य रह सकता है । कुएं की दिवारें पक्की हों, बाहर की ओर कोई ऐसी मुकम्मिलत व्यवस्था हो, जो गंदगी को भीतर जाने से रोक सके तथा कुएं के मुहं के पास कपड़े आदि न धोये जाए तो प्रदूषण से बचा जा सकता है ।

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब जल को जीवन माना गया है, तो पानी की उपेक्षा करके क्या हम जीवन की उपेक्षा करेंगे ? भारतीय परिवारों को इस ओर सजग होना होगा । हम लोग पानी के उपचार पर जोर देते हैं, पर यह नहीं देखते कि इस उपचार की आखिर जरूरत ही क्यों हुई ? अव्वल तो जरूरत होनी ही नहीं चाहिए और अगर यह हो गई तो फिर उपचार करने में देर नहीं करनी चाहिए । पानी की स्वच्छता और शुद्धता पर ही संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धता निर्भर है, क्योंकि पानी नर नारियों, पुश-पक्षियों और वनस्पति जगत सबके अस्तित्व के लिए जरूरी है । ■

विज्ञान

कैसे हुई धरती पर जीवों की उत्पत्ति ?

—डॉ. विजय कुमार उपाध्याय*

धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा भाँति-भाँति के जीव-जन्तु कैसे अस्तित्व में आए तथा इसी से मिलते जुलते प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बहुत प्राचीन काल से ही संसार भर के विद्वान विचार करते आए हैं तथा सबों ने अपने-अपने ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास किए हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सभी जीवों की सृष्टि ब्रह्मा ने की । स्पेन के सन्यासी सौरेज ने बाइबिल संबंधी अपने द्वारा लिखित कहानियों में बताया कि पूरे विश्व की रचना ईश्वर द्वारा सिर्फ छः दिनों में की गई । पहले दिन स्वर्ग तथा पृथ्वी की सृष्टि हुई, दूसरे दिन आकाश की तीसरे दिन पौधे एवं निम्न स्तर के जंतुओं की, चौथे दिन सूर्य, चन्द्रमा तथा तारों की, पाँचवें दिन पक्षियों एवं मछलियों तथा छठे दिन मनुष्य की ।

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि प्रकृति में निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थों की उत्पत्ति शनैः शनैः हुई । यह प्रक्रिया इतनी धीमी तथा सतत रही है कि निर्जीव तथा सजीव के बीच सही विभाजन रेखा खींचना असंभव है । अरस्तू के मतानुसार निर्जीव पदार्थों से सर्वप्रथम वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई । पौधों में एक दूसरे से अन्तर उनकी स्पष्ट प्राणशक्ति पर निर्भर करता है । वस्तुतः सम्पूर्ण वनस्पति जगत हालाँकि जन्तुओं की तुलना में प्राणहीन दीखता है परन्तु निर्जीव पदार्थों की तुलना में प्राणवान है । इसके अतिरिक्त वनस्पतियों में हमेशा यह प्रवृत्ति रहती है कि वे जन्तु-जीवन को प्राप्त करें । उदाहरणार्थ चन्द जीव ऐसे हैं जिन्हें देखकर यह बताना कठिन है कि वस्तुतः वे वनस्पति है या जन्तु अरस्तू का विचार था कि निर्जीव पद्दार्थों से जन्तु तक उत्पत्ति तथा विकास में एक अटूट लम्बी श्रृंखला है, जिसमें आस-पास की दो कड़ियों के बीच अन्तर बताना कठिन है । जीवों की उत्पत्ति विकास तथा उनके आचरण के संबंध में अरस्तू ने जो विचार व्यक्त किए थे, वे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी सही उतरते हैं । पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रसिद्ध यूनानी विद्वान डेमोक्रीटस ने विचार व्यक्त किया कि पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति कीचड़ तथा पानी से हुई । उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था " दि काउजेज ऑफ सीड्स, प्लांट्स ऐंड फ्रूट्स" इस पुस्तक में वनस्पतियों की उत्पत्ति तथा उनके विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है ।

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों ने अलग-अलग ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं । कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई बल्कि पृथ्वी से बाहर अन्तर्तारकीय अन्तरिक्ष में हुई जहाँ से उल्काओं द्वारा पृथ्वी पर इसका आगमन हुआ । हाल में अन्तर्तारकीय क्षेत्र में उपस्थित पदार्थ की संरचना तथा संघटन के संबंध में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनसे पता चलता है कि उस क्षेत्र में जीवनोत्पत्ति के लिए आवश्यक पदार्थ एवं परिस्थितियां मौजूद हैं । इन आवश्यक पदार्थों में शामिल हैं- हाइड्राक्सिल मूलक, अमोनिया गैस, जलवाष्प, कार्बन मोनाक्साइड, हाइड्रोजन सायनाइड तथा फॉर्मल्डिहाइड इत्यादि । ये सभी पदार्थ काफी परिमाण में अन्तर्तारकीय क्षेत्र में मौजूद हैं तथा बादलों के रूप में दिखाई पड़ते हैं । इन बादलों के टुकड़ों के आकार कहीं-कहीं सूर्य से भी बड़े हैं । इन पदार्थों की उपस्थिति से अनुमान लगाया गया है कि अन्तर्तारकीय अन्तरिक्ष में

*कृष्णा इनक्लेव, राजेन्द्र नगर पो-जमगढ़िया, भाया-जोधाडीह, चास, जिला-बोकारो, झारखण्ड पिन कोड- 827013

4012 HA/10—12A

जीवन-निर्माण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। अंततारकीय अन्तरिक्ष में उपर्युक्त जीवनोत्पादक पदार्थों की विस्तृत उपस्थिति को देखकर प्रश्न उठता है कि इन पदार्थों का प्रसार इस प्रकार कैसे हुआ? या तो वे पदार्थ उसी स्थान पर उत्पन्न हुए जहाँ आज पाए जाते हैं, अथवा वे कुछ सीमित स्थानों पर उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड में सभी स्थानों पर फैल गए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या सजीव पदार्थ अंततारकीय अंतरिक्ष को पार कर एक स्थान से दूसरे-स्थान तक जा सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि कुछ प्रारंभिक जीव एवं जीवोत्पादक अणु उल्काओं द्वार ब्रह्माण्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रव्रजन कर सकते हैं। कार्बोनेसियस कौंड्राइट नामक उल्काओं में कार्बन के कुछ यौगिक पाए गए हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसी प्रकार के कार्बन यौगिक प्रारंभिक जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। दक्षिणी आस्ट्रेलिया में सन् 1969 ई. में एक कौंड्राइट उल्का गिरी थी, जिसमें अमीनों अम्ल की कुछ किस्में पाई गई थीं।

किसी भी ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए यह आवश्यक है कि उसका सूर्य (तारा) पर्याप्त गर्म हो ताकि उसका जीवन काल काफी लम्बा हो तथा वह अपने ग्रहों को आवश्यक परिमाण में ऊर्जा की आपूर्ति कर सके। किसी भी ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि उसका सूर्य (तारा) आकार की दृष्टि से एक निश्चित दायरे में हो क्योंकि आकार पर ही गुरूत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। गणनाओं के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वे सभी तारे, जिनका आकार हमारे सूर्य के आधे से डेढ़ गुने के बीच है, अपने ग्रहों पर जीवन उत्पन्न होने लायक परिस्थितियाँ उपस्थित करने में समर्थ हैं। ऐसे तारों की ऊर्जा हाइड्रोजन के प्रगलन (फ्युजन) द्वारा प्राप्त होती है।

किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति एवं अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि उसका गुरूत्वाकर्षण बल ऐसा हो कि उस पर से आक्सिजन तथा अन्य आवश्यक गैसें पलायन कर अन्तरिक्ष में न भाग जाएं। साथ की साथ गुरूत्वाकर्षण बल ऐसा होना चाहिए कि मुक्त हाइड्रोजन की अधिकांश मात्रा पलायन कर बाहर निकल जाए। किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कुछ आवश्यक तत्वों (जैसे ऑक्सिजन, नाइट्रोजन,कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, इत्यादि) का मौजूद रहना जरूरी है। ये सभी तत्व मिल कर जीवों में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म के लगभग 95 प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य तत्व जैसे पोटाशियम, सोडियम, मैगनेशियम, कैल्शियम, लोहा, क्लोरिन, इत्यादि भी जीवधारियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। उपर्युक्त तत्वों का सिर्फ उपस्थित रहना ही जीवन के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि वे समुचित अनुपात में हों। साथ की साथ जीवनोत्पत्ति के लिए वायुमंडल तथा जलमंडल की उपस्थिति भी परम आवश्यक है। जल तथा वायुमंडल के सहयोग के बिना सभी स्थानों पर जीवन के आवश्यक तत्वों का उपलब्ध होना संभव नहीं है। हवा खनिज कणों को भूसतह के एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। बहता हुआ जल विभिन्न तत्वों को भूसतह के विभिन्न भागों में समुचित रूप से वितरित करता है। सभी जीवधारियों के शरीर में उपस्थित पदार्थ का 80-90 प्रतिशत भाग सिर्फ जल में रहता है। सजीव पदार्थों में उपस्थित कुछ तत्वों की प्रचुरता पृथ्वी पर आवश्यकता से कम है। अत: ऐसे तत्व जीवों की एक पीढ़ी की मृत्यु के बाद मुक्त होकर दूसरी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में कई प्रकार के चक्र सतत क्रियाशील रहते हैं। इन चक्रों में प्रमुख हैं-नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र तथा हाइड्रोकार्बन चक्र।

पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसे समझने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि जीवन के प्रमुख दो घटक प्रोटीन तथा न्युक्लिक एसिड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में प्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक हैरोल्ड यूरी द्वारा एक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया गया। उसके द्वारा व्यक्त विचार सौर परिवार की उत्पत्ति संबंधी नाभस परिकल्पना (नेबुलर हाइपोथेसिस) पर आधारित है। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के मूल वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन यौगिक (जैसे मीथेन, अमोनिया, तथा जलवाष्प) काफी परिमाण में मौजूद थे। इन यौगिकों में उपस्थित रासायनिक तत्व (हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सिजन) वे ही हैं, जिनसे अमीनों अम्लों का निर्माण होता है। ये अमीनों अम्ल लम्बे प्रोटीन अणुओं के

4012 HA/10—12B

निर्माण हेतु मूल इकाइयाँ हैं । यूरी की परिकल्पना के अनुसार वातावरण में उपस्थित ये अणु जब सूर्य से प्राप्त परा बैगनी विकिरण तथा बादलों में उत्पन्न तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश से प्रभावित होते हैं तो जटिल संरचना वाले अमीनों अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है । अपनी परिकल्पना की पुष्टि के लिए उसने शिकागो विश्व विद्यालय में कार्यरत अपने एक लगनशील छात्र एस.एल.मिल्लर को एक प्रयोग करने का निर्देश दिया ।

मिल्लर ने सन् 1953 में यूरी के परामर्श के अनुसार एक प्रयोग किया । इस प्रयोग में एक उपकरण लिया गया, जिसके द्वारा अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से होकर जलवाष्प प्रवाहित किया गया तथा इसे कई दिनों तक उच्च ऊर्जा के विद्युत डिस्चार्ज से प्रभावित किया गया । प्रयोग के बाद जब उस उपकरण में मौजूद मिश्रण का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि उसमें ऐसे अमीनों अम्ल निर्मित हो चुके थे जिस प्रकार के अमीनों अम्ल प्रोटीन में पाये जाते हैं । इस प्रकार हैरोल्ड यूरी की परिकल्पना प्रयोग द्वारा सही साबित हो चुकी थी । हैरोल्ड यूरी का विचार था कि पृथ्वी के प्रारंभिक काल में जब इसके वातावरण में हाइड्रोजन यौगिक (मीथेन, अमोनिया तथा जलवाष्प) पर्याप्त परिमाण में उपस्थित थे तो बादलों में उत्पन्न तड़ित द्वारा प्रदत्त विद्युत डिस्चार्ज तथा सूर्य से प्राप्त पराबैगनी किरणों के प्रभाव में पृथ्वी पर हमेशा अमीनों अम्लों का निर्माण होता रहता था । ये अमीनों अम्ल पृथ्वी की सतह पर होने वाली वर्षा के कारण जलीय घोलों के रूप में समुद्री किनारों पर जमा होते रहते थे । इस प्रकार जीवन के लिए आवश्यक एक घटक का निर्माण लगातार होता रहा । मिल्लर द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रयोग के पूर्व सन् 1951 ई. में जे.डी. बर्नाल नामक वैज्ञानिक ने विचार व्यक्त किया था कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण पर उच्च ऊर्जा के पराबैगनी विकिरण के प्रभाव के कारण नाइट्रोजन यौगिकों (जिनमें अमीनों अम्ल भी शामिल हैं) का निर्माण हुआ । आज कल पृथ्वी के वातावरण पर पराबैगनी विकिरण वैसा प्रभावी नहीं रह गया है, क्योंकि धीरे-धीरे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत का निर्माण हो गया जो पराबैगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है ।

जीवन की उत्पत्ति के लिये आवश्यक दूसरे घटक न्युक्लिक एसिड की उत्पत्ति प्रकृति में कैसे हुई, इसके संबंध में वैज्ञानिक अभी तक किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए हैं । न्युक्लिक एसिड की आणविक कड़ी में फॉस्फोरस के परमाणु मौजूद रहते हैं जो सामान्य तौर पर वायुमंडल में नही पाए जाते । साथ ही न्युक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है न कि विद्युत डिस्चार्ज की । कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि ज्वालामुखीय गैसों के वर्षा-जल में घुलने से न्युक्लिक एसिड का निर्माण हुआ । परन्तु प्रयोगों द्वारा इस धारणा की पुष्टि नहीं हो पाई ।

अब अगला प्रश्न यह उठता है कि समुद्री किनारों में उपस्थित अमीनों अम्ल तथा न्युक्लिक एसिड के घोलों से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ? सन् 1940 ई. के आस-पास संसार के वैज्ञानिकों को जानकारी मिली कि जीवन का आधार-स्तम्भ एक प्रकार का न्युक्लिक अम्ल है, जिसे डाइऑक्सिरिबो न्युक्लिक एसिड अर्थात् डी.एन.ए. कहा जाता है । कुछ जीवों में डी.एन.ए. के स्थान पर आर.एन.ए. (अर्थात् रिबो न्युक्लिक एसिड) पाया जाता है । अब वैज्ञानिक लोग इस प्रयास में लगे कि उपर्युक्त एसिडों की संरचना तथा कोशिकाओं में उनके निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए । सन् 1954 ई. में जार्ज वाल्ड नामक अमरीकी वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 'ओरिजिन ऑफ लाइफ' । इस पुस्तक में उसने विचार व्यक्त किया कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में, जब ऑक्सिजन अनुपस्थित था तो भूपटल में उपस्थित धातुओं के कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से हाइड्रोकार्बन जैसे अवगत कार्बन यौगिकों के अणुओं की उत्पत्ति हुई एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण उपर्युक्त कार्बन अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ । इस प्रकार निर्मित जटिल कार्बनिक यौगिक नष्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि उस काल के वातावरण में छायाकारक दो प्रमुख घटक जीवाणु तथा ऑक्सिजन अनुपस्थित थे । वाल्ड के विचार में ऐसे ही जटिल कार्बनिक अणु धीरे-धीरे जीवाणुओं को संश्लेषित करने में समर्थ हुए । इस प्रकार धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई । ■

गढ़वाली धार्मिक गाथाओं एवं चैती गाथाओं का तुलनात्मक अध्ययन

–डा. वीरेंद्र सिंह बर्त्वाल*

गढ़वाल में लोकगाथाओं का अक्षय एवं विशद् भंडार है। यहां के संगीत का सशक्त आधार ये गाथाएं आख्यानमूलक हैं। आकर्षक संगीत, शब्दों के जादुई चमत्कार और अत्युक्ति के आवरण से सुसज्जित गढ़वाली गाथाओं में ऐतिहासिक तत्व विद्यमान है। इनमें उत्तराखंड के जनजीवन के दर्शन होते हैं। प्राचीन गढ़वाल के हर्ष-विषाद, हास-परिहास, समृद्धि-दरिद्रता, प्रेम-प्रसंग, करुणा, अनुराग, शौर्य-पराक्रम को प्रतिबिंबित करती इन गाथाओं में लोक की भावनाओं का सुंदर चित्रांकन मिलता है। लोक गाथा गीत की भांति वह लंबा-चौड़ा आख्यान है, जिसमें कल्पना के साथ ऐतिहासिक बिंदु भी होते हैं। लोक गाथाएं प्रबंधात्मक गीत है। इनमें गेयता के साथ कथानक की प्रधानता होती है। लोक गाथाएं आकार में बड़ी और विस्तृत होती हैं। इनमें प्रेम का गहरा पुट, संघर्ष और अंत में प्रेम की जीत होती है। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में पद्य अथवा गीत के अथ में 'गामिन' शब्द का प्रयोग किया मिलता है। 'गामिन' शब्द एक विशिष्ट गाने वाले के अर्थ में किया गया है। 'गाथा' शब्द एक विशिष्ट विधा के लिए प्रयोग किया गया है। लोक गाथा काव्यात्मक कथाख्यान है। लोक गीतों से भिन्न लोक गाथाओं में कथा तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। वर्ण्य विषय, कथानक आदि के आधार पर गढ़वाली लोकगाथाएं मुख्यतः चार भागों में विभक्त की गई हैं-1-जागर (धार्मिक गाथाएं), 2-पवांड़े (वीर गाथाएं), 3-प्रणय गाथाएं, 4-चैती गाथाएं।

जागर गाथाएं अथवा धार्मिक गाथाएं

सामान्यतः अनुष्ठान विशेष में किसी देवी-देवता को आह्वान और विरुद गाकर अवतरित करने की प्रक्रिया जागर कहलाती है और इस अनुष्ठान अथवा प्रक्रिया में गाए जाने वाले आख्यान को जागर गाथा कहा जाता है। इन्हें धार्मिक गाथा भी कहा जाता है। गाथा गायन के साथ ढोल-दमाऊं, कांस की थाली, और भंकोरा आदि पर्वतीय वाद्य यंत्रों का वादन होता है। दूसरे शब्दों में किसी अलौकिक शक्ति को मानव माध्यम पर अवतरित करने को उसे जगाना कहा जाता है। गढ़वाल में इसे ही 'जागर' शब्द का मूल माना जाता है।

'जागर' शब्द 'जागृ' के साथ 'घञ्' प्रत्यय जोड़ देने से बना है, जिसका अर्थ होता है 'जागरण'। महाभारत पर्व प्रसंग में और कालिदास के 'रघुवंश' में भी 'जागर' शब्द का उल्लेख हुआ है। रात्रि में जागरण कर अथवा किसी माध्यम पर देवी शक्ति के आह्वान, अवतरण और नृत्यमयी पूजा के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान तथा गीतों को जागर कहा जाता है। इस आयोजन में बजाए जाने वाले वाद्य को 'घडियाली' कहा जाता है, जिसमें डमरू, थाली आदि वाद्य यंत्रों को एक विशेष पद्धति से बजाया जाता है।

भारतीय नाट्य शास्त्र में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि नृत्यों से देवता प्रसन्न होते हैं। संभवता इसी परंपरा के अनुरूप पहाड़ों में भी अभीष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए देवता नचाने की प्रथा है।

जागर आयोजित करने का उद्देश्य किसी देवी-देवता विशेष को प्रसन्न करना होता है। कभी किसी देवी-देवता के रूष्ट होने पर उसे प्रसन्न किया जाता है तो कभी मनौती पूरी होने पर यह नृत्यमयी उपासना की जाती है।

*मकान नं. एन-301, नेहरू कालोनी, धर्मपुर, देहरादून (उत्तराखंड)

प्रायः ये जागर नृत्यमयी उपासना के साथ देवता या अनिष्टकरारिणी शक्ति की मनौती के लिए आयोजित किए जाते है ।

गढ़वाल में नागराजा (श्रीकृष्ण) और पांडवों के जागंर प्रमुख रूप से गाए जाते है । नागराजा की गाथाओं के अंतर्गत श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों-श्रीकृष्ण जन्म, भक्त प्रह्लाद, कंस वध, कालिया दमन के अतिरिक्त ब्रह्मकौल, रमोला, कुसुमा कोलिन, सुजू की सुनारी की गाथाएं गाई जाती हैं । इसके अतिरिक्त लोक में गोरील (गोलू, ग्वेल, ग्वल), देवी, निरंकार, नृसिंह (नरसिंग) आदि की गाथाएं भी गाई जाती हैं ।

प्रायः तीन चरणों में गाई जाने वाली इन धार्मिक गाथाओं के प्रारंभ में 'जाग' शब्द का बहुतायत प्रयोग मिलता है । अर्थात संबंधित देवी-देवता के साथ ही गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं विभिन्न धार्मिक तीर्थ स्थानों का नामोच्चारण किया जाता है । नागराजा की गाथा का प्रारंभिक चरण-पंचनाम देवतों जाग, खोली का गणेश जाग, मोरी का नारैण हरि हरिद्वार जाग, धौली देवप्रयाग जाग, चौपड़ा चौथान जाग, द्वारिका नारैण जाग, नानी तेरी पवन रेखा जाग, नाना तेरा उग्रसेन जाग, पौन पाणी धरती माता जाग, सुदर्शन तुमारो चक्र जाग, वैजयंती तुमारी माला जाग, सोबन को तुमारोगेंदुआ जाग, नौ सुर्या तुमारी मुरली जाग, गायों का गुठ्यार जाग, भैंस्यों का खरक जाग, चंदन की तुमारी चौकी जाग, सोना का हिंडोला जाग, नारी सत्ती भामा जाग, राधा रुकमणी जाग, रात की चांदना जाग, दिन का सुरीज जाग ।

द्वितीय अथवा मध्यम चरण में संबंधित देवी-देवता की गाथा अर्थात उसके जीवन के प्रसंग विशेषों के वृतांत का गायन होता है । तीसरे चरण अथवा अंतिम चरण में समापन की प्रक्रिया होती है ।

यह एक प्रकार से आरती की प्रक्रिया है । नागराजा की गाथा में अंतिम चरण-

हारतू होयान धौबै जसोमती, हारतू होयान पिता वसुदेव, हारतू होयान तेरी दैणी द्वारिका, हारतू होयान तेरी बाई मथुरा ।

गढ़वाल में मृत लोगों की आत्माओं को भी जागर जैसे अनुष्ठान में अवतरित कर नचाने की परंपरा है । इन मृत आत्माओं को भूत, हत्या अथवा घर्या भूत कहा जाता है । इन्हें नचाने की प्रक्रिया को जागर अथवा धार्मिक गाथाएं न कहकर रांसो कहा जाता है । इनमें संबंधित मृत व्यक्ति की विरुदावली गाई जाती है । करुण रस से संपृक्त इन रांसो में मृतात्मा को सांत्वना दी जाती है, उसकी मृत्यु पर पश्चाताप व्यक्त किया जाता है तथा उसके प्राण हर लेने के आक्रोशस्वरूप 'विधाता' 'ज्यूंरा' अथवा 'दैव' को अभिशाप (सराप) दिया जाता है । इन रासो में मृत्यु की शाश्वतता, आत्मा-परमात्मा के एकाकार और भाग्यवादिता को महत्व दिया जाता है-

थौली को सामल भूतों तुमारू पूरो ह्वै गए......,

कायरो नि होण भूतों लालसू मिटौण............,

सत पड्या सरापी तै ज्यूंरा का घर..........,

जैन करी त्वैकू यनी रोणी-धाणी........,।

कना छोड़ीन त्वेन घोल्यांसी का घोल......।

कनी छई तेरी हलार्या जवानी.......।

चैती गाथाएं

चैत्रमास में ही गृहद्वारों पर गाए जाने के कारण इन गाथाओं को चैती गाथा कहा जाता है । वसंत ऋतु से संबद्ध होने के कारण इसी अनुसार इनमें भावाभिव्यंजना होती है । करुण रस से ओतप्रोत इन गाथाओं में गढ़वाली लोकजीवन में व्याप्त अभाव के दर्शन होते हैं । नायिकाओं में मायके के प्रति प्रबल प्रेम की झलक, सास का क्रूर आचरण और शंकालु प्रवृत्ति इन गाथाओं के कथानक की विशेषता है । नारी सौंदर्य का प्रभावोत्पादक वर्णन इनमें अन्य गाथाओं की ही भांति है, किंतु प्रतीत होता है कि गाथाकार ने इस सौंदर्य की अभिव्यक्ति प्रेमी के लिए नहीं, अपितु श्रोताओं के लिए की हो । अनेक कला और भावपक्ष के आधार पर चैती गाथाएं अन्य गाथाओं से सर्वथा भिन्न हैं ।

शैलीय स्तर पर भी चैती गाथाएं अन्य गाथाओं से भिन्न ठहरती हैं । उनमें कथानक का विस्तार न होकर गहराई । इसी कारण उनमें भावों की अपूर्व सघनता है और वे करुण रस और जीवन की त्रासदी का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है ।

4012 HA/10—13A

चैती गाथाओं के प्रमुखतः तीन प्रकार हैं । पहली भ्रातृप्रेम वाली गाथाओं में विवाहिता के भाई का अभाव और भाई के प्रति अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति ध्वनित होती है । सदेई की गाथा इसकी प्रतिनिधि गाथा है । दूसरी मातृपक्ष के प्रेम वाली गाथाओं में विवाहिता की मातृगृह के प्रति प्रेम की प्रबल भावना प्रतिबिंबित होती है । इनमें सास की क्रूरता भी दृष्टिपथ में आती है । फ्यूंली की गाथा इसका सुंदरतम उदाहरण है । तीसरे प्रकार की गाथाएं दानपरक गाथाएं हैं । इनमें दान देने की प्रेरणा मिलती है । राजा बलि की गाथा इनमें प्रमुख है ।

धार्मिक और चैती गाथाओं में भिन्नता

धार्मिक गाथाओं और चैती गाथाओं में लक्ष्य, कथानक, देवता अवतरण, वर्ण्य विषय, गायन पद्धति और गायन समय के आधार पर पर्याप्त भिन्नताएं हैं । लक्ष्य के आधार पर विभेद किया जाए तो धार्मिक गाथाएं आयोजित करने के पीछे रुष्ट हुए देवी-देवता विशेष को प्रसन्न करना अथवा किसी मनौती पर देवी-देवता का जागर आयोजित करना लक्ष्य होता है, किंतु चैती गाथाओं का एक सूत्री लक्ष्य होता है-आवजियों द्वारा सवर्णों से डड्वार मांगना । दूसरे शब्दों में जागर गाथाओं का उद्देश्य विशुद्ध रूप से धर्म अथवा भक्ति है तो चैती गाथाओं का अर्थ । इस बात की अभिव्यक्ति गाथाकारों के शब्दों में भी दिखाई देती है । धार्मिक गाथा के समापन पर गाथाकार संबंधित देवी-देवता से अनुरोध करना नहीं भूलता-जस दे माराज अर्थात मेरी झोली यश-सफलता से भर देना । इधर, चैती गाथाओं के आरंभ में संबंधित गैखों की विरुदावली गाने के पश्चात कहना नहीं भूलता-तुमारू मैत हमारू चैत । अर्थात विवाहिताओं की जो अपेक्षाएं मायके से होती हैं, वही अपेक्षाएं हमारी चैत के महीने से होती हैं ।

जागार गाथाओं का कथानक शास्त्रीय अथवा स्थानीय देवी-देवता का व्यक्तित्व-कृतित्व होता है । यह कथानक कई प्रसंगों में विभक्त होता है । नागराजा की गाथा में श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों-श्रीकृष्ण जन्म, गोवर्द्धन पूजा, गेंद खेलना, गोपियों के वस्त्र छिपाना आदि प्रसंगों का जागर गाथाओं के दौरान संगोंपांग प्रस्तुति होती है । श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं के साथ ही उनके 'यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतिभारतः .....' रूप का प्रभावी वर्णन मिलता है । इसके अतिरिक्त उनके कुसुमा कोलिन, सुजू की सुनारी की गाथाओं में उनके लौकिक रूपों और रसिकिता का प्रतिबिंबन है । रुक्मिणी प्रसंग में कन्हैया के मुरली बजाने का सुन्दर वर्णन मिलता है । वे गाय चराते हुए जब मुरली बजाते हैं तो गायें चराना छोड़ देती हैं, पक्षी चहकना बंद कर देते हैं ।

अनुष्ठान और देवता अवतरण की दृष्टि में इन दोनों प्रकार की गाथाओं में प्रमुख भिन्नता है । धार्मिक गाथाओं का आधार धर्म और भक्ति होने के कारण इनमें अनुष्ठान की अनिवार्यता होती है । जागर गाथा आरंभ करने से पहले पवित्रीकरण, धूप-दीप प्रज्ज्वलन, मंत्रोच्चारण, शंक वादन किया जाता है । संबंधित देवी-देवता की विरुदावली कही जाती है, किंतु चैती गाथाएं पूरी तरह अनुष्ठानरहित होती हैं । गाथा के शुभारंभ पर देवी-देवताओं का थोड़ा बहुत नामोच्चारण किया जाता है और संबंधित सवर्णों की विरुदावली गायी जाती है । तत्पश्चात गाथा गायन आरंभ हो जाता है । इसके अतिरिक्त गाथा गायन की अवधि में देवी-देवता अवतरण धार्मिक गाथाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है । यह क्रम एक से अधिक बार चलता है और संपूर्ण अवधि में एक से अधिक देवी-देवता अवतरित होते हैं । जिस स्त्री-पुरुष पर देवी-देवता अवतरित होता है, वह संबंधित देवी-देवता के व्यक्तित्व के वर्णन के अनुसार अभिनयात्मक नृत्य करता है और अंत में आशीर्वाद स्वरूप भक्तों के सिर पर माथम (चावल) रखता है वह इस अवधि में अनुष्ठान आयोजन में हुई त्रुटियों और सफलता पर राय व्यक्त कर अपनी संतुष्टि और असंतुष्टि भी बताता है । इधर, चैती गाथाएं विशुद्ध रूप से अर्थ पक्ष से जुड़ी होने के कारण इनमें देवी-देवता अवतरण नहीं होता है । इसका एक कारण चैती गाथाओं में देवी-देवताओं का वर्णन न होना भी है ।

गायन प्रक्रिया और शैली भी इन दोनों प्रकार की गाथाओं को भिन्न बनाती हैं। धार्मिक गाथाओं के गायन की एक प्रक्रिया घडियाला है । इसमें मुख्य गाथाकार कांस की थाली बजाता है और अन्य दो-तीन लोग उसके स्वरों को विस्तृत करने में सहायता देते हैं । दूसरी प्रक्रिया में ढोल-दमाऊं वादन होता है । इसमें मुख्य गाथाकार ढोल बजाता है और दमाऊं बजाने वाला उसके स्वरों को आगे बढ़ाता है । संबंधित

4012 HA/10—13B

देवी-देवता के व्यक्तित्व अथवा जीवन प्रसंगों के अनुरूप वाद्यों की चाल बदलती रहती है। एक गाथा में अनेक चालें समाहित होती हैं। दूसरी ओर, चैती गाथाओं में मुख्य गाथाकार और सहायक के साथ स्त्रियां भी स्वरों को विस्तृत करने में सहायता करती हैं। इसके गायन की गति धार्मिक गाथाओं की तुलना में धीमी होती हैं और चाल परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। वादन में मात्र ढोल-दमाऊं का प्रयोग होता है, घडियाला का नहीं।

धार्मिक और चैती गाथाओं में समानता

'सत' के महत्व के प्रतिपादन के दृष्टिगत ये गाथाएं समान दृष्टिगोचर होती हैं। दोनों प्रकार की गाथाओं में प्रतीत होता है कि नारी के सत अर्थात् चारित्रिक श्रेष्ठता में मृत को पुनर्जीवित करने की शक्ति निहित है। नायक अपनी मां के सत का स्मरण कर कठिन बाधाओं को दूर कर लेता है। मृत स्त्री का पति अथवा मृत पुरुष की स्त्री अपने सत का स्मरण कर उसे जीवित कर देती है। ब्रह्म कौल की धार्मिक गाथा में जब ब्रह्म कौल श्रीकृष्ण के कहने पर हिमाचल कांठा मोतीमाला को लेने जाता है तो मार्ग पर कठिनाई पर वह अपनी मां विमला के सत का स्मरण करते हुए कहता है कि यदि मेरी मां विमला का सत्य की कसौटी पर खरा हो, मैंने वास्तव में अपनी मां की सहस्रधारी स्तनों से दूध पिया हो तो मेरी रघुकुंठी घोड़ी आकाश में चढ़ जाए और ऐसा ही होता है।

किसी प्रियजन के साथ अनहोनी पर अनिष्ट की आशंका होना गढ़वाली लोकगाथाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। धार्मिक और चैती गाथाएं इस आधार पर समान हैं। नायक की मां-पति हो यह आशंका स्वप्न में होती है। ब्रह्म कौल की गाथा में ब्रह्म कौल के चंद्रागिरि में भूपू नाग द्वारा लपेट लिए जाने पर ब्रह्मी की मां को स्वप्न हो जाता है, उसके स्तनों में पीड़ा होने लगती है। इसी प्रकार जसी की सास पद्मावती द्वारा उसकी हत्या किए जाने पर जसी के पति वीरुवा भंडारी को खराब स्वप्न हो गया। परिणामस्वरूप वह घर लौट आया-

भंडारी तक सुपिनो ह्वै गए बुरो,
लग्दा बग्दी करी वो घर पौछे।

किसी देवी-देवता या ऋषि के वरदान से अभावों का दूर होना भी धार्मिक और चैती गाथाओं में एक समानता है। पांडवों की गाथा (धार्मिक) में कुंती को ऋषि दुर्बासा द्वारा वरदान दिए जाने पर पांच पुत्रों के होने का वर्णन आता है। उसे धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री दर्शाया गया है-

बार बरस तैं करदी रै दुर्बासा की सेवा,
तब रिषि दुर्बासा परसन्न ह्वैन,

कोंती माता तैं पुत्र बरदान दीने।
तेरा पांच पुत्र होला छेतरी माल।

इसी प्रकार चैती गाथाओं में चंद्रावती की गाथा में राजा हरिचंद का पुत्र भी देवताओं के वरदान से होने का वर्णन है-

तब देवतों का वर से रणी को गर्भ रैगे,
दसवां मास राणी तैंवेदना लगी गए,
पुत्र पैदा होई गए देवतों का सत्तन।

उक्त आधार पर यह बात पुष्ट होती है कि गढ़वाली धार्मिक और चैती गाथाओं में कुछ तत्व उन्हें भिन्न बनाते हैं तो कुछ तत्वों के आधार पर इसमें समानता है। अलंकारिक अभिव्यक्ति से परिपूर्ण इन गाथाओं में श्रोताओं को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है। लोक कल्याण के संदेशों से संपृक्त इन दोनों प्रकार की गाथाओं में भारतीय संस्कृति के तत्वों के दर्शन होते हैं। इनमें कला एवं भाव पक्ष दोनों का अद्वितीय संगम प्रभावोत्पादक है। शब्दों का जादुई चमत्कार घटनानुकूल वातावरण की अभिसृष्टि करता है। वीर, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य और रौद्र रसों से संपृक्त गाथाएं 'सत्यमेव जयते' के सिद्धांत को अपनाते हुए 'ब्रह्मसत्यंजगन्मित्या' की बात को पुष्ट करने का प्रयास करती है। भारतीय नारी के आदर्श रूप-गुणों को ध्वनित करती ये गाथाएं धार्मिक आख्यानों की संवाहक हैं। इनमें गढ़वाल के जनजीवन की सुंदर झांकियां समाहित हैं। इनमें जहां आदर्श मां, पत्नी, पिता, पुत्र के कर्तव्यों का भान होता है, वहीं धर्म और सत्य की रक्षा की प्रेरणा भी मिलती है। ■

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

पूर्व रेलवे, महाप्रबंधक (राजभाषा) कार्यालय, 17, एन.एस. रोड, कोलकाता-700001

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 11-06-2010 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री वी.एन. त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुईं । मुराधि एवं मुख्य संरक्षा अधिकारी श्री गुणानन्द झा ने कहा कि समय के साथ-साथ पूर्व रेलवे में राजभाषा का प्रचार एवं प्रसार बढ़ रहा है । विभागीय समीक्षा बैठकों के आयोजन, डेस्क प्रशिक्षण, साहित्यिक तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन आदि के द्वारा राजभाषा का पूरी तरह से कार्यान्वयन रेलवे में किया जा सकता है । अत: इस मामले में तत्परता बरती जाए ।

महाप्रबंधक एवं समिति अध्यक्ष ने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति से ही राजभाषा की प्रगति संभव है तथा हमें मन से ही हिंदी में काम करना चाहिए । अभी भी हमारे पास छोटी-छोटी टिप्पणियां हिंदी में आती है । मेरी इच्छा है कि बड़ी-बड़ी टिप्पणियां भी हिंदी में लिखी एवं भेजी जाए ।

महाप्रबंधक महोदय ने मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे के काम-काज में हिंदी का उत्तरोत्तर इस्तेमाल करना और कराना हमारा प्रशासनिक दायित्व है ।

महाप्रबंधक ने कहा कि पूर्व रेलवे राजभाषा के कार्यान्वयन में शुरू से ही प्रयत्नशील एवं अग्रणी रहा है । यहां के बैठकों में की गई समीक्षा से इसका पता चलता है । भारतीय रेल की पहली नेट पत्रिका "पूर्वोदय" का शुभारंभ पूर्व रेलवे से हुआ । यहां से "प्रतिविम्ब", "रेल रसना", "कारखाना प्रवाह", "कर्मवीर" आदि पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है । यह सत्प्रयास आगे भी जारी रहे ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की कि वे अपने दौरा कार्यक्रम/टी ए बिल/छुट्टी आवेदन हिंदी में ही प्रस्तुत करें । इसके इलावा फाइल कवरों पर विषय भी द्विभाषी हों । यदि कोई दौरा कार्यक्रम/टी ए बिल/छुट्टी आवेदन उनके पास अंग्रेजी में ही प्रस्तुत होता है, तो उसे लौटा दिया जाएगा । इसी प्रकार, केवल अंग्रेजी में लिखी फाइलें भी स्वीकार्य नहीं होगी । उन्होंने आग्रह किया कि सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों/कार्यालयों के हर प्रशासनिक स्तर पर यही प्रक्रिया लागू कराएं ।

आकाशवाणी : विशाखापट्टणम

आकाशवाणी केन्द्र, विशाखापट्टणम में दिनांक 29-04-2010 को अपराह्न 3.30 बजे कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही बैठक अधीक्षण अभियंता महोदय की अध्यक्षता में उन्ही के कक्ष में संपन्न हुई । सचिव ने पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया तथा समिति को लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाही की जानकारी दी । इसके साथ ही पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करनें के पश्चात इस बैठक की कार्यसूची के विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा हुई, सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा-पूरा अनुपालन हो रहा है और इस संदर्भ में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है । इस पर समिति ने हर्ष प्रकट किया और अधीक्षण अभियंता महोदय ने कहा कि इसी तरह आगे भी धारा 3(3) के अंतगर्त जारी किए जाने वाले सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं । राजभाषा नियम-5 के अंतगर्त हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब केवल हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है और पिछली तिमाही के दौरान कार्यालय इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करने में सफल रहा है ।

चित्र समाचार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी जी पुरस्कार प्रदान करते हुए । साथ में हैं माननीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री एम. रामचंद्रन जी ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी जी पुरस्कार प्रदान करते हुए । साथ में हैं माननीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री एम. रामचंद्रन जी तथा सचिव (राजभाषा विभाग, श्री बी.एस. परशीरा जी) ।

हिंदी पखवाड़ा–2010 के अवसर पर बी. एस. एन. एल. मदुरै एस. एस. ए. की वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका "संचार सुरभि" के बारहवें अंक का विमोचन करते हुए श्रीमती एस. ई. राजम, महाप्रबंधक, भा. सं. नि. लि., मदुरै । पत्रिका की पहली प्रति प्राप्त करते हुए श्रीमती अनिता रामदास, उप महाप्रबंधक/एच. आर./भा .सं. नि. लि., मदुरै ।

हिंदी दिवस के आयोजित कार्यक्रम में डॉ. एस. के. माथुर, वैज्ञानिक-डी, केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा भाषण करते हुए । दाएं से श्री ज्ञानेश्वर वांदिले तथा बाएं से श्री रामेश्वर चन्दन बटरे, श्री सेवक कारेमोरे तथा श्री भारत सरकार ।

नराकास (बैंक), चण्डीगढ़ द्वारा आयोजित राजभाषा अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम में नराकास अध्यक्ष एवं पी. एन. बी. के फील्ड महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार गुप्ता । उनके साथ हैं नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस. सी. कौशिक, श्री एच. के. तलरेजा, पी. एन. बी. के सहायक महाप्रबंधक श्री के. एम. गुप्ता तथा नराकास के सचिव श्री शाम लाल मेहता ।

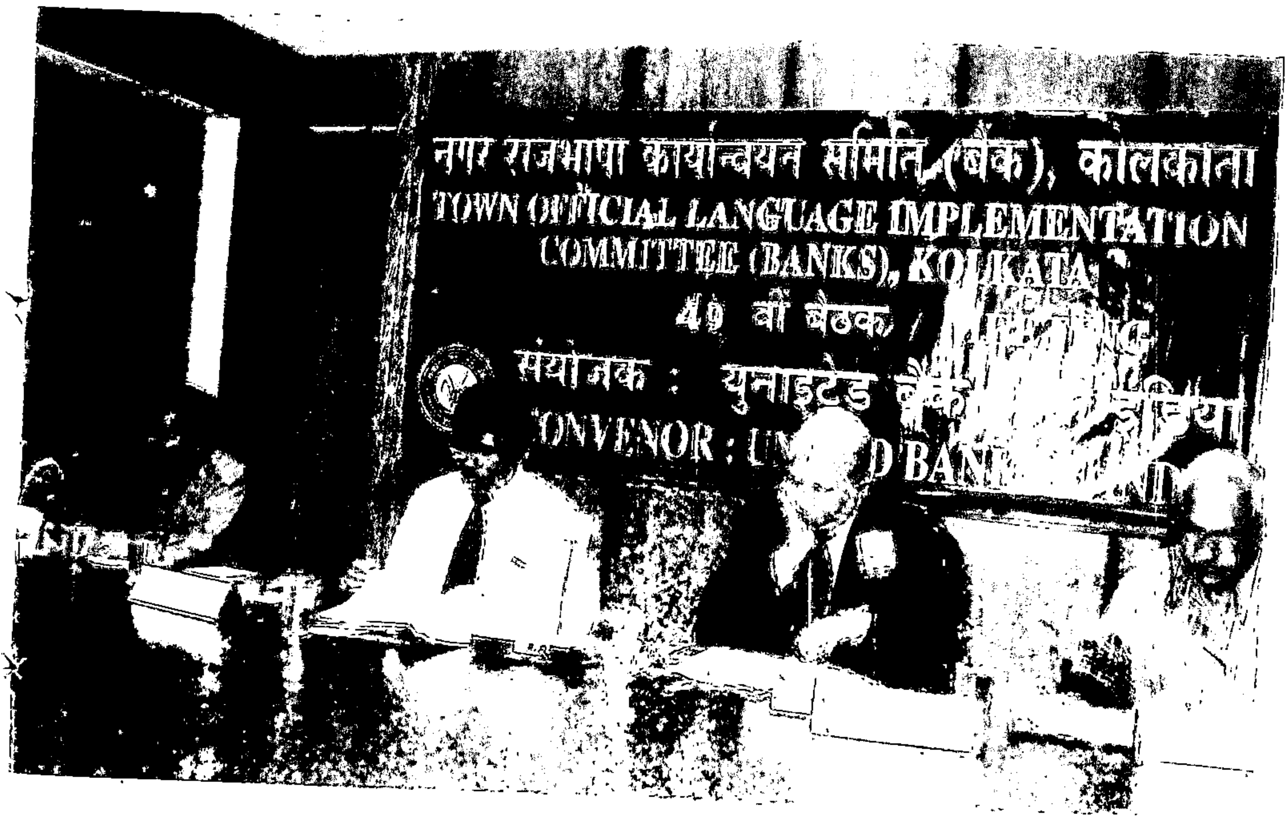

नराकास (बैंक), कोलकाता की बैठक में अधिकारीगण ।

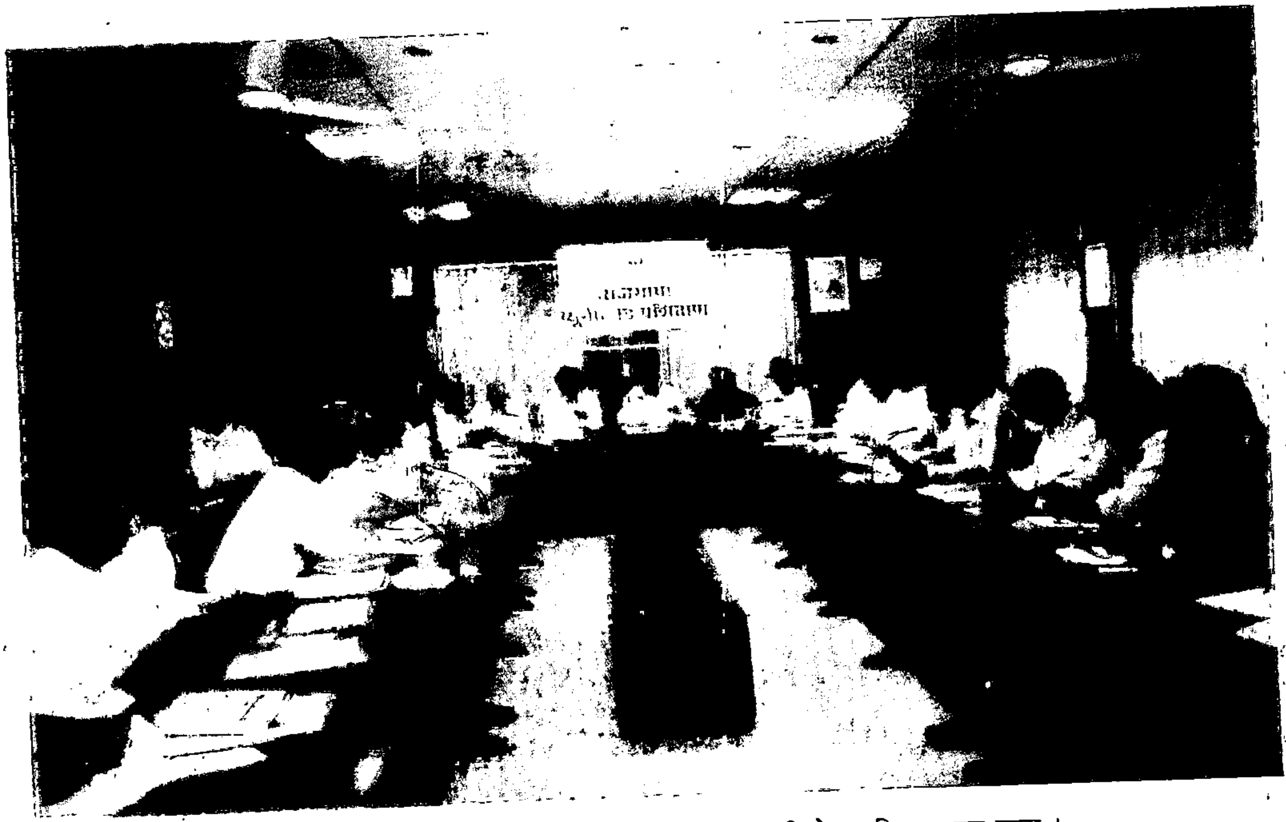

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित राजभाषा यूनीकोड प्रशिक्षण का दृश्य ।

सैंट्रल बैंक, ट्रावनकोर द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यशाला में राजभाषा नीति पर भाषण देते हुए श्री के. रवीन्द्र कुमार, प्रबंधक (रा.भा.) ।

नराकास, बोंगाइगांव की 21वीं बैठक के अवसर पर भाषण देते हुए श्री ए. के. मिश्रा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी ।

नराकास (बैंक) कोच्चि द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यशाला में संबोधित करते हुए नराकास के सचिव श्री एन. कमलाकर राव (बाएं से), श्री वी. आई. माथ्यू, अध्यक्ष व उ.म.प्र. यूनियन बैंक और श्री बाल कृष्ण भट्ट व प्रबंधक (रा.भा.) कार्पोरेशन बैंक ।

आकाशवाणी–जालंधर द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्र निदेशक श्री भाग चन्द पंवार व अन्य अधिकारीगण ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई द्वारा आयोजित राजभाषा हिंदी पखवाड़ा में संबोधित करते हुए एक अधिकारी ।

एन.एच.पी.सी. लि., चम्बा (हि.प्र.) हिंदी दिवस–2010 के अवसर पर "राजभाषा विविध : आयाम" पुस्तिका का विमोचन करते हुए श्री प्रदीप जौहा, महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारीगण ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भंडारा की छमाही बैठक दिनांक 19-05-2010 का सम्पन्न मंच पर बाएं से श्री नरेश कुमार, डॉ. एस. के. माथुर (सदस्य सचिव), श्री एन्थोनी एक्का (अध्यक्ष) एवं श्री एम. डी. गिरेपुंजे ।

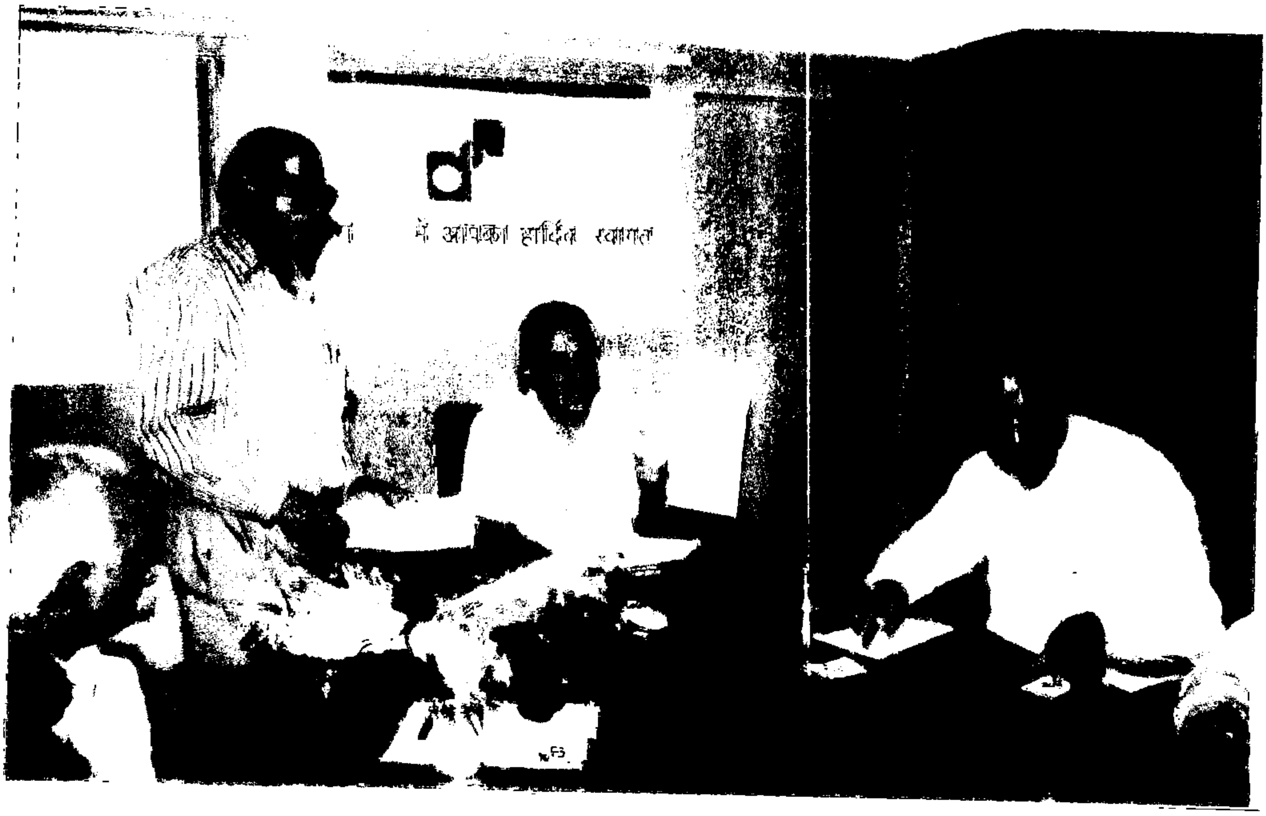

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण लि. में हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर "राजभाषा सार" का विमोचन करते हुए श्री एम. एस. राना, साथ में हैं निदेशक (वित्त) श्री मदन मोहन तथा प्रबंधक (रा.भा.) डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी।

दि. ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि., क्षेत्रीय कार्यालय-1, नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी सभा को संबोधित करते हुए श्री यश वर्धन। साथ में हैं बाएं से श्री सी. एस. टण्डन, उप महाप्रबंधक, सुश्री रीटा सिंह, श्री बी. के. गर्ग, श्री जे. पी. नाहर, क्षेत्रीय प्रबंधक।

आकाशवाणी : कडपा (आं.प्र)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 28-06-2010 को आकाशवाणी, कडपा केंद्र में श्री बी.वी. रमणराव, कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

सदस्य सचिव ने बताया कि कार्यालय में प्रस्तुत सभी कम्प्यूटरों में हिंदी साफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है । ट्रॉन्समीटर के कंप्यूटरों में हिंदी साफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम भी जारी है । इस विषय पर सदस्य श्री वी. आदिनारायण ने यह बताया कि ट्रॉन्समीटर में हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत प्रयोजनकारी हो सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने यह सूचित किया कि धारा 3(3) के अंतगर्त जारी किये कागजात जैसे परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषा में जारी किया जाए । उन्होंने यह बताया कि उपर्युक्त पत्राचारों को जारी करते समय हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी हो सकती है कि वह द्विभाषा में हो । अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि कार्यालय से जारी करने वाले सभी प्रकार के चैक की ज्ञापन द्विभाषा में जारी किया जाए । इस विषय पर हिंदी अनुवादक ने यह बताया कि ज्ञापन को द्विभाषा में तैयार किया गया, प्रस्तुत ज्ञापन किया जा रहा है ।

आकाशवाणी, कोलकाता

केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी से मार्च, 2010 अवधि की तिमाही बैठक दिनांक 25-5-10 को अपराह्न 3.00 बजे उप. महानिदेशक (प्र.) (पू.से.) महोदय के कक्ष में आयोजित की गई । जनवरी से मार्च, 10 के तिमाही के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी कागजातों की कुल संख्या 32 है एवं कलाकारों को भेजी गई संविदाएं, कुल 932 पत्र भेजे गए हैं । ये सभी द्विभाषी रूप में जारी किए गए ।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया एवं कहा कि सभी अनुभाग प्रमुख इस बात पर ध्यान दें कि आगे भी इस प्रकार के सभी कागजात द्विभाषी ही जारी हों । इस पर उपस्थित सदस्यगण ने सहमति व्यक्त की एवं धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होनेवाले कागजात को द्विभाषी ही जारी रखने का भरोसा दिलाया ।

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मानव संसाधन विभाग (राजभाषा अनुभाग), उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2, जम्मू

उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-2, क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू की 36वीं बैठक श्री एस. सी. सिंह, महाप्रबंधक (प्रभारी) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 30 जून, 2010 को 4.00 बजे (अपराह्न) कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई । दिनांक 25 मई, 2010 को पावरग्रिड, चम्बा कार्यालय का संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति के माननीय सदस्यों द्वारा हिंदी संबंधी कार्यों का निरीक्षण एवं विचार-विमर्श किया गया । अखबारों/पत्रिकाओं, पैम्फलेट आदि (प्रिंट मीडिया) के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर में विज्ञापन और प्रचार केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी हो और उस पर खर्च भी समान हो । इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि विज्ञापन हिंदी अखबारों में भी दिए जाएं एवं हिंदी व अंग्रेजी विज्ञापनों में खर्च समान करने के प्रयास करें । हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया कि अप्रैल-जून, 2010 तिमाही में करतारपुर, अबदुल्लापुर, मालेरकोटला, फतेहाबाद, मनीमाजरा (चण्डीगढ़), किशनपुर एवं क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 105 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आर.जी. गडकरी चौक, नासिक-422 002

केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क, नासिक आयुक्तालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रथम बैठक दिनांक 24-06-2010 को अपराह्न 15.00 वजे, श्री इन्द्र प्रकाश लाल, आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई । सर्वप्रथम मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाई की समीक्षा की गई । तत्पश्चात् इस तिमाही के दौरान कार्यालय में हिंदी की प्रगति

कार्यों का अवलोकन किया । समीक्षा के दौरान विदित हुआ कि धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए गए 27 कागजातों को द्विभाषा रूप में जारी करके उक्त धारा का अनुपालन किया गया है । राजभाषा नियम 5 के अन्तर्गत हिंदी में प्राप्त कुल 398 पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया । हिंदी का मूल पत्राचार भी 62 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुआ है । इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मा. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रक्रिया में निरंतर वृद्धी हो रही है । अत: उन्होंने आशा व्यक्त कि हम राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य 90 प्रतिशत को प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए सभी के सम्मिलित सहयोग की आवश्यकता है । कृपया इस दिशा में आवश्यक प्रयास जारी रखें ।

आयकर आयुक्त कार्यालय, आयकर भवन, पटियाला

आयकर आयुक्त, पटियाला प्रभार, की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री जी. सी. नेगी, आयकर आयुक्त, पटियाला की अध्यक्षता में दिनांक 3-06-2010 को सांय 3.30 बजे आयोजित की गई ।

बैठक में 31-3-2010 को समाप्त तिमाही के लिए विभिन्न रेंजों/कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई । यह पाया गया कि रेंज कार्यालयों में हिंदी में पत्राचार बहुत ही कम किया जा रहा है, जबकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 90: है । यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालय हिंदी पत्राचार की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करें । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि विभाग/रेंज से भेजे जाने वाले सूचना-पत्रों/रिपोर्टों/निर्धारण आदेशों/सभी प्रकार के परिपत्रों पर हिंदी का अग्रेषण-पत्र लगाकर पत्राचार की मात्रा को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है ।

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्य गत वर्ष के समान ही हैं । सिर्फ दो-तीन मदों में परिवर्तन किया गया है । यह सूचित किया गया कि निदेशों के अनुसार :-

1. विभाग के सभी कर सहायकों को हिंदी टाइप का प्रशिक्षण दिलाया जाए ।
2. जो अधिकारी डिक्टेशन देते हैं, वे 20 : डिक्टेशन हिंदी में भी दिया करें ।
3. रेंज अधिकारी अपने विभागीय निरीक्षण के साथ-साथ हिंदी में किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया करें तथा अपनी रिपोर्ट में भी वर्णित करें ।
4. प्रभार के 25 : अनुभागों को समस्त कार्य सिर्फ हिंदी में ही करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।
5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से करवाई जाएं ।

कार्यालय आयकर आयुक्त (केंद्रीय), दण्डी स्वामी चौक, लुधियाना 141001

आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, लुधियाना प्रभार की छठी बैठक दिनांक 12-05-2010 को सांय: 4.00 बजे श्रीमती किरण ओबराय वासुदेव; आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई ।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदया द्वारा स्वागत किया गया । तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया की अनुमति से इस बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के अनुसार सदस्य सचिव श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने इस बैठक का संचालन किया ।

आयकर आयुक्त लुधियाना प्रभार की पिछली बैठक दिनांक 04-02-2010 को आयोजित की गई थी । सदस्य सचिव ने बताया कि किसी भी कार्यालय से कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । उपस्थित सदस्यों से पुन: इस संबंध में पूछा गया, किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने पर सर्वसम्मति से पिछले कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । सदस्य सचिव ने बताया कि लुधियाना, जालंधर और चण्डीगढ़ में स्थित आयकर आयुक्त, (केंद्रीय) प्रभार के नियंत्रण अधीन कार्यालयों में कम्पयूटरों पर द्विभाषी साफ्टवेयर लोड करवा दिया गया है । श्रीमती किरण ओबराय वासुदेव आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना ने आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), पंचकूला द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कृत किए जाने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि हमें इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए तथा केंद्रीय प्रभार के नियंत्रण अधीन फरीदाबाद, करनाल, पटियाला

स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाए, इससे राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में काफी सफलता मिलेगी और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी जोकि एक शुभ संकेत है । श्री अमलेन्दु नाथ मिश्र, उप आयकर आयुक्त (केंद्रीय सर्कल-2), लुधियाना ने बैठक में उपस्थित हुए सभी सदस्यों तथा विशेष तौर पर अध्यक्ष महोदया का धन्यवाद किया । उन्होंने अध्यक्ष महोदया को विश्वास दिलाया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी राजभाषा हिंदी को मन, वचन और कर्म से अपनाएंगे ।

कार्यालय आयकर आयुक्त-1, ऋषि नगर, लुधियाना-141001

आयकर आयुक्त-1 कार्यालय, लुधियाना प्रभार की द्वितीय बैठक दिनांक 24-05-2010 को प्रात: 11.30 बजे श्री आर. के. राय, आयकर आयुक्त-1, लुधियाना की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई ।

यह सूचित किया गया कि किसी भी कार्यालय से कोई भी सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । उपस्थित सदस्यों से पिछले कार्यवृत्त के संदर्भ में कोई सुझाव देने या इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति हो, इसके बारे में पुन: पूछा गया । किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी सुझाव या आपत्ति न दिए जाने पर सर्वसम्मति से पिछले कार्यवृत की पुष्टि की गई ।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि अपर आयकर आयुक्त के स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित करवाई जाएं और इन बैठकों के कार्यवृत्त आयकर आयुक्त-1 कार्यालय को तथा मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, लुधियाना को भी भेजे जाएं ।

श्री आर. के. राय, आयकर आयुक्त-1 एवं राजभाषा अधिकारी, लुधियाना ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिचालित वर्ष 2010-11 के लिए निधारित वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प होने का निदेश दिया । उन्होंने राजभाषा के प्रचार एवं विकास के लिए गहरी निष्ठा तथा सच्चे मन से प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया । उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगली बैठक में हम और भी बेहतर आँकड़ों के साथ उपस्थित होंगे ।

कार्यालय : मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर भवन, मक्बूल रोड, अमृतसर-143001

मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 09 जून, 2010 को 11.30 बजे, पूर्वाह्न आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 (राजभाषा अधिकारी) श्री डी. पी. शर्मा की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए जारी "वार्षिक कार्यक्रम" की प्रतियां बैठक के दौरान वितरित की गई तथा कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई । प्रत्यक्ष कर राजभाषा समिति, नई दिल्ली की 72वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियां सदस्य को सौंपी गई तथा बैठक में किए गए निर्णयों के अनुपालन पर चर्चा की गई । 31-03-2010 को समाप्त तिमाही के बारे अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को दूर किए जाने हेतु अनुरोध किया गया । समिति की 15-03-2010 को आयोजित तिमाही बैठक में किये गये निर्णयों की समीक्षा की गई ।

आयकर महानिदेशक (प्रशा.) द्वारा 15-03-2010 को मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर कार्यालय के निरीक्षण की रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को दी गई तथा निरीक्षण रिपोर्ट में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की गई । बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय किए गए :-

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 'ख' क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । समिति को सूचित किया गया कि इस कार्यालय द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31-03-2010 को समाप्त तिमाही में मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर क्षेत्र में हिंदी में लगभग 67 प्रतिशत पत्राचार हुआ है । अध्यक्ष महोदय ने पत्राचार की संख्या बढ़ाए जाने हेतु सभी सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया तथा बाद में की गई चर्चा अनुसार इसे बढ़ावा देने के निदेश दिए ।
2. राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए

जाने हेतु समिति को सूचित किया गया कि अमृतसर क्षेत्र में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है ।

3. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम अनुसार "ख" क्षेत्र में हिंदी नोटिंग का 50 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है । अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि छोटी-छोटी टिप्पणियों का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक हिंदी में नोटिंग की जाए । विशेष रूप से प्रशासन शाखा की सभी फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में ही की जाए ।

वर्ष 2010-11 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मुख्यालय से बाहर स्थित 25 प्रतिशत कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाना चाहिए । समिति को सूचित किया गया कि पिछले वर्ष राजभाषा अधिकारी महोदय/सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा जम्मू तथा श्रीनगर, फिरोजपुर, पठानकोट स्थित आयकर कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जा चुका है । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि इस वर्ष भी इसी प्रकार राजभाषा निरीक्षण का कार्यक्रम बना लिया जाए । राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अमृतसर (जिसके अध्यक्ष मुख्य आयकर आयुक्त महोदय हैं) की प्रतिवर्ष दो बैठकें तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में चार बैठकें की जानी अपेक्षित है । अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक 29 अप्रैल 2010 को आयोजित की जा चुकी है तथा दूसरी बैठक सितम्बर-अक्टूबर में आयोजित किए जाने का विचार है । इसी प्रकार मुख्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । बैठक के दौरान यह सुझाव दिया गया कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 143(1) की सभी सूचना पत्र (Intimation slip) हिंदी में जारी किए जाए तो पत्राचार का 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है । इसका प्रोफार्मा द्विभाषी है । यदि निर्धारण अधिकारी इस पर हिंदी की मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर दे तो इसे हिंदी में जारी माना जाएगा, अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों को अनुदेश दिया कि तदनुसार सूचना पत्र (Intimation slip) हिंदी में जारी किए जाए तथा कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्टों में भी इस बारे में आंकड़े दर्शाए जाएं ।

आयकर महानिदेशक प्रशा. नई दिल्ली द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निदेश दिए-

प्रशासन शाखा में रखे गए रजिस्टरों के शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएं । स्थानांतरण/तैनाती आदेश, वित्तीय मंजूरियां के आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए जाए । राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किए गए जांच बिन्दुओं को प्रभावी बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिए कि प्रत्येक जांच के आगे उसका अनुपालन करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने के बारे पुनः जांच बिन्दु जारी किए जाए ।

बैठक के दौरान यह सुझाव दिया गया कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 80(जी), 12(ए) संबंधी आदेश हिंदी में तैयार कराकर जारी कर दिया जाए तो इससे विभाग तकनीकी कार्य हिंदी में करने को बढ़ावा मिलेगा ।

पिछली बैठक में किए गए निर्णय अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी आयकर आयुक्त (अपील) से अनुरोध करने का निदेश दिया गया कि अपील डिसमिस करने तथा अपील दाखिल करने की मॉफी (condonation of dely) संबंधी आदेश हिंदी में पारित किए जाने की व्यवस्था करें ।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गुजरात सर्किल, अहमदाबाद-1

गुजरात सर्किल कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 30 मार्च, 2010 को शाम 7.00 बजे श्रीमती करूणा पिल्ले, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्किल, अहमदाबाद की अध्यता में संपन्न हुई ।

सर्किल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य श्रीमती मीता मोदी, डाक सहायक (हिंदी अनुभाग) ने अध्यक्ष महोदया सहित सभी अधिकारी महानुभावों का स्वागत किया । गत बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति पर चर्चा हुई और पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई ।

सर्किल कार्यालय के अनुभागों तथा स्थानीय मंडल/यूनिट से प्राप्त हुई तिमाही प्रगति रिपोर्ट 30-09-09 से

31-12-2009 पर आधारित समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत समीक्षात्मक विवरण का अवलोकन करते हुए सभी के साथ चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया ने हिंदी पत्राचार की स्थिति को देखकर गत तिमाही की तुलना में जो भी अनुभाग/युनिट से हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में कमी हुई है इस पर खेद व्यक्त करते हुए सभी को सूचित किया कि हर हाल में हिंदी पत्राचार के हांसिल किए गए प्रतिशत को बनाए रखने कि जिम्मेवारी कार्यालय अध्यक्ष की है और आगामी तिमाही बैठक में उसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी । अध्यक्ष महोदया ने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने में अपना सहयोग देकर उसकी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करें । अध्यक्ष महोदया ने राजभाषा के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की गम्भीरता को बताते हुए सभी कार्यालय अध्यक्ष को कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कार्यालय अध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहें ।

निदेशक डाक सेवा महोदय ने हिंदी पत्राचार के लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी सुझाव देते हुए कहा कि छोटे-छोटे पत्र अनिर्वाय रुप से हिंदी में ही लिखे जाएं और स्मरण पत्र, अग्रेषण पत्र, पावती आदि के हिंदी प्रपत्रों का प्रयोग किया जाए । कार्यालय में अनुभागों के बीच लिखी जाने वाली टिप्पणी हिंदी में ही लिखने की कोशिश की जाए तो हिंदी पत्राचार का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा और निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकेगा ।

आकाशवाणी, कटक

डॉ. सुधा मिश्र, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, कटक की अध्यक्षता में दिनांक 23-04-2010 को पूर्वाह्न 11.30 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक सम्पन्न हुई । दिनांक 11-01-2010 को हुई पिछली तिमाही बैठक के कार्यवृत को सर्वसम्मति से पुष्टि के बाद हुए विचार विमर्श और लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं । जनवरी-मार्च, 2010 तिमाही प्रगति रिर्पाट की समीक्षा की गई । मूल पत्राचार की स्थिति निर्धारित लक्ष्य से पीछे है । मूल पत्राचार को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम अनुसूची एवं अन्य रिपोर्ट आदि की अग्रेषण पत्र द्विभाषी तैयार करके भेजा जाए । केंद्र अभियंता महोदय ने आश्वासन दिया कि अभियांत्रिकी रिपोर्ट आदि के आवरण पत्र भी हिंदी में भेजने की कोशिश की जाएगी । केन्द्र निदेशक महोदया ने हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारगर कदम उठाने के लिए उपस्थित समस्त अधिकारियों से अनुरोध किया ।

चालू तिमाही के दौरान दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन करने के बारे में निर्णय लिया गया ।

हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण की अद्यतन स्थिति के बारे में चर्चा हुई । हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र कटक में न होने के कारण गहन प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को भेजने का निर्णय लिया गया साथ की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सहायता से कटक में अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की संभावनाओं को तलाशने का निर्णय लिया गया ।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उस समिति द्वारा 20 मार्च, 2010 को हुए विचार-विर्मश में दिये गये दिशा निर्देशों पर चर्चा की गयी । केंद्र निदेशक ने उपस्थित समस्त सदस्यों को संसदीय समिति के साथ हुए विचार-विर्मश की जानकारी दी । संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों ने राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में कुछ सुझाव दिए हैं जो हिंदी अधिकारी ने पढ़कर सदस्यों को अवगत कराया । समस्त सुझावों को कार्यान्वित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए उपस्थित सदस्यों से केंद्र निदेशक महोदया ने आग्रह किया । इस संबंध में एक परिपत्र जारी करने के लिए हिंदी अधिकारी को निर्देश दिए गए ।

महाप्रबंधक/राजभाषा पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29-06-2010 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक, श्री रण विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में 31-03-2010 को समाप्त तिमाही अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा की गई ।

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री ईश्वर चंद्र मिश्र ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर राजभाषा में सर्वाधिक कार्य किया जाता है । इसी का सुखद परिणाम है कि हमने विगत 12 वर्षों के पश्चात् पुनः **रेल मंत्री राजभाषा शील्ड** प्राप्त की है । यह आप सबके सहयोग का ही प्रतिफल है । हमारा विश्वास है कि हम य

प्रदर्शन आगे भी बनाए रहेंगे । राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका **'रेल रश्मि'** का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है ।

बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री रण विजय सिंह ने सभी सदस्यों को शुभकामना देते हुए कहा कि आधार वर्ष 2008 के लिए हमें जो राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई है वह 12 साल के बाद प्राप्त हुई है । इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम वर्तमान स्थिति को न केवल बनाए रखें बल्कि इससे बेहतर कार्य करें । वर्ष 2010 व आगे आने वाले वर्षों के लिए हमें अपने प्रदर्शन की अग्रता बनाए रखना है । आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे जारी रखें । विभागों से अनुपालन रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होती है । संपर्क अधिकारी कृपया इस पर ध्यान दें जिससे समय से रिपोर्ट प्राप्त हो सके ।

समिति द्वारा 26-03-10 को संपन्न गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात् वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की ।

कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) क्षेत्रीय रेल, हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 29-30वीं संयुक्त बैठक दि. 16-06-10 को महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर श्री आदित्य प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में मुख्यालय के नए प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई ।

क्षेत्रीय रेल में राजभाषा के संबध में किए गए कार्यकलापों का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि उप महाप्रबंधक/राजभाषा ने धनबाद, समस्तीपुर, सोनपुर मंडल कार्यालयों व रेल भर्ती बोर्ड, पटना की राजभाषा बैठक में भाग लेने के अलावा समस्तीपुर, सोनपुर मंडल कार्यालयों तथा धनबाद स्टेशन व झाझा मेमू शेड स्थित हिंदी पुस्तकालयों का और धनबाद, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर मंडल कार्यालय तथा समस्तीपुर, दरभंगा स्टेशन व झाझा मेमू शेड स्थित कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण भी किया । सोनुपर मंडल कार्यालय में कंप्यूटर कार्यशाला आयोजन में सहयोग किया गया । 24 कंप्यूटरों में 'टूल्स' द्विभाषी यूनिकोर्ड सॉफ्टवेयर लोड करने के अलावा 30 कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की जानकारी दी गई ।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक श्री आदित्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि पूर्व मध्य रेल में मुख्यालय सहित सभी मंडलों व कारखानों में सरकारी कामकाज में हिंदी का अच्छा प्रयोग हो रहा है । अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा भी सराहना की जाती रही है । उन्होंने बताया कि हाल में ही श्री जे. एस. पी. सिंह, मुख्य कार्मिक अधिकारी और मंडल रेल प्रबंधक, सोनपुर के रूप में कार्य कर चुके श्री प्रमोद कुमार जो अब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण/उत्तर हैं, को हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन पर रेल मंत्री राजभाषा पदक प्राप्त हुआ है । इसी तरह दिनांक 29-03-2010 को रेलवे बोर्ड में आयोजित राजभाषा समारोह में इस रेल के 01 अधिकारी और 03 कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हुआ है । इसके अलावा इसी समारोह में दानापुर मंडल के अतंर्गत राजेन्द्र नगर स्टेशन को रेल मंत्री आदर्श स्टेशन राजभाषा शील्ड व नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

महाप्रबंधक श्री मिश्र ने सभी से राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, कंप्यूटरों में भारत सरकार के आई टी मंत्रालय द्वारा निर्मित यूनिकोड द्विभाषी टूल्स सॉफ्टवेयर लोड करने और सरकारी कामकाज स्वयं हिंदी में करके अपने अधीनस्थों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया ।

मुख्य आयकर आयुक्त, रेलवे बोर्ड भवन, शिमला

मुख्य आयकर आयुक्त, शिमला प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 06-07-2010 को सांय 3.30 बजे मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री एल. आर. नय्यर जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

सूचित किया गया कि समिति की पिछली बैठक दिनांक 28-04-2010 को हुई थी जिसके कार्यावृत सभी को प्रेषित कर दिए गए थे । कहीं से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । अत: सर्वसम्मत्ति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

सचिव ने सूचित किया कि दिनांक 07 जून, 2010 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, शिमला का राजभाषा के प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान माननीय संसद सदस्यों द्वारा किए गए मार्ग दर्शन अनुसार राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिशः आदेशों पर उनके हस्ताक्षर भी करवाए जाने अपेक्षित हैं तथा उनसे हिंदी में अधिक से अधिक काम करने हेतु कहा जाए ।

इसी प्रकार जिन पत्रों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं होते अथवा जो केवल सूचनार्थ होते हैं चाहे वो पत्र अंग्रेजी में हों अथवा हिंदी में हों उनकी पावती भेज कर हम इस पर अपनी कार्रवाई दर्ज कर सकते हैं ।

कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की प्रतिशतता बढ़ाई जाए तथा उच्च अधिकारियों को भी कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए ।

सभी कर सहायकों एवं आशुलिपिकों को हिंदी टाईपिंग/आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्रशिक्षण दिलवाया जाए ।

प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कर बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित अंतराल पर की जाए ।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को शिमला प्रभार की 30-06-2010 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के हिंदी पत्राचार से संबधित तुलनात्मक आंकडे उपलब्ध करवाए गए । अध्यक्ष महोदय ने मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय एवं आयकर आयुक्त कार्यालय में हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने हेतु सघन प्रयासों पर बल दिया । उन्होंने निदेश दिए कि राजभाषा के प्रयोग हेतु निर्धारित जांच बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा उपलब्ध करवाई गई मानक प्रोफॉर्मों के हिंदी अनुवाद की सीडी सभी कंप्यूटरों पर लोड करके हिंदी पत्राचार बढ़ाया जाए । वेतन बिल हिंदी में बनाने हेतु ई-सेलरी मेनेजर के प्रयोग में आ रही कठिनाईयों के संबंध में मुख्य आयकर आयुक्त, चण्डीगढ़ को अवगत करवाकर उनको इसके समाधान के संबंध में पत्र लिखा जाए ।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 11-5-2010 को अपरान्ह 4.30 बजे कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री ल.तोच्छोंग, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II, म.प्र., द्वारा की गई ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहायक लेखा अधिकारी हि.क. II ने दिनांक 5-2-2010 को सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाई से समिति को अवगत कराया ।

इस तिमाही के दौरान कार्यालय में 14900 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए । सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए । कार्यालय द्वारा जारी किए गये पत्रों की कुल संख्या 28,798 रही । इस तिमाही में कुल 9,462 टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किये गए कागजातों की संख्या 05 रही ।

बैठक में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्याकंन प्रतिवेदन की जानकारी अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में समझने हेतु एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया । जिसे महालेखाकार महोदय ने स्वीकार किया । कार्यालयीन पत्रिका वीरांगना के 49वें अंक के विमोचन उपरान्त इसमें समाहित सामग्री की समीक्षा की गई । पत्रिका के सम्पादक ने इस अंक के विषय में संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया जिसे सभी ने सराहा ।

कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, होशंगाबाद रोड, भोपाल मुख्यालय

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त भोपाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31-3- 2009 को समाप्त तिमाही की बैठक आयुक्त महोदय श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 9-4-2010 पूर्वाह्न में 12 बजे आयुक्तालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई ।

अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों के समक्ष पिछली तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया, समिति के सदस्यों द्वारा जिसकी पुष्टि की गई ।

शाखा प्रभारियों द्वारा 1-1-2010 से 31-3-2010 तक की प्रस्तुत की गई तिमाही राजभाषा हिंदी प्रगति रिपोर्ट पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया व निर्देश दिए कि आगे भी वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये शाखा प्रभारी एवं प्रभागीय कार्यालय शतप्रतिशत कार्य हिंदी में ही करने की प्राथमिकता प्रदान करें ।

शाखा प्रभारियों द्वारा अपनी-अपनी शाखाओं में अधिक से अधिक सरकारी कामकाज मूल रूप से राजभाषा हिंदी में करने हेतु किए जा रहे प्रयासों से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जिस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त हुए सभी शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए वे अपनी अपनी शाखाओं में वार्षिक लक्ष्य ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक सरकारी कामकाज मूल रूप से राजभाषा हिंदी में करने के लिए अपने अधिनस्थ सहायकों को प्रेरित करें व किए जा रहे कार्यो की नियमित समीक्षा करें । हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठनाईयों का निराकरण करें ।

आयुक्तालय की राजभाषा पत्रिका प्रयास अंक 2010 के प्रकाशन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए राजभाषा हिंदी में प्रकाशित सामग्री की सराहना की व अगले अंकों में आयुक्तालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से अपनी पत्रिका प्रकाशन में अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान करने का अनुरोध किया जिससे आगे के अंक और रोचक व ज्ञानवर्धक हो सकें ।

भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केंद्र : नई दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक : 25-03-10 को अपराह्न 4.00 बजे उप निदेशक (प्रशा.) श्री हीरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

हिंदी अधिकारी ने बताया कि केंद्र के सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजभाषा एकांश की ओर से सतत प्रयास होता रहा है । इस हेतु सभी कंप्यूटरों में हिंदी फॉन्ट डाल दिया गया है । मंत्रालय तथा महानिदेशालय के आदेश के अनुसार केंद्र के सभी कंप्यूटरों में विंकी सॉफ्टवेयर लगा दिया गया था लेकिन हाल में खरीद किए गए कंप्यूटरों तथा भविष्य में क्रय किए जाने वाले कंप्यूटरों में भी द्विभाषी सुविधा उपलब्ध रहना अनिवार्य है । अतएव जिस किसी कंप्यूटर सेट का केंद्र में संस्थापना हुआ है उन सभी में अनिवार्य रूप वे द्विभाषी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ।

हिंदी अधिकारी ने जानकारी दी कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाना है । इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु पुस्तकालय प्रभारी द्वारा सुपुर्द सूची में से हिंदी पुस्तकों का चयन कर राजभाषा एकांश ने इनकी खरीद के लिए प्रस्ताव उपनिदेशक (प्रशा.) के माध्यम से निदेशक महोदय को भेज दिया है ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात को नियमानुसार द्विभाषी रूप में भेजने के प्रयास के तहत राजभाषा एकांश से विभिन्न कागजातों को अनूदित कर संबंधित एकांश भेज दिया जाता है जिससे उन्हें साथ ही साथ द्विभाषी रूप में जारी किया जा सके । कुछ अधिकारी/कर्मचारी मूल रूप से भी हिंदी में ऐसे कागजात तैयार करते हैं ।

हिंदी अधिकारी ने बताया कि फरवरी माह में विभिन्न स्कंधों से भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता में हुई वृद्धि से अच्छे रूझान के संकेत मिल रहे हैं । विभिन्न एकांशों से भेजे गए पत्रों में हिंदी पत्रों की प्रशितता में हुई वृद्धि पर सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की ।

बोकारो स्टील प्लांट के क्रय विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मासिक बैठक आज दिनांक 12-05-2010 को 11.30 बजे दिन में अधिशासी निदेशक (सामग्री प्रबंधन) के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता श्री एस एन मुखर्जी, अधिशासी निदेशक (सामग्री प्रबंधन) ने की ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री शम्भु शरण सिंह, कनीय अधिकारी ने बोकारो स्टील प्लांट में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा विभागीय हिंदी बैठक के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला । श्री सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि राजभाषा कार्यान्वयन के शत-प्रतिशत हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के

लिए उच्चाधिकारियों की ओर से पहल अनिवार्य है । इसलिए डायरी डिस्पैच हिंदी में करना, उपस्थिति पंजिका पर हिंदी में हस्ताक्षर करना, आवरण पत्र हिंदी में भेजा जाना तथा हिंदी पत्रों का जबाब हिंदी में दिया जाना अपेक्षित है । साथ की हिंदी में किए गए कार्यों का अभिलेख रखना तथा हिंदी में प्रशिक्षित टंकक एवं आशुलिपिकों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है । बैठक में द्विभाषी पी सी की बोर्ड उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई ताकि उच्चाधिकारी सुगमतापूर्वक हिंदी में काम कर सकें । व्यापक विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थिति पंजी में हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे ।
2. डायरी-डिस्पैच हिंदी में सुनिश्चित किया जाए ।
3. सामग्री प्रबंधन प्रभाग की पत्रिका 'परिवर्तन' का प्रकाशन जून में किया जाए ।
4. हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए ।
5. कवरिंग लैटर हिंदी में लिखा जाए ।
6. दौरा अनुमोदन एवं दौरा भत्ता का बिल हिंदी में भरा जाए ।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री मुखर्जी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप कार्य करने तथा सभी अधिकारियों एंव कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन में योगदान करने की अपील की तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया । बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री एस एस नारायणन, महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) ने सरल एवं सुबोध हिंदी का प्रयोग करने का सुझाव दिया । बैठक में मुख्य रूप से श्री एच भट्टाचार्य, महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन), श्री पी के झा., उप महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन), श्री जी वर्मा उप महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन), श्री एफ आर आजमी, सहायक महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन), एवं श्री के एस एस कन्हैया, सहायक महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन), उपस्थित थे । अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

तृश्शूर

तृश्शूर न रा का स के सदस्य कार्यालयों के अध्यक्षों के लिए 10-5-10 के 3.00 बजे अपराहन् समिति के तत्वावधान में अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में समिति के सदस्य कार्यालयाध्यक्षों में जागरुकता उद्दीप्त कराने, एवं तद्नंतर समिति के तत्वाधानों आयोजित सभी कार्यक्रमों में प्रतिभागिता में अभिवृद्धि लाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

अपने संबोधन में, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, को चीन के उपनिदेशक (का) डॉ. बालकृष्णन् ने निम्नांकित विंदुओं पर जोर दिया -.

सदस्य कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा भविष्य की नराकास की बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य है ।

हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करना केवल हिंदी अधिकारी हिंदी अनुवादक का कार्य नहीं है, संबंधी सर्वकार्यभारी दायित्व कार्यालयाध्यक्ष का है । राजभाषा उन्हें इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे के कार्यान्वयन में हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुवादक सहायक होगें ।

यदि किसी भी पत्र का हस्ताक्षर हिंदी में किया गया हो, तो उसे हिंदी में प्रेषित पत्र माना जाए यद्यपि पत्र की संपूर्ण विषयवस्तु अंग्रेजी में हो ।

सभी रवड़ की मोहरें/साइनबोर्ड/नाम पट्ट, आदि द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में प्रयुक्त किए जाएं ।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि अनुक हिंदी भाषी गुरूवायूर जैसे तृश्शूर के निकटस्थ सुप्रसिद्ध मंदिरों में भगवद्-दर्शन के लिए अक्सर आते है, अत: मार्गदर्शन हेतु तृश्शूर न रा का स के तत्वावधान में मार्गदर्शी अनुभाग का सृजन किया जा सकता है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वर्ष 2010-11 के दौरान तृश्शूर नराकास के तत्वावधान में

संपन्न होने वाले समस्त कार्यक्रमों का कलैंडर, तैयार कर सभी सदस्यों के सूचनार्थ तृश्शूर नराकास के वेबसाइट tolicthrissur@gmail.com में जोड़ दिया जाए । तथापि, यह निर्णय लिया गया कि इस मामले की व्यवहार्यता पर 26-5-10 को संपन्न होने वाली तृश्शूर नराकास के बैठक में चर्चा कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए ।

उपनिदेशक (का) डॉ. बालकृष्णन ने जोर दिया कि नराकास को अद्र्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं तिमाही रिपोर्टों को सदस्य अपने मुख्यालय को भिजवाएं । उपनिदेशक (का) का अभिप्राय था कि संबंधित रिपोर्टों के नियमिततः प्रस्तुतीकरण से नराकास की समेकित रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होगी ।

कोलकाता बैंक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की 49 वीं बैठक दिनांक 26-5-2010 को मर्चेन्ट चेंबर ऑफ कामर्स के सम्मेलन कक्ष, 15 बी, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता संयोजक बैंक युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री एस. एल. बंसल ने की । बैठक में संयोजक बैंक के महाप्रबंधक (संसाधन प्रबंधन एवं योजना) श्री आर. के. महांति के साथ ही सदस्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के उच्च कार्यपालक एवं राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे ।

बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के स्थानीय प्रतिनिधि आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित होकर बैठक को संबोधित किए तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता को उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, द्वारा शिलांग (मेघालय) में दिनांक 4 एवं 5 फरवरी, 2010 को आयोजित पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन में माननीय केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री के करकमलों से द्वितीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड प्राप्त होने पर समिति को बधाई दी ।

नराकास के सदस्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की समीक्षा की गई । समिति के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता (2008-09) के विजेता सदस्य कार्यालयों को समिति के अध्यक्ष द्वारा शील्ड, कप एवं श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर समिति द्वारा प्रकाशित सदस्यों के लिए नई टेलीफोन निर्देशिका का विमोचन किया गया एवं सदस्यों के बीच संवितरित किया गया ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में संयोजक बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री बंसल ने कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में काम करना गर्व का विषय समझा जाना चाहिए । उन्होंने नराकास (बैंक) कोलकाता द्वारा किए जा रहे प्रशंसनीय कार्यों के लिए सराहना की तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों का दायरा और बढ़ाने की सलाह दी ।

हैदराबाद (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद-सिकंदराबाद की 31 वी अर्ध वार्षिक बैठक पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिकंदराबाद के प्रायोजकत्व में दिनांक 30 अप्रैल, 2010 को 11.00 बजे फारच्यून सेलेक्ट मनोहर होटल के क्रिस्टल पालेस-बी सम्मेलन कक्ष, बेगमपेट, हैदराबाद में संपन्न हुई । कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदना से हुआ । पॉवर ग्रिड कारपोरेशन के उप महाप्रबंधक (क्षेयो व सूप्रौ) श्री प्रभात दांतरे ने सभी आंमत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत किया । पॉवर ग्रिड कारपोरेशन की गतिविधियों के बारे में श्री दांतरे, उमप्र ने पॉवर पाइन्ट प्रस्तुतीकरण किया । श्री एन. नागेश्वर राव, वरि. प्रबंधक (राजभाषा), ईसीआईएल एवं सदस्य-सचिव ने 30वीं अर्ध वार्षिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । श्री होमनिधि शर्मा, प्रबंधक (राभा), बी डी एल ने नराकास की गतिविधियों पर पॉवर पाइन्ट प्रस्तुतीकरण किया । समिति की पत्रिका ''पथिक'' (अंक-7) का विमोचन किया गया तथा कवियो/लेखकों को मानदेय वितरित किया गया । श्री विजय कुमार, सहा. महाप्रबंधक (राभा) एन एम डी सी एवं संपादक ने पत्रिका के बारे में अपने विचार रखे । अध्ययन दल की तरफ से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । श्री विश्वनाथ झा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), बेंगलूर ने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की । मंचासीन महानुभावों ने सभा को संबोधित किया । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बी.एस. परशीरा, सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ने

समिति की विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा की और राजभाषा के कार्यान्वयन में आगे बढ़ने की सलाह दी ।

कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय मेजर जनरल रवि खेतरपाल, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, बी.डी.एल ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर जोर डालते हुए सभी सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया कि समिति को कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकि की सहायता से एक आदर्श समिति के रूप में बदलने हेतु सहयोग करें ।

अंत में श्री के.एस.पी. राव, मुख्य प्रबंधक (राभा) पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया ।

बोंगाइगाँव रिफाइनरी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बोंगाइगाँव की 21वीं बैठक समिति के अध्यक्ष श्री ए. सरन, कार्यकारी निदेशक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बोंगाइगाँव रिफाइनरी की अध्यक्षता में दिनांक 24 जून, 2010 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बोंगाइगाँव के अध्यक्ष श्री ए. सरन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति को पूरा करने के लिए सभी कार्यालय कार्य कर रहे हैं । कार्यालयों ने समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को पूरा कर रहे है, उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 2008-09 के दौरान भारत सरकार ने हमारी राजभाषा कार्यान्वयन समिति को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के क्षेत्र में तीसरी सर्वोत्तम समिति घोषित कर शील्ड और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया है । इसके लिए उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि आप सब के सहयोग और गृह मंत्रालय के मार्ग-निर्देशन से हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सर्वोत्तम समितियों में अपना स्थान बनाए रखेगी ।

अध्यक्ष श्री सरन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी कार्यालयों ने प्रयास किए है; किन्तु अभी और अधिक प्रयास किए जाने हैं, ताकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए रखे गए लक्ष्यों को हम समय पर पूरा कर सके ।

अध्यक्ष श्री सरन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि समिति के प्रयासों से सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए जागरूकता आई है और इस दिशा में फलदायक परिणाम देखने को मिले हैं । आशा है कि भविष्य में हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे ।

बैठक में कार्यालयों की प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई । सदस्यों ने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया तथा कार्यालयों में अनुभव की जा रही कठिनाईयों पर विचार-विमर्श किया गया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव डा. यज्ञव्रत ने बैठक का संचालन किया । अंत में सचिव ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी सदस्य कार्यालयों के सहयोग की सराहना करते हुए भविष्य में निरन्तर सहयोग बनाए रखने की कामना की ।

चेन्नई

दि. 01-7-10 को श्री दीपक कृष्णा, महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय)/चेन्नई की 40 वीं बैठक का आयोजन और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय)/चेन्नई के गठन के 25 साल के पूरा करने के उपलक्ष्य मे रजत जयंती समारोह के उद्‌घाटन के साथ संपन्न हुआ ।

बैठक की शुरुआत के पहले Petroleum Conservation and Reasearch Association द्वारा अपने कार्यालय के गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के संबध में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सराहा ।

प्रार्थना गीत के साथ बैठक एवं समारोह शुरू हुआ, जिसके तुरंत बाद केंद्रीय विद्यालय, IIT Madras के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय एकता की गीत प्रस्तुत की गई ।

तद्नंतर डॉ. प्रो. रमा शंकर वर्मा, IIT Madras ने उपस्थित सभी सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अपने संस्थान के मुख्य कार्यकलापों के बारे में पावर पांइट प्रस्तुति की । उन्होंने IIT Madras की प्राचीनता, विशिष्ठता एवं गरिमा पर ध्यान आकर्षित

करते हुए राजभाषा की बैठक ऐसे परिसर में करने का अपना संतोष व्यक्त किया ।

इसके बाद National Institute for Ocean Technology, Steel Authority of India, Electronic Corporation of India Ltd., Madras Atomic Power Station/Kalpakkam आदि कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा वैज्ञानिक एवं अपने कार्यालय की गतिविधियों पर पावर पाइंट प्रस्तुति भी अद्भुत ढंग से की गई ।

तत्पश्चात श्रीमती राधा रामकृष्णन, सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय)/चेन्नई ने अपनी रपट प्रस्तुत की । उन्होंने जानकारी दी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन 1985 में किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री शिवसुब्रहाण्यम, मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर आयुक्त कार्यालय थे तथा सदस्य सचिव श्री ए.सी. चंद्रा थे । सदस्य कार्यालयों की संख्या तब 110 थी । सन् 1992 में मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय से दक्षिण रेलवे को अंतरित इस समिति में फिलहाल 172 सदस्य कार्यालय हैं जो समिति की सारी गतिविधियों पर भरपूर सहायता करते आ रहे हैं । उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों की समिति की इस सफलता के लिए साधुवाद प्रकट करते हुए अनुरोध किया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जैसे महत्वपूर्ण बैठकों में विभागाध्यक्ष स्वंय उपस्थित रहें और अर्धवार्षिक रपटें समय पर भेजें।

बैठक में उपस्थित डॉ. वी. बालकृष्णन, उप निदेशक/कार्यान्वयन, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चिन ने कहा कि छमाही रपटों की संख्या में अवश्य वृद्धि करें तथा उन्होंने जिन कार्यालयों में विशिष्ट मदों पर कमी हुई है उन कार्यालयों का ध्यान आकर्षित किया ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारी देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है । इसके विकास के साथ ही देश का विकास संभव है, उन्होंने आगे कहा कि भारतीय भाषाओं की विरासत मजबूत है और हमें राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार कार्य क्षेत्रीय भाषा को साथ में लेकर करना चाहिए और अत: मैं चाहूंगा कि संविधान में उल्लिखित उपबंधों का पूर्णत: ध्यान में लेते हुए हिंदी को और आगे लेकर जाना है ताकि राजभाषा की इज्जत हमेशा हो ।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत पावर पाइंट प्रदर्शन रोचक होने के साथ -साथ ज्ञानवर्धक रहा । उन्होंने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को सम्मान करने के साथ, चेन्नई शहर में तकनीकी हिंदी विषय में प्रकाशित किताबों के लेखकों को भी सम्मानित किया ।

श्री मानसिंह, मुख्य राजभाषा अधिकारी, दक्षिण रेलवे ने कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा हिंदी एक सरल और वैज्ञानिक भाषा है ।

श्री जोशी, राजभाषा प्रबंधक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियां ने धन्यवाद समर्पित किया ।

भंडारा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा (राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार) की छ माही बैठक का आयोजन श्री एलबर्ट एक्का, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा एवं महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि. की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में दिनांक 19-5-2010 को किया गया जिसमें भंडारा स्थित केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों एवं उपक्रमों के कार्यालय प्रधानों ने भाग लिया ।

श्री एलबर्ट एक्का, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा एवं डॉ एस.के.माथुर सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा की । डॉ एस.के.माथुर ने राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कार्यालयों के कंप्यूटरों में ''युनिकोड एन कोडिंग'' सुविधा लागू करने पर जोर दिया । उन्होंने इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा कर प्रकाश डाला । बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सदस्य कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रीय/प्रमुख कार्यालय से इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने -अपने कार्यालयों के कंप्यूटरों में युनिकोड एन कोडिंग साफ्टवेअर की सस्थापना करना सुनिश्चित करें एवं संस्थापित कर सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा को सूचित करे । इससे किसी भी फोन्ट में काम करने अथवा डाउन लोड करने की सहायता मिलेगी । बैठक में उपस्थित कार्यालयों के प्रधानों ने अपने -अपने कार्यालयों में मार्च 2010 तक राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित किये गए आंकडों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा को भेजी जाए ताकि समेकित आंकड़े राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को समय पर भेजा सके । अच्छे कार्य करने वाले कार्यालयों को

अध्यक्ष महोदय ने यथास्थिति बनाये रखने का सुझाव दिया गया जबकि अन्य कार्यालयों को लक्ष्य प्राप्ति कि लिए जोर दिया गया ।

भिलाई-दुर्ग

भिलाई-दुर्ग की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की 30वीं छ:माही बैठक 31 मई, 2010 को पूर्वाह्न 11.30 बजे प्रबंध निदेशक सभागार, भिलाई इस्पात संयंत्र में सम्पन्न हुई । बैठक में भारत सरकार,गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत सभी सदस्य संस्थानों में राजभाषा हिंदी में हो रहे कामकाज की समीक्षा की गई । इस अवसर पर सभी सदस्य-संस्थानों को **'कबीर वाणी'** किताब भेंट की गई ।

इस अवसर पर श्री पवन कुमार अग्रवाल नेक अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है । मुझे इस बात की पीड़ा है कि हिंदी में काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए आज भी हमें बैठकें करनी पड़ती हैं और प्रेरणा के लिये पुरस्कार देने होते हैं । हमें प्रावधानों व नियमों से ऊपर उठकर व्यावहारिक तौर-तरीकों से हिंदीमय वातावरण बनाना होगा । सिर्फ ऑकड़ों के जाल में उलझने से हिंदी का हित नही होगा । भाषा के संदर्भ में हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी । उन्होंने कहा कि अपने दीर्घ प्रबंधकीय अनुभव के आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हिंदी में काम करना आसान है, हिंदी में काम करवाना आसान है । जिस प्रकार लगन से काम करके हमने अन्य क्षेत्रों में भिलाई और दुर्ग की राष्ट्रीय पहचान कायम की है, ठीक उसी लगन से हिंदी के क्षेत्र में भी हमें प्रयास करने होंगे । उन्होंने पुरस्कृत संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी संस्थान हिंदी में काम करने का ऐसा उदाहरण बनें जिससे कि नराकास भिलाई-दुर्ग की राष्ट्रीय छवि बन सकें ।

प्रारम्भ में सर्व-आमंत्रितों का स्वागत करते हुए श्री दिलीप नन्नौरे, उप महाप्रबंधक (संपर्क व प्रशासन) एवं सचिव, नराकास ने सदस्य संस्थानों से और अधिक सक्रियता के साथ सहयोग का अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि सत्ता और जनता की भाषा का एक होना सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य आवश्यकता है और हिंदी ही ऐसी एकमात्र विकल्प-भाषा है जो देश को एकता और प्रगति के पथ पर अधिक गति से ले जा सकती है ।

बैठक का संचालन करते हुए श्री अशोक सिंघई, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं सहसचिव नराकास ने विगत छ:माही अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक सम्पादित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

मण्डी

मण्डी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 24-5- 2010 को सांय 3.30 बजे विस्को रिजॉर्ट्स मण्डी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री बी. एस. परशीरा सचिव राजभाषा गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली ने की ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया के लगभग 20 कार्यालयों से छमाही रिपोर्ट प्राप्त हुई है । अधिकतर कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थित अच्छी है । भारतीय जीवन बीमा निगम, पंजाब नेशनल बैंक, आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं क्षेत्रीय हिमाचल ग्रामीण बैंक में लगभग 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में हो रहा है । 90 प्रतिशत से अधिक हिंदी पत्राचार करने वाले कार्यालयों में क्षेत्रीय रोजगार कार्यान्वयन कार्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा तथा भारतीय खाद्य निगम प्रमुख है । लेकिन 1-2 कार्यालयों में पत्राचार निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है । अत: निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उक्त कार्यालयों द्वारा सघन प्रयास किए जाने आवश्यक हैं ।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से आए हुए श्री जसवंत सिंह सहायक निदेशक (रा.भा.) ने अपने संबोधन में कहा कि आज की बैठक ऐतिहासिक है चूंकि गृह मंत्रालय से सचिव राजभाषा विशेष रूप से इस बैठक में पधारे हैं । यह हमारे लिए गौरव की बात है । उन्होंने अनुरोध किया कि संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यालय प्रमुख स्वंय बैठकों में उपस्थित रहें । वर्ष में नगर स्तर पर समारोह का एक बार आयोजन किया जाए । जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है वे अपने कार्यालयों को 10 (4) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करवाने हेतु अपने नियंत्रक कार्यालय को पत्र लिखें । राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अनुपालन का दायित्व कार्यालय प्रमुख का है । अत: कार्यालय प्रमुख इस और पूर्णतया सचेत रहें ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए संविधान में विस्तृत व्यवस्था की गई है । संविधान में नियम, अधिनियम बनाए गए हैं । संसदीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है ।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है परंतु 60 वर्षों के लंबे अंतराल में स्थिति संतोषज़नक नहीं है । हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है । हिंदी का विकास हो रहा है। भारत आर्थिक शक्ति बनाने के साथ -साथ हिंदी का प्रचार-प्रसार भी बढ़ रहा है । विश्व भर के 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ानें की व्यवस्था है । लोकतंत्र में रह कर जनमानस की भाषा का प्रयोग ना होना दु:खद है। इस हेतु प्रयास हो रहे हैं । केवल गति लाने की आवश्यकता है । मुझे खुशी है कि आज की बैठक में मंडी नराकास के लगभग सभी सदस्य उपस्थित हैं और मैं उम्मीद लेकर जा रहा हूँ कि समिति की गतिविधियों में विविधता आएगी एवम् यह समिति पूरे देश में स्थित समितियों के साथ एक विकासशील समिति का स्थान प्राप्त करेगी ।

(ग) कार्यशालाएं

दूरदर्शन केंद्र-हैदराबाद

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में दिनांक 21 जून, 2010 तथा 22 जून, 2010 को मध्यान्ह 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का शुभारम्भ दिनांक 21 जून, 2010 को मध्यान्ह 3.00 बजे किया गया इसके वक्ता श्री कमालोद्दिन, प्राध्यापक हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद थे । कार्यशाला में प्रशासन, लेखा अभियांत्रिकी, कार्यक्रम अनुभागों से 20 कर्मचारियों ने भाग लिया । इन दो दिनों में वक्ता ने सबसे पहले "श" "ष" "स" का प्रयोग स्त्री लिंग, पुलिंग आदि के प्रयोग तथा का कि की के प्रयोग के बारे में समझाया । दूसरे दिन वक्ता ने कर्मचारियों को कार्यालय में दैनिक प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी शब्दों के लिपियान्तर का कुछ शब्दों के अभ्यास भी करवाया ।

भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में दिनांक 16-17 जून, 2010, को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में भारी पानी संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ नराकास सदस्य कार्यालयों से भी नामांकन प्राप्त किए गए जिसमें नमक विभाग, आकाशवाणी, दक्षिण रेलवे, ऑफ शोर प्लेटफार्म एण्ड मरिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेन्टर, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड इत्यादि कार्यालयों के प्रतिभागी उपस्थित थे ।

कार्यशाला का उद्‌घाटन भारी पानी संयंत्र के विशेष कार्याधिकारी श्री एस. परमसिवम ने किया । इस अवसर पर तकनीकी सेवाएं प्रबंधक एवं अध्यक्ष राभाकास श्री आई. सेनगुप्ता, प्रशासन अधिकारी श्री एस.एम.सिरोंमणि भी उपस्थित थे । उद्‌घाटन के अवसर पर श्री सेनगुप्ता ने बताया कि हम हरेक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन करते हैं और इन कार्यशालाओं से कार्मिकों को काफी ज्ञान मिलता है । उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कार्यालय में लगभग तीन सौ कार्मिक हैं लेकिन उन में से कुल पांच कार्मिक ही हिंदी में काम करते हैं । कुल कार्मिकों के मुकाबले हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है । उन्होंने कहा कि कार्मिकों को हिंदी कार्यशाला का लाभ उठाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए । आशा है भविष्य में ये पांच का आंकड़ा पचास में बदल जाएगा और यह तब ही मुमकिन है जब लोगों में सीखने की इच्छा जागरूक होगी । उन्होंने कहा कि भविष्य में हम अवश्य सफल होंगे । विशेष कार्याधिकारी श्री परमसिवम ने अपने उद्‌घाटन भाषण में कहा की पिछले कार्यशालाओं के मुकाबले इस कार्यशाला में कार्मिकों कि संख्या बढ़ी है । जो बहुत ही खुशी कि बात है । उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई संख्या लोगों का हिंदी के प्रति रुचि को दर्शाता है हिंदी कार्यशालाओं में प्राप्त प्रशिक्षण का इस्तेमाल वे अपने कामकाज में व्यावहारिक रूप में कर सकते हैं और हिंदी का प्रयोग करने से हमारी मानसिक झिझक दूर होगी तथा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

कार्यशाला में कुल 25 प्रतिभागी थे । कार्यशाला में हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन कार्यालय में प्रयुक्त शब्दों की जानकारी, हिंदी अनुवाद, विकिरण के साथ-साथ कुछ प्रशासनिक विषयों, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, सुरक्षा जागरूकता आदि विषय पर भी व्याख्यान दिए गए । व्याख्याता श्री एस.सिरोंमणि, प्रशासन अधिकारी, श्री मोहमद सुल्तान,

सहायक सुरक्षा अधिकारी, श्री वी. अरुणाचलम, जन संपर्क सहायक, श्रीमती श्यामलता, हिंदी अनुवादक, श्रीमती जी. भाग्यवती, प्रवर श्रेणी लिपिक थे। दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का संचालन एवं धन्यवाद प्रस्ताव श्रीमती श्यामलता, हिंदी अनुवादक ने किया।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोच्चि

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, एम. जी. रोड, एरणाकुलम- 682035

दि. 23 अक्तूबर, 09 को हमारी समिति की 42 वी छमाही बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दि. 09 फरवरी, 2010 को अधिकारियों और दि. 10.02.2010 को लिपिकों के लिए एक-एक दिवसीय हिंदी कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

अधिकारियों की कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता यूनियन बैंक के उप महा प्रबंधक श्री वी अई माथ्यू ने की, उन्होंने अपने संबोधन में हिंदी के प्रति स्वीकृत भावना जागृत करने की अपील की है और इस कार्यशाला में 18 बैंकों से 23 अधिकारी उत्साहपूर्वक भाग लिए हैं।

कार्यशाला के दौरान राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम, छमाही प्रगति रिपोर्टों का संकलन, हिंदी पत्राचार वाक्यांश, बैंकों में प्रयुक्त विभिन्न हिंदी सॉफ्ट वेयरों की जानकारी और आंतरिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना, अन्य उपयोगी एवं सामयिक विषयों पर जानकारी/सामग्री दी गई।

दि. 10-2-2010 को लिपिकों के लिए आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री वी. अई माथ्यू ने की और उन्होंने अपने संबोधन में अधिक से अधिक आतंरिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की अपील की।

कार्यशाला के दौरान राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम, बैंको में प्रयुक्त विभिन्न हिंदी सॉफ्ट वेयरों की जानकारी और आतंरिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना, वाउचरों/विवरणों/रजिस्टरों में प्रविष्टियां, देवनागरी अंकों की वर्तनी, अन्य उपयोगी एवं सामयिक विषयों पर जानकारी/सामग्री दी गई।

दि. 18-2-2010 को वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित अर्धदिवसीय राजभाषा संगोष्ठी की अध्यक्षता श्री कुरियन एब्राहम, उप महा प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक ने की और उन्होंने अपने संबोधन में "यथा राजा तथा प्रजा" मुहावरें के अनुसार जब तक कार्यपालक अपने दैनंदिन कार्य में हिंदी का प्रयोग नहीं अपनाएंगे, तब तक अधिकारी/लिपिक वर्ग उनका अनुकरण करने की कोशिश नही करेंगे। अतः हिंदी को लोकप्रिय बनाने की अपील की।

तदुपरांत मुख्य वक्ता के रूप में पधारे श्री पी विजय कुमार, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कार्यपालकों की जिम्मेदारी पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रतिभागियों से विचारों का आदान-प्रदान किया है।

अंतिम सत्र के रूप में 13 बैंकों से उपस्थित व कार्यपालकों से बारी-बारी से राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछते हुए उनके निवारण उपायों से अवगत कराया गया है।

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी जालंधर

कार्यशाला के पहले सत्र का आरंभ करते हुए श्री थपलियाल ने सभी सदस्यों से विधिवत परिचय लिया तथा संवैधानिक प्रावधान और राजभाषा क्रियान्वयन विषय पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दूसरे सत्र में श्री थपलियाल द्वारा कार्यालयीन हिंदी और वर्तनी की अशुद्धियां विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया। उन द्वारा दिए व्याख्यानों को उपस्थित सदस्यों ने ध्यानपूवर्क सुना व अपनी समस्याओं का समाधान भी कराया। कार्यशाला सत्र के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। इस प्रतियोगिता में श्री वीर सेन मलिक, कार्यक्रम निष्पादक, श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्र.श्रे. लिपिक व श्री अनिल सोनी, अ. श्रे. लिपिक ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये पुरस्कार हिंदी दिवस के अवसर पर देने का निर्णय केंद्र निदेशक महोदय ने दिया। इस प्रतियोगिता में सोलह प्रतियोगियों ने भाग लिया।

अपने अभिभाषण में केंद्र निदेशक महोदय श्री भाग चंद पंवार ने कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने का आह्वान किया । केंद्र के अधीक्षण अभियंता श्री युवराज बजाज ने राजभाषा की महत्ता पर बल दिया व सभी को हिंदी में काम करने हेतु प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर उच्च शक्ति प्रेषित्र गोराया से उपस्थित केंद्र अभियंता श्री ऋषि कपूर ने पूरे दोनों सत्रों में स्वयं उपस्थित रह कर व्याख्यान को तन्मयता से सुनते हुए कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया ।

आकाशवाणी पणजी

आकाशवाणी पणजी में 4 मई 2010 को त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए केंद्र निदेशक श्री बी.डी मजुमदार ने कहा कि आकाशवाणी पणजी में जहां राजभाषा हिंदी को उचित सम्मान मिला है वहीं प्रसारण में प्रायमरी चैनल, एफ. एम और विविध भारती चैनल में हिंदी, कोंकणी और मराठी का समुचित प्रतिनिधित्व है । हिंदी के प्रचार-प्रसार में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । पर्यटन क्षेत्र होने के कारण गोवा में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में होता है और आकाशवाणी के एफ.एम. चैनल ने हिंदी गीतों के प्रसारण के द्वारा विशेष रूप से युवा वर्ग में हिंदी के प्रति अभिरूचि बढ़ाई है । यह हिंदी कार्यशाला का कुशल संचालन श्रीमती मनीषा शेट ने किया । श्री वी.एन.पागे स्टेशन इंजीनियर ने कहा कि संत कवियों ने पूरे देश में भ्रमण कर विभिन्न भाषाओं में रचना कर मानवता के गान का आलोक बिखेरा । इस क्षेत्र के साधकों ने जहां मराठी में अभंग, भजन गीत आदि रचे वहीं हिंदी रचना भी की । श्री प्रदीप लोटलीकर कार्यक्रम निष्पादक (समन्वय) ने आकाशवाणी पणजी के कार्यक्रम अनुभागों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर हर्ष प्रकट किया ।

आकाशवाणी पणजी राजभाषा समिति के सदस्य श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने अपने व्याख्यान में भारत सरकार की राजभाषा नीति की विवेचना करते हुए हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की विशेषताओं का चित्रण कर हिंदी को विश्वभाषा निरूपित किया । भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषाओं संस्कृत, हिंदी और अंग्रजी के साहित्य का तुलनात्मक विश्लेषण किया । उन्होंने कहा कि संस्कृत और लैटिन आर्य परिवार की भाषाएं है । लैटिन का प्रभाव अंग्रेजी, फ्रैंच, स्पेनिश आदि भाषाओं पर पड़ा है जबकि लैटिन को संस्कृत ने प्रभावित किया है ।

श्री यादव ने शेक्सपिअर वर्डस्वर्थ और शैली के साहित्य की चर्चा की । जयदेव के गीत गोविन्द को विश्व साहित्य का कोमलतम गीत माना जाता है । हिंदी के स्वरूप और विकास की चर्चा करते हुए श्री यादव ने अमीर खुसरों, कबीर, तुलसी, भारतेन्दु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद के योगदान की विवेचना की । उन्होंने कहा कि हिंदी की कुछ बोलियों में जो उत्कृष्टता संगीत और काव्य की दृष्टि से है वह उन बोलियों को समृद्ध भाषाओं के समकक्ष रखती है ।

भारतीय प्रसारण निगम आकाशवाणी : नागपुर

आकाशवाणी नागपुर में बुधवार, दिनांक 30 जून 2010 को "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया । आकाशवाणी नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री संजय एम.बोदले, केंद्र अभियंता की उपस्थिति में संपन्न हुआ । केंद्र निदेशक श्री दिगंबर पिंपलघरे विशेष रूप से उपस्थित थे । कार्यशाला का संचालन प्रभारी हिंदी अधिकारी श्री संजय वाय भक्ते ने किया ।

इस अवसर पर केंद्र अभियंता श्री संजय एस. बोदले ने हिंदी कार्यशाला के आयोजन पर कहा कि कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों में युनिकोड इनेबल किया गया है तथा उसका कार्यालयीन कामकाज में उपयोग बढ़ाया जाये तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कामकाज संबंधित व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने को कहा ।

कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर केंद्र निदेशक दिगंबर पिंपलघरे ने कहा कि कार्यालय आदेश तथा परिपत्र हिंदी में ही किए जाते हैं तथा हस्ताक्षर भी हिंदी में ही किए जा रहे हैं जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

कार्यशाला का मार्गदर्शन मुख्य अतिथि श्री तेजबीर सिंग, हिंदी अनुवादक, डाक लेख कार्यालय, सिविल लाईन, नागपुर ने किया । "हिंदी में होने वाली व्याकरण की

त्रुटीयां" विषय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया जिसकी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने सराहना की ।

कार्यशाला में आकाशवाणी नागपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी अधिक संख्या में उपस्थित थे ।

अंत में प्रभारी हिंदी अधिकारी श्री संजय वाय. भक्ते, ने अतिथि एवं सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

भंडारा

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति भंडारा की ओर से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रर्दशन सह तकनीकी सेवा केन्द्र भंडारा में दिनांक 26-6-2010 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में भंडारा स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 25 अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

डॉ एस. के माथुर ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में चल रहे राजभाषा कार्यान्वयन के संवंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डाला । डॉ. माथुर ने राजभाषा में कार्य करने संबंधी अपने विचार प्रकट किए । डॉ.माथुर ने कहा कि "क्षेत्रीय भाषायें भारत की नदियां है तथा हिंदी महानदी" । उन्होंने सदन को सूचित किया कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्य अतिथि भंडारा स्थित कार्यालयों में 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किए जाते हैं, जिसकी मुख्य अतिथि ने प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी ।

मुख्य अतिथि श्रीमती उमा पवार प्राध्यापक एम.बी. पटेल कॉलेज (हिंदी विभाग) सालेकसा ने हिंदी कार्यशाला में "साहित्य एवं प्रयोजन मूलक हिंदी विषय का विस्तृत जानकारी दी । मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि माता सरस्वती के साथ-साथ हिंदी भाषा की भी पूजा होनी चाहिए । क्योंकि भाषा ही मनुष्य की पहली पहचान है । "जहां चाह है वहां राह है" । इस प्रकार हिंदी के प्रति चाह रही हो तो राह स्वत: ही मिलती है । उन्होंने हिंदी भाषा से प्रेम करने का आव्हान किया ।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रसायन एव उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार) सेक्टर 67, एस. ए. एस. नगर (मोहाली) -160062, पंजाब (भारत)

संस्थान में प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संस्थान में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाना और इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना है । इस तिमाही में 23 जून, 2010 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के कर्मचारियों एवं छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया । कार्यशाला में निबंध प्रतियोगिता एवं राजभाषा के प्रयोग हेतु लघु व्याख्यान का आयोजन किया गया । निबंध प्रतियोगिता में सुश्री गौरजा बंसल, विद्यार्थी, फार्माकोइनफरमैटिक्स विभाग को प्रथम पुरस्कार तथा श्री नितिन कुमार विद्यार्थी, फार्मास्यूटिक्स विभाग को द्विवितीय पुरस्कार दिया गया ।

इसके उपरांत कार्यशाला में डॉ. राम मिलन ब्यास, उन निदेशक हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा "सरकारी कामकाज और राजभाषा" विषय पर लघु व्याख्यान प्रस्तुत किया गया जो काफी ज्ञानवर्धक था । विषय के संदर्भ में बोलते हुए डॉ. ब्यास ने कहा कि बेशक नाईपर एक वैज्ञानिक सस्थान है परंतु यहां हिंदी का कार्य बहुत अच्छे से संपन्न को रहा है । उन्होंने आगे कहा कि हिंदी का प्रयोग इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये जनसाधारण को आसानी से समझ आने वाली भाषा है तथा हिंदी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं । हिंदी को तभी विकसित किया जा सकता है जब हम सब इस भाषा के प्रति एकमत हों क्योंकि हिंदी हमारी संपर्क भाषा है । उन्होंने कहा कि किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए प्रामाणिक दस्तावेज की जरुरत होती है जिसमें हिंदी अहम भूमिका निभा रही है । उनके अनुसार बिना वाणी के राष्ट्र गूंगा होता है और हर राष्ट्र की अपनी एक मातृभाषा होनी अनिवार्य है जिससे उस देश की पहचान होती है । अंत में उन्होंने कहा कि हिंदी को अपनाने में हमें हिचक

नही होनी चाहिए और सरकारी कार्य में हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसके दो अर्थ न हों और जो सबको आसानी से समझ आ सकें ।

प्रो. के. के. भूटानी ने अपने व्याख्यान में कहा कि एक वैज्ञानिक संस्थान होने के बावजूद हमारा संस्थान हिंदी में कार्य करने के लिए तत्पर है । यहां प्रत्येक कर्मचारी किसी न किसी तरीके से हिंदी में अवश्य कार्य करते हैं । हमारी पूरी कोशिश रहती है कि संस्थान में हो रहा प्रशासनिक कार्य पूर्ण रूप से हिंदी में हो । उन्होंने आगे यह भी कहा कि संस्थान ने राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्यों को हमेशा प्राप्त किया है और आगे भी राजभाषा के क्षेत्र नई उचांईयों को प्राप्त करेगा ।

अंत में श्री के. एल. सिंगला, उप कुलसचिव (प्रशासन एवं कार्य) ने मुख्य अतिथि डॉ. ब्यास का व्याख्यान प्रस्तुत करने और राजभाषा ज्ञानर्जन के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया तथा कहा कि यदि हम समस्त नाईपरवासी यह प्रण कर लें कि हमें हर रोज कोई एक प्रशासनिक पत्राचार पूर्ण रूप से हिंदी में करना है तो वह दिन दूर नहीं जब संस्थान शत् प्रतिशत अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा ।

कार्यशाला में प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में डॉ. संयोग जैन, सहायक प्राध्यापक ने कार्य संपादित किया । मंच का संचालन श्री संतोष सोहगौरां, प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) एवं जन संपर्क अधिकारी ने किया । कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा विद्यार्थीगण सहित लगभग 60 लोग उपस्थित थे ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लान्ट, इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी-827001

बोकारो स्टील प्लांट में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को विशेष गति प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 23-4-2010 को प्लांट परिसर के भीतर स्थित कार्यालयों के ई-6 एवं ऊपर स्तर के अधिकारियों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला, नगर सेवायें विभाग में दिनांक 10-4-2010 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज दिनांक 10-4-2010 को नगर प्रशासन (विद्युत अनुरक्षण) विभाग द्वारा बोकारो निवास के डी. हॉल में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । श्री सुखनन्दन सिंह "सदय" पूर्व महाप्रबंधक (नगर सेवाएं) कार्यशाला के मुख्य अतिथि ने कहा कि हिंदी लोक भाषा है इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदी का प्रचार-प्रसार हम सबकी जवाबदेही है । महाप्रबंधक (नगर सेवाएं) श्री जयराम सिंह ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी कार्यशाला के आयोजन को अनिवार्य बताया तथा समय-समय पर हिंदी कार्यक्रम के आयोजनों पर बल दिया ।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री शम्भू शरण सिंह, कनीय अधिकारी ने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, अधिनियम एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी दी । श्री सिंह ने हिंदी में किए गए कार्यों का समुचित अभिलेख संबद्ध विभागों में गार्ड फाईल में रखने का अनुरोध भी किया । श्री बी. बी. राय, वरिष्ठ अनुवादक, राजभाषा ने एक हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया जिसमें सफल दस कार्मिकों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया । नगर सेवा विभाग में अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने वाले कार्मिकों को भी इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए । नगर प्रशासन विभाग की गृह पत्रिका "संकल्पना" के रचनाकारों को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया ।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, 16 वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में दो दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का शुभांरभ निगम के अध्यक्षता प्रबंध निदेशक श्री एम. एस. राणा जी ने किया । इस अवसर पर श्री राणा जी ने कहा -हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम आदि के अनुपालन से छूट नहीं है ।

आपने कहा कि - नि:संदेह हमारा निगम नया है - हमारी इकाईयां पुरानी है, उनके राजभाषा कार्य व्यवस्थित हैं, हमें निगम मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की बेहतर और अनुकरणीय बनाना है, हमें सहजता और सरलता से राजभाषा कार्यान्वयन को लागू करना है । इसे सभी तरह से प्रोत्साहित करने के लिए निगम प्रतिबद्ध है । हिंदी भारत की समसमाजिक संस्कृति की वाहक है, भारत की आत्मा है, हमें इसे पूर्ण गौरव और गरिमा के साथ अपनाना है ।

इससे पूर्व उड़ियाभाषी डा. मनोरंजन दास, निदेशक (मा.स.) ने निगम मुख्यालय में राजभाषा प्रगति का ब्यौरा देते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है हमें दिल से हिंदी को अपनाना है । हमारा मुख्यालय "क" क्षेत्र में होने के कारण हमारे ऊपर राजभाषा कार्यान्वयन की अधिक जिम्मेदारी है । हमें अपने कारपोरेट कार्यों में अधिक से अधिक राजभाषा को अपनाना है इसके लिए कार्यशाला श्रेष्ठ माध्यम है जिसमें हमें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है ।

इस कार्यशाला में निगम मुख्यालय के उपमहाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारियों ने भाग लिया तथा सात विशेषज्ञों ने इनका व्यवहारिक मार्गदर्शन किया ।

इस अवसर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय नाथ जी ने भी कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए तथा भाषाविद् श्री बी.के.सिन्हा भी उपस्थित थे । निगम के प्रबंधक (रा. भा;) डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी ने कार्यक्रम का काव्य पंक्तियों के साथ संचालन किया तथा श्री राकेश कुमार, उपमहाप्रबंधक ने आभार व्यक्त किया । कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. मनोरंजन दास ने श्री एम.एस.राणा तथा श्री बी.जे. गुप्ता, उपमहाप्रबंधक ने श्री वी.के.सिन्हा का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया ।

इलाहाबाद बैंक, मंडलीय कार्यालय, पारस कॉम्पलैक्स, लालपुर चौक रॉची - 834001

इलाहाबाद बैंक के रांची स्थित मंडलीय कार्यालय में मंगलवार को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया । बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में हिंदी में ही कामकाज करने का संकल्प लिया गया । महाप्रबंधक डी. चक्रवर्ती, मंडलीय प्रमुख यू.एस. द्विवेदी और सहायक महाप्रबंधक एम. एन. पटेल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उदघाटन किया । इस अवसर पर बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते श्री चक्रवर्ती, ने कहा कि किसी देश एवं राष्ट्र की पहचान ही उसकी राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रगीत से होता है । हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है । रांची मंडल के अंधीनस्थ शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए । बैंक के राजभाषा अधिकारी के.वी. किड़ो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ।

(घ) हिंदी दिवस

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन में गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया । महामहिम उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने भाषण में कहा कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और उनके मार्गदर्शन से सरकारी कामकाज में हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है । उन्होंने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहा है और उन्होंने सदैव हमारा उत्साह बढ़ाया है । 14 सितम्बर हमारे लिए स्मरणीय दिन है क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था । इसी दिन की याद में प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है । इस अवसर पर हम अपनी भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करने का संकल्प भी लेते हैं ।

महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन-नेताओं ने हिंदी के माध्यम से ही देश में आजादी का बिगुल बजाया । उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है लेकिन हमें अन्य भारतीय

भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर हिंदी के सर्व समावेशी रूप को उन्नत करना चाहिए ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्ति देने में सक्षम हो सके ।

माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उदबोधन में कहा कि भारत का सांस्कृतिक इतिहास समृद्ध एवं विविधतापूर्ण है । हिंदी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है तथा देश को एकता के सूत्र मे पिरोने की शक्ति हिंदी में ही है, हिंदी के इसी गुण के कारण इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया । सरकार ने आम आदमी की भलाई के लिए जो योजनाएं कार्यान्वित की है आम लोगों तक उनकी पहुंच बनाने के लिए हमें आम बोलचाल की भाषा में ही उनसे संवाद करना होगा । उन्होंने वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन किए जाने की जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए उन्हें राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में विशेष रुचि लेने और ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया ।

इस अवसर पर सचिव, राजभाषा विभाग श्री बी.एस. परशीरा ने सभी अतिथियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाषा विचारों के आदान-प्रदान तथा समाज की इकाइयों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । हिंदी जनता और सरकार के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है । इसलिए इसका भरपूर प्रचार-प्रसार करना हमारा दायित्व है ।

इस समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जी ने हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए वर्ष 2008-09 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार एवं वर्ष 2009-10 के लिए हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार प्रदान किए । इस अवसर पर शील्ड/प्रमाण-पत्र/नकद राशि के रूप में कुल 53 पुरस्कार प्रदान किए गए ।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको) कारपोरेट कार्यालय, बुक लैंड कंपाउण्ड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (नीपको) के कारपोरेट मुख्यालय, शिलांग में दिनांक 14 सितम्बर, 2010 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आई. पी. बरूआ ने प्रदीप प्रज्जवलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया ।

इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आई. पी. बरूआ ने राजभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हिंदी हम सभी को सीखनी चाहिए । उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि निगम में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहें । इस अवसर पर श्री एन. भट्टाचार्या, निदेशक (तकनीकी) ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे निगम में पहले की अपेक्षा राजभाषा हिंदी के प्रयोग में प्रगति हुई है । पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें और अधिक प्रयास करना होगा । उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन काम हिंदी में करने का प्रयत्न करें । इस अवसर पर श्री ए. जी. वेस्ट खारकोंगर, निदेशक (वित्त) ने कहा कि पीएसयू का कर्मचारी होने के नाते भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा इसका प्रचार-प्रसार करना हम सभी का कर्त्तव्य बनता है । उन्होंने सभी से आग्रह किया कि हिंदी सीखें और इसका प्रयोग करें ।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित श्रीमती एफ. मारबनियांग, विभागाध्यक्ष (हिंदी), सेंट एंथोनी कॉलेज, शिलांग ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत के विकास में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (नीपको) की अहम भूमिका है और यह इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अग्रणी संगठन है । उन्होंने निगम में राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति की प्रशंसा की । हिंदी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहु- भाषा-भाषी देश में हिंदी एक कड़ी का काम करती है और यह एक संपर्क भाषा है । इसलिए सभी को हिंदी सीखनी चाहिए ।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा नीपको ज्योति पत्रिका का विमोचन किया गया । इस अवसर पर निगम में राजभाषा की उपलब्धियों पर एक आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई ।

निगम के कारपोरेट मुख्यालय में दिनांक 1-14 सितम्बर, 2010 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे- टिप्पण और प्रारूपण, अनुवाद, टंकण, प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी, सुलेख और श्रुतलेख आयोजित

की गई । विजयी प्रतिभागियों को हिंदी दिवस समारोह में आकर्षक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया । श्री पी.एल. जोशी, सहायक प्रबंधक (हिंदी) ने निगम में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों पर विशेष प्रकाश डाला । श्री अभिषेक कुमार, उप-प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशा.) ने हिंदी दिवस समारोह का संचालन किया । श्री नीरज शर्मा, सहायक प्रबंधक (ईडीपी) ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में गृह मंत्री, भारत सरकार का संदेश पढ़कर सुनाया । श्री विजय अलबान एक्का, उप-प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशा.) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही हिंदी दिवस समारोह सम्पन्न हुआ ।

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

बड़ौदा स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई - भारी पानी संयंत्र - में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 14-9-2010 (मंगलवार) को किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन संयंत्र के महाप्रबंधक आदित्य भौमिक ने भाषा माता हिंदी के चित्र के समक्ष दीप-प्रज्ज्वलित कर के किया । इसके बाद सुश्री नीला बेन पटेल ने भाषा माता हिंदी की आराधना करते हुए स्तोत्र तथा स्तुति गान किया । इसके बाद श्री उपेंद्र मेहता ने वाग्देवी सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की ।

संयंत्र के महाप्रबंधक आदित्य भौमिक ने उपस्थित कर्मचारियों को अपना शासकीय कार्य जैसे टिप्पण-लेखन, प्रारूपण, पत्राचार, रिपोर्ट बनाना, आदि राजभाषा हिंदी में करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि हिंदी पृथ्वी की भाषा बनने के रास्ते पर अग्रसर है । अत: हिंदी भाषा अंग्रेजी का विकल्प बन सकती है । इसलिए हिंदी को बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर प्रौद्योगिकी की भाषा बनाने के लिए भी प्रयास करना होगा ।

हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय श्री पी. चिदम्बरम, गृह मंत्री का संदेश प्राप्त हुआ था । इसका वाचन श्री नरेंद्र देव माथुर, तकनीकी सेवा प्रबंधक ने किया । इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किन्तु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

हिंदी दिवस के मुख्य समारोह में श्री एम.आई. परमार ने नरसिंह महेता का भजन गाया, जिसके बोल थे : राम ने भज ले प्रभु ने भज ले, कौन जाणै कल की, ए मूरख बात करे कल की । श्री रोशन बारोट ने भी इस अवसर पर देशभक्ति से परिपूर्ण गीत प्रस्तुत किया ।

इस वर्ष इस संयंत्र में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 06 से 13 सितंबर तक किया गया । निबंध प्रतियोगिता में दिया गया विषय था : स्वर्णिम गुजरात में भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा का योगदान । अन्य प्रमुख झलकियां थी : काव्य प्रतियोगिता (अ-राजनीतिक), सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कौन बनेगा राजभाषापति-2010 तथा हिंदी आईडॉल-2010 । आवश्यकतानुसार प्रश्नपत्र में प्रश्न के साथ चार विकल्पों वाले उत्तर दिए गए ।

हिंदी दिवस तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्सव के रूप में न कर के राजभाषा हिंदी को उसका यथोचित स्थान दिलाने के सशक्त मंच के रूप में किया गया । इसीलिए हिंदी प्रतियोगिताओं के प्रश्नपत्र स्तरीय तथा ज्ञानवर्धक थे तथा हिंदी, भाषा, साहित्य, आदि के क्षेत्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी प्रकाश डालते थे, जिससे कर्मचारियों को जानकारी मिलने के साथ-साथ हिंदी का अभ्यास करने का अवसर भी प्राप्त होता था ।

भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान मोती बाग, पटियाला

संस्थान में दिनांक 1-9-2010 से 7-9-2010 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया । इस सप्ताह में प्रतियोगितायें संस्थान के अधिकारियों, प्रशिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों में करवाई गईं ।

हिंदी सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन दिनांक 7-9-2010 को सांय 4.30 बजे किया गया । इस समारोह के अंतर्गत हिंदी कविता पाठ/कविता गायन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस समारोह की मुख्य अतिथि डा. श्रीमती उषा वोहरा, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, राजभाषा, भाखेप्रा नेसु राकीस थी । इनके साथ श्री रमेश कैले. प्रभारी-शैक्ष उननिदेशक -I तथा उपनिदेशक-II मंच पर उपस्थित थे ।

मंच का संचालन करते हुये श्री पवन कुमार जोशी प्रभारी -हिंदी ने सर्वप्रथम उपस्थित सभी अधिकारियों,

प्रशिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों का अभिनंदन किया । तदुपरांत हिंदी कविता पाठ/कविता गायन प्रतियोगिता आरम्भ की गई जिसमें उक्त सभी अधिकारियों के अतिरिक्त संस्थान के अन्य सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों ने बड़ी रूचि दिखाई और बड़े उल्लास से समारोह में उपस्थित हुये ।

मुख्य अतिथि डॉ. श्रीमती उषा वोहरा और मंच पर सुशोभित अन्य अधिकारियों ने हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया ।

पश्चिम रेलवे, मंडल कार्यालय, भावनगर, परा

मंडल कार्यालय में 14 सितंबर, 2010 को हिंदी दिवस बड़े धूम-धाम से मनाया गया । इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे श्री आर. कुप्पन ने अपने संदेश में हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया था । तब से हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को "हिंदी दिवस" के रूप में मनाते आ रहे हैं । इस ऐतिहासिक दिन को ही राष्ट्र को अपनी राजभाषा मिली थी, अत: यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है ।

आज विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि 'दूरियां नजदीकियों में बदल गई हैं' । सारा विश्व 'ग्लोबल विलेज' की परिकल्पना पर चल रहा है , विश्व एक ग्रामं की तरह सिमट गया है । मानव समुदाय की उपलब्धियां एक हैं, उनके सुख-दुख बांटे जाते हैं । भले ही अपनी-अपनी भाषाएं अलग हों, हम एक-दूसरे की भाषाएं सीखने की ललक रखते हैं, क्योंकि भाषा ही भावनाओं एवं विचारों के संप्रेक्षण का माध्यम है ।

जहां तक राजभाषा हिंदी का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी का विकास ऐसा किया जाए कि वह भारत की विशाल संस्कृति एवं सभ्यता के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । इसके लिए हमें भारत की सभी भाषाओं के सरल तथा सुबोध शब्दों को भी काम में लेकर हिंदी को समृद्ध बनाने की आवश्यकता है ताकि यह जनसामान्य की भाषा बनकर उभरे तथा अपनी राजभाषा होने की सार्थकता प्रदान करं सके ।

दैनिक काम-काज में हिंदी के प्रयोग और प्रसार में हम पीछे नहीं हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे अधिकांश कार्य हिंदी में ही हों । इस अवसर पर मैं अधिकारियों तथा कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे सरल तथा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करके अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में ही करें ।

हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सब को बधाई देता हूं और आप सभी से पुन: आग्रह करता हूँ कि आप हिंदी में कार्य करने की गति को गतिशील तथा राजभाषा हिंदी की प्रगति को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लें ।

महाप्रबंधक श्री आर. एन. वर्मा ने कहा कि इस अवसर पर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वियन के लिये पिछले वर्ष किए गए प्रयासों की समीक्षा करें और राजभाषा के प्रयोग-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए भावी योजनाएं तैयार करें ।

आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अटूट अंग बन चुका है । कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना आसान होता जा रहा है । अत: हमें कंप्यूटर प्रणालियों पर राजभाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा ।

भारत सरकार की नीति, प्रेरणा और प्रोत्साहन के साथ हिंदी के प्रयोग को लगातार बढ़ाते रहने की है । अत: हमारा कर्तव्य बनता है कि इस भावना को अपनाते हुए अधिक से अधिक काम हिंदी में करें । यह हर्ष की बात है कि हम इस दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं । सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में सरल व स्वाभाविक हिंदी के प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है । हिंदी को सही अर्थों में कार्यालयों में राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी का प्रयोग अनुवाद की भाषा के रूप में न करके मूल रूप में किया जाए ।

राजकोट मंडल - पश्चिम रेलवे

दिनांक: 14 सितंबर, 2010 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, राजकोट के सभाकक्ष में हिंदी दिवस की शुरूआत की गई । इस अवसर पर राजभाषा अधिकारी श्री पी. बी. सिंह ने मरेप्र एवं अमरेप्र का पुष्पगच्छ से स्वागत किया और सभी अधिकारियों को राजभाषा के बारे में विस्तृत जानकारी

दी। मरेप्र महोदय ने सभी अधिकारियों से पखवाड़े के दौरान अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु निवेदन किया तथा अमरेप्रजी ने सभी अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

तत्पश्चात् श्री वेदपाल, मंडल रेल प्रबंधक द्वारा गृहमंत्री तथा महाप्रबंधकजी के संदेशों का वाचन किया गया तथा श्री दयानंद गाँधी, अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मरेप्र के संदेश का वाचन किया गया।

इसी अवसर पर श्री वेदपाल, मंडल रेल प्रबंधक के करकमलों द्वारा "राजभारती" के 9वें अंक का विमोचन कर उपस्थितों में इसका वितरण किया गया।

तदुपरांत गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की 20,000 शब्दों की डायरी योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक के करकमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

इसी क्रम में हिंदी दिवस से प्रारंभ की गई प्रतियोगिताओं की शुरूआत अधिकारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से की गई जिसमें काफी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन श्री पी. बी. सिंह, राजभाषा अधिकारी द्वारा किया गया एवं व्यवस्था राजभाषा विभाग के कर्मचारियों ने की।

भारत संचार निगम लिमिटेड, (भारत सरकार का उद्यम) कार्यालय -महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, भोपाल

दूरसंचार जिला भोपाल में 1 से 15 सितंबर, 2010 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया

हिंदी पखवाड़ा - 2010 के अंतर्गत 1 सितंबर को महाप्रबंधक श्री गणेशचंद्र पांडेय की अपील जारी की गई। अपील में कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा राजभाषा नीति को शत-प्रतिशत कार्यान्वित कराने हेतु किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना के साथ-साथ यह भी रेखांकित किया गया कि हमें अपने प्लानों, स्कीमों, योजनाओं आदि के बारे में लोगों को हिंदी में जानकारी देनी चाहिए। इससे हमारा उपभोक्ता-आधार भी बढ़ेगा।

हिंदी पखवाड़ा में तीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जो इस प्रकार है:-

दिनांक 3-9-2010 को हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता 6-9-2010 को निबंध प्रतियोगिता और 8-9-2010 को राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा 9-9-2010 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

14 सितंबर हिंदी दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। महाप्रबंधक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे अपना अधिक से अधिक कामकाज लगन एवं निष्ठा पूर्वक हिंदी में करें।

पुरस्कार वितरण समारोह के प्रारूप में सहायक निदेशक (राजभाषा) डॉ. सुमनकुमार ने राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध के किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और हिंदी पखवाड़े में दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं का ब्यौरा दिया।

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, राजीव गांधी चौक के पास शितलामाता मंदिर रोड़, पोस्ट बॉक्स सं. 11, भंडारा- 441001 (महाराष्ट्र)

केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा राष्ट्रभाषा गौरव समिति, लायंस क्लब, भंडारा सैंट्रल लायंसा क्लब भंडारा मन एवं लायंस क्लब भंडारा ब्रास सिटी के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 14-9-2010 को केंद्रीय रेशम बोर्ड, के बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र भंडारा में हिंदी दिवस के उपलक्ष में मुख्य अतिथि माननीय लायन श्री धानेश्वर बंदिले, क्षेत्रीय सभापती लायंस क्लब नागपुर एवं संयोजक भंडारा राष्ट्रभाषा गौरव समिति द्वारा पारम्पारिक दीप प्रज्ज्वलित कर हिंदी पखवाड़े का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर श्री धानेश्वर बंदिले मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में हिंदी दिवस की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है एवं इसी ने हमें अनेकता में एकता बनाये रखने एवं एक सूत्र में पिरो रखा है। उन्होंने इस हिंदी पखवाड़े के दौरान भंडारा राष्ट्रभाषा गौरव समिति एवं

लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय जूनियर एवं सिनियर कॉलेज स्तर की प्रतियोगताएं जैसे–हिंदी में निबंध लेखान एवं वाद-विवाद प्रतियोगताएं आयोजन करने के कार्यक्रमों का खुलासा किया, जिससे भावी पीढ़ी में हिंदी एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी ।

श्री रामेश्वर चन्दन बटवे, श्रीभारत भलगट एवं श्री सेवक कारेमोरे ने भी हिंदी पखवाड़ा मनाने एवं हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के बारे में अपने विचार प्रकट किए एवं भविष्य में भी हिंदी से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया ।

डॉ. एस. के माथुर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति एवं इसके कार्यान्वयन के बारे में बताया । उन्होंने सूचित किया की भंडारा स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों में 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें कई स्तरों से पुरस्कार मिले हैं । उन्होंने यह भी सदन को बताया कि वर्ष 2006-2007 के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलौर को इंदिरा गांधी राजभाषा प्रथम पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ जिसे श्रीमती एस. सत्यवती, सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलौर ने ग्रहण किया । सभी ने ध्वनीमत इसका स्वागत किया एवं बधाई दी । डॉ. एस. के माथुर ने पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यशाला एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में भी जानकारी दी । डॉ. एस. के. माथुर ने क्षेत्रीय भाषाओं को समान दर्जा देते हुए हिंदी को सर्वोपरी रखने पर बल दिया । क्षेत्रीय भाषाएं नदियां हैं तो हिंदी महानदी है । हिंदी दिवस के अवसर पर श्री एच. हनुमन्तप्पा, अध्यक्ष केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलौर एवं श्रीमती एस. सत्यवती, सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलौर द्वारा जारी किए गए संदेशों को डॉ. एस. के. माथुर ने पढ़ कर सुनाया ।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, 16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001

राजभाषा हिंदी में काम करने का अर्थ निगम के छोटे से छोटे कर्मचारी तक अपनी बात पहुंचाना है । अंतिम छोर पर खडे कामगार की भाषा अंग्रेजी नहीं है । हमारी इकाईयां बहुत पुरानी हैं, उनमें राजभाषा कार्यान्वयन हेतु समुचित व्यवस्था है । निगम मुख्यालय नया है और बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन प्रयासरत है । मुख्यालय हेतु राजभाषा कार्यान्वयन का सकारात्मक प्रभाव इकाईयों पर भी पड़ता है - की यह उद्गार भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राणा ने निगम मुख्यालय में आयोजित हिंदी सप्ताह के अवसर पर व्यक्त किए ।

श्री राणाजी ने हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारुप लेखन प्रतियोगिता तथा तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं यथा सुश्री रेणु बाला भसीन, श्री एस.एस. बालानी, श्री मौहम्मद इशितयाक, श्री महेन्द्र सिंह, श्री मंगेश चव्हाण, श्री सचिन अग्रवाल और श्री दीपक माथुर को पुरस्कार स्वरूप नकद राशि प्रदान की ।

आपने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि अब निगम मुख्यालय में तकनीकी कार्यों में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा है, चैक भी हिंदी में जारी किए जाने लगे हैं । यह अच्छे संकेत हैं । मानक फार्म हिंदी में सुलभ होने से राजभाषा कार्य को गति मिल सकेगी ।

इस अवसर पर प्रेरक वाक्यों के "स्टिकर" तथा "राजभाषा सार" नामक छोटे से जेबी पत्रक का भी विमोचन किया गया ।

कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री राणा जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हुए निदेशक (मा.सं) डॉ. मनोरंजन दास ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और हिंदी को सम्मान देना राष्ट्र को सम्मान देना है । हमें दिल से हिंदी को अपनाना चाहिए । प्रतियोगिताओं का मकसद, सभी कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति रूचि बढ़ाना है । हमें पूरी लगन, उत्साह और सद्भावना से हिंदी को बढ़ाना है । राजभाषा कार्यान्वयन हेतु आप सबके प्रयास सफल हों, यह मेरी शुभकामना है ।

प्रबंधक (राभा) डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी ने कार्यक्रम संचालन एवं प्रतियोगता का विवरण प्रस्तुत किया तथा श्री सचिन अग्रवाल सहायक कम्पनी सचिव ने आभार व्यक्त किया ।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, 5 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली-110016

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में 1 से 14 सितम्बर, 2010 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रूचि बढ़ाने तथा अपना सरकारी काम-काज हिंदी में करने की मानसिकता और वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से दो प्रतियोगिताओं - हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हिंदी पखवाड़े के दौरान एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसका उद्देश्य संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति तथा इससे संबंधित नियमों की जानकारी देना था। इस कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉ. दिनेश पॉल ने किया।

इस पखवाड़े का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितंबर, 2010 को आयोजित किया गया। यह मुख्य समारोह संस्थान के संयुक्त निदेशक, श्री एस.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। हिंदी दिवस के इस अवसर पर श्री एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक ने माननीय गृह मंत्री जी की ओर से भेजा गया राजभाषा संदेश पढ़ कर सुनाया। इस संदेश में राजभाषा हिंदी का महत्व बताते हुए विचार व्यक्त किए गए हैं कि मूल रूप से हिंदी में किया जाने वाला कार्य राजभाषा के रूप में हिंदी की बेहतर प्रगति का संकेत होगा। इसके अतिरिक्त कठिन हिंदी की बजाय सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग हिंदी की व्यापक पहुंच और प्रचार में सहायक सिद्ध होगा।

हिंदी पखवाड़े के इस समापन समारोह का संचालन श्रीमती रेखा जुनेजा, हिंदी अधिकारी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रतियोगियों के हिंदी ज्ञान को देखकर पता चलता है कि संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में कितने सक्षम हैं। अत: उन्हें अनुवाद पर निर्भर न रहकर मूल रूप से अपना कार्य हिंदी में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारी तो बधाई के पात्र हैं ही किन्तु इनमें भाग लेने वाले अन्य प्रतियोगी भी उतने ही प्रशंसनीय हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी कामकाज में अपनी प्रगति को जारी रखेंगे।

संयुक्त निदेशक (सामान्य सेवा) ने पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं और वर्ष भर चलने वाली प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्हें बधाई दी।

अंत में श्रीमती विजय कौशिक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने सभी का आभार व्यक्त किया।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय -1, दसवां तल, हसांलय बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 14-9-2010 को दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय -1 द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्मिक वृन्द को क्षेत्रीय कार्यालय -1 के प्रभारी उप महाप्रबंधक श्री सी.एस. टण्डन ने सम्बोधित किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने संविधान में उल्लिखित सभी राष्ट्रीय भाषाओं में हिंदी को मुख्य राष्ट्र-भाषा बताया। राजभाषा हिंदी के संवैधानिक महत्व का उल्लेख करने के साथ-साथ हिंदी भाषा की समृद्धता और परिपूर्णता का संकेत किया। उनके अनुसार हिंदी दिवस को 14 सितम्बर, 2010 को मनाने और याद करने के साथ-साथ पूरे वर्ष के शेष दिनों में भी हिंदी को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए। श्री टण्डन के अनुसार हमें बिना औपचारिकता में बंधे प्रतिदिन न्यूनतम एक पत्र हिंदी में लिखना चाहिए। उन्होंने सभी कार्मिकों से अपना अधिकतम कार्यालयी कार्य हिंदी में करने का अनुरोध किया। श्री टण्डन ने सह संकेत किया कि चूंकि हमारी कंपनी सेवा-दात्री कंपनी है और हमारा कार्यालय "क" क्षेत्र के अन्तर्गत आता है इसलिए अपने संभावित ग्राहक से

सरल, सहज एवं सुगम संप्रेषण के लिए हिंदी भाषा से उत्तम कोई माध्यम नहीं हो सकता । उन्होंने हिंदी की विश्व-स्तरीय उपस्थिति का जिक्र करते हुए हिंदी को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कहा ।

इस अवसर पर श्री सी.एस. टण्डन, उप महाप्रबंधक ने माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदंबरम के हिंदी संदेश का वाचन किया ।

श्री वी. के. गर्ग, क्षेत्रीय प्रबंधक ने माननीय वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा जारी किए गए हिंदी संदेश का वाचन किया और सभी कार्मिकों से पूरे वर्ष भर अपना कार्यालयी कार्य हिंदी में करने के लिए अनुरोध किया ।

सभा को श्री जे.पी. नाहर, क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभा को सम्बोधित करते हुए यह संकेत किया कि वे हिंदी प्रदेश से हैं । उन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में सभी कार्मिकों से यह अनुरोध किया कि वे हिंदी पखवाड़े के दिनों के दौरान अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें । इसके साथ-साथ उन्होंने यह संकेत किया कि भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच निश्चित रूप से हिंदी एक शक्तिशाली संपर्क भाषा के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है । उन्होंने यह संकेत किया कि क्षेत्रीय कार्यालय और इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में अविलंब शेष कंप्यूटरों पर हिंदी सॉफ्टवेयर को लोड किया जाए ।

तत्पश्चात् सुश्री रीटा सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक ने हिंदी के व्यापक शब्द भण्डार का उल्लेख करते हुए संप्रेषण के उद्देश्य से भाषा की सरलता और सहजता पर बल दिया । उनके अनुसार हमें रोजमर्रा के कार्यालयी कार्यों में हिंदी के सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और हिंदी में आकर रच बस गए दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी सहज भाव से अपनाना चाहिए ।

इस सभा में राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर.एस. खिंची, ने सम्बोधित करते हुए यह व्यक्त किया कि चूकि हमारा क्षेत्रीय कार्यालय "क" क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए राजभाषा हिंदी संबंधी सभी अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन होना चाहिए । इसके साथ-साथ उन्होंने सभी कार्मिकों से हिंदी पखवाड़े के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया । अपने धन्यवाद ज्ञापन में उन्होंने हिंदी सभा के आयोजन के संबंध में राजभाषा विभाग की कार्मिक सुश्री रिंकी एवं सुश्री उषा किरण की प्रशंसा करने के साथ-साथ हिंदी सभा से जुड़े आनुषंगिक कार्यों के लिए श्री जिले सिंह, श्री रमेश एवं श्री अशोक कुमार का धन्यवाद किया ।

इस सभा में सभी कार्मिकों से पूर्ण उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दर्ज की ।

इस सभा में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी उप महाप्रबंधक द्वारा हिंदी संदेश भी जारी किया गया ।

हिंदी सभा के मंच का संचालन क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री यशवर्धन द्वारा किया गया ।

एन एच पी सी लि. करिया चम्बा (हि. प्र.)

चमेरा पावर स्टेशन-II में निगम मुख्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 1 सितंबर, 2010 से 13 सितंबर, 2010 तक हिंदी पखवाड़ा तथा 14 सितंबर, 2010 को हिंदी दिवस तथा पखवाड़े का समापन समारोह पूरे भाषायी सद्भाव से आयोजित किया गया । इस दौरान परियोजना में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 8 विभिन्न प्रतियोगिताओं भाषण, निबंध, कविता, स्लोगन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, आलेखन व श्रुतलेख, हिंदी संबंधित महापुरुषों के विचार प्रतियोगिता तथा हिंदीत्तर भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं के लिए निर्णायक के रूप में हिंदी के लिए जिला स्तर पर राजभाषा का कार्य कर रहे उत्कृष्ट लोगों तथा बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया तथा उनसे परियोजना में हिंदी के कार्य को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए सुझाव भी लिए गए । उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक श्री प्रदीप जौहर, श्री राजीव पंत, मुख्य इंजीनियर-या, एवं पावर स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारीगण व परियोजना में कार्यरत कर्मचारी भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम डॉ. देवेन्द्र तिवारी ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सभी कार्मिकों का स्वागत करते हुए परियोजना राजभाषा अनुभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी तथा साथ ही वर्ष 2009 के दौरान हुए अद्यतन

कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की । तत्पश्चात् महाप्रबंधक श्री प्रदीप जौहर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनमें प्रमुख से कर्तव्य भी दिए हैं इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । राजभाषा में कार्य करते हुए हम सब को गर्व होना चाहिए और हो भी क्यों नहीं क्योंकि केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा तो हिंदी ही है । महात्मा गांधी जी का यह कथन है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है कितना सार्थक प्रतीत होता है । इसलिए राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा संपर्कभाषा हिंदी का सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व हैं इसके पश्चात आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को एवं वर्ष 2009-10 प्रोत्साहन योजना के अधीन चयनित कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया । हिंदी दिवस के दिन राजभाषा प्रश्नमंच का आयोजन भी किया गया । इस ऐतिहासिक अवसर पर जिला चंबा के वरिष्ठ साहित्यकारों श्री प्रेम शर्मा वरि. जिलाभाषा अधिकारी, वरि. साहित्यकार श्री शरत शर्मा, प्रो. विद्यासागार, श्री दीपक महाजन तथा श्रीमती आशा मलहोत्रा को स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु), 143, स्टर्लिंग रोड, चेन्नई-600034

श्रेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चेन्नई में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 01-09-2010 से 14-09-2010 तक मुख्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए राजभाषा पखवाड़ा/हिंदी दिवस समारोह बड़े धूम-धाम से मनाया गया । पखवाड़े का शुभारंभ दिनांक 02-09-2010 को हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी के साथ हुआ । इस दौरान समारोह की सूचना परिपत्र द्वारा देते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए एवं आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया गया ।

परिसर के मुख्य द्वार पर राजभाषा पखवाड़ा/दिवस समारोह का बैनर दिनांक 1-9-2010 से 15-9-2010 तक लगवाया गया । दिनांक 03-09-10 हिंदी निबंध प्रतियोगिता, दिनांक 06-09-10 को हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता, दिनांक को 08-09-10 को अंताक्षरी प्रतियोगिताएं एवं दिनांक 09-09-10 को हिंदी वाक् प्रतियोगिता हिंदी भाषी तथा हिंदीतर भाषियों के लिए अलग-अलग आयोजित की गई । इन प्रतियोगिताओं में करीब 25 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

मुख्य अतिथि श्री हृदयनारायण पाण्डेय जी ने अपने भाषण में कहा कि जब वे चेन्नई आए थे तब हिंदी को लेकर खूब विरोध रहा, लेकिन, आज स्थिति काफी बदल गई है । इसका उदाहरण राजभाषा हिंदी के लिए सभी जगह मनाए जा रहे इस तरह के कार्यक्रम और समारोह आदि हैं । आगे उन्होंने कहा कि मातृभाषा का परहेज न करते हुए हिंदी को सीखें । एक व्यक्ति कितनी भाषाएं सीखता है उसे जनता ही अधिक सम्मान भी प्राप्त होता है । भाषा एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को एक दूसरे से मिलाता है । राजभाषा कार्य से जुड़े सभी कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह समारोह इतने धूम-धाम से होना ही उनकी लगन, कर्मठता एवं सत्यनिष्ठा का सच्चा प्रमाण स्वरूप साक्ष्य है ।

तदुपरान्त मुख्यालय के मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को नियमानुसार नकद पुरस्कार प्रमाण-पत्र तथा स्मृति चिह्न भी प्रदान किए गए । साथ ही नकद पुरस्कारों से वंचित प्रतिभागियों को स्मृति चिह्न सहित सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए । हिंदी में मूल कार्य करते हुए 10,000 से अधिक हिंदी शब्दों के प्रयोग के लिए 04 कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र सहित नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रवर श्रेणी लिपिक ने राजभाषा शाखा की ओर से इस समारोह में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों को हार्दिक धन्यवाद दिया और राष्ट्रगान की सामूहिक गूंज के साथ हिंदी दिवस समारोह का समापन किया गया ।

सेमी - कडंक्टर लेबोरेटरी, अंतरिक्ष विभाग, सैक्टर 72, सा.अ.सि. नगर (SAS) मोहाली - 160071

सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी में इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा मनाने का सिलसिला 14 सितम्बर, 2010 से आरम्भ हुआ। इस दौरान हिंदी सुलेख प्रतियोगिता - विशेषत: अन्य भाषा

भाषी लोगों के लिए, निबंध प्रतियोगिता एवं हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 16-09-2010 को किया गया। तत्पश्चात् आशु -भाषण प्रतियोगिता एवं हिंदी प्रश्नोत्तरी (Quiz) प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 17-09-2010 को किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर सोत्साह भाग लिया। इसके अतिरिक्त पूरे वित्तीय वर्ष में हिंदी में मूल रूप से कार्य करने पर लागू की गई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 04 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 24 सितंबर, 2010 को हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर प्रमुख, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन, श्री अश्वनी कुमार ने समारोह का शुभारम्भ किया। तत्पश्चात निदेशक एससीएल ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपना संदेश देते हुए सभी कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का अनुरोध किया और नियंत्रक महोदया ने राष्ट्रभाषा के सम्मान में अपने विचार व्यक्त किए।

तदुपरान्त, विभिन्न प्रतियोगिताओं के 28 विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए और प्रमुख, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन द्वारा आभार प्रदर्शन करते हुए हिंदी दिवस समारोह का सुखद समापन किया गया।

केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (पुर्वा), भुवनेश्वर-751012

वित्त वर्ष -2010 -11 के लिए हिंदी सप्ताह का आयोजन दि. 14-09-2010 से दि. 20-09-2010 तक किया गया। इस सप्ताह को सफल, चित्ताकर्षक एवं रोचक बनाने के लिए कार्यालय की तरफ से कुल 6 प्रतियोगितायों का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह के समापन समारोह पर डा. अमिताभ मित्र, अवसर प्राप्त निदेशक, केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (दक्षिण) बंगालुर मुख्य अतिथि के रूप में योगदान किये एवं इस प्रक्षेत की निदेशक डा. प्रसन्न कुमार पंडा जी ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कर्मचारियों को अपने राजभाषा की उन्नति के लिए कार्यालय के सभी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरणा दी। इस सप्ताह व्यापि कार्यक्रम को कार्यालय की हिंदी अनुवादक श्री अभिमन्यु साहाणी जी ने सुचारू रूप में परिचालित किया।

महाप्रबंधक कार्यालय भारत संचार निगम लि., मदुरै-625002

महाप्रबंधक का कार्यालय, भा सं नि लि, मदुरै में प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन निगम कार्यालय, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में किया जाता है। इस वर्ष 1 से 14 सितम्बर, 2010 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। मदुरै एस एस ए में कार्यरत कार्यपालकों/ गैर-कार्यपालकों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए पखवाड़े के दौरान मदुरै, दिण्डुक्कल, तेनी, पलनी और कोडैकानल में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़े का संमापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह श्रीमती एस.ई.राजम महाप्रबंधक, भा. स. नि. लि., मदुरै की अध्यक्षता में दिनांक 14-9-2010 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित किया गया। श्री पी.वी. श्रीनिवासन, राजभाषा अधिकारी ने समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरस्कार विजेताओं का स्वागत किया और राजभाषा- कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भेजे गये संदेश को पढ़कर सुनाया। मदुरै एस एस ए की वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका 'संचार सुरभि' के बारहवें अंक का विमोचन महाप्रबंधक के कर कमलों से किया गया और श्रीमती अनिता रामदास उप महाप्रबंधक/एच आर ने पत्रिका की पहली प्रति प्राप्त की। उप महाप्रबंधक/एच आर ने अभिनन्दन भाषण दिया।

महाप्रबंधक ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जोकि भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। यह गर्व की बात है कि विश्व की 'टाप टेन' भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। आगे उन्होंने कहा कि हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने का उद्देश्य हिंदी के काम को बढ़ावा देना है। हिंदी में सरकारी काम करने की लगन को पूरे साल बनाए रखें और अपना अधिक से अधिक दैनिक कार्य हिंदी में करने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा किए गए राजभाषा निरीक्षण का उल्लेख भी किया।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को महाप्रबंधक ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। कर्मचारियों द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम के बाद श्रीमती शहनाज हीरा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र गान के साथ समारोह समाप्त हुआ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौखाम, जनपद-लोहित, अरुणाचल प्रदेश

अरूणाचल प्रदेश के लोहित जिले में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौखाम के छात्र-छात्राओं द्वारा हिंदी दिवस 14 सितम्बर 2010 को धूमधाम से मनाया गया।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री युत डी. कोयू मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान थे। श्री कपिल देव ठाकुर ने सभा की अध्यक्षता की। हिंदी दिवस के उद्देश्य को सुश्री पूजा मिश्र ने 'हिंदी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी' गाने द्वारा स्पष्ट किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा मनोहारी रंगारंग कार्यक्रम गीत-संगीत नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बीच-बीच में राकेश चकमा, सुश्री किरन लिंबू द्वारा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ब्रोस्को के. आई. शुभम उपाध्याय एवं उनके साथियों द्वारा नाट्य प्रस्तुति 'गुंडा मत बनो' ने सबका मन मोह लिया।

आगे संतोष छात्र द्वारा ताण्डव नृत्य विशेष आकर्षक था। अन्य बच्चों द्वारा एकल, युगल, सामूहिक नृत्य व गान भी प्रस्तुत किया गया।

श्री विजय कुमार अध्यापक ने अपने देश-भक्ति के गाने से पूरी सभा को रंगीन बना दिया। सभी कार्यक्रम की सराहना विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किए। अध्यक्ष महोदय इस शुभ अवसर पर सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कलम एवं मिष्ठान वितरण करवाएं। प्रधानाचार्य जी एवं अध्यक्ष महोदय ने हिंदी की गरिमा को अच्छी तरह से समझाया। साथ ही साथ हिंदी को अधिक से अधिक अपनाने के लिए जोर दिया। यह कार्यक्रम 9 बजे दिन में शुरू होकर 12बजे तक चलता रहा। अंत में श्री वी. पी. सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के बाद समारोह संपन्न हुआ।

पूर्वी आधार कर्मशाला (ग्रेफ) पिन - 931 701 द्वारा 99 सेना डाकघर

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति प्रेरक माहौल कायम करने तथा इसकी उत्तरोत्तर प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कर्मशाला में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 01 सितम्बर से 14 सितम्बर 2010 तक हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस/पखवाड़े का उद्घाटन इस कर्मशाला के कमाण्डेंट महोदय, श्री समरेन्द्र सेन, मुख्य अभियंता (वि एवं यां) ने दिनांक 01सितम्बर 2010 को 11.30 बजे दीप जलाकर किया।

इस दौरान दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला, हिंदी तथा हिंदीतर भाषी (अन्य भाषा-भाषी) कर्मचारियों के लिए हिंदी से संबंधित हिंदी निबंध, हिंदी नोटिंग / ड्राफ्टिंग एवं हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं का अलग-अलग आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के दोनों ग्रुप में प्रथम, दुवितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार के पात्र प्रतियोगियों को समापन समारोह के दौरान 14 सितम्बर 2010 को इस कर्मशाला के कमाण्डेट महोदय, श्री समरेन्द्र सेन, मुख्य अभियंता (वि एवं या) ने नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कमाण्डेंट महोदय ने कहा कि हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने का उद्देश्य हिंदी में काम को बढ़ाना है। हिंदी में सरकारी काम करने की लगन को पूरे साल बनाए रखें तभी इस प्रकार के आयोजनों को सफल माना जा सकेगा।

आकाशवाणी - कटक

आकाशवाणी, कटक में 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2010 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। 1 सितम्बर को आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री बसन्त कुमार बेहेरा, केन्द्र अभियंता ने किया। श्री बासुदेव सिंह, हिंदी अधिकारी ने मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र अभियंता, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, कटक के कार्यालय प्रमुख एवं सभी अधिकारी/कर्मचारियों को स्वागत करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में आकाशवाणी ने अहम भूमिका निभाई है। आकाशवाणी के कार्मिक होने के नाते हमारा यह

उत्तरदायित्व है कि हम अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें। उन्होंने पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं का विस्तृत विवरण दिया। विज्ञापन प्रसारण सेवा के कार्यक्रम निष्पादक, डॉ. तपनेन्दु दत्त ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रेवेंशॉ विश्वविद्यालय, कटक के सेवानिवृत रीडर हिंदी, डॉ. रघुनाथ महापात्र मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। उन्होंने अपने अभिभाषण में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यालयीन तथा व्यवहारिक हिंदी पर जोर देते हुए कहा कि इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम कार्यालय के कार्य बेझिझक हिंदी में कर सकते हैं। श्री बसन्त कुमार बेहेरा, केन्द्र अभियंता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी एक ऐसी कड़ी है जो जोड़ने का कार्य करती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बहुत बड़ी भू-भाग की व्यवहार में आने वाली भाषा है 'हिंदी'। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से आग्रह किया कि पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लें। अन्त में हिंदी अधिकारी श्री सुरेन्द्रनाथ सामल ने राजभाषा कि हिंदी में कार्य करने की आदत पर जोर डालते हुए अतिथियों तथा उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को धन्यवाद अर्पित किया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक-1, 2, 3, 6, 7, 8 सितम्बर, 2010 को क्रमश: श्रुतलेख, आलेखन टिप्पण, निबंध लेखन, घालमेल, स्वरचित कविता पाठ, आशुभाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितम्बर, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे आकाशवाणी के परिसर में किया गया।

मुख्य अतिथि ने अपने कर कमलों से प्रतियोगिताओं में सफल आने वाले प्रत्येक प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया।

मुख्य अतिथि श्री अनुप कुमार पट्नायक-आई.पी.एस. महानिदेशक सतकर्ता, ओडिशा ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि हिंदी भाषा की सरलता के कारण ही इसे भारत की राजभाषा के रूप में सांविधानिक स्वीकृति मिली है। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में आकाशवाणी को प्रयासरत देख उन्हें अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा "हिंदी" राजभाषा पद की अधिकारिणी तो बन गई है लेकिन प्रायोगिक दृष्टिकोण से उसे अपने पद के अनुरूप मर्यादा प्राप्त नहीं हो पाई है। यह मर्यादा तभी मिलेगी जब सरकारी कार्यालयों में पूर्ण रूप से कार्य हिंदी में ही होगा।

केन्द्र निदेशक डॉ. सुधाा मिश्र ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कहा कि आज हमारे देश के लिए एक पवित्र दिवस है। चौदह सितम्बर उन्नीस सौ उनचास को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में पारित किया था। तब से हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत कर्मचारियों को बधाईयां दी और कहा कि जो पुरस्कृत होते हैं उनका राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति दायित्व और भी बढ़ जाता है। अन्त में उन्होंने कबीर दास जी की दो पंक्तियों की उद्‌धति के साथ समझाया कि अभ्यास से ही हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं :-

"करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान
रसरि आबत जात ते सिलपर होत निशान"

आकाशवाणी पणजी - गोवा

14 सितंबर हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में सितंबर के पहले पखवाड़े को आकाशवाणी पणजी में हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया गया। 1 सितंबर 2010 को हिंदी पखवाड़े का उद्‌घाटन करते हुए आकाशवाणी पणजी के केन्द्र निदेशक श्री बी.डी. मजुमदार ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा "भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हम अपने कार्यालयीन कार्यों में प्रेरणा और प्रोत्साहन से राजभाषा हिंदी का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर रहे हैं। साथ ही भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप हम भारतीय भाषाओं के विकास के प्रति निष्ठावान हैं। आकाशवाणी पणजी के प्रायमरी चैनल, एफ.एम. चैनल और विविध भारती से कोंकणी, मराठी, हिंदी, संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कोंकणी और मराठी के गीत, भजन आदि कार्यक्रमों में कोंकणी और मराठी के साथ हिंदी में भी सुंदर उद्‌घोषणा की जाती है जिससे भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय की भावना का बोध होता है। आकाशवाणी पणजी का हिंदी पखवाड़ा भारतीय भाषाओं के विकास पर केंद्रित है।"

हिंदी पखवाड़े में आयोजित हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण-आलेखन, हिंदी टाइपिंग और हिंदी सुलेख

प्रतियोगिताओं के लिए श्रीमती अनिता पटेल, श्रीमती रंजना रेडकर, श्री कमलाकांत कालसेकर, श्रीमती संध्या वझे, श्री विजी वर्गीस, श्री प्रेमानंद कदम, श्रीप्रमोद कुमार, श्री आशिष सातपुते, श्री अशोक गावस, श्री सीताराम भोगले, श्रीमती सोनिया वेलेकर, श्री परमेश्वर हेगड़े, श्री राजेन्द्र सावंत, श्रीमती अनुजा महाले, श्रीनिशाकांत केरकर, श्री अशोक बांदोडकर, श्री गिरीश हलर्णकर, श्री धाकटू हलर्णकर, श्री विट्ठल फातर्पेकर, श्री गुरूदास गावस, श्री विजय परवार, श्रीमती वासंति भगत, श्री सुरेश परब, श्री चंदू तारी, और श्री भरमू पाटिल को हिंदी दिवस समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए । हिंदी दिवस समारोह में पुरस्कार प्रदान कर अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में केन्द्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार ने विश्वास व्यक्त किया कि राजभाषा हिंदी का उत्कृष्ट क्रियान्वयन हम करते रहेंगे । आकाशवाणी पणजी राजभाषा समिति के सदस्य सचिव श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन के संदर्भ में छमाही समीक्षा की और आगामी छमाही की रूप रेखा प्रस्तुत की । हिंदी दिवस समारोह को श्रीमती अनिता पटेल, श्री प्रदीप लोटलीकर, और श्री आर. जी. गावडे ने संबोधित किया ।

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् भारत पर्यावास केंद्र, जोन -5ए, कोर सी, द्वितीय तल, लोदी रोड, नई दिल्ली

भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का प्रावधान है । कपार्ट में हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर, 2010 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया । कपार्ट के उप महानिदेशक श्री ए. के. सिंह जी ने महानिदेशक कपार्ट का हिंदी संदेश को पढ़ते हुए कहा कि हिंदी की प्रगति उतरोत्तर हो रही है । हिंदी भाषा न केवल व्यावहारिक बनती जा रही है बल्कि लोगों की इसमें दिलचस्पी भी बढ़ी है । हिंदी पखवाड़े के आयोजन से इसका प्रचार-प्रसार बढ़ता है । कुछ नए क्षेत्र है जेसे कम्प्यूटर, इंटरनेट, आदि पर भी हिंदी ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है । हिंदी तकनीक के साथ चलने लगी है, तकनीक ने तो काम आसान कर दिया है । हिंदी में कई ऐसे साफ्टवेयर आ रहे हैं । जो इसके तकनीकी विकास को भी प्रमाणित करते हैं । कपार्ट के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से अपेक्षा किया कि वह वर्ष 2010-11में सभी कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें । कपार्ट को राजभाषा हिंदी के उपयोग की दृष्टि से भी अग्रगामी संस्था के रूप में जाना जाए, ऐसा हम सबका लक्ष्य होना चाहिए । हिंदी को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने लायक बनाया जाए । उप महानिदेशक महोदय ने समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को हिंदी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

हिंदी दिवस समारोह में मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह ने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का हिंदी दिवस का संदेश पढ़ा तथा उन्होंने सभी कपार्ट के अधिकारियों-कर्मचारियों से अनुरोध किया कि कार्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करें ।

उप महानिदेशक श्री ए. के. सिंह ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे पुस्तकालय के लिए अपनी ओर से पांच पुस्तकों का नाम सुझाव के तौर पर प्रलेखन एवं सूचना अधिकारी को भेजं सकते हैं जिससे पुस्तकालय की उपयोगिता को बढ़ावा मिल सके ।

हिंदी दिवस के कार्यक्रम का संचालन श्री सुशील कुमार त्रिवेदी, हिंदी प्रभारी ने किया । पखवाड़े के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विजयी प्रतिभागियों को उप महानिदेशक श्री ए. के. सिंह द्‌वारा पुरस्कार वितरण किए गए ।

ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बंगरसिया, भोपाल

ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बंगरसिया, भोपाल में दिनांक 01 सितंबर से 15 सितंबर, 2010 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता लाने तथा सरकारी कामकाज में उसके प्रयोग को गति प्रदान करने के उद्‌देश्य से अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता, पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला, हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता एवं हिंदी टंकण प्रतियोगिता । इन प्रतियोगिताओं में ग्रुप केन्द्र के

कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया । हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता (अधिकारी वर्ग) में स्वयं ग्रु. के. भोपाल के पुलिस उप महानिरीक्षक ने भाग लिया ।

14 सितंबर, 2010 को हिंदी दिवस के अवसर पर ग्रुप केन्द्र भोपाल के तत्वावधान में स्टेशन स्तर पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया । जिसमें इस ग्रुप केन्द्र सहित भोपाल स्थित 107 बटालियन द्रुत कार्य बल, रेंज कार्यालय, 41 बटा. के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए । इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के कुल 40 विजेता कर्मियों को पुरस्कार - प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता भोपाल रेंज के पुलिस उप महानिरिक्षक ने की तथा महानिदेशक केरिपुबल के राजभाषा संदेश का वाचन किया । श्री कमलकांत शर्मा पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रु.के. भोपाल ने सभी का धन्यवाद किया तथा इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि "भूमंडलीकरण के इस युग में हिंदी का महत्व बढ़ा है एवं आज कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष पदाधिकारी भी हिंदी सीख रहे हैं तथा अपने कर्मचारियों को हिंदी सीखने व पढ़ने की सलाह दे रहे हैं । अब विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी में भी रोजगार के नए-नए अवसर सृजित हो रहे हैं ।" कार्यक्रम का संचालन एवं परिचय भाषण ग्रुप केन्द्र के निरीक्षक (हिं.अ.) नागराज द्विवेदी ने किया । समारोह का समापन इन पंक्तियों से हुआ :-

भाषा की सरताज है हिंदी

अभिव्यक्ति का साज है हिंदी

राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक ही नहीं

भारत की आवाज है हिंदी

एन एच पी सी लि., कार्यालय कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-III) क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लाक डी पी, प्लाट न. 3, सैक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता

क्षेत्रीय कार्यालय, (क्षेत्र -III), एनएचपीसी लि., सैक्टर-5, साल्ट लेक सिटी, कोलकता में दिनांक 01-09-2010 से 15-09-2010 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन राजभाषामयी वातावरण में किया गया । इस पखवाड़े को मुख्यत: भाषाई सद्भाव व राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता व प्रोत्साहन के रूप में मनाया गया ।

इस पखवाड़े का उद्घाटन समारोह दिनांक 01-09-2010 को आयोजित किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता श्री दिग्विजय नाथ, कार्यपालक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्र -III), कोलकाता ने किया । इस अवसर पर डा. (श्रीमती) चन्द्रकला पाण्डेय, प्रोफेसर, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी । दोनों अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया । इस पखवाड़े का शुभारंभ दोनों अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ ।

डा. चन्द्रकला पाण्डेय ने मधुरता भरी वाणी में अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हिंदी सभी कोई बोलते हैं, समझते हैं और लिखते हैं । आप देश के किसी भी हिस्से में जाइए हिंदी में बात करने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी । उसके अलावा हम विश्व में कहीं भी चले जाएं हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारी जड़ें भारत में हैं और वे हिंदी से जुड़ी हैं । भारतीय होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी केवल ऐसी भाषा बन कर न रह जाए जिसके लिए पखवाड़े मनाने की आवश्यकता रह जाए और न ही एकमात्र भाषण का विषय बन कर रह जाए । आगे उन्होंने कहा कि हिंदी केवल अनुवाद की भाषा बनकर न रह जाए इसलिए हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि हिंदी को मूल भाषा के रूप में प्रयोग करें तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होगी । मूल रूप में आप यह समझ लें कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा अपनी सरलता व व्यापकता की वजह से है ।

उसके उपरांत मुख्य अतिथि श्री दिग्विजय नाथ, कार्यपालक निदेशक ने अपने ओजस्वी वाणी में हिंदी की क्रमिक विकास यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि हम करीब अढ़ाइ सौ वर्षों तक गुलाम रहे और उस गुलामी से आजाद होने के लिए भावों व विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा को व्यवहार में लाया गया वह हिंदी थी । इस भाषा के माध्यम से एक-दूसरे को जोड़ कर रखा गया और हमें अपने मकसद में कामयाबी मिली । हमें यह गर्व करना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और हमें भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए ।

(शेष पृष्ठ 98 पर)

पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, रेडियो कॉलोनी, पो. रिन्जा, शिलांग-793006 (मेघालय)

राष्ट्र लिपि, राष्ट्रभाषा एव हिंदी साहित्य के विकास के लिए तत्पर पूर्वोत्तर भारत की सक्रिय शैक्षिक एवं साहित्यिक संस्था पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं उत्तर-पूर्वी परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में गत दिनांक 22 से 24 मई, 2010 तक तीन दिवसीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय हिंदी विकास सम्मेलन, अखिल भारतीय लेखक सम्मान समारोह का आयोजन श्री राजस्थान विश्राम भवन, गाड़ीखाना, शिलांग में किया गया। इस समारोह में देश के विभिन्न भागों से 120 साहित्यकारों, हिंदी-प्रेमियों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि श्री अतुल कुमार माथुर ने पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के विकास पर बल देते हुए कहा कि हर कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने की गति में तेजी लानी होगी। कई कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की चर्चा करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कई विद्वानों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए तथा पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा हिंदी के विकास के लिए की जा रही गतिविधियों की सराहना की।

पंजाब नैशनल बैंक, पी. एन. बी. भवन, सैक्टर-17 बी चण्डीगढ़

चंडीगढ़ बैंक नराकास की 42वीं बैठक में लिए गए निर्णय को कार्यरूप देते हुए उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 1 एवं 2 जुलाई 2010 को नाबार्ड के सभागार में किया गया।

नराकास अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने राजभाषा अधिकारियों के सशक्तिकरण की दिशा में की जा रही इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ज्ञानवर्द्धन सशक्तिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और ज्ञान वह शक्ति है जिसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बने तंत्र के मुख्य स्तंभ - राजभाषा अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम स्वागत योग्य है।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में -ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उप-महाप्रबंधक श्री चरणजीत सिंह ने "बदलता बैंकिंग परिदृश्य", डा. सोनिका ने "राजभाषा अधिकारी एवं संप्रेषण कला", डा. बलवंत गुर्ने ने "प्रेरणा एवं नेतृत्व गुण", कर्नल डी. एस. चीमा ने " समय प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन" तथा सुश्री तूलिका पंकज ने "परितर्वन प्रवंधन" आदि विषयों पर अपने विचार सहभागियों के समक्ष रखे तथा व्यवहारिक चर्चा की।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248005

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के राजभाषा अनुभाग द्वारा 'राजभाषा हिंदी विशिष्ट व्याख्यानमाला' के 'पांचवें पुष्प' का आयोजन, संस्थान के सर सी वी रमन व्याख्यान-कक्ष में किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रसिद्ध समालोचक प्रो. रमेश गुप्त, कुरुक्षेत्र ने देश में हिंदी की आजादी से पूर्व तथा आजादी के बाद की स्थिति पर चर्चा करते हुए दु:ख व्यक्त किया कि आजादी के आंदोलन में विभिन्न भाषा-भाषियों को एक करने वाली हिंदी को आजादी के बाद नितांत सौतेला बना दिया गया। प्रो. गुप्त ने आज की लोकप्रिय कही जाने वाली अंग्रेजी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए बताया कि अंग्रेजी को भी इंग्लैंड में विशेष प्रयासों के तहत ही राजभाषा बनाया जा सका था। आज हिंदी को उसका प्रतिष्ठित स्थान दिलाए जाने के लिए ईमानदारी व दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता है। प्रो. गुप्त ने इस बात पर बल दिया कि हिंदी के विकास के लिए उसके शुद्धिकरण अर्थात् मात्र तत्सम या संस्कृतनिष्ठ शब्दों के प्रयोग के विचार को त्यागना होगा। हिंदी का आज का स्वरूप तो एक क्रमिक विकास का परिणाम है जिसमें अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द मिश्रित और अंगीकृत हो गए हैं। यदि इन शब्दों को हटा दिया जाए तो हिंदी, हिंदी न न रह कर संस्कृत हो जाएगी। यह आवश्यक है कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी का ही मान लिया जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी गतिशील भाषा के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना एक नितांत स्वाभाविक व आवश्यक प्रक्रिया है। अंग्रेजी की यही विशेषता है, यहां तक कि हिंदी के बहुप्रचलित शब्दों को भी ऑक्फोर्ड डिक्शनरी में स्थान दे

दिया जाता है। अंग्रेजी की लोकप्रियता का कारण यह है कि वहां विदेशी भाषाओं के शब्दों को अंग्रेजी के व्याकरण के अनुसार ढाला गया। इसलिए हिंदी में शब्दों की प्राप्यता पर शंका नहीं होनी चाहिए। शब्द निर्माण के क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका पर चर्चा करते हुए प्रो. गुप्त ने कहा कि जहां साहित्य में शब्द की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों को महत्व दिया जाता है, वहीं साहित्येतर विषयों यथा कानून, विज्ञान आदि में अनुवाद हेतु शब्द की मात्र अभिधा शक्ति का ही महत्व है। इन क्षेत्रों में शब्द का अर्थ संकोच हो जाता है। किंतु अनुवाद के समय समानार्थी शब्दों के अभाव में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण आवश्यक हो जाता है लेकिन इसमें समस्या यह आती है कि नया गढ़ गया पारिभाषिक शब्द अपरिचित रहता है और इस कारण पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद लोकप्रिय नहीं हो पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते हुए जनता में प्रचलित शब्दावली को ही अपनाया जाए। इससे पूर्व समारोह के संचालक व संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, डॉ. दिनेश चमोला ने गांव की चौपाल से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच चुकी हिंदी भाषा का महत्व रेखांकित करते हुए कहा कि हिंदी सर्वाधिक उदार व सक्षम भाषा है। वह उपने प्रांगण में आए हर अतिथि शब्द को सादर आत्मसात करती रही है व उन्हें नितांत अपना ही मानकर पल्लवित-पुष्पित भी करती है। हिंदी की गरिमा व महिमा मां गंगा के समान है जिसमें बोली रूपी अनेक अशुद्ध धाराएं भी पवित्रता धारण कर हिंदी की पावन धारा में समाहित हो जाती हैं। इन सबसे हिंदी की शब्द शक्ति व सामर्थ्य बढ़ती है। हमारी यह व्याख्यानमाला हिंदी तथा विज्ञान के लोकप्रियकरण की श्रृंखला में एक समर्पित पहलपूर्ण कदम है। अपनी भाषा में अभिव्यक्त होकर ही विज्ञान अपनों के मध्य उपादेयता व सम्मान प्राप्त कर सकता है।

आकाशवाणी - बीकानेर

आकाशवाणी, बीकानेर केंद्र पर दिनांक 16 जून, 2010 को अपरान्ह का समय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को विषय दिया गया था -हिंदी का विकास पथ। संगोष्ठी की अध्यक्षता केंद्र के केंद्राध्यक्ष श्री एस. के. मीना जी ने की।

राष्ट्रीय उष्ट् अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक सह राजभाषा प्रभारी के रूप में कार्यरत डॉ. अश्विनी कुमार रॉय ने ज्ञान-विज्ञान में हिंदी की पहुंच को व्यक्त करते हुए कहा—देश के वैज्ञानिक शोध केंद्रों पर अनुसंधान कार्य जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग हो रहा है। आज ज्ञान-विज्ञान पुस्तकालयों से निकल कर इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंच रहा है। ई-पुस्तकालय में विज्ञान विषयक जर्नल, पत्रिकाएं, लेख हिंदी में मिल रहे हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी के माध्यम से ऑन-लाइन चल रहे है। आज इंटरनेट पर जिनती जानकारी हिंदी में उपलब्ध है उतनी अंग्रेजी में नहीं है। रेडियो, टीवी, कम्प्यूटर, मोबाइल, नेट जैसी सूचना तकनीक विज्ञान की देन है किन्तु आज हम देखते हैं कि यह आम आदमी की जरूरत बन गई है और इनके माध्यम से हिंदी का विश्व बाजार विशाल रूप ले चुका है। दूसरी ओर भौमिक साधन और संसाधनों की बड़े पैमाने पर भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए हिंदी की मांग विश्व स्तर पर बढ़ रही है। इस प्रकार आज हिंदी किसी के प्रयास से नहीं बल्कि अपने ही जोर पर आगे बढ़ रही है और अपने विकास पथ का निर्माण स्वयं कर रही है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में बतौर प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत एवं हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में पुरस्कृत श्रीमती संगीता सेठी ने नई सदी में हिंदी का समाज और साहित्य विषयक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंदी का समाज वृहद है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, साहित्य की भाषा, विज्ञान की भाषा, मीडिया की भाषा और कानून-कायदों की भाषा जैसे विभिन्न स्वरूपों में हमारे इर्द-गिर्द फैला आज का हिंदी का समाज अपना परिवेश, अपना दायरा और अपनी ताकत पहले से अधिक बढ़ाता दिखाई देता है। नई सदी में हिंदी के नवीन स्वरूप को स्वीकारने के लिए हमें तैयार रहना होगा और यही हिंदी का नवीन विकास पथ होगा।

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उप सचिव श्री पृथ्वी राज रत्नू ने हिंदी के विकास में आंचलिक भाषाओं का योगदान विषय पर बोलते हुए कहा कि यह भ्रम है कि हिंदी और राजस्थानी या किसी और प्रादेशिक भाषा के बीच कोई वैर या विरोध है। वस्तुत: सभी प्रांतीय भाषाओं में समानता है और सभी आंचलिक भाषाओं-बोलियों के परस्पर आदान-प्रदान का मिलाजुला स्वरूप ही हिंदी को विकासित और पल्लवित-पुष्पित करता आया है।

तत्पश्चात केंद्र की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका मरूवाणी के बारहवें अंक का लोकार्पण करते हुए मुख्य अतिथि प्रो. ए.के. गहलोत ने अपने आशीवर्चनों में व्यक्त किया कि किसी दूसरी भाषा को कमजोर करने से हिंदी ताकतवर होगी, ऐसा मानना ठीक नहीं है। अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरे की लाइन को काटना ठीक नहीं है। इसलिए हिंदी की लाइन बड़ी करने के लिए हमें हिंदी के प्रति अपनी उपलब्धियों को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदी के राष्ट्रभाषा और राज़भाषा स्वरूप को सम्मान देते हुए हमें अपनी आंचलिक भाषाओं को भी प्रयोग में लाते रहना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से आत्मीयता और अपनत्व झलकता है। ऐसा करने से हिंदी कहीं आहत नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक क्षेत्रों में आम आदमी को निकट लाने के लिए हिंदी को क्लिष्टता से बचाना जरूरी है। सरलीकरण से ही हिंदी की लोकप्रियता बढ़ेगी।

अध्यक्षीय उद्बोधन में केंद्राध्यक्ष श्री एस. के. मीना जी ने व्यक्त किया कि यदि हमारी सोच और मानसिकता हिंदी से जुड़ी रहेगी तो निश्चय ही हिंदी का विकासपथ प्रशस्त होता चलेगा।

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, 72/20 खटीर बाजार लेन विधान पार्क, पो. महेश, जिला : हुगली-712201

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् पूर्व रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय कोलकाता शाखा की ओर से प्रथम सत्र में कोलकाता में हिंदी परिषद् का 50वां स्थापना दिवस एवं साहित्य संगोष्ठी का आयोजन श्री गुणानन्द झा मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य संरक्षा अधिकारी पूर्व रेलवे कोलकाता के अध्यक्षता में मनाया गया। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् भारतीय रेल के संयोजक श्री यमुना प्रसाद राय ने हिंदी परिषद् के उद्देश्य एवं परिषद् के मान्यता तथा परिषद् के स्थापना के विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। प्रधान वक्ता डॉ. ऋषिकेश राय (उप निदेशक, राजभाषा) टी. बोर्ड, कोलकाता ने कहा कि हिंदी आदिकाल से ही समन्वयात्मकता को आधार बनाकर आगे बढ़ती रही है इसमें संस्कृत, पाली, अप्रभंश के अलावा आधुनिक भारतीय भाषाओं का बहुमूल्य स्थान सुरक्षित है। प्रधान अतिथि श्री चन्द्र गोपाल शर्मा (उप महाप्रबंधक -राजभाषा) पूर्व रेलवे कोलकाता ने कहा कि हिंदी में काम करना राष्ट्र सेवा का कार्य है श्री शर्मा ने हिंदी परिषद् के कार्यों की प्रसंशा करते हुए प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया।

नागरी लिपि परिषद् (रजि.) 19, गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली-110002

आचार्य विनोबा भावे की सद्कृपा से स्थापित, नागरी लिपि परिषद्, नई दिल्ली का 32वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन, पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलांग के सहयोग से शिलांग में दिनांक 20, तथा 21 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रदेशों से ख्याति प्राप्त विद्वान, लिपि विशेषज्ञों के अतिरिक्त अनेक साहित्यकारों ने भाग लिया, और पूर्वोत्तर के राज्यों की उन बोलियों को नागरी लिपि में व्यक्त करने पर गभीरता से विचार किया गया, जिनकी अभी तक कोई लिपि नहीं है। उद्घाटन सत्र में उत्तर पूर्वी परिषद, शिलांग के सम्मानीय सदस्य, श्री प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव ने पूर्वोतर क्षेत्र के विकास के लिए नागरी लिपि को आवश्यक बताया इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2009 के लिए विनोबा नागरी पुरस्कार प्रदान किए।

इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से पधारे माननीय संसद सदस्य एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. राम प्रकाश ने इस अवसर पर नागरी लिपि परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "स्मारिका" का लोकार्पण किया। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए सम्पर्क लिपि के रूप में नागरी लिपि के विकास को आवश्यक बताया और कहा कि गांधी जी खादी एवं हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन का अंग मानते थे और उसके प्रचार-प्रसार पर बल देते थे। डॉ. राम प्रकाश ने नागरी लिपि परिषद् के कार्यों की सराहना की।

समारोह की अध्यक्षता भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष, एवं गांधीवादी नेता, श्री सी. वी. चारी ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि नागरी लिपि हृदयों को जोड़ने वाली लिपि है। इसलिए इसका प्रचार-प्रसार समस्त भारत के लिए आवश्यक है।

परिषद् के महामंत्री डॉ. परमानंद पांचाल ने परिषद् के उद्देश्यों और उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परिषद् इस वर्ष पूर्वोतर भारत के राज्यों की बोलियों के लिए नागरी लिपि के प्रयोग को बढ़ावा देने के उदेश्य से अरूणाचल प्रदेश की राजधानी, ईटानगर में एक सम्मेलन का आयोजन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ताकि इस क्षेत्र की लिपि-रहित बोलियों के लिए नागरी लिपि के प्रयोग को बढ़ाया जा सके, उन्होंने आशा व्यक्त की कि परिषद् के इन राज्यों का और केंद्रीय सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

"पूर्वोतर हिंदी अकादमी, शिलांग" के अध्यक्ष, श्री विमल कुमार बजाज ने आगन्तुकों का स्वागत किया और नागरी लिपि परिषद् की ओर से श्री रामकुमार पाराशर ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। श्री अकेला भाई ने इस आयोजन को सफल बनाने में प्रशंसनीय कार्य किया।

सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रख्यात भाषाविद्, लिपि विशेषज्ञ, पत्रकार और प्रबुद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया। इस समारोह में चार संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिनके विषय थे -(1) भारतीय भाषाओं के लिए एक अतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी का प्रयोग, (2) पूर्वोतर की बोलियों के लिए देवनागरी की उपादेयता, (3) सूचना प्रौद्योगिकी और नागरी लिपि का मानकीकरण, और (4) नागरी लिपि के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए व्यावहारिक उपाय। एलेक्ट्रोनिक विभाग के पूर्व निदेशक एवं कम्प्यूटर विशेषज्ञ, डॉ. ओम विकास ने यूनिकोड के प्रयोग पर बल देते हुए यूनिकोड से फोनी कोड तक की यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि स्पीच से अनुवाद में फोनी कोड का प्रयोग उपयोगी होगा और मशीन मानव बोल को समझ सकेंगी। ■

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। महामहिम उप राष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर महामहिम उप राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :-

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार - वर्ष 2008-09

मंत्रालय/विभाग

300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

1. रेलवे बोर्ड — प्रथम
2. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग — द्वितीय
3. श्रम मंत्रालय — तृतीय

300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय/विभाग

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय — प्रथम
2. संसदीय कार्य मंत्रालय — द्वितीय
3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय — तृतीय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

क क्षेत्र

1. एन. एच. पी. सी. लिमिटेड, फरीदाबाद — प्रथम
2. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई — द्वितीय
3. टी. एच. डी. सी. इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश — तृतीय

ख क्षेत्र

1. भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई — प्रथम
2. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुंबई — द्वितीय
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई — तृतीय

ग क्षेत्र

1. एच.एल.एल. लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम — प्रथम
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टणम — द्वितीय
3. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-द-गामा — तृतीय

भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी आदि

क क्षेत्र

1. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली — प्रथम
2. भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली — द्वितीय
3. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली — तृतीय

ख क्षेत्र

1. जवाहर लाल नेहरू पत्तन-न्यास, नवी मुंबई — प्रथम
2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे — द्वितीय
3. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई — तृतीय

ग क्षेत्र

1. नारियल विकास बोर्ड, कोचिन — प्रथम
2. केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर — द्वितीय
3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचिन — तृतीय

राष्ट्रीयकृत बैंक

1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — प्रथम
2. पंजाब नेशनल बैंक — द्वितीय
3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक — तृतीय
4. इलाहाबाद बैंक — प्रोत्साहन
5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया — प्रोत्साहन
6. इंडियन ओवरसीज बैंक — प्रोत्साहन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

'क' क्षेत्र

पानीपत (कार्यालय)

'ख' क्षेत्र

मुंबई (बैंक)

'ग' क्षेत्र

कोलकाता (उपक्रम)

वर्ष 2009-10 में प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए पत्रिका एकक द्वारा गृह पत्रिका पुरस्कार

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय वर्ग

क्र.सं.	पत्रिका का नाम	प्रकाशित करने वाले संगठन का नाम	पुरस्कार
1.	लेखा परीक्षा-प्रकाश	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली	प्रथम
2.	रेल राजभाषा	रेल मंत्रालय, नई दिल्ली	द्वितीय
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वर्ग			
1.	इस्पात भाषा भारती	सेल, नई दिल्ली	प्रथम
2.	विद्युत स्वर	एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, नोएडा	द्वितीय

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना 2008-09

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार
(i)	अपराध और प्रौद्योगिकी	डॉ. निशांत सिंह	द्वितीय
(ii)	बैंक ऋण एव विकास	श्री सुबह सिंह यादव एवं श्री सत्यपाल सिंह	तृतीय
(iii)	कुक्कुटों के रोग, निदान तथा उपचार	डॉ. हरिवल्लभ सिंह चौहान	प्रोत्साहन

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना 2008-09

(i)	कंप्यूटर बोले आपकी भाषा	बरूण कुमार साहु	प्रोत्साहन
(ii)	खनिज संपदा और सतत विकास	डॉ. प्रदीप कुमार जैन	प्रोत्साहन
(iii)	ग्लोबल वार्मिग-कारण और निराकरण	श्री श्याम सुंदर शर्मा और श्री केदार नाथ गोस्वामी	प्रोत्साहन
(iv)	पर्यावरण प्रबंधन	प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी	प्रोत्साहन
(v)	नैनो टेक्नोलॉजी	डॉ. डी.डी. ओझा	प्रोत्साहन
(vi)	पर्यावरण बोध	डॉ. राम निवास यादव	प्रोत्साहन
(vii)	भारत में मानवाधिकार	डॉ. सुभाष शर्मा	प्रोत्साहन
(viii)	आपदा प्रबंधन	डॉ. निशांत सिंह	प्रोत्साहन
(ix)	चिकित्सीय न्यायशास्त्र एवं विष विज्ञान	डॉ. शैलेन्द्र कुमार अवस्थी, डॉ. स्वाति पारेख एवं सुधा अवस्थी	प्रोत्साहन

■

प्रशिक्षण

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण)

विषय:- हिंदी टंकण (मैनुअल)/हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर) एवं हिंदी आशुलिपि की नई कक्षाओं का गठन अगस्त-2010

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन व हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का आगामी सत्र अगस्त, 2010 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 09 अगस्त, 2010 से प्रारंभ होगा तथा नियमित कक्षाएं दिनांक 18 अगस्त, 2010 से आरंभ होंगी। प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी पृष्ठ 3 पर विस्तार से दी गई है।

2. प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी:-

(क) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है तथा कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवस पर एक-एक घंटे की होती हैं। सभी ग्रेड के आशुलिपिकों/निजी सहायकों/निजी सचिवों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्थान उपलब्ध होने पर हिंदी टंकण में प्रशिक्षित अवर श्रेणी लिपिकों को भी, विहित शर्तें पूरी होने पर आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन प्रशिक्षण की अवधि 6 माह है तथा कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवय पर एक-एक घंटे की होती हैं। सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंककों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटाएंट्री ऑपरेटरों आदि कि लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें ग्रुप ''ग'' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी तरह/इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। स्थान उपलब्ध होने पर प्रवर श्रेणी लिपिकों (यू.डी.सी.), सहायकों तथाा हिंदी अनुवादकों को भी प्रवेश दिया जाता है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 2.2.9 के अनुसार वर्ग ''घ'' कार्मिकों को वर्ग ''ग'' वेतन वर्ग में शामिल का लिया गया है। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग ''ग'' कार्मिकों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14034/30/2009-रा.भा. (प्रशि) दिनांक 6-1-2010 के अनुसार वर्ग ''घ'' से वर्ग ''ग'' में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग ''ग'' श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ग) हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1201/2/76-रा.भा. (डी) दिनांक 2-9-1976 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 18-3-94-हि.शि.यो. (मुख्या) दिनांक 14-2-1995 के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्रमशः वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

(घ) प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए कार्यालय ज्ञापन सं.12/21/61-एच बी दिनांक 26 जून, 1962 के अनुसार 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है ।

(च) केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिद हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन 40 रुपए तथा हिंदी आशुलिपि 50 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है । परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है ।

(छ) प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), ईस्ट ब्लाक-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-66 (दूरभाष-26176055 अथवा 26173775 पर अथवा ई-मेल आई डी ddts-hts-nc-deol@nic.in पर मेल द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है ।

3. राजभाषा विभाग के दिनांक 3-12-2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21023/76/2008-रा.भा. (प्रशि.) (ii) के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायतशासी निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की प्रशिक्षण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किन्तु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि ।

4. हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अत: आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें । हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए पृष्ठ 3 पर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा । संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपले कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके । इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा । अत: इस पत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केंद्र पर, निर्धारित तिथि व समय, पर संपर्क करना है ।

5. हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । पृष्ठ सं. 3 पर उपलब्ध तालिका के क्रम संख्या 1,2 एवं 4 पर अंकित केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण कंप्यूटर पर तथा क्रम संख्या 3 एवं 5, पर अंकित केंद्रों पर हिंदी टंकण प्रशिक्षण मैनुअल टाइपराइटर पर दिया जाएगा ।

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी
1	2	3	4
1.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लॉक-2, लेवल-1 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आस-पास स्थित सभी कार्यालय

1	2	3	4
2.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23036516	डाक भवन, योजना भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कनाट प्लेस, रिजर्व बैंक, आकाशवाणी, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि ।
3.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली	सुश्री पूनम ओसवाल फोन 24618271-75 एक्स./556	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय तथा आसपास के सभी कार्यालय
4.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथि गृह भवन, भूतल धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेंद्र कुमार फोन 23098591/ 4711	संघ लोक सेवा आयोग, लोकनायक भवन, निर्माण भवन, मौसम भवन, भारत पर्यावास केंद्र, अकबर रोड हटमेंट्स, केंद्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय
5.	उद्योग भवन अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कमरा नं. 540, उद्योग भवन, नई दिल्ली	अंशकालिक अनुदेशक	उद्योग भवन, निमार्ण भवन तथा आसपास के कार्यालय

प्रवेश की तिथियाँ

1.	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय उपक्रम/निकाय/निगम/बैंक के कर्मचारी	09,10 एवं 11 अगस्त, 2010

प्रशिक्षण कक्षा में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा । यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केंद्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों, जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, के ब्यौरे निम्नलिखित प्रपत्र में दिनांक 31-7-2010 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं । पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को भी प्रेषित की जाए । कृप्या नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए ।

प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने के लिए प्रपत्र 31-7-2010 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारी*		नामित कर्मचारियों का विवरण नाम, पद व हिंदी में शैक्षिक योग्यता सहित					सुविधाजनक केंद्र
टंकण	आशुलिपि	प्रशिक्षण		नाम	पद	हिंदी में योग्यता	
		टंकण	आशुलिपि				
1	2	3	4	5	6	7	8

* कृपया इसमें राजभाषा विभाग के दिनांक 3 दिसंबर, 2008 के का. ज्ञा. सं. 21034/76/2008-रा. भा. (प्रशि) (i) के अनुसार डाक सहायकों, कार्यालय सहायकों, छंटाई सहायकों, दूरसंचार सहायकों,, डाटा एंट्री ऑपरेटरों तथा कंप्यूटर आपरेटरों आदि की संख्या भी दर्शाएं)

नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम ....

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं. सहित ....

ई-मेल आई-डी ....

सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए । नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना
(हिंदी टिप्पण/आशुलिपि प्रशिक्षण)

विषय:- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/निगमों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण/शब्द संसाधन तथा हिंदी आशुलिपि का अल्पकालिक प्रशिक्षण ।

महोदय/महोदया

केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के विभिन्न कार्यालयों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में संचालित हिंदी शिक्षण योजना के चार केंद्रों पर हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठयक्रम (प्रयोग के तौर पर) आरम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत पृष्ठ-4 पर उल्लिखित चार केंद्रों पर हिंदी आशुलिपि

का अल्पकालिक प्रशिक्षण (5 माह का) अगस्त, 2010 से तथा हिंदी टंकण शब्द संसाधन का अल्पकालिक प्रशिक्षण (2-2 माह का) अगस्त एवं नवम्बर, 2010 से संचालित किया जाएगा ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, उपक्रमों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से अनुरोध है कि वे अपने कर्मचारियों को हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पर्याप्त संख्या में नामित करें और अल्पकालिक प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएं ।

3. प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी :

(क) हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत निर्दिष्ट केंद्रों पर 5 महीने 3-3 घंटे प्रत्येक कार्य दिवस की प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की जाएंगी । इस तरह हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए आने वाले प्रशिक्षार्थी प्रत्येक कार्य दिवस को पहले आधे दिन (पूर्वाह्न) हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् आधे दिन (अपराह्न) अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे । यह प्रशिक्षण अगस्त, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक संचालित किया जाएगा तथा सत्र के अंतिम दिवस को हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा कार्यालय द्वारा हिंदी आशुलिपि परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

(ख) हिंदी टंकण/शब्द संसाधन के अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिदिन 3-3 घंटे 2 महीने (अपराह्न) की प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित की जाएंगी । इन कक्षाओं में आने वाले प्रशिक्षार्थी पहले आधा दिन (पूर्वाह्न) अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे तथा आधे दिन (अपराह्न) प्रशिक्षण केंद्र पर हिंदी टंकण/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण के दो सत्र यथा अगस्त से सितम्बर, 2010 तथा नवम्बर से दिसम्बर, 2010 संचालित किए जाएंगे । प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के अंतिम कार्य दिवस को हिंदी टंकण की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ।

4. हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76-रा. भा. (डी) दिनांक 2-9-1976 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हि.शि.यो.(मुख्या) दिनांक 14-2-1995 के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्रमशः वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

5. प्रशिक्षण कक्षामें आने के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 12/21/61-एच बी दिनांक 26 जून, 1962 के अनुसार 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है ।

6. केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए टंकण हिंदी शब्द संसाधन 40 रुपए तथा आशुलिपि 50 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है । परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है

7. प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी उप-निदेशक (टंकण/आशुलिपि), टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध हिंदी शिक्षण योजना, ईस्ट ब्लॉक-7 लेवल-6 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-66 दूरभाष सं. 26173775, 26176055 अथवा ई-मेल आई डी ddts-hts-nc-deol@nic.in पर मेल द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है ।

8. पाठयक्रम की अर्हताएं निम्न प्रकार हैं:-

हिंदी टंकण अल्पकालिक प्रशिक्षण

(क) सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टंककों/डाक सहायकों/कार्यालय सहायकों/छंटाई सहायकों/दूरसंचार सहायकों/कर सहायकों/कंप्यूटर ऑपरेटरों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

(ख) उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और हिंदी अनुवादकों को भी स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है ।

(ग) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है किन्तु उपयोगी है, को भी इस प्रशिक्षण में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है किन्तु ये अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय/वित्तीय प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एक मुश्त पुरस्कार आदि ।

(घ) छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 2.2.9 के अनुसार वर्ग ''घ'' कार्मिकों को वर्ग ''ग'' वेतन वर्ग में शामिल कर लिया गया है । चूंकि महामहिम राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग ''ग'' कार्मिकों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, अत: राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन स. 14034/30/2009-रा.भा. (प्रशि.) दिनांक 6-1-2010 के अनुसार वर्ग ''घ'' से वर्ग ''ग'' में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग ''ग'' श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी टंकण/हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

शैक्षिक योग्यता:-ऐसे कर्मचारी जो हिंदी के साथ मिडिल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि उत्तीर्ण हों, टंकण प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं ।

हिंदी आशुलिपि अल्पकालिक प्रशिक्षण

(क) सभी वर्ग के आशुलिपिकों, वैयक्तिक, सहायकों, निजी सचिवों आदि के लिए आशुलिपि प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

(ख) कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों, जिन्होंने हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, संबंधित कार्यालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र देने पर कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है, को भी प्रवेश दिया जा सकता है ।

शैक्षिक योग्यता:-हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हो ।

9. अनुरोध है कि इसे प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम निर्धारित प्रपत्र में अगस्त, 2010 से प्रारम्भ होन वाले आशुलिपि प्रशिक्षण (5 माह) तथा टंकण प्रशिक्षण (2 माह) सत्र के लिए दिनांक 15-7-2010 तक और नवम्बर, 2010 से प्रारम्भ होने वाले टंकण प्रशिक्षण (2 माह) सत्र कि लिए दिनांक 15-10-2010 तक इस कार्यालय को भिजवा दें और पत्र की एक प्रति संबंधित केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टं/आ) को भी भेजने का कष्ट करें । केवल उन्हीं कर्मचारियों/अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण शब्द संसाधन/आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण शब्द संसाधन/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । नामांकन के उपरांत प्रवेश तिथि को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा ।

प्रवेश तिथि (अल्पकालिक प्रशिक्षण)

क्र.सं.	प्रशिक्षण सत्र	प्रवेश तिथि
1.	हिंदी आशुलिपि अल्पकालिक प्रशिक्षण (2-8-2010 से 30-12-2010)	28-7-2010 (पूर्वाह्न 9.30 बजे से)
2.	हिंदी टाइपलेखन अल्पकालिक प्रशिक्षण सत्र- प्रथम (2-8-2010 से 30-9-2010)	28-7-2010 (अपराह्न 2 बजे से)
3.	हिंदी टाइपलेखन अल्पकालिक प्रशिक्षण सत्र- द्वितीय (1-11-2010 से 31-12-2010)	27-10-2010 (अपराह्न 2 बजे से)

अल्पकालिक प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने के लिए प्रपत्र

क्र.सं.	नामित कर्मचारियों का विवरण नाम, पद व हिंदी में शैक्षिक योग्यता सहित						सुविधाजनक केंद्र
	नाम	पद	हिंदी में शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण		सत्रावधि	
				टंकण	आशुलिपि		
1	2	3	4	5	6	7	8

नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम ....

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं. सहित ....

ई-मेल आई-डी ....

समय-सारणी (अल्पकालिक प्रशिक्षण)

पाठयक्रम का नाम	सत्र/अवधि	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक
1	2	3	4
हिंदी आशुलिपि अल्पकालिक प्रशिक्षण	02-8-2010 से 30-12-2010 (पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	मानक भवन, भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली ।	श्रीमती वीना कश्यप फोन 23230131/4438
	02-8-2010 से 30-12-2010 (पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	रेल भवन, कमरा नं. 564-जे रेल भवन, नई दिल्ली ।	श्रीमती उषा शर्मा फोन 23303209
	02-8-2010 से 30-12-2010 (पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	बी -ब्लाक, कमरा नं. 107, बी ब्लाक हटमेंट्स (साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर
	02-8-2010 से 30-12-2010 (पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक) 3 घंटे प्रतिदिन (5 माह)	रामकृष्णपुरम, ईस्ट ब्लाक-7 लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्री सुरेश चन्द शर्मा फोन 26176055

1	2	3	4
हिंदी टाइपलेखन अल्पकालिक प्रशिक्षण	प्रथम सत्र 2-8-2010 से 30-9-2010 दूसरा सत्र 1-11-2010 से 31-12-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	मानक भवन, भारतीय मानक ब्यूरो, कमरा नं. 250, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली ।	श्रीमती वीना कश्यप फोन 23230131/4438
	प्रथम सत्र 2-8-2010 से 30-9-2010 दूसरा सत्र 1-11-2010 से 31-12-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	रेल भवन, कमरा नं. 564-जे रेल भवन, नई दिल्ली ।	श्रीमती उषा शर्मा फोन 232303209
	प्रथम सत्र 2-8-2010 से 30-9-2010 दूसरा सत्र 1-11-2010 से 31-12-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	बी-ब्लाक, कमरा नं. 107,बी ब्लाक हटमेंट्स (साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर
	प्रथम सत्र 2-8-2010 से 30-9-2010 दूसरा सत्र 1-11-2010 से 31-12-2010 (अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक) 3 घंटे प्रति दिन (2 माह)	रामकृष्णपुरम, ईस्ट ब्लाक-7 लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्री सुरेश चन्द शर्मा फोन 26176055

10. सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में परिचालित करने का कष्ट करें । यह भी सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, उन्हें निश्चित रूप से प्रशिक्षण कक्षाओं में भेजें और नियमित रूप से उपस्थित रहने और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित होने के निदेश दिए जाएं ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

विषय:- वर्ष 2011 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं उप-संस्थानों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 10-9-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18015/6/86-रा.भा.ई. में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा मंत्रालयों/विभागों/स्वायत संस्थानों, संगठनों एवं बैंकों में नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है । मूलत: ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है किन्तु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें ।

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-I) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर इस सुविधा का लाभ उठाएं ।

2. प्रोत्साहन:- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर 12 महीनों के लिए, एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है । हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70%, 60% तथा 55%, अंक प्राप्त करने पर अधिकारी/कर्मचारी क्रमशः रुपये 800, रुपये 400, रुपये 200, तथा प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा में 70%, 60% तथा 55%, अंक प्राप्त करने पर क्रमश: रुपये 1200, रुपये 800, रुपये 400, के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता है ।

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि पूर्णकालिक गहन हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नामित सभी प्रशिक्षार्थियों की सूची, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा इसके उप संस्थानों के संबंधित सहायक निदेशकों (अनुलग्नक-II) को पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य भिजवा दीं जाएं ।

4. हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के तीनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर पूरा होता है, जिसकी अवधि क्रमश: 25, 20 तथा 15 दिन होती है । ये पाठ्यक्रम इस प्रकार रखे गए है कि संबंधित कार्यालय जहां तक संभव हो, पात्रतानुसार प्रशिक्षार्थी को प्रथम पाठ्यक्रम से लेकर अंतिम पाठ्यक्रम तक संपूर्ण अवधि के लिए एक ही बार में नामित और कार्यमुक्त कर सकें ।

प्रशिक्षण के लिए योग्यता एवं पात्रता:-

(क) प्रबोध:- यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है । इसमें कन्नड़, मलयालम, तलिम, तेलुगु और अंग्रेजी (मणिपुरी/मिजो) भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । ये सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।

(ख) प्रवीण:- यह पाठ्यक्रम उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है जो प्रबोध पास कर चुके हैं या जो प्राइमरी स्तर तक हिंदी पढ़ चुके है या जिनका हिंदी का ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है । इसमें मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।

(ग) प्राज्ञ:- यह अंतिम पाठ्यक्रम है । यह उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिन्हें मिडिल/माध्यमिक स्तर तक का हिंदी का ज्ञान है या जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या 10वीं कक्षा से कम हैं । उर्दू, सिंधी, पंजाबी तथा भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

5. संस्थान के ये पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होते हैं और इन्हें नियत कार्यदिवसों में पूरा किया जाता है। कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक चलाई जाती हैं। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थी अपनी ड्यूटी पर माने जाते हैं तथा पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। ये सभी पाठ्यक्रम नि:शुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी के हिसाब से उप निदेशक (परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होता है।

6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली स्थित गहन प्रशिक्षण केंद्र के दिल्ली से बाहर के प्रतिभागियों के लिए सीमित संख्या में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जो कि "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर दी जाती है। हॉस्टल पहुँचने के लिए दिल्ली में बस सेवा उपलब्ध है।

छात्रावास का पता इस प्रकार है :-
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
सरकारी हॉस्टल, (सी.पी.डब्ल्यू.डी.),
तीसरा तल, देवनगर, करोल बाग (निकट लिबर्टी सिनेमा),
नई दिल्ली-110005 (फोन नं. 011-28716509)

(बस रूट - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 181
बस स्टाप का नाम-खालसा कालेज)

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 926, बस स्टाप का नाम-लिबर्टी सिनेमा हॉल हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन तक आने के लिए बस रूट सं. 610 है।

बस स्टाप का नाम - उद्योग भवन

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है और इसे विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार पूरा किया जाना है। अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु दिल्ली से बाहर के सभी संबंद्ध नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों/अभिकरणों/संगठनों, स्वायत्त संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में नामित करें। सभी अधिकारियों से यह अनुरोध है कि प्रशिक्षण के लिए नामित प्रशिक्षार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर सीधे ही सहायक निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए निदेश दें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रशिक्षार्थियों को हॉस्टल के पते के बारे में, बस रुट सं. कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्र के फोन नं. आदि के बारे में पूरी-पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

8. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का गहन (भाषा) प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्र का पता :-
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,
कमरा नं.-449 'ए' (चौथा तल),
उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011
दूरभाष: 011-23063321, एक्सटेंशन 2207
फैक्स 011-23062626

अनुलग्नक-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं इसके चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलूर, मुंबई एवं कोलकाता स्थित उप-संस्थानों द्वारा वर्ष 2011 में

आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि

सत्र	गहन पाठ्यक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की तिथियां
प्रथम	प्रबोध	25	3 जनवरी, 2011 से 8 फरवरी, 2011 तक
	प्रवीण	20	9 फरवरी, 2011 से 10 मार्च, 2011 तक
	प्राज्ञ	15	11 मार्च, 2011 से 31 मार्च, 2011 तक
द्वितीय	प्रबोध	25	2मई, 2011 से 6 जून, 2011 तक
	प्रवीण	20	7 जून, 2011 से 4 जुलाई, 2011 तक
	प्राज्ञ	15	5 जुलाई, 2011 से 25 जुलाई, 2011 तक
तृतीय	प्रबोध	25	1 सितंबर, 2011 से 5 अक्तूबर, 2011 तक
	प्रवीण	20	7 अक्तूबर, 2011 से 4 नवंबर 2011 तक
	प्राज्ञ	15	8 नवंबर, 2011 से 29 नवंबर, 2011 तक

अनुलग्नक-II

1. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं.-449 ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011. (दूरभाष 011-23063321 एक्सटेंशन-2207) फैक्स 011-23018740, फैक्स 011-23062626
2. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3सी ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नई- 600090 (दूरभाष 044-24918904)
3. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 (दूरभाष 040-24747211)
4. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बी विंग, 5वाँ तल केंद्रीय सदन, 17वाँ मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूर-560034 (फैक्स 080-25537089) (दूरभाष 080-25537087)
5. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन,''सी विंग'' छठा माला, सी. बी.डी. बेलापुर, नवीं मुंबई -400614 (दूरभाष 022-27572705, 27572706) फैक्स 022-27565417
6. उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वां तल, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता -700020(दूरभाष 033-22870793 और 22890038) फैक्स 033-22870793

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 21 जुलाई, 2010 का कार्यालय ज्ञापन सं.13017/1/2010-रा.भा (नी.स.)

विषय:- अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय के संबंध में ।

अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए मानदेय देने के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 25-2-2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/2/96-रा.भा. (नी.स.) का अधिक्रमण करते हुए ये आदेश जारी किए जा रहे है । राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना है तथा कई कार्य केवल हिंदी में ही किए जाने हैं । कई कार्यालयों में अनुवाद की समस्या के कारण इन आदेशों का अनुपालन सुचारु रुप से नहीं हो पा रहा है । इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों जिनमें अनुवादक के पद नहीं हैं या जिनमें अनुवाद कार्य की अधिकता की वजह से उपलब्ध अनुवादक अनुवाद कार्य पूरा नहीं कर पाते, वहां अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर करवाया जाए तथा अनुवाद की दरें आकर्षक रखी जाएं । मानदेय की नई दरें निम्न प्रकार रखी गई है :-

(i) सामान्य प्रकार की सामग्री से अनुवाद किए जाने वाली भाषा में अनुवाद करने के लिए 95 रुपये प्रति हजार शब्द,

(ii) सहिंताओं, नियम पुस्तिकाओं, आदि तकनीकी स्वरूप के अनुवाद कार्य के लिए रु. 100 प्रति हजार शब्द ।

2. मानदेय स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बातें घ्यान में रखी जाएं :-

(क) अनुवाद कार्य अपने कार्यालय या दूसरे कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से करवाया जा सकता है परन्तु गैर-सरकारी व्यक्तियों से नहीं । इसके लिए उचित होगा कि प्रत्येक कार्यालय अपने यहां योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार रखें ।

(ख) अनुवाद कार्य इस बात को घ्यान में रखते हुए सौंपा जाना चाहिए कि यह संबंधित व्यक्तियों की सामान्य सरकारी डयूटी तथा उत्तरदायित्वों में कुशलता पूर्वक निर्वहन में बाध्यकारी न हों ।

(ग) हिंदी से संबंधित पदाधिकारियों - निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक तथा कनिष्ठ अनुवादक से मानदेय के आधार पर अनुवाद नहीं करवाया जाए ।

(घ) विभागाघ्यक्ष यह प्रमाणित करें कि अनुवाद करवाना आवश्यक था और वास्तव में उतने शब्दों का अनुवाद किया गया जिसके लिए मानेदय स्वीकार किया जा रहा है ।

(ड.) इस मानेदय पर होने वाला खर्च संबंधित कार्यालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट से किया जाएगा ।

(च) जो व्यक्ति पहले से ही हिंदी जानते है या जिन्होंने हिंदी की परीक्षा पास करके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें सामान्यत: हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए । प्रयास यह किया जाए कि जो पत्र हिंदी में जाने है उनके मसौद हिंदी जानने वाले अधिकारी और कर्मचारी मूल

रूप में हिंदी में ही तैयार करें। जहां ऐसा करने में कठिनाई हो या कोई पत्र, परिपत्र आदि हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होना हो तभी अनुवाद का सहारा लिया जाए।

(छ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-7-1998 के का. ज्ञा. सं. 17011/3/97-स्था. (भत्ते) के अनुसार मानदेय की अधिकतम सीमा राशि रु. 5000 प्रति वर्ष है।

3. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरों, जहां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं व फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्य विधि साहित्य का अनुवाद किया जाता है, में अनुवाद कार्य में कार्यरत तथा ब्यूरों के बाहर के अनुवादकों जिनमें कार्यरत तथा सेवा-निवृत अनुवादक/अनुवाद अधिकारी/हिंदी अधिकारी तथा अनुवाद कार्य या अनुवाद प्रशिक्षण से संबद्ध अनुभवी सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं के द्वारा करवाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर विभिन्न मंत्रालय/विभाग/कार्यालय भी सरकारी सेवा से सेवा-निवृत योग्य व्यक्तियों/गैर-सरकारी व्यक्तियों का पैनल बना कर उपरोक्त दर से पारिश्रमिक देकर उनसे अनुवाद कार्य करवा सकते हैं।

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

5. यह कार्यालय ज्ञापन गृह मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग (वित्त-II) के दिनांक 5-7-2010 की अ.वि.टि. सं. 52/हिंदी/वित्त-II/10 में दी गई सहमति से जारी किया जाता हैं।

(पृष्ठ 80 का शेष)

केंद्रीय विद्यालय, दिगारू, पो. सोनापुर, जिला - कामरूप (असम)

केंद्रीय विद्यालय, वायु सेना स्थल, दिगारू (सोनापुर) हिंदी पखवाड़ा समारोह का औपचारिक प्रारंभ 08-09-2010 को प्रभारी प्राचार्य श्री बी.एन. लक्की ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। सितम्बर माह की सम्पूर्ण प्रात: कालीन सभा कार्यक्रमों की प्रस्तुति हिंदी में विद्यार्थियों द्वारा 01-09-2010 से ही प्रारंभ कर दी गई थी तथा 1-1-2010 से ही कर्मचारियों ने भी अपना कार्य हिंदी में ही संपादित करना प्रारंभ कर दिया था।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर स्वागतिका पाल (दसवीं अ) ने वर्तमान में हिंदी की दशा एवं दिशा पर अपने विचार प्रस्तुत किए तथा छात्रा सना रिज़वान (दसवीं अ) ने हिंदी के प्रचार-प्रसार का काव्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण कर सबको रोमांचित किया। जिसमें हिंदी भाषा के स्वर्णिम गौरव का वर्णन किया गया था। इस अवसर पर 'दहेज का दानव' नामक 'हास्य -व्यंगय-करुण' रस से युक्त एकांकी का भी मंचन कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों ने किया जिसे देख कर सभी लोट-पोट हो गए तथा दहेज के कुप्रभावों को भी समझ पाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में विद्यालय के शिक्षक (गणित) श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव ने भी सुमधुर हिंदी गीत प्रस्तुत कर शमां बांधा।

प्रभारी आचार्य श्री बी. एन. लक्की ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्य हिंदी में करने की प्रवृति की सराहना करते हुए केन्द्रीय विद्यालयों की राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में भूमिका पर टिप्पणी की। उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों से राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग की अपील की।

समापन समारोह का संचालन विद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षक (हिंदी) श्री लेखराज मीणा (समन्वयक राजभाषा कार्यान्वयन समिति) ने किया। उन्होंने इस अवसर पर पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए गए।

कार्यक्रम का समापन विद्यालय के शिक्षक श्री सत्यनारायण सरोज के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हिंदी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हुआ।

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती अंक 127 (वर्ष-32) अक्तूबर-दिसम्बर, 2010 श्री राकेश शर्मा द्वारा लिखित लेख ''विश्व हिंदी सचिवालय का सफरनामा'' से मारीशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के प्रति विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई । अंतर्राष्ट्रीय स्तर हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में यह संस्थान कार्य कर रहा है । आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हिंदी का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उज्ज्वल है एवं ''राजभाषा भारती'' पत्रिका अपनी राजभाषा हिंदी की सुगंध सदा फैलती रहेगी । बधाई ।

–विजय कुमार तनेजा, केंद्रीय श्रम सेवा (सेवा निवृत), 27, बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-5

आपके संपादकीय कौशल से सजा राजभाषा भारती का 127वां अंक मिला । क्षेत्रपाल शर्मा जी का आलेख ''देवनागरी लिपि, वर्तनी एवं प्रयोग'' तथ्यात्मक तथा सार्थक लगा । डॉ. एम.सी. पाण्डेय, ईश्वर चंद मिश्रा, डॉ. विनोद सिन्हा तथा डॉ. देविदास हंगले के आलेख अच्छे लगे । बेहतरीन संपादन हेतु हार्दिक बधाई ।

–ओम मिश्रा, लेखक एवं छायाकार, पोस्ट बॉक्स नं. 4, बीकानेर-334001

त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' का जुलाई-सितंबर, 2009 (अंक 126) विस्तृत सामग्री से पूर्ण है । भाषा साहित्य एवं संस्कृति संबंधी विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी लाभप्रद है । भूमण्डलीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की स्थिति, सार्थकता तथा हिंदी का कंप्यूटरीकरण जैसे बहुआयामी विषयों पर गहन आलेख प्रस्तुत किए गए साहित्य, संस्कृति संबंधी विचारोत्तेजक आलेख भी पठनीय हैं ।

–होमनिधि शर्मा, प्रबंधक (का. एवं प्र.- रा.भा.) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय, कंचनबाग, हैदराबाद-500058

कलात्मक मुखपृष्ठ एवं गतिविधियों से समाहित पत्रिका अत्यंत आकर्षक हैं । यद्यपि प्रकाशित सभी रचनाएं पठनीय है तथापि ''संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति और प्रास्थिति'' हिंदी भाषा विकास में आधुनिक जनसंचार माध्यमों की भूमिका जैसे लेख अत्यंत प्रभावशाली है । संपादन मंडल के सदस्यों का प्रयास सराहनीय है । कृपया ''राजभाषा भारती'' पत्रिका की निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं स्वीकार करें ।

–डॉ. इन्दिरा रानी थॉमस, प्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई-27

''राजभाषा भारती'' पत्रिका - अंक 127, अक्तूबर-दिसंबर, 2009 सभी विषयों - साहित्यकों, संस्कृति, विश्व हिंदी दर्शन, प्रबंधन, पत्रकारिता एवं हिंदी की व्यावहार्यता आदि पर लेख ज्ञानवर्धक एवं पठनीय हैं । उत्कृष्ट रचनाओं एवं राजभाषा संबंधी गतिविधियों की सूचनाओं के सफल संकलन और संपादन के लिए पूरे संपादक मंडल को हमारी हार्दिक बधाई ।

–प्रबंधक का. एवं औ. सं., कटक मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, कटक-753001

''राजभाषा भारती'' में प्रकाशित सामग्री अति उपयोगी, सारगर्भित और संग्रहणीय है । इसके लिए संपादक और सहायक संपादक दोनों ही बधाई के पात्र हैं ।

–रीता भट्टाचार्य, पूर्व प्रबंधक यू.बी.आई. तथा पूर्व सचिव, नराकास (बैंक), कोलकाता

''राजभाषा भारती'' का अक्तूबर-दिसंबर, 2009 अंक 127 पत्रिका में समावित सभी विषय ज्ञानवर्द्धनीय एवं विविध जानकारी से भरपूर है । ''राजभाषा भारती'' में साहित्य संस्कृति, प्रबंधन संबंधित लेख पत्रिका को पठनीय एवं संग्रहनीय बनाते हैं । लेख विशेषकर ''हिंदी शब्दों का खूबसूरत लोकतंत्र'' एवं ''भावनात्मक बुद्धिमता'' काफी प्रभावित करते हैं ।

–डॉ. पी. आर. वासुदेवन ''शेष'', हिंदी अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तमिलनाडु

''राजभाषा भारती'' के अंक 127 (अक्तूबर-दिसंबर, 2009) पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में पूर्णतया सहायक हैं । सम्पादक मण्डल का कार्य प्रशंसनीय है ।

–डॉ. नागेश रं. अय्यर निदेशक, सी एस आई आर -संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, सी. एस. आई. आर. कैंपस, तरमणी, चेन्नई-600113

त्रैमासिक हिंदी पत्रिका ''राजभाषा भारती'' का 126वां अंक निश्चय ही आकर्षक, पठनीय और सहेजनीय है । इस श्रमशील प्रयास के लिए पूरा सम्पादक मण्डल एवं श्रेष्ठ रचनाओं के लिए सभी शब्दशिल्पी बधाई के पात्र हैं ।

–एस. के. मीना, केंद्र अभियंता एवं केंद्राध्यक्ष, (प्रधान सम्पादक-मरूवाणी), भारतीय प्रसारण निगम, आकाशवाणी, बीकानेर-334001

त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' के 127वाँ अंक राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन है । पत्रिका में संकलित सभी लेख उच्चकोटि के तथा ज्ञानप्रद हैं जो कि अभूतपूर्व प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं । इस पत्रिका के छायाचित्रों एवं विभिन्न प्रदेशों के समाचारों के माध्यम से हमें राजभाषा संबंधी गतिविधियों की नवीनतम जानकारी मिलती है । आपके प्रभावशाली संपादकीय के लिए तथा विभिन्न लेखों के संबंध में संकलन व संपादन हेतु आपके कुशल संपादक मंडल को हार्दिक बधाइयाँ ।

–सूर्यकान्त, प्रबंधक (राजभाषा), न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कैगा बिजली उत्पादन केंद्र संयंत्र स्थल, डाक घर कैगा-581400

त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' अंक 127 पत्रिका का आकर्षक मुख पृष्ठ पत्रिका के संपूर्ण कलेवर की उत्कृष्टता को दर्शाता है । पत्रिका में प्रकाशित सामग्री अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक है । पत्रिका के माध्यम से पूरे भारत में स्थित नराकास के कार्यालयों की राजभाषा के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है । कुशल संपादन एवं स्तरीय प्रकाशन के लिए बधाई ।

–नारायण पति, सदस्य सचिव, नराकास, राउरकेला तथा महाप्रबंधक (नगर सेवा एवं सी.एस.आर.), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला इस्पात संयंत्र, प्रशासन भवन, राजभाषा विभाग, द्वितीय तल, राउरकेला-769011

''राजभाषा भारती'' वर्ष : 32 अंक : 126 जुलाई-सितंबर, 2009 अंक की प्रस्तुति नयनाभिरात है । आपका सम्पादन स्तुत्य है । आपने इस अंक में जो लेख प्रकाशित किए हैं, वे विचारगर्भित हैं, वास्तव में संजो कर रखने वाले हैं । सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़े, इसके लिए अनुवाद का अवलम्ब छोड़ना होगा ।

–डॉ. पवन कुमार, प्रबंधक (राजभाषा), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद-388001

''राजभाषा भारती'' (अक्तूबर-दिसंबर, 2009) पत्रिका में प्रकाशित लेख उच्च स्तरीय हैं पत्रिका में राजभाषा संबंधी गतिविधियों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, कार्यशालाएं, हिंदी दिवस सम्मेलन/संगोष्ठी आदि मुद्दों पर उल्लेख किया गया है, यह सराहनीय है ।

–डॉ. वी. के. जयश्री, वरिष्ठ प्रबंधक (हिंदी), एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, एचएलएल भवन, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम-695012

''राजभाषा भारती'' का अक्तूबर-दिसंबर, 2009 का 127वां अंक का संपादकीय प्रेरणास्पद और राजभाषा के प्रति जन-मानस को प्रेरित करने का भरसक प्रयास किया है । संपादकीय में सभी स्तंभों में दिए गए लेखों की भी संक्षिप्त में समीक्षा देकर पाठकों को उन लेखों को पढ़ने की प्रेरणा देने का सफल प्रयास किया है । पत्रिका में दी गई सभी रचनाएं उपादेय, ज्ञानवर्धक व मनोरंजक हैं ।

–गजानंद गुप्त मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद्, 19-3-946, शमशीरगँज, हैदराबाद-500053

त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' अंक 126 (जुलाई-सितंबर, 2009) में अमरीश सिन्हा का लेख ''नए प्रयोग जरूरी हैं सरकारी कार्यालयों के हिंदी विभाग में ताजगी के लिए'' रोचक सामग्री से परिपूर्ण है । विश्व हिंदी दर्शन स्तम्भ में डॉ. एन.एस. शर्मा द्वारा ''विदेशी माटी में पल्लिवित और पुष्पित हिंदी'' शीर्षक से लिखे गए लेख में बहुत ही ज्ञानवर्धक और कई नई तथा हतप्रभ कर देने वाली सटीक जानकारियाँ भी मिली ।

–अमृत लाल सेठी, क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, तृतीय तल, विकास मंजिल, जी.एम.डी. रोड, मुरादाबाद-244001 (उ.प्र.)

''राजभाषा भारती'' ''राजभाषा'' शब्द के पद के महत्व को पूर्णतया स्पष्ट करने वाली पत्रिका है । राजभाषा हिंदी के अध्यताओं तथा अध्यापकों को भी अत्यंत उपादेय लेखन सामग्रियाँ भी मिलती हैं । विशेषकर दक्षिण भारत के हिंदी प्रेमी सज्जनों एवं हम जैसे हिंदी प्रचारकों के लिए शुद्ध हिंदी से परिचय पाने एवं ज्ञान बढ़ाने योग्य बहुत से बहुमूल्य लेख भी पाए जाते हैं । यह अत्यंत सराहनीय बात है कि हमारी महान संस्कृति के अनुकूल उसका परिचय पाठकों को अवश्य मिले इसका ध्यान भी रखा गया है जिसका प्रमाण है ''पाँचवां वेद है आयुर्वेद'' यह लेख देशविदेशों में हमारी राजभाषा एवं संस्कृति का समुचित प्रचार हो । पत्रिका संपादक मंडली के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी हार्दिक बधाइयाँ ।

–के. एस. राघवन पिल्ल, स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी प्रचारक, मणक्काट्टु पुत्तनवीट

MGIPRRND—4012 HA/2010—5,000

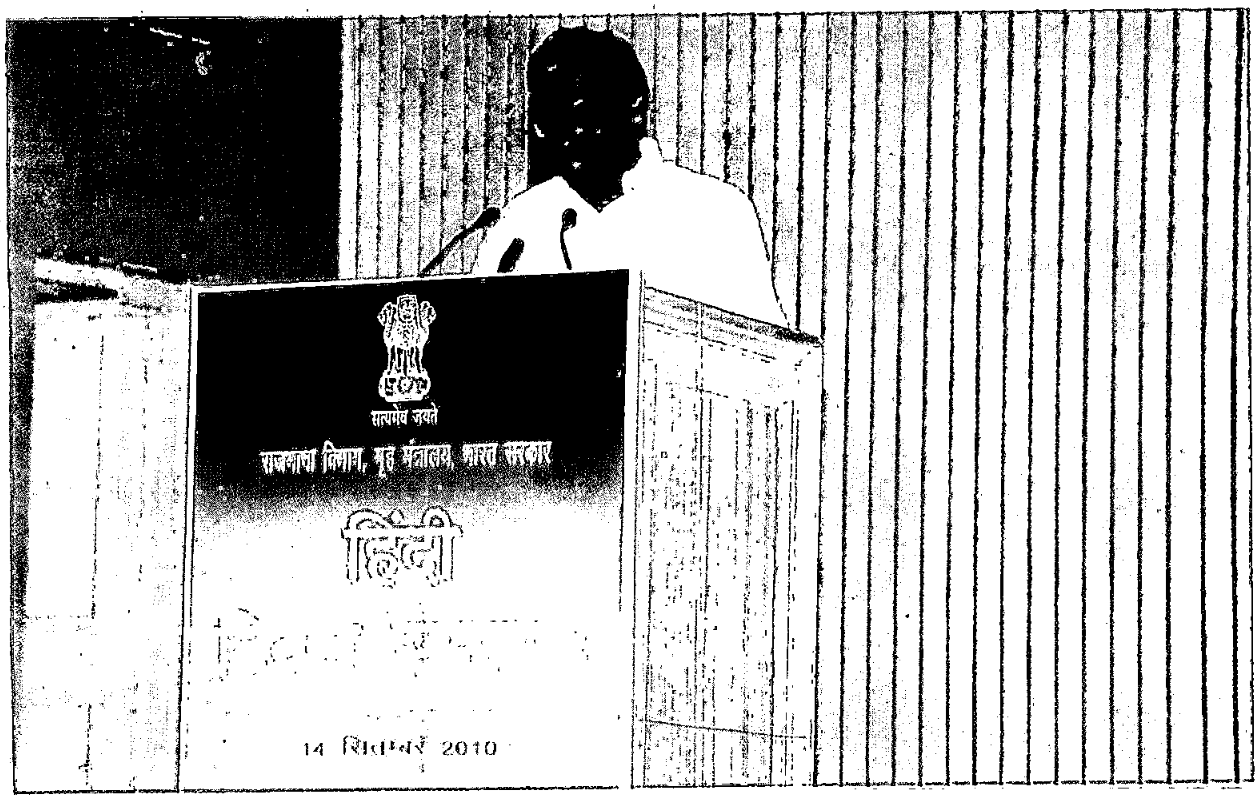

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में वक्तव्य देते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एस एन 0970-9398

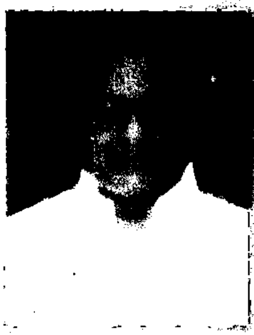

पी. चिदम्बरम
P. CHIDAMBARAM
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं !

हमारे देश के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति और उन्नत संचार व्यवस्था ने संपूर्ण विश्व को एक विश्वग्राम में परिवर्तित कर दिया है। हिंदी का प्रयोग तीव्र गति से हो रहा है। हिंदी को इस स्थान तक पहुंचाने में हिंदीतर भाषी विद्वानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़, कागज़ात आदि द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं। मूल रूप से हिंदी में किए जाने वाले कार्य, राजभाषा के रूप में हिंदी की बेहतर प्रगति का संकेत होगा। अतः कार्यालयों में हिंदी में मूल टिप्पण व पत्राचार को प्रोत्साहित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, कठिन हिंदी के बजाय सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग, हिंदी की व्यापक पहुंच एवं प्रचार में सहायक साबित होगा।

कंप्यूटर और सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान उपलब्ध करवाने में वेबसाइटों की उल्लेखनीय भूमिका है। अतः केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों की हिंदी वेबसाइटों पर अंग्रेजी वेबसाइटों के समान नवीनतम एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। आज हमारे कंप्यूटर बिना किसी कठिनाई के हिंदी में काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं। सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति का पूरा लाभ हिंदी प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग यानी यूनिकोड का प्रयोग किया जाए। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को यूनिकोड के प्रयोग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन इस तकनीक का पूरा लाभ उठाने के लिए इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।

स्पष्ट रूप से लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। मैं केंद्रीय सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस प्रयास करने का आग्रह करता हूं। साथ ही, यह भी अपील करता हूं कि इस संबंध में भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जानी चाहिएं।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व के निर्वहन का संकल्प लें।

जय हिंद !

नई दिल्ली,
14 सितम्बर, 2010

पी. चिदम्बरम

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रवंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित ।